

वैश्वीकरण के दौर में भारत के विकास पर “मेक इन इण्डिया” योजना का प्रभाव

Impact of “MakeIn India” Scheme on Growth of India during period of Globalization

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबंध

(सामाजिक विज्ञान संकाय)

शोधार्थी

उषा शर्मा



शोध पर्यवेक्षक

डॉ.(श्रीमती) विजय सर्राफ

सह आचार्य

राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ (राजस्थान)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2020

प्रमाण-पत्र

मुझे यह प्रमाणित करते हुए प्रसन्नता है कि शोध-प्रबन्ध "वैश्वीकरण के दौर में भारत के विकास पर "मेक इन इण्डिया" योजना का प्रभाव" शोधार्थी उषा शर्मा ने कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की पीएच.डी. के नियमों के अनुसार निम्नलिखित आवश्यकताओं के साथ पूर्ण किया है-

1. शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के नियमानुसार कोर्स वर्क किया है।
2. शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के 200 दिन के आवासीय आवश्यकता नियम को पूर्ण किया है।
3. शोधार्थी ने नियमित रूप से अपना कार्य प्रगति प्रतिवेदन दिया है।
4. शोधार्थी ने विभाग एवं संस्था प्रधान के समक्ष अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया है।
5. शोधार्थी को बताई गई शोध पत्रिका में शोध-पत्र का प्रकाशन हुआ है।

मैं इस शोध-प्रबन्ध को कोटा विश्वविद्यालय कोटा की पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) की उपाधि हेतु मूल्यांकनार्थ प्रस्तुत करने की अनुमति देती हूँ।

शोध पर्यवेक्षक

डॉ. (श्रीमती)विजय सराफ
सह आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
झालावाड़ (राजस्थान)

ANTI-PLAGIARISM CERTIFICATE

It is certified that PhD Thesis "वैश्वीकरण के दौर में भारत के विकास पर "मेक इन इण्डिया" योजना का प्रभाव" by Usha Sharma has been examined by us with the following anti-plagiarism tools. We undertake the follows:

- a. Thesis has significant new work/knowledge as compared already published or are under consideration to be published elsewhere. No sentence, table, paragraph or section has been copied verbatim from previous work unless it is placed under quotation marks and duly referenced.
- b. The work presented is original and own work of the author (i.e. there is no plagiarism). No ideas, processes, results or words of others have been presented as author's own work.
- c. There is no fabrication of data or results which have been compiled and analyzed.
- d. There is no falsification by manipulating research materials, equipment of processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record.
- e. The thesis has been checked using Urkund software, and found within limits as per HEC plagiarism Policy and instructions issued from time to time.

Usha Sharma
Research Scholar
Place:
Date:

Dr. (Smt.) Vijay Saraf
Research Supervisor
Place:
Date:

शोध सार

भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण से आशय है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। सितम्बर-2014 में “मेक इन इण्डिया” योजना का मूल उद्देश्य भारत में नवीन टेक्नोलॉजी विकास और भारत में ही बनाये जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य सिद्धांत है कि विदेशी कम्पनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरणा मिले तथा भारत में ही उत्पादों का निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जावे। मुख्यतः भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का इस योजना का उद्देश्य है।

इस योजना में 25 क्षेत्रों का चयन किया गया है और अपेक्षा की गई है कि इन क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि की जावे। यह सब तभी सम्भव होगा जब अधिक से अधिक निवेश पर बल होगा। इसके परिणाम स्वरूप युवाओं को रोजगार मिलेगा और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में मेक इन इण्डिया योजना भारत के विकास में कहाँ तक कारगर रही है इस थीम को समक्ष रखकर शोधार्थी ने “वैश्वीकरण के दौर में भारत के विकास पर मेक इन इण्डिया योजना का प्रभाव” विषय के अन्तर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने का निश्चय किया है। इस शोध को शोधार्थी ने निम्न छः अध्यायों में विभाजित करके विषय को स्पष्ट करने का विनम्र प्रयास किया है।

प्रथम अध्याय – “परिचयात्मक” के अन्तर्गत शोध की आवश्यकता को दर्शाया है क्योंकि यह विषय नवीन है। सितम्बर, 2014 में ही इस संकल्पना को प्रकट किया गया है। इस प्रकार के अध्ययनों का पूर्व में प्रायः अभाव रहा है। ‘स्वदेशी’ की संकल्पना पूर्व अध्ययनों में अत्यधिक विस्तार से प्रकाश डाला है लेकिन “मेक इन इण्डिया” जैसे विषयों को स्थान नहीं दिया गया है। इसके साथ ही शोध का उद्देश्य तथा शोध प्रविधि का खुलासा किया गया है।

द्वितीय अध्याय – “वैश्वीकरण एवं भारत : एक अध्ययन” के अन्तर्गत वैश्वीकरण की धारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को वर्णित किया गया है। वैश्वीकरण के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन किया गया है। वैश्वीकरण की प्रकृति, भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव आदि तथ्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अध्याय – “भारत में वैश्वीकरण एवं मेक इन इण्डिया योजना” के अन्तर्गत वैश्वीकरण तथा स्वदेशी की धारणा को स्पष्ट करते हुए मेक इन इण्डिया के उद्देश्य और इसकी रूपरेखा को प्रकट किया गया है।

चतुर्थ अध्याय – “मेक इन इण्डिया योजना तथा विकास” के अन्तर्गत इस योजना का दृष्टिकोण तथा इसे सफल बनाने हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया है। स्वदेशी तकनीक से जो विकास सम्भव हो रहे हैं उन्हें इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

अध्याय पंचम – “मेक इन इण्डिया योजना की दिशा एवं दशा के निर्धारक तत्व” के अन्तर्गत शोधार्थी ने वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति को स्पष्ट किया है। भारतीय व्यापार की अन्य देशों में क्या पहचान है इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसके लक्ष्यों को इंगित किया है। स्टार्ट अप, कौशल विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास में क्या योगदान है की झलक इस अध्याय में प्रस्तुत की है। साथ ही मेक इन इण्डिया योजना को सफल बनाने के लिए भारतीय उद्यमियों के सहयोग को स्पष्ट किया गया है।

अध्याय षष्ठम् – “मेक इन इण्डिया अभियान की समीक्षा एवं शोध सारांश” के अन्तर्गत शोध प्रबंध के सभी अध्यायों के सारांश को दर्शाते हुए कतिपय आवश्यक सुझाव दिये गये हैं, जिससे यह योजना भली-भांति सफलता की ओर अग्रसर होगी और भारत की बेरोजगारी और आर्थिक समृद्धि प्रकट करेगी।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जब भी राष्ट्र की एकता-अखण्डता, संप्रभुता और संस्कृति को आघात पहुंचता है तो राष्ट्रवाद का स्वतः स्फूर्त जागरण होता है। यदि वैश्वीकरण का जोर शीतयुद्ध की समाप्ति (1990), सोवियत संघ के विघटन (1991) विचारधाराओं का अंत (डेनियल बेल), इतिहास का अंत (फकियामा) तथा एक ध्रुवीय विश्व जैसी संकल्पनाओं से खादपानी ग्रहण कर विश्व को समतल बनाने का हो तब वैश्वीकरण के विरुद्ध विभिन्न राष्ट्रीयताओं का उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी किन्तु यदि वैश्वीकरण राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी देकर नागरिकों के उत्थान हेतु बल प्रदान करता है, पूंजी प्रवाह बढ़ाता है तथा विकास को बढ़ावा देता है तो निश्चित रूप से राज्यों की सीमाओं और कानूनों के शिथिल पड़ने की संभवाना से भी इनकार

नहीं किया जा सकता है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वैश्वीकरण की आड़ में 'पश्चिमीकरण' या 'द वर्ल्ड इज प्लैट' का विचार हो अथवा राष्ट्र-राज्य व संस्कृति-रक्षा की आड़ में चरम राष्ट्रवाद का उद्भव, दोनों ही स्थितियां मानवता के लिए हानिकारक है। अतः इनके संतुलन पर जोर होना चाहिए ताकि बिग ऑयल जैसी कंपनी दूसरे देशों में कानूनी लूट न कर सके, न ही अरब स्प्रिंग जैसी घटना हो। यह बात सच है कि इतिहास की बढ़ती धारा को मोड़ा नहीं जा सकता इसलिए उसे और अधिक पारदर्शी और जन-हितैषी बनाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। अतः भारत ने मध्य का रास्ता खोज कर 'भारत में बनाओ' कार्यक्रम आरम्भ किया है। चाहे अन्यदेश इसे 'स्वदेशी' को प्रोत्साहन कहे या राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाये लेकिन भारत ने विदेशी निवेश को प्राथमिकता देकर इस आरोप को भी कमजोर कर दिया है। पड़ोसी देश चीन ने भी 'मेक इन चाइना' अपनाकर अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को प्राथमिकता प्रदान की है। स्पष्टतः निःसंकोच यह माना होगा कि 'मेक इन इंडिया' योजना वैश्वीकरण के युग में भारत के विकास को परवान चढ़ायेगी।

शोधार्थी

उषा शर्मा

घोषणा-पत्र (शोधार्थी)

मैं घोषणा करती हूँ कि शोध-प्रबन्ध (वैश्वीकरण के दौर में भारत के विकास पर "मेक इन इण्डिया" योजना का प्रभाव) जो शोध कार्य मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह पीएच.डी.(राजनीति विज्ञान) उपाधि के लिये आवश्यक है। मैंने यह शोध कार्य डॉ. विजय सर्राफ (सह आचार्य -राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़) के निर्देशन में पूर्ण किया है। यह मेरा मौलिक कार्य है। मैंने अपने विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है और जहाँ दूसरे विचारों और शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे मेरे द्वारा विभिन्न मान्य स्रोतों से लिये गये हैं। अपरिहार्य स्थिति में ली गई ऐसी हर सामग्री का यथास्थान सन्दर्भ एवं आभार व्यक्त कर दिया गया है जो कार्य इस शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मैंने विश्वविद्यालय के सभी अकादमिक नियमों का निष्ठा एवं ईमानदारी से पालन किया है तथा किसी तथ्य को गलत नहीं प्रस्तुत किया है। मैं समझती हूँ कि किसी भी नियम के उल्लंघन पर मेरे खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है और मेरे खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि मैंने किसी स्रोत से बिना, उसका नाम दर्शाये या जिस स्रोत से अनुमति की आवश्यकता हो, बिना अनुमति के लिया हो।

दिनांक :

शोधार्थी

स्थान:

उषा शर्मा

प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी उषा शर्मा (RS/788/16) द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सचूनायें मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

दिनांक :

शोध पर्यवेक्षक

स्थान:

डॉ. (श्रीमती)विजय सर्राफ
सह आचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय झालावाड़ (राजस्थान)

आभार

भारत में सुधारों की प्रक्रिया को सरकार द्वारा किये गए नियंत्रण में ढील देकर, किसी सरकारी वस्तु, संस्था आदि का स्वामित्व किसी व्यक्ति या विशेष संस्था को देकर और वैश्वीकरण के प्रकरण के अनुसार पूर्ण किया जाना निश्चित है। स्पष्ट रूप से उदारीकरण सुधार की दिशा, निजीकरण सुधार के मार्ग और वैश्वीकरण सुधार के अन्तिम लक्ष्य को दर्शाते हैं। विगत कई वर्षों में सम्पूर्ण दुनिया वैश्वीकरण की प्रक्रिया की त्रुटियों पर बड़ी बहस की साक्षी रही है न केवल विशेषज्ञों के मध्य बल्कि कई राष्ट्रों की भी सामान्य धारणा उन सब के विरुद्ध हो गई जो स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव को आयाम देती है। विश्व व्यापार मंच को लेकर होने वाली वार्ता भी लगभग रूक गई है। वर्ष 2016 का उत्तरार्द्ध विश्व की समस्त महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवादी भावना दिखाई दी है। भारत ने अपने बचाव में एक मध्य का रास्ता निकालने का प्रयत्न किया है। 'मेक इन इंडिया' पहल ही वह मार्ग है जिस पर चलकर भारत अपना विकास निरन्तर जारी रख सकता है। 'मेक इन इंडिया' अर्थात् भारत में बनाओ योजना के अनुसार भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाना, निवेश को महत्व, नव परिवर्तन को आगे बढ़ने की हिम्मत, दक्षता में तरक्की, प्रज्ञात्मक संपत्ति की सुरक्षा, सर्वश्रेष्ठ आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। प्रस्तुत अध्ययन 'वैश्वीकरण के दौर में भारत के विकास पर मेक इन इंडिया योजना का प्रभाव' के अन्तर्गत उक्त सभी सन्दर्भों को परिभाषित करा गया है।

उन सभी व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा सुखद दायित्व है। जिनके सम्बल, सहयोग और प्रोत्साहन के अभाव में इस अध्ययन का सम्पन्न होना असंभव था। मेरी शोध पर्यवेक्षक विदुषी डॉ. विजय सर्राफ के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आपके कुशल निर्देशन से इस अध्ययन के प्रत्येक चरण में मार्गदर्शन, सहयोग व प्रोत्साहन मिलता रहा है। वस्तुतः इनके मार्गदर्शन और स्नेहयुक्त प्रोत्साहन के अभाव में इस अध्ययन का पूर्ण होना संभव नहीं था। प्रो. डॉ. बी.सी. मीणा, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ।

प्रो. डॉ. अशोक सर्राफ, प्रो. डॉ. फूलसिंह गुर्जर, प्रो. डॉ. इकबाल फातिमा, प्रो. डॉ. नीलम पालीवाल तथा श्रीमान पी.डी. गुप्ता, पुस्तकालय अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी के प्रोत्साहन के बिना यह अध्ययन संभव नहीं था। यह शुभ कार्य कदापि असंभव था, यदि मेरे पति नितिन शर्मा मुझे अग्रिम अध्ययन हेतु प्रेरित नहीं करते। नितिन शर्मा का मैं अर्न्तमन से आभार प्रकट करती हूँ। मेरे माता-पिता श्रीमती सरला शर्मा, श्री केदारनाथ शर्मा, की मैं सदैव ऋणी रहूँगी। जिन्होंने मुझे सदैव अध्ययन हेतु प्रेरित किया है। मेरे आदरणीय श्री अरविन्द शर्मा (ससुर), श्रीमती मंजू शर्मा (सास) का आभार प्रकट करना मेरा नैतिक दायित्व है जिन्होंने इस कार्य हेतु मेरी हर संभव सहायता की है। मेरी पुत्री कुमारी ध्रुवी को बहुत ही धन्यवाद की पात्र समझती हूँ। जिसने मेरे शोध कार्य में व्यस्त होने के उपरान्त भी अनेक बाधाएँ सही होगी। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस अध्ययन में सहयोग प्रदान किया है। अंत में मैं श्री नवीन कुमार जैन का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध को भौतिक स्वरूप प्रदान किया है।

शोधार्थी

उषा शर्मा

प्राक्कथन

भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण से आशय है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। सितम्बर-2014 में "मेक इन इण्डिया" योजना का मूल उद्देश्य भारत में नवीन टेक्नोलॉजी विकास और भारत में ही बनाये जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य सिद्धांत है कि विदेशी कम्पनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरणा मिले तथा भारत में ही उत्पादों का निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जावे। मुख्यतः भारत को मैनुफैक्चरिंग हब बनाने का इस योजना का उद्देश्य है।

इस प्रोजैक्ट में 25 निकायो का निर्धारण किया गया है और यह उम्मीद की गई है कि इन निकायो के द्वारा उत्पन्न होने वाली उपज में तरक्कीकी जावे। यह सब तभी सम्भव होगा जब अधिक से अधिक निवेश पर बल होगा। इसके परिणाम स्वरूप युवाओं को रोजगार मिलेगा और राष्ट्रीय आमदनी में आयाम होगा।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के युग में मेक इन इण्डिया योजना भारत के विकास में कहाँ तक कारगर रही है इस थीम को समक्ष रखकर शोधार्थी ने "वैश्वीकरण के दौर में भारत के विकास पर मेक इन इण्डिया योजना का प्रभाव विषय के अन्तर्गत शोध प्रबंध प्रस्तुत करने का निश्चय किया है। इस शोध को शोधार्थीने निम्न छः अध्यायों में विभाजित करके विषय को स्पष्ट करने का विनम्र प्रयास किया है।

प्रथम अध्याय- "परिचयात्मक" के अन्तर्गत शोध की आवश्यकता को दर्शाया है क्योंकि यह विषय नवीन है। सितम्बर, 2014 में ही इस संकल्पना को प्रकाश में लाया गया है। इस तरह के अध्ययनों का पूर्व में प्रायः अभाव रहा है। 'स्वदेशी' की संकल्पना पूर्व अध्ययनों में अत्यधिक विस्तार से प्रकाश डाला है लेकिन "मेक इन इण्डिया" जैसे विषयों को स्थान नहीं दिया गया है। इसके साथ ही शोध के उद्देश्य तथा शोध को पूर्ण करने की प्रणाली का खुलासा किया गया है।

द्वितीय अध्याय— “वैश्वीकरण एवं भारत: एक अध्ययन” के अन्तर्गत वैश्वीकरण की धारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को वर्णित किया गया है। वैश्वीकरण के विभिन्न परिप्रक्ष्यों का मूल्यांकन किया गया है। वैश्वीकरण की प्रकृति, भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव आदि तथ्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अध्याय — “भारत में वैश्वीकरण एवं मेक इन इण्डिया योजना” के अन्तर्गत वैश्वीकरण तथा स्वदेशी की धारणा को स्पष्ट करते हुए मेक इन इण्डिया के उद्देश्य और इसकी रूपरेखा को अंकित किया गया है।

चतुर्थ अध्याय — “मेक इन इण्डिया योजना तथा विकास” के अन्तर्गत इस योजना का दृष्टिकोण तथा इसे सफल बनाने हेतु संचालित अलग अलग कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया है। स्वदेशी तकनीक से जो विकास सम्भव हो रहे हैं उन्हें इस अध्याय में वर्णित किया गया है।

अध्याय पंचम — “मेक इन इण्डिया योजना की दिशा एवं दशा के निर्धारक तत्व” के अन्तर्गत शोधार्थी ने संसार भर में व्याप्त प्रतिवेश में भारत की अवस्था को साफ रूप से दर्शाया है। भारतीय व्यापार की अन्य देशों में क्या पहचान है इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसके लक्ष्यों को इंगित किया है। स्टार्ट-अप, दक्षता में विस्तार तथा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के निकायो का देश के विकास में क्या योगदान है की झलक इस अध्याय में प्रस्तुत की है। साथ ही मेक इन इण्डिया योजना को सफल बनाने के लिए भारतीय उद्यमियों के सहयोग को स्पष्ट किया गया है।

अध्याय षष्ठम् — “मेक इन इण्डिया मुहिम की समीक्षा एवं शोध सारांश” के अन्तर्गत शोध प्रबंध के सभी अध्यायों के सारांश को दर्शाते हुए कतिपय आवश्यक सुझाव दिये गये हैं, जिससे यह योजना भली-भांति सफलता की ओर अग्रसर होगी और भारत की बेरोजगारी और आर्थिक समृद्धि प्रकट करेगी।

शोधार्थी

उषा शर्मा

विषय – अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विवरण	पृ.सं.
	आभार	I-II
	प्राक्कथन	III-IV
अध्याय – प्रथम	परिचयात्मक	1-24
अध्याय –द्वितीय	वैश्वीकरण एवं भारत – एक अध्ययन	25-73
अध्याय – तृतीय	भारत में वैश्वीकरण एवं मेक इन इण्डिया योजना	74-116
अध्याय – चतुर्थ	मेक इन इण्डिया योजना तथा विकास	117-155
अध्याय – पंचम	'मेक इन इण्डिया' योजना की दिशा एवं दशा के निर्धारक तत्व	156-182
अध्याय –षष्ठम्	मेक इन इण्डिया अभियान की समीक्षा एवं शोध सारांश	183-201
	संदर्भ ग्रन्थ सूची	202-212
	शोध-पत्र	
	परिशिष्ट	



अध्याय – प्रथम
परिचयात्मक

अध्याय – प्रथम

परिचयात्मक

विकसित एवं समृद्ध देशों के प्रयास विश्व को एक गाँव बनाने की दिशा में क्रियाशील है। इस उद्देश्य हेतु इन देशों ने वैश्वीकरण की अवधारणा को अपनाया है। 'ग्लोबल विलेज' (विश्व ग्राम) की कल्पना ने विकास की और अग्रसर देश और विकसित देशों को मुद्रित किया है। आकर्षक नारों ने व्यक्ति को सदैव ही गुमराह किया है, विश्व-ग्राम अर्थात् वैश्वीकरण (भूमंडलीकरण) का नारा भी ऐसा ही नारा है, यह आवाज उन्नत देशों की विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योगों को विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के व्यापारियों की और विश्व-व्यापार संघ (W.T.O.) का सम्पूर्ण विश्व को एक गाँव की सीमा में बांधने का निहितार्थ है। यह एक ऐसे स्वर्ग का निर्माण करती है, जहाँ बैठकर कतिपय लोग दुनियां के समस्त कार्य-कलापों का संचालन एवं नियंत्रण करे। क्षीर सागर में शेष शैया पर आसीन और लक्ष्मी से सेवित विष्णु भगवान की कल्पना को साकार करने वाला है, यह 'विश्व-ग्राम' मनुष्य की महत्वाकांक्षा की चर्म सीमा है। पूंजीवाद का यह बैकुण्ठ गरीबी के महासागर के मध्य स्थापित हो रहा है।

भूमंडलीकरण, "सरकार द्वारा किये गए नियंत्रण में ढील देकर, किसी सरकारी वस्तु", "संस्था आदि का स्वामित्व किसी व्यक्ति या विशेष संस्था को देकर" की नीति का मिश्रित परिणाम है इसके अर्न्तगत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गतिविधियों के साथ जुड़ने की छूट होती है। जैसे कच्चा माल विश्व के एक भाग में सस्ता मिलता होता हो, श्रम दूसरे हिस्से में सस्ता हो, पूंजी और संयंत्र किसी तीसरे हिस्से में सुलभ हो और बाजार दूर-दूर तक फैले हो तो यह प्रक्रिया भूमंडलीकरण कहलाती है। इसमें देशों की पूंजीगत सीमायें पूंजी लेन देन की गतिविधियों के लिए खोल दी जाती हैं। इस नीति को 1980 के दशक में विश्व मान्यता मिली है, इसमें संचार क्रांति का विशेष सहयोग रहा है, वर्तमान में भूमंडलीकरण की नीति पूंजीगत, समाज से संबंधित, संचार, परिवहन, संस्कृति से संबंधित व राजनीति से संबंधित प्रणाली के परस्पर समन्वय के कारण सम्पूर्ण विश्व ने एक वैश्विक गाँव (ग्लोबल विलेज) का रूप धारण कर लिया है। इसमें व्यक्ति और संस्थाओं, कम्पनियों में पारस्परिक निर्भरता, एकीकरण और अन्तः क्रिया को बहुत अधिक उत्साह मिला है।

वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया है, इसे एक ऐसी प्रणाली के द्वारा सम्बोधित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से पूरे संसार के लोग मिलकर एक समाज का सर्जन करते हैं तथा उसमें मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। यह विधि पूंजीगत, राजनीति से संबंधित, समाज से संबंधित और तकनीकी शक्तियों का एक समावेश है। वैश्वीकरण का उपयोग प्रायः पूंजीगत घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात् विदेशी व्यवसाय सर्वविदित निवेश, विपणन, पूंजी प्रवाह, प्रवास और देश में उद्योगों के आयाम की सहायता से देश की पूंजीगत व्यवस्था का अंतरराष्ट्रीयकरण करना है, जिसमें संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही स्थल के स्वरूप में देखा जाता है। विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है, एवं व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबन्धित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर रहता है।

विज्ञान व तकनीकी प्रगति के वर्तमान दौर में वैश्वीकरण वैश्विक, पूंजीवादी, समाज के अलग अलग घटकों व संस्कृतियों तथा पर्यावरण के अंतर्गत घटित होने वाली सर्वाधिक चर्चित एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके प्रभाव बहुआयामी एवं व्यापक है।

वस्तुतः यह उधबोधित किया जा सकता है कि वैश्वीकरण एक विकट प्रणाली है जो उद्योगों को अधिक उन्नत करने तथा सही ढंग से चलाने की विधि के उच्च प्रायोगिकी में रूपान्तरण होने के साथ समाज के अलग अलग घटकों से युक्त, पूंजीवादी, राजनैतिक एवं भिन्न भिन्न सांस्कृति से परिपूर्ण जीवन में व्यापक व द्रुतगामी परिवर्तनों के रूप में परिलक्षित होती है।

वैश्वीकरण प्रक्रिया का मूल आधार पूंजीगत विकास है। आज संसार भर में व्याप्त स्तर पर वित्त, व्यापार एवं सेवा के क्षेत्र में बढ़ते लेन-देन से अर्थव्यवस्थाएं अन्तरराष्ट्रीयकृत होकर वैश्विक बाजार में समाहित हो रही है। इसी प्रकार संस्कृति से संबंधित आयाम में आज लोगों का संस्कृति से संबंधित रुझान, आदतें, प्राथमिकताएं, रीतियां, रहन-सहन के ढंग, मूल्य एवं विश्वास आदि अन्तरराष्ट्रीय पूंजीवाद से अभिप्रेरित विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योगों की उपभोक्ता को आकर्षित करने की संस्कृति से प्रभावित होते हुए एक विश्व विख्यात संस्कृति से संबंधित रूप ले रहे हैं।

वैश्वीकरण के मजबूत होने के साथ आर्थिक रूप से कम विकसित तथा परम्परात्मक या सामाजिक पहचानों पर आधारित समाजों के एक आर्थिक रूप से समृद्ध तकनीकी वैश्विक समाज में रूपान्तरित होने की संभावना तो प्रबल है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि तकनीकी रूप से उन्नत व आर्थिक रूप से समृद्ध नए वैश्विक समाज में असमानता, अन्याय, शोषण व संघर्ष नहीं

होगा। वैश्वीकरण के मजबूत होने से राजनैतिक व आर्थिक आयाम पर जातीय घुवीकरण कमजोर पड़ेगा व वर्ग घुवीकरण के आसार बढ़ेंगे।

परिवर्तन की अनिवार्य अनवरत् प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक समाज की व्यवस्था निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजरती रहती है इसी प्रकार संस्कृति से संबंधित मूल्य भी गतिशील हैं। परिवर्तित समय संदर्भों एवं नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप समाज और संस्कृति से जुड़े भावों में भी परिवर्तन आता है।

आधुनिकीकरण व वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन व मूल्य संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं जो नई पीढ़ी विशेषरूप से युवाओं में अधिक स्पष्ट रूप से देखें जा सकते हैं। आधुनिकता के इस दौर में युवाओं की केवल वेशभूषा, हेयर स्टाइल व चाल ढाल ही नहीं बदली है अपितु उनके विचार व्यवहार में भी व्यापक परिवर्तन आया है। उन पर परिवार व समुदाय का प्रभाव शिथिल हुआ है। वैश्वीकरण के चलते उन्हें विश्व बाजार में विविध नए अवसर प्राप्त हुए हैं उनमें नई विश्व दृष्टि का विकास हुआ है उनकी सोच अधिक व्यापक हुई है। अपने आचरण व व्यवहार में वे अधिक लौकिक हुए हैं।

आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग, सूचना व जानकारी के क्षेत्र में उन्होंने पुरानी पीढ़ी को बहुत पीछे छोड़ दिया है, ये परिवर्तन आम तौर पर जीवन के बाहर आचार व साधनापरक मूल्यों के क्षेत्र में हुए हैं तात्पर्य यह है कि वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप भारतीय संस्कृति में परिवर्तन की प्रकृति कमोवेश पाश्चात्य मूल्यों प्रतिमानों व संस्थाओं की भारतीय मूल्यों, प्रतिमान व संस्थाओं के साथ सामंजस्य बनाने की रही है न कि उन्हें विस्थापन करने की।

यांत्रिकता, उपयोगितावाद एवं व्यक्तिवाद ने सांस्कृतिक कृत्यों में उत्तेजना व तात्कालिक संतुष्टि की लालसा को बढ़ाया है। जिससे संस्कृति के कलात्मक व भावात्मक पक्ष हाशिये पर चले गए हैं एवं आत्मिक आनन्द की स्थाई अनुभूति प्रायः लुप्त न होकर प्रभाव हीन हो गई है।

संवेदना की जगह उत्तेजना, संवेग की जगह फैशन व कलाओं के शांत वातावरण का स्थान फैशनी दिखावे व सौन्दर्य की जगह चमक-दमक ने ले ली है। तदनुसार यह उपभोक्तावादी एवं उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण, विश्वदृष्टि, जीवन पद्धति, व्यक्तित्व व्यवस्था व मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है। कालान्तर में भारतीय समाज पर अनेक विदेशी जातियों के संस्कृति से संबंधित आक्रमण हुए किन्तु कोई भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को समाप्त नहीं कर सका, वैश्वीकरण, नियंत्रण में ढील व निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय की सहगामी प्रक्रिया है। विश्व पटल पर वैश्वीकरण

का उद्गम 1980 के दशक में हुआ तथा 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने इस प्रक्रिया को और अधिक बल प्रदान किया। इसी समय भारत ने भी उदारीकरण व निजीकरण के साथ वैश्वीकरण को अपनाया गया। वैश्वीकरण कई देशों के मध्य तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। दूसरे कथनों में वैश्वीकरण एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है, जिसके तहत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति का समायोजन, प्रतिदान के वैश्विक तंत्र से हो गया है।

वैश्वीकरण तथा निजीकरण ने भारतीय समाज से संबंधित ढांचे के विभिन्न मुख्य तथ्यों को प्रेरित किया है। वैश्वीकरण के दौर में ग्रामीण अंचलों का उभार किए बिना भारत विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाकी दौड़ में अग्रणी नहीं हो सकता है। इसी बात को नजर में रखते हुए पूंजीगत नियोजन प्रणाली के प्रारम्भ से ही भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में सदैव ही ग्रामीण भागों के उत्थान को प्रथम अवसर प्रदान किया गया है। इसका एक प्रमुख कारण ग्रामीण उन्नति का देश की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व योगदान होना है।

वैश्वीकरण को मात्र पूंजीगत तौर पर नहीं देखा जा सकता है क्योंकि यह केवल पूंजीगत परिघटना न होकर संस्कृति से संबंधित व राजनीति से संबंधित परिघटना भी है। यही कारण है कि वर्तमान में वैश्वीकरण सूचकांक मापन में भी केवल पूंजीगत वैश्वीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि इसके तीन मानक (राजनीति से संबंधित, पूंजीगत व समाज से संबंधित) निर्धारित किए गए हैं। अतः वैश्वीकरण के प्रभावों को भी इन्हीं तीन बिन्दुओं पर परखना होगा।

यहां वैश्वीकरण के संदर्भ में कतिपय विद्वानों की मान्यता का उल्लेख करना समाचीन होगा—

टाम जी पामर का वैश्वीकरण के संदर्भ में मानना है, यह विभिन्न देशों के मध्य प्रतिबन्धों का ह्रास या विलोपन है और इसके फलस्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र एकीकृत और जटिल विश्वस्तरीय तंत्र है।

यह अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई सामान्य परिभाषा है, प्रायः श्रम विभाजन के विश्वस्तरीय आयाम के रूप में अधिक सहज रूप में परिभाषित की जाती है।

थामस एल फ्राइडमैन का मानना है कि—वैश्वीकरण दुनिया के चौरस होने के प्रभाव का मूल्यांकन करता है और इस संधर्भ में तर्क देता है कि वैश्वीकृत व्यापार बाहरी व्यस्थाओं का सुचारु रूप से उपयोग कर आपूर्ति के श्रृंखलन और राजनीति से संबंधित बलों से दुनिया को बेहतर, दोनों रूपों में स्थाई रूप में बदल दिया है वे यह तर्क भी देते हैं कि वैश्वीकरण की गति बढ़ रही है और रोजगार संघ तथा कार्य करने के ढंग पर इसका प्रभाव बढ़ता ही जावेगा।

नेअम नोपस्की—का तर्क है कि वैश्वीकरण शब्द का उपयोग विश्व में पूंजीगत उत्थान के नव—उद्धार रूप का वर्णन करने में सैद्धान्तिक दृष्टि से किया जाता है।

हर्मन ई डेली—का तर्क है कि वैश्वीकरण का अर्थ अंतर्राष्ट्रीयकरण करना अर्थात् विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार संबंध और संधियों आदि की प्रभावशीलता को दिखाने के लिए किया जाता है।

वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव

राजनीति से संबंधित क्षेत्र में यदि देखा जाए तो वैश्वीकरण के प्रभावस्वरूप वैश्विक शासन की अवधारणा सामने आई है। वैश्विक शासन में कतिपय विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित संस्था अलग अलग राष्ट्र की सरकारों के मध्य रिशतों का विनियमन करते हैं और समाज से संबंधित—पूंजीगत वैश्वीकरण से उत्पन्न अधिकारों की गारंटी प्रदान करते हैं, जैसे—आइ.एम.एफ., विश्व बैंक, विदेशी व्यापार संघ, संयुक्त राष्ट्र समूह संसार भर में व्याप्त शासन के नियमों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये किसी राष्ट्र की नीतियों पर प्रभाव डाल रहे हैं।

इसी प्रकार कोई एक राष्ट्र आर्थिक कारणों की वजह से दूसरे राष्ट्र के राज्य के अंदर की राजनीति पर असर कर रहे हैं। पूंजी के प्रभाव के साथ ही भारत की सरकारी नीतियों को भी अमेरिका आज प्रभावित कर रहा है, यह वैश्वीकरण का ही परिणाम है।

इस संसार भर में व्याप्त शासन के कारण राष्ट्रीय सरकारों की शक्ति में कुछ कमी आई है। अब कोई भी राष्ट्र तानाशाही को अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सकता क्योंकि उस तानाशाह पर वैश्विक शासन की ओर से दबाव पड़ता है और उसे इस तरह अलग—अलग कर दिया जाता है कि तानाशाही को लोकतंत्र की बहाली के लिए सुदृढ़ होना पड़ता है। पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ पर दबाव डालकर यहां लोकतंत्र की बहाली कराई गई। उसे राष्ट्रमंडल से भी बर्खास्त कर दिया गया था। इसी प्रकार फिजी को भी लोकतंत्र की बहाली का अल्टीमेटम देकर राष्ट्रमंडल से

निलंबित कर दिया गया। प्रत्येक देश की सरकारों ने वैश्वीकरण के इस दौर में स्वयं को कुछ मुख्य कार्यों तक ही सीमित कर लिया है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। पूरे विश्व में विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योगों ने अपनी पहुंच सुनिश्चित करा ली है और उनकी भूमिका बढ़ी है। इससे राष्ट्रीय सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आई है।

वस्तुतः कुछ मामलों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय सरकारों के सामर्थ्य में इजाफा हुआ है। अब उनके पास में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, इस कारण अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस सूचना के दम पर सरकार अधिक कुशल तरीके से काम कर सकती है। अतः कहा जा सकता है कि नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप राष्ट्रीय सरकार पहले की अपेक्षा अधिक ताकतवर होकर उभरी है। आज जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यह केवल एक राष्ट्र या सरकार तक सीमित न होकर वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे—जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, भुखमरी, एड्स, मलेरिया, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू, मेड काउ रोग, ऊर्जा संकट, आतंकवाद जैसी समस्याएं किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। फलतः इसका समाधान भी वैश्विक सहयोग के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए विभिन्न राजनीति से संबंधित, आर्थिक व पर्यावरणीय सम्मेलनों में इन समस्याओं का हल निकालने के लिए विश्व के देश आज चिंतन करने लगे हैं, जो वैश्वीकरण का फल है।

वैश्वीकरण का आर्थिक पहलु

वस्तुतः वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। वैश्वीकरण के अन्य प्रभावों की जड़ में भी आर्थिक प्रभाव ही है। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। जहां कतिपय आर्थिक प्रवाह स्वैच्छिक होते हैं, वही कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और विकसित देशों द्वारा अनैच्छिक रूप से लाए गए होते हैं। वैश्वीकरण के प्रभावस्वरूप वैश्विक साझा बाजार की उत्पत्ति हुई है। वैश्वीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।

वैश्वीकरण का आधार आधुनिक प्रौद्योगिकी है आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं वैश्वीकरण की प्रकृति भी सार्वभौमिक है। कम्प्यूटर इंटरनेट, मोबाईल, फैक्स, टेलीविजन, प्लेन, जेट एवं ए.टी.एम. आदि धर्म, जाति, क्षेत्र नागरिकता, पद प्रतिष्ठा एवं व्यवसाय के आधार पर आदमी व आदमी के मध्य भेदभाव नहीं करते, क्योंकि इनका विश्वास जिन सिद्धान्तों पर हुआ है उनकी प्रकृति सार्वभौमिक हैं

तात्पर्य यह है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित वैश्वीकरण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है।

वैश्वीकरण व्यक्ति व समाज को भौतिक सुख समृद्ध की प्राप्ति के लिए प्रयास करने को प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह जीवन में गुणवत्ता उद्यमवृत्ति, नवाचारिता एवं जोखिम उठाने की क्षमता के विकास पर बल देता है।

वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव

आज स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव का प्रभाव रहन-सहन, खान-पान व मनोरंजन पर स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप पश्चिम विशेषकर अमेरिकी संस्कृति हमारे विचारों को प्रभावित कर रही है। अमेरिकी फिल्मों एक साथ अमेरिका सहित विश्वभर में प्रदर्शित होने लगी हैं, साथ ही ये फिल्मों टेलीविजन, इंटरनेट आदि संचार माध्यमों से घर-घर तक पहुंच रही हैं। जुरासिक पार्क, स्पीड, एनाकोंडा जैसी फिल्मों के प्रति बच्चों एवं युवाओं की रुचि के साथ-साथ पाश्चात्य पाप संगीत में भी आज की युवाओं की अत्यधिक रुचि है। इससे क्षेत्रीय व शास्त्रीय संगीत के अस्तित्व को अत्यधिक क्षति पहुंची है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व संस्कृति की अवधारणा सामने आई है, जिसके कारण यह आशंका व्यक्त की जाने लगी है कि संसार में व्याप्त प्रादेशिक सांस्कृतिक धरोहर विलुप्त हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव के इस दौर में अंग्रेजी भाषा की लोकप्रियता बढ़ी है और इसका उपयोग विश्वव्यापी स्तर पर किया जाने लगा है। एक अनुमान के अनुसार—

- ❖ विश्व के 35 प्रतिशत मेल, टेलक्सेस व केबल्स अंग्रेजी भाषा में हैं।
- ❖ विश्व के लगभग 40 प्रतिशत रेडियों एवं टीवी कार्यक्रमों में अंग्रेजी भाषा उपयोग किया जा रहा है।
- ❖ विश्व की 50 प्रतिशत इंटरनेट ट्रैफिक अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों में यह आशंका व्यक्त की जाने लगी है कि वैश्वीकरण के कारण अन्य भाषाएं विलुप्त हो सकती हैं और विश्लेषकों ने इसके प्रति सचेत करना आरंभ कर दिया है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि वैश्वीकरण संस्कृति से संबंधित अनुरूपता ले आई है। संस्कृति से संबंधित अनुरूपता ने किसी विश्व संस्कृति को भले ही जन्म नहीं दिया हो पर इसके नाम पर शेष विश्व में पाश्चात्य संस्कृति को अवश्य बढ़ावा मिला है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव निश्चित रूप से विश्व के सभी देशों पर हुआ है, परिणामतः कई देश यह अनुभव करते हैं कि कहीं विकसित राष्ट्रों के बढ़ते प्रभाव से उनकी राष्ट्रीय अस्मिता को आघात न हो जाए। भारत ने भी अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु तथा पड़ोसी देश के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' योजना का शुभारंभ किया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को एक मेन्यूफैक्चरिंग हब बनाने का निश्चय किया गया है। भारत इस योजना के तहत तकनीकी आयात करके उत्पादन में वृद्धि कर सकता है, इसके पश्चात अपने निर्यात में वृद्धि कर सकता है, इससे भारत जी.डी.पी. में वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहन तथा बेरोजगारी को समाप्त कर सकता है, पड़ोसी देश चीन के बढ़ते प्रभाव को कम कर सकता है। यहां आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा लागू 'मेक इन इंडिया' योजना को स्पष्ट किया जावे।

आधुनिक वैश्वीकरण

19-20 शताब्दी को वैश्वीकरण का युग कहा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव मुख्य रूप से पूंजीपतियों के व्यापारिक हितों और राजनीतिज्ञों के नियोजन का परिणाम है, जिन्होंने विभिन्न देशों के बीच व्यापार निरोधक कारणों और विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के पूंजीवाद में आई कमी के मूल्य को पहचाना, उनके काम का नेतृत्व ब्रिटेन बुड सम्मेलन और इस दौरान विकसित हुई, कई विदेशी संस्थाओं ने किया, जिनका उद्देश्य स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव का निरीक्षण करना, इसको बढ़ावा देना और इसके विपरीत प्रभावों को समझ कर उन्हें खत्म करना था। वैश्वीकरण में आधुनिक तकनीक के उपयोग के कारण यह सुविधा हुई, जिसने व्यापार एवं व्यापार वाले दौर की लागत को कम कर दिया। मूल रूप से शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समन्वय के समझौते के अंतर्गत ऐसा हुआ है। जिसके चलते देशों के मध्य हुई कई संधियों ने सीमा रहित व्यापार पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया। जिससे विभिन्न देशों के बीच व्यापार अवरोधों में लगातार कमी आई, गैट के फलस्वरूप कई विशेष पहल की गई, इसमें विश्व व्यापार संघ, जिसका आधार गैट है।

इसी समय अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का दौर प्रारम्भ हो गया, जैसे-शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन, पूर्वी यूरोप से साम्यवाद का अवसान, जर्मनी का एकीकरण।

इन सब परिस्थितियों में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को नई विश्व व्यवस्था की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी से नई अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवादी-व्यवस्था की मांग उठी है एवं पुनःभूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, निगमीकरण, प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं खुली अर्थ व्यवस्था के स्वर गूंजने लगे। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के पटल पर विभिन्न देशों के मुद्रा भंडार एवं विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से कारोबार करने के लिए निर्मित संस्था जैसे-निकाय विभिन्न देशों के बीच रिश्तों के निर्धारण में प्रभावी भूमिका निर्वाह करने लगे।

वैश्वीकरण में सामान्यतया निम्नांकित तत्व सम्मिलित होते हैं:-

- ❖ मुक्त व्यापार का संवर्धन
- ❖ शुल्क में कमी, कमी या शून्य शुल्क के साथ मुक्त व्यापार का क्षेत्र का निर्माण।
- ❖ विश्व के विभिन्न देशों में बिना किसी अवरोध के विभिन्न वस्तुओं का आदान-प्रदान संभव बनाने के व्यापार अवरोधों को कम करना।
- ❖ आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना।
- ❖ विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह संभव बनाने हेतु आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना।
- ❖ संसार के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव बनाना।

भारत को अग्रणी 'मैन्यूफैक्चरिंग हब' बनाने के उद्देश्य से 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम का शुभारम्भ-

वैश्वीकरण (भूमण्डलीकरण) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (इतिहास) वसुदेव कुटुम्बकम अर्थात् पूरी पृथ्वी एक कुटुम्ब है, इसी विचारधारा के साथ वैश्वीकरण (भूमण्डलीकरण) शब्द हमारे सामने आया। स्थानीय घटको के विश्व स्तर पर बदलाव का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 से किया जाता रहा है। हालांकि 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था। स्थानीय घटको के विश्व स्तर पर बदलाव को सबसे पुरानी सैद्धान्तिक अवधारणाओं के विषय में अमेरिकी अर्थशास्त्री चार्ल्स तेज रसेल द्वारा लिखा गया, जिन्होंने 1897 में इस को 'कारपोरेट दिग्गजों' शब्द से सम्बोधित किया।

वैश्वीकरण को पुराने समय से दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो मानव जनसंख्या और सभ्यता के विकास पर दृष्टि रखता है, जो पिछले 60 वर्षों में नाटकीय ढंग से त्वरित हुई है। स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव के प्रारम्भिक रूप में रोमन साम्राज्य, पार्थियन हान राजवंश के समय पाए जाते थे। जब चीन में शुरू हुआ रेशम मार्ग पार्थियन साम्राज्य की सीमा तक पहुंच गया और रोम की तरफ बढ़ गया। इस्लामी स्वर्ण युग भी एक उदाहरण है। भारत में भी वैश्वीकरण के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं।

वैश्वीकरण शब्द का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी (भारतीय) अमूल्य धरोहर वेद एवं पुराणों में मिलता वसुदेव कुटुम्बकम है। जिस प्रकार वैश्वीकरण (भूमण्डलीकरण) शब्द आज देशी तथा विदेशी बाजार में गुंजायमान है इसी तरह के प्रमाण भारतवर्ष में बहुत पहले से ही सुनाई पड़ते हैं।

निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की रफ्तार को तेजी से बढ़ने करने तथा देश को 'मैन्यूफैक्चरिंग' हब बनाने के लिए 'मेक इन इण्डिया' मुहिम का औपचारिक प्रत्यार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर 2014 को अमेरीका यात्रा के लिए जाने से पूर्व नई दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के अग्रणी उद्यमियों की उपस्थिति में किया। इस मुहिम को प्रसारित करने के लिए सभी राज्यों की राजधानियों में इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा विदेश में भारतीय दूतावासों ने इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारित किया, सभी स्थानों पर स्थानीय उद्योगपतियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की, इस अवसर पर 'मेक इन इंडिया' मिशन का प्रतीक चिन्ह प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया, जिसमें एक सिंह को दर्शाया गया है, सिंह न केवल देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र का हिस्सा है बल्कि यह साहस, बुद्धिमता व शक्ति को भी प्रदर्शित करता है

विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के निवेशक व अर्थशास्त्री भारतीय मौद्रिक व्यवस्था को हाथी की संज्ञा प्रायः इस आधार पर देते रहे हैं कि यह बहुत विशाल तो है, किन्तु इसकी चाल बहुत सुस्त है, इस धारणा को तोड़ने के लिए ही मोदी सरकार ने अत्यधिकविचार-विमर्श के बाद सिंह को 'मेक इन इंडिया' योजना के प्रतीक चिन्ह के तौर पर चुना है इसे चीनी चुनौती के प्रतीक ड्रैगन के प्रत्युत्तर के रूप में भी समझा जा रहा है, उल्लेखनीय है कि जिस दिन भारत ने 'मेक इन इंडिया' योजना की लांचिंग की है, उसी दिन चीन ने भी 'मेड इन चाइना' नाम से योजना को शुरू किया है।

मेक इन इंडिया योजना की लांचिंग के अवसर पर उद्यमियों की विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एफ.डी.आई. के लिए अत्यंत सहज मार्ग प्रशस्त किया, भारत के नागरिकों के लिए फर्स्ट डवलप इंडिया के रूप में उन्होंने इसे परिभाषित किया, इस अवसर पर सरकार की ओर से उद्यमियों को विश्वास दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार व्यापार के माहौल को आसान बनाकर देश को आगे ले जाना चाहती है, इस दृष्टि से बदलाव की शुरुआत सेल्फ सर्टिफिकेशन से सरकार ने की है, इस अवसर पर भारत के पास उपलब्ध 3-डी शक्ति का उल्लेख उन्होंने किया, इसके साथ ही देश की लुक ईस्ट नीति के साथ लिंक वेस्ट का मंत्र भी उन्होंने दिया और कहा कि इन दोनों को जोड़कर ग्लोबल विजन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

मेक इन इंडिया योजना ने एक नए उत्साह का संचार देश के उद्योग जगत में किया है, जिन कार्यक्रमों ने विभिन्न कारणों से अपनी निवेश योजनाओं को स्थगित रखा था, उन्होंने भी अब अपनी इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने की घोषणाएं की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अम्बानी ने 12 से 15 माह के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में 1,80,000 करोड़ के निवेश की घोषणा कार्यक्रम के लांचिंग के अवसर पर की थी, कार्यक्रम में उपस्थित आई.सी.आई.आई. बैंक की प्रबन्ध निदेशक व सी.ई.ओ. चंदा कोचर ने कहा था कि 'मेक इन इंडिया' मुहिम देश के विकास को गति देने वाला प्रमुख कारक बन सकता है इससे निर्यात को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा तथा सारी नीतियां यदि ठीक तरीक से लागू की गईं, तो अगले दस वर्षों में रोजगार के नौ करोड़ अतिरिक्त अवसर इससे पैदा हो सकते हैं, टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने इस अवसर पर कहा कि ग्लोबल स्तर का पसंदीदा मैनुफैक्चरिंग हब बनने के लिए उन चुनौतियों को भी समाप्त करना होगा, जो इसकी राह में रोड़े अटका रही हैं, इन अड़चनों में ढांचागत क्षेत्र की खराब स्थिति, पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी कर ढांचे के अभाव, स्थाई नीति तथा सस्ती व भरोसेमंद बिजली की कमी का उन्होंने उल्लेख किया।

भारत को विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के पटल पर औद्योगिक देश की श्रृंखला में लाने के लिए 'मेक इन इंडिया' मिशन का प्रारम्भ किया गया है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस मिशन को प्रारम्भ करने का प्रमुख उद्देश्य भारत देश को विनिर्माण केन्द्र बनाना है। इस मिशन के तहत घरेलु और विदेशी दोनों निवेशकों को मूल रूप से एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। ताकि 125 करोड़ की आबादी वाले मजबूत भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर पैदा हो। इससे एक भारत की उभरती हुई

अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसमें किसी नवाचार के लिए आवश्यक दो निहित तत्वों नये मार्ग अवसरों का दोहन एवं सही संतुलन रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना सम्मिलित है।

‘मेक इन इण्डिया’ मिशन वास्तव में एक पहल हैं, जिससे आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुधार के न्याय संगत मिशन की तरह देखी जाती है इस प्रकार यह मिशन एक आंकाक्षी भारत का समर्थन करता है एवं उसका महत्वकांक्षी अभियान है।

भारत सरकार ने निवेशको को आकर्षित करने, व्यापार और जलवायु में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ‘मेक इन इण्डिया’ मिशन ऐसी ही दीर्घकालिक पहल है जो कि भारत को एक विनिर्माण हब में बदलने के सपनों में मदद करेगी।

भारत की तरह ही प्राचीन राष्ट्र कई विकासवादी चक्र से गुजर रहे हैं। विज्ञान एवं तकनीक के विभाग में प्राचीन भारत की सर्वोच्चता प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आधुनिक युग के आगमन के साथ कई पश्चिमी समाज विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भारत धीरे-धीरे अपने अभूतपूर्व गौरव को पाने के लिए पुनः विश्व के समक्ष प्रतिबद्ध है।

24 सितम्बर 2014 के दिन भारत ने अपने मंगल ग्रह मिशन को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश के साथ नेतृत्व को एक नये युग में प्रवेश किया। जिससे नासा द्वारा मंगल परियोजना लागत का दसवां भाग मात्र है। यह भारत की क्षमता की पुष्टि करता है कि भारत में लागत गुणवत्ता और समय पर कार्य करने की क्षमता है।

भारत निर्माण क्षेत्र में पिछड़ गया है और यह इस विषय पर चिंतन करने के लिए उपयुक्त समय है भारत को आईटी आधारित सेवाओं के साथ विनिर्माण कार्य को सकल रूप से बढ़ावा देने के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है जो समाधान की पेशकश कर भारत महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने में मदद करे, उभरता निर्माण क्षेत्र एक निर्यात ड्राइवर है जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि चीन के सफल घरेलु उत्पाद का 40 प्रतिशत निर्माण के माध्यम से आता है।

नये-नये मंत्रालय

इस मिशन के तहत मोदी सरकार ने ग्राम-विकास मंत्रालय के तहत भारत के महानायक पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना प्रारम्भ की हैं। जिसके तहत नये प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1500 से 2000 तक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे जिसमें 200 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। यह योजना इस मिशन के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के प्रारूप में संचालित की जाएगी। इस

कार्यक्रम के तहत युवा वर्ग को उन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसकी विदेशी बाजार में भरपूर मांग है, जिसमें स्पेन, जापान, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका व पश्चिमी एशिया सम्मिलित हैं।

औद्योगिक कोरिडोर(गलियारा)

इस मिशन के तहत सरकार द्वारा दिल्ली और मुंबई के मध्य औद्योगिक गलियारा विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत सरकार ने 5 सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को पुनः जीवित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिसमें एच.एम.टी. मशीन, टूल्स लिमिटेड, हेवी इन्जीनियरिंग कॉरपोरेशन, नेवा लिमिटेड नागालैण्ड पेपर एण्ड पल्प लिमिटेड एवं त्रिवेणी स्ट्रैक्चरल्स सम्मिलित है।

भारत का भविष्य निर्माण में निहित है। घरेलु विनिर्माण तेज और अधिक खामोशी और टिकाऊ विकास को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सिद्धान्त है। विनिर्माण क्षेत्र में सम्मिलित बड़ी हिस्सेदारी ने केवल भारत 30 प्रतिशत गैर कृषि कर्मचारियों के कारण है, बल्कि इसलिए भी समग्र अर्थव्यवस्था में उनका योगदान महत्वपूर्ण है केवल भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या में तेजी से वृद्धि से देश के समग्र आय के स्तर में वृद्धि होगी जो कि देश में समावेशी और स्थाई विकास सुनिश्चित करेगा। भारत को प्रति वर्ष 9 प्रतिशत समग्र जी.डी.पी. विकास दर को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विनिर्माण क्षेत्र 12 प्रतिशत और अधिक होना चाहिए।

भारत की कामकाजी आबादी का 75 प्रतिशत ही मिडिल स्कूल तक ही शिक्षित है, यह चौंकाने वाला आंकड़ा है कि लगभग 600 करोड़ लोग अभी भी उत्कर्ष सेवा के क्षेत्र में लाभ के अवसर से वंचित है यह केवल गहन विनिर्माण क्षेत्र है जो कि बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखता है। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र वर्तमान में एकल घरेलु उत्पाद का 15 प्रतिशत का योगदान देता है जो कि “Fatory of the world” की तुलना में लगभग आधा है, जबकि चीन सेवा क्षेत्र तरह सकल घरेलु उत्पाद में योगदान के संदर्भ में यह आवश्यक है कि भारत निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने और यह अगले दशक में 25 प्रतिशत के करीब लाने का प्रयास इस मिशन के माध्यम से किया जाएगा।

जी.डी.पी. के संदर्भ में विगत वर्षों के आंकड़ों पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है—

Contribution of GDP	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Agriculture forestry and fishing	15.77%	14.64%	14.59%	14.37%	13.95%	13.94%

Industry

Minning and Warrying	2.35%	2.3%	2.25%	2.11%	1.98%	1.86%
Manufacturing	15.78%	6.17%	16.17%	16.28%	15.76%	14.94%
Electricity, Gas & Water Supply	2.0%	.95%	1.89%	1.92%	1.88%	1.9%
Construction	7.99%	.85%	7.62%	7.91%	7.76%	7.43%
Services	56.11%	7.09%	57.18%	57.42%	58.79%	59.93%

शोध समस्या के चयन के कारण—वर्तमान युग वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हावी होकर उसे अपने अधीन करने की भरसक प्रयास में लगा हुआ है, पूरा विश्व गुटों में बंट गया है ऐसे में राष्ट्र की एकता अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए वर्तमान वातावरण में स्वतंत्रता के वैश्विक मंच पर स्थायित्व के लिए किसी भी राष्ट्र को हर क्षेत्र में सक्षम होना पड़ता है। भारत अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है तथा विकसित श्रेणी में आने के लिए भरसक प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। इसी विकास के दायित्व को आगे बढ़ाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इण्डिया' मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में बहुपरियोजनाएं प्रारम्भ की हैं, जिसमें भारत का विकास एवं स्थायित्व संभव हो सके।

अध्ययन के सम्बन्धित साहित्य कीसमीक्षा—विश्व के देशों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा एवं व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक देश आगे निकलने एवं स्वयं को आर्थिक वैश्विक बाजार में स्थायित्व प्रदान करने के लिए देश में नई-नई योजनाएं लागू करता है तथा उनके सफल एवं असफल होने पर ही देश का विकास एवं स्थायित्व सुनिश्चित करता है। शोध प्रक्रिया से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन एक वैज्ञानिक एवं महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि ज्ञान अपने अतीत में संचित और अधोलिखित ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान का सृजन करता है एवं अतीत में किए गए शोध एवं विचारों को नवीनतम शोध में अध्ययन किया जा सके।

'इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन'—(जगदीश भगवती) ने इस पुस्तक में वैश्वीकरण क्रान्ति के कारण विकासशील देशों में सकारात्मक खुली बाजार अर्थ व्यवस्था का वर्णन किया है।

'कैसे आंका जाए वैश्वीकरण को'— अमर्त्यसेनके प्रस्तुत लेख में वैश्वीकरण का संपूर्ण विश्व के संदर्भ में उपहार एवं अभिशाप दोनों संदर्भों में वर्णन किया गया है उपहार स्वरूप आर्थिक उच्चस्तर रहन-सहन, प्रतिस्पर्धा, उच्च व्यापार, आदान-प्रदान सम्मिलित हैं तथा अभिशाप में सांस्कृतिक नैतिक अवमूल्यन, घरेलू विनिर्माण ह्रास, बेरोजगारी इत्यादी का वर्णन किया गया है।

वैश्वीकरण एवं भारत—प्रदीप मल्होत्रा के प्रस्तुत लघु लेख का उद्देश्य वर्तमान वैश्वीकरण की परिस्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था/आर्थिक परिवर्तनों की तरफ ध्यान आकर्षित करना रहा है।

अग्रवाल पी. के. एवं भट्ट आर. के ग्लोबलाइजेशन, 'इण्डिया एवं वर्ल्ड' कंस्पेट पब्लिशिंग प्रा. लि. न्यू देहली 2011 ने अपनी पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों, संस्थाओं की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यापार व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भूमण्डलीकरण के परिणामों की चर्चा की है।

दुबे अभ्यास कुमार (संपा.) 'भारत का भूमण्डलीकरण' वाणी प्रकाशन दरियांगज नई दिल्ली प्रथम संस्करण 2005— अपनी इस पुस्तक में भारत के भूमण्डलीकरण की दिशा में उठते हुए कदमों का विश्लेषण किया है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारतीय समाज पर प्रभाव – (डॉ. मनीता चौकसे) प्रस्तुत लेख में वैश्वीकरण से भारतीय समाज पर पड़ रहे सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

वैश्वीकरण का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव— (डॉ. अनूप चतुर्वेदी) प्रस्तुत लेख में भारतीय धर्म, संस्कृति, व्यवसाय, शिक्षा युवा वर्ग पर गैरपश्चिमी—पश्चिमी प्रभावों के संदर्भ में वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

मेक इन इण्डिया— “Turing vision into reality” (अरविन्दम भट्टाचार्य) प्रस्तुत लेख में भारतीय अर्थव्यवस्था के इस योजना के सफल होने पर उद्योगों एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले आगामी परिणामों के बारे में जानकारी दी गई है।

How can new government make india a goble maneufacturing hub?

(Saurabh Talwar) लेख में भारत के आगामी दशकों में विनिर्माण केन्द्र के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

बिस्वाल तपन 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' (2016)— ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्रा. लि. 1/24, नई दिल्ली, यह समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधोंके केन्द्रीय मुद्दों संकल्पनाओं एवं आयामों के सहज विश्लेषण के संपूरित ठोस सैद्धान्तिक नींव रखने वाली अत्यंत प्रभावी व्यापक पुस्तक है। यह पुस्तक वैचारिक जगत में मुझे एवं तथ्यगत बौद्धिक बहस को भी प्रभावित करती है। विशेषकर वैश्वीकरण के मूद्दे को प्रमुखता से विश्लेषित करती है।

विद्युत चक्रवती 'वैश्वीकृत दुनिया में लोक प्रशासन सिद्धान्त और पद्धतियां' (2018), सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, इस पुस्तक में वैश्वीकरण के दौर के लोक प्रशासन क्षेत्र में हुए विकास का संक्षेप में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, संपूर्ण दुनिया में नागरिक समाज और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हुए उल्लेखनीय बदलावों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता इस पुस्तक की विशेषता है। वैश्वीकरण और लोक प्रशासन अध्याय में शोधार्थी को आकृष्ट किया है।

सिंह, एस. एन. (2013), 'राजनीति विज्ञान शब्दकोष, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।¹⁹ विद्वान लेखक की इस कृति में भूमंडलीकरण को विस्तृत रूप से परिभाषित किया है।

कटारिया, (2018), ग्लोबलाईजेशन इन इंडिया, नेशनल पब्लिकेशन, जयपुर। पुस्तक में विद्वान लेखक ने भारतीय स्तर पर ग्लोबलाईजेशन के प्रभावों को स्पष्टतः दर्शाया है।

कटारिया, (2018), वैश्वीकृत भारत में जनजातीय विकास, नेशनल पब्लिकेशन। प्रस्तुत कृति में माननीय लेखक ने वैश्वीकृत भारत में जनजातीय विकास को उल्लेखित किया है।

अनूप होता, (2019), 'भूमंडलीकरण, बाजार और समकालीन कहानी', नेशनल पब्लिकेशन, जयपुर में लेखक कहानियों के द्वारा भूमंडलीकरण निजीकरण तथा उदारीकरण से सम्बन्धित कहानियों द्वारा वर्तमान को स्पष्ट किया है तथा भारतीय मूल्य किस तरह तहस-नहस रहे हैं, को स्पष्ट करने की चेष्टा की है।

सिंह रामगोपाल (2014), 'वैश्वीकरण मीडिया और समाज, नेशनल पब्लिकेशन, जयपुर, के अंतर्गत वैश्वीकरण : वैकल्पिक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रारूप की पहल' तथा 'वैश्वीकरण बाजारवाद एवं लोकतंत्र' अध्यायो में शोधार्थीको आकृष्ट किया।

महर्षि राजीव, (2019), 'भारत'-2019 मैकग्रोहिल, एजूकेशन, (इंडिया) प्रा. लि., चैन्नई। पुस्तक में भारत के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है, चूंकि लेखक सुयोग्य प्रशासक है तथा वर्तमान में भी भारत सरकार के वित्त सचिव है। इससे पूर्व केन्द्र में गृह सचिव एवं राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, पुस्तक में मेक इन इण्डिया योजना के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी उपलब्ध कराई है।

सिंह रहीस (2013), 'वैश्विक संबंध, पीपासन, चण्डीगढ़, चैन्नई-दिल्ली' विद्वान लेखक इस पुस्तक में प्रारम्भ में उन सभी सैदान्तिक पक्षों को उनकी प्रकृति, संरचना गतिशीलता और उनके प्रभाव के साथ समाहित किया गया है, जिन पर प्रायः सामग्री अपूर्ण कहती है, लेकिन इन पक्षों को जाने बिना वर्तमान समस्याओं का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात भारत की विदेश नीति और उसके दुनिया के साथ कूटनीतिक संबंधों को समाहित किया गया है, पुस्तक में वैश्वीकरण को विस्तृत रूप से वर्णित किया है।

शोध परिकल्पना—

वैज्ञानिक चिंतन की प्रक्रिया में प्रारम्भिक ज्ञान के आधार पर विषयवस्तु से संबन्धित ऐसी सैद्धान्तिक कल्पना को जो कि सम्बोधन को संशोधक के नियंत्रण में लाती है, परिकल्पना कहते हैं। परिपक्व उपर्युक्त, प्रमाणिक एवं श्रेष्ठ संशोधन के लिए परिकल्पना का अध्ययन आवश्यक है अन्यथा संशोधन विकेन्द्रित तितर-बितर या विचारों का स्वरोचार मात्र ही होगा। परिकल्पना ही सिद्धान्त से अन्वेषण को जोड़ती है जिसके पश्चात ही नया ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

- ❖ मध्यावधि की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में 12–14 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य।
- ❖ देश के सकल घरेलु उत्पाद में विनिर्माण की भागीदारी 2022 तक बढ़ाकर 16 से 25 प्रतिशत करना।
- ❖ विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन आर्थिक रोजगार सृजित करना।
- ❖ घरेलु मूल्य संवर्धन और विनिर्माण में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना।
- ❖ ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीब लोगों में समग्र विकास के लिए समुचित कौशल का निर्माण करना है जिससे गांव की कुशल जनशक्ति का शहरों में पलायन को रोकना।
- ❖ भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि करना।
- ❖ भारतीय विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना।

‘भारत में बनाओ’ मिशन के सकारात्मक तथ्य

- भारत दुनियां में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित होने वाला देश होगा तथा इस मिशन से आशा की जाती है कि वर्ष 2020 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा। भारत की अधिकतम जनसंख्या का उद्योगों में श्रम पूर्ति का लाभ मिलेगा।
- देश में कुशल तकनीक एवं इन्जीनियरिंग क्षमताएं उपलब्ध है और उनका वैज्ञानिक तरीकों से भरपूर सदुपयोग।
- विदेशी निवेशकों के लिए बाजार खुला है। जहां विदेशी कम्पनियों की क्षमता के लिए अनुकूल उत्पादन परिस्थितयां है। विस्तृत मार्केट व नागरिकों की भरपूर परिस्थितियां है।

शोध कार्य परिसीमन

शोध कार्य की समय, शक्ति एवं संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए किया जाता है जिससे समस्याओं का परिसीमन आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्त्री द्वारा भारत में विभिन्न देशों की सहायता से विभिन्न विभागों में पुँजी लगाने का भारत के औद्योगिक विकास पर प्रभाव को सम्मिलित किया जाएगा। 'मेक इन इण्डिया' मुहिम के अंतर्गत होने वाली भारत की जी.डी.पी. पर पड़ने वाले प्रभाव का विभिन्न राष्ट्रों के साथ तुलनात्मक विवेचन किया जाएगा। इस योजना के सहारे से निर्माण की बुनियादी ढांचे और क्षमता की तरक्की, स्मार्ट शहरों कारोबारी समूहों का विस्तार, निर्माण क्षेत्र में कारोबारी समूहों के उत्थान का अध्ययन किया जाएगा।

शोध समस्या परिसीमा

शोध को विधिवत करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है इसके लिए शोध की समस्या का चयन करने के पश्चात एक क्षेत्र विशेष का चयन किया जाता है जो समग्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करें। प्रस्तुत अध्ययन एक विस्तृत मिशन को प्रतिदर्शित करता है। अतः इस अध्ययन से सम्पूर्ण भारत राष्ट्र के विकास क्षेत्र का अध्ययन करेंगे।

शोध प्रविधि

शोधकर्त्री द्वारा उपरोक्त कार्य को गंतव्य तक पहुंचने के लिए वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया गया है। भारत की विकास यात्रा के जो अनुभव किए गए हैं उस कारण अध्ययन में रुझान आगमनात्मक एवं अनुभवात्मक भी रहेगा। इसके साथ ही आधुनिक शोध विज्ञान की जितनी भी प्रणालियाँ हैं, उनका भी सहारा लिया जा रहा है।

शोध उपकरण

इस शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए शोधकर्त्री द्वारा उपकरणों का उपयोग किया जायेगा इस उपकरण का निर्माण शोधकर्त्री द्वारा अध्ययन क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा।

आंकड़े संकलन—शोधकर्त्री द्वारा उपरोक्त अनुसंधान का भिन्न-भिन्न निकायों में निवेश की दर व विकास की दर को संज्ञान में लाने के लिए इस प्रविधि का उपयोग किया जाएगा।

साक्षात्कार विधि—वैश्वीकरण के युग में भारत के विकास में मेक इन इण्डिया योजना के सफल व असफल दृष्टिकोण को ज्ञात करने के लिए इस प्रविधि को उपयोग किया जायेगा।

सर्वेक्षण प्रविधि— उपरोक्त शोध कार्य को गंतव्य तक पहुंचने के लिए सर्वेक्षण प्रविधि का महत्वपूर्ण योगदान है इस प्रविधि से ही शोध के संकलनों व संमकों निष्कर्षों व परिणाम को ज्ञात करने के लिए किया जाएगा।

पत्र पत्रिकाएं एवं वेबसाइट—शोध कार्य को गंतव्य तक पहुंचने के लिए पत्र पत्रिकाएं व वेबसाइट का अत्यंत विशिष्ट योगदान होता है अतः इस कार्य को पूर्ण करने के लिए इसका उपयोग किया जायेगा।

शोध का औचित्य

वैश्वीकरण के दौर एवं विश्वव्यापी प्रतिस्पर्द्धा के युग में एक देश दूसरे देश को अपने अधीन कर उसे अपने उपनिवेश की श्रेणी में रखते हुए आगे बढ़ने की दौड़ में चल रहे हैं ऐसे में प्रत्येक विकास की और अग्रसर देश का स्थायित्व, अखण्डता, समप्रभुता पर खतरा मंडराने लग गया है। भारत विकास की और अग्रसर से उन्नत देश की ओर अग्रसर की दिशा में आगे बढ़ते हुए मेक इन इण्डिया मिशन लक्ष्य को लाया गया है। जिससे औद्योगिक विकास व विभिन्न देशों से पूँजी के प्रवेश को बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकें।

यह मिशन भारत को प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत समग्र जी.डी.पी. विकास दर को बनाए रखनेके लिए प्रतिबद्ध है। इस दर के लिए आवश्यक है कि निर्माण क्षेत्र में 12 प्रतिशत या अधिक दर होना चाहिए।

मान्य कारणों से आई, विश्वव्यापी बाजार में उथल-पुथल से स्वयं को स्थायित्व व सम्बल प्रदान करने के लिए ये मिशन प्रतिबद्ध है।

जिस क्षेत्र (रक्षा, साजो सामान, अनुसंधान इत्यादि) अभी भारत इस मिशन से आई.टी. आधारित सेवाओं के साथ निर्माण कार्य को समायोजित करने के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शून्य दोष एवं शून्य प्रस्ताव के साथ विकास एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए वचनबद्ध होते हुए उत्पादन के लिए प्रतिध्वनित करें। प्रतिकूल विश्वव्यापी परिस्थितियों से निपटने में स्वयं को सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी, विदेशी

संस्थागत निवेशकों का दूसरों देशों की तरफ करने एवं आई.एम.एफ. व यूरोपियन यूनियन के मध्य संकट आदि तक देश की धरती पर उपयोग नहीं हुआ, उसमें उत्पादन, निवेश सेवाएं इत्यादि उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शोध के उद्देश्य

किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ता है बिना उद्देश्यों के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है।

बी.डी. भाटिया के अनुसार— उद्देश्यहीन व्यक्ति उसी प्रकार भटकता रहता है जैसे लहरों के थपेड़ों के बीच पतवार विहीन नौका।

इसलिए शोधकर्ता द्वारा अपने शोध कार्य को पूरा करने के लिए शोध उद्देश्यों का निश्चय किया गया है।

- ❖ मेक इन इण्डिया मिशन से आर्थिक सुधारों को लागू करके देश की आर्थिक स्थिति को सुधार को ज्ञात करना।
- ❖ भारत में बनाओं मिशन के तहत क्या-क्या वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिर्माण करना है, का अध्ययन करना / किस-किस क्षेत्र में विनिर्माण किया जाएगा।
- ❖ प्रथम बार रक्षा क्षेत्र (सेना का साजो समान एवं अनुसंधान क्षेत्र के साजो सामान स्वदेश में तैयार करने से कितना सक्षम बनेगा ज्ञात करना।)
- ❖ इससे आर्थिक योजनाओं को लागू करने से भारत की जी.डी.पी. में कितनी ग्रोथ बढ़ेगी एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- ❖ भारत का विदेशी देशों से संबंध वैश्विक मंच पर क्या असर पड़ेगा। इससे देशों को कितनी आर्थिक मजबूती प्रदान होगी का अध्ययन करना।
- ❖ ऐसे अन्य कौन-कौन से विनिर्माण क्षेत्र होंगे, जिन पर अभी तक देश का ध्यान नहीं दिया गया एवं इससे होने वाले लाभ का अध्ययन करना।
- ❖ कौन-कौन सी विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण में निवेश और कितना निवेश करने को सहमति दी जाएगी, अध्ययन करना।

- ❖ इस मिशन से घरेलू उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घरेलू उद्योग व विदेशी निवेश से जी.डी.पी. पर कितना असर पड़ेगा।

सारतः यह कहा जा सकता है कि भारत में उत्थान की विधि को तीन प्रक्रियाओं अर्थात् उदारीकरण (सरकार द्वारा किये गए नियंत्रण में ढील देकर), निजीकरण और वैश्वीकरण (जिसे एल. पी.जी. कहा जाता है), की प्रक्रिया के अनुसार हासिल किया जाना तय है। ये तीन प्रक्रियाएं भारत द्वारा प्रवृत्त सुधार प्रक्रिया के लक्षणों को वर्णित करती हैं। स्पष्ट रूप से उदारीकरण सुधार की दिशा, निजीकरण विकास का मार्ग और वैश्वीकरण विकास के अन्तिम लक्ष्य को दर्शाते हैं। विदेशी निवेशकों व घरेलू कम्पनियों को भारत में ही अपने उत्पाद बनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर 2014 में 'मेक इन इण्डिया योजना' का शुभारम्भ किया है। यह पहल न केवल विनिर्माण, बल्कि प्रासंगिक आधारभूत संरचना और सेवा क्षेत्रों में भी उद्यमशीलता को अग्रणी बनाने के लिए की गई। भारत में बनाओ पहल के अंतर्गत भारत में पूंजीगत व प्रौद्योगिकी निवेश, दोनों को आकर्षित करना, ताकि देश चीन और अमेरिका से भी आगे निकलकर दुनिया की सबसे अधिक एफ.डी.आई. वाला देश बन जाए, सरकार ने भारत में बनाओ योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए 25 निकायों का चयन किया है।

प्रस्तुत अध्ययन में स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव के युग में भारत के विकास में मेक इन इंडिया योजना का प्रभाव विषय के सभी पक्षों का अध्ययन किया गया है। प्रथम अध्याय योजना को स्पष्ट किया गया है तथा अध्ययन की आवश्यकता और औचित्य तथा शोध प्रविधि का विवरण किया गया है।

संदर्भ सूची

मस्तराम	आलेख-विश्व-ग्राम नहीं : ग्राम विश्व बनाइए, राजस्थान पत्रिका जनवरी, 1996
सिंह, एस. एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2013
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था, मेकग्रोहिल प्रा. लि. 2019, पृ.स. 6-13
पुरी, वी. के., मिश्र, एस. के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018 पृ.स. 463
पुरी, वी. के., मिश्र, एस. क	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018 पृ.स. 464
महर्षि राजीव	भारत-2019, मेकग्रोहिल ऐजूकेशन-2019, पृ.स. 1-6-107
महर्षि राजीव	भारत-2019, मेकग्रोहिल ऐजूकेशन-2019, पृ.स. 1-6-108
जगदीश भगवती	इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 2019
सेन, अमृत	आलेख-कैसे आंका जाए वैश्वीकरण को, 2019
प्रदीप मल्हौत्रा	आलेख-वैश्वीकरण एवं भारत, 2019
अग्रवाल, पी . के., भट्ट, आर. के.	ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एवं वर्ल्ड, कन्सेप्ट पब्लिकेशन, प्रा. लि., नई दिल्ली 2011
दुबे अभ्यास कुमार (संपा)	भारत का भूमण्डलीकरण, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली 2015
चौकसे, मनीता	आलेख-वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारतीय समाज पर प्रभाव, 2019

चतुर्वेदी अनूप	आलेख—वैश्वीकरण का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव, 2018
भट्टाचार्य अरविन्दम	आलेख—मेक इन इंडिया— टर्निंग विजन इन टू रियलिटी, 2019
तलवार सौरभ	आलेख—हाउ केन न्यू गर्वनमेंट मेक इंडिया ए ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब, 2019
बिस्वाल तपन	अंतराष्ट्रीय संबंध, ओरिएण्ट ब्लैक स्वॉन प्रा. लि. नई दिल्ली 2016
चक्रवर्ती विद्युत	वैश्वीकृत दुनिया में लोक प्रशासन सिद्धान्त और पद्धतियां, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2018
सिंह एस. एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2013
सिंह एस. एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2013
कटारिया, सुरेन्द्र	ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2018
कटारिया, सुरेन्द्र	वैश्वीकृत भारत में जनजातीय विकास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2018
अनूप होता	भूमण्डलीकरण, बाजार और समकालीन कहानी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2019
सिंह रामगोपाल	वैश्वीकरण मीडिया और समाज, नेशनल पब्लिशिंग 2014
महर्षि राजीव	भारत—2019, मेकग्रोहिल एजुकेशन इंडिया प्रा. लि., चैन्नई 2019

अध्याय – द्वितीय

वैश्वीकरण एवं भारत— एक अध्ययन

अध्याय – द्वितीय

वैश्वीकरण एवं भारत – एक अध्ययन

भूमण्डलीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति का मिश्रित परिणाम है। इसके अन्तर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के साथ जुड़ने की छूट होती है। जैसे कच्चा माल विश्व एक हिस्से में सस्ता मिलता हो, श्रम दूसरे हिस्से से सस्ता मिलता हो, पूंजी और संयंत्र किसी तीसरे हिस्से में सुलभ हो और बाजार दूर दूर फैले हो तो यह प्रक्रिया भूमण्डलीकरण कहलाती है। इस में देशों की सीमाएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के लिए खोल दी जाती है। इस नीति को 1980 के दशक में विश्व में मान्यता मिली है। इस में संचार क्रांति का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। वर्तमान में भूमण्डलीकरण की नीति ने पूंजीगत, समाज से संबंधित, परिवहन, संचार, संस्कृति से संबंधित व राजनीति से संबंधित प्रणाली के परस्पर समन्वय के कारण समस्त विश्व में एक 'वैश्विक ग्राम' का स्वरूप हासिल कर लिया है। इसमें व्यक्ति और संस्थाओं, कम्पनियों में पारस्परिक निर्भरता, एकीकरण और अन्तःक्रिया को बढ़ावा मिला है।

इस अध्याय में वैश्वीकरण के प्रकरण को परिभाषित और उसका परीक्षण करने का प्रयत्न किया गया है। वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है और यदि इसका विकास प्रारंभिक अवस्था से हुआ है तो अब यह अपने अतीत से गुणात्मक रूप में किस प्रकार भिन्न है? यह बात गौर करने योग्य है कि समाज विज्ञान के विकास को आधुनिकता के उदय से बहुत अधिक उत्साह मिला है। नई वैज्ञानिक खोजों से आधुनिकता ने वस्तुओं को देखने का दृष्टिकोण बदला है। इसने पुराने आचार-व्यवहारों में बदलाव किया है और इस प्रकार एक नई आधारभूत संरचना का निर्माण किया है जिससे पुरानी संरचनाओं के चरित्र में परिवर्तन हुआ। इसने नए आधुनिक समाज के अध्ययन के लिए नवीन पद्धतियों के साथ नई अध्ययन-विद्या के निर्माण पर प्रकाश डाला है। इसने एक नए संवाद की आवश्यकता पैदा की है। इस प्रकार हमें एक बार नए दृष्टिकोण से वर्तमान परिदृश्य के अध्ययन की आवश्यकता है।

“वैश्वीकरण: एक उपागम” के एक उप-भाग में इस पहलू की जांच करने की कोशिश की गई है। वैश्वीकरण एक ऐसी विधि है जिसने वर्तमान समय में जीवनयापन, शासन, ऐश्वर्य और अभिज्ञान के नए प्रतिरूपों का निर्माण किया है। अन्य शब्दों में, इसने जीवन शैली के एक नए ढंग का निर्माण किया। यह अध्याय इस मामले से जुड़े वाद-विवादों पर ध्यान देकर वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न बदलावों के नए प्रतिरूपों की जांच करता है। इस प्रक्रिया के वैश्वीकरण के पक्ष-विपक्ष और इसकी प्रभावकारिता को जानने का भी प्रयास किया गया है। वैश्वीकरण एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है और इस अध्याय में विभिन्न दृष्टिकोणों से स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव के सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की गई है। वैश्वीकरण ने एक नए संवाद को जन्म दिया है जिसके लिए प्रत्येक आधुनिक संस्था को इसके विश्लेषण और पुनः परीक्षण की आवश्यकता है।

वैश्वीकरण की विशेषताएं

वैश्वीकरण को संसार के विभिन्न लोगों, प्रदेशों और देशों के मध्य बढ़ती परस्पर-निर्भरता के रूपमें परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक संबंधों ने दुनिया को बांध दिया है। डेविड हेल्ड के अनुसार वैश्वीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं –

स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव को संसार के विभिन्न लोगों, प्रदेशों और देशों के मध्य बढ़ती परस्पर-निर्भरता के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि समाज से संबंधित और पूंजीवादी रिश्तों ने दुनिया को बांध दिया है। डेविड हेल्ड के अनुसार वैश्वीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं –

सामाजिक रिश्तों में खिंचाव— वैश्वीकरण की एक मुख्य विशेषता यह है कि इससे देश-राज्य की सीमाओं से बाहर सामाजिक संबंध निकट आ जाते हैं। विश्व भर में राजनीति से संबंधित, संस्कृति से संबंधित व पूंजीवादी संबंध देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यदि विश्व के किसी एक भाग में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका अन्य भागों पर भी प्रभाव पड़ता है।

प्रवाह की तीव्रता— वैश्वीकरण की एक अन्य विशेषता है पारस्परिक क्रिया और अंतः रिश्तों की तीव्रता जो देश – विदेश की सीमा को भी पार कर जाती है। यह सूचना नेटवर्क के कारण संभव हो पाया है जहाँ भौतिक दूरी समाज से संबंधित रिश्तों में बाधक नहीं बनती।

संस्कृतियों के मध्य संबंध— यह दूरस्थ संस्कृतियों के मध्य निरंतरशील पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से जुड़ जाती है। इस प्रकार स्थानीय और विश्वव्यापी स्तरों के मध्य संबंध बन जाते हैं।

निरंतर अंतर्व्याप्ति— रिश्तों की तीव्रता को वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना ने सरल बनाया है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी विभिन्न एजेंसियों जैसे अंतः सरकारी संगठनों ने राजनीति से संबंधित व समाज से संबंधित उपक्रमों में ऐसी भूमिका निभाई है। विश्व बैंक और विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित मुद्रा कोष ने वैश्विक वित्त के स्थायित्व और नियमन के लिए आधार प्रदान किया है तथा विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से कारोबार करने के लिए निर्मित संस्था ने संसार भर में व्याप्त व्यापार का नियमन किया है। देश-विदेशों की नीतियों को बाजार नियंत्रित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वे शहर जहां स्टॉक मार्केट विद्यमान हैं वे एक ऐसे केन्द्र बन गए हैं जहां से पूंजीगत नीति-निर्माण का संचालन होता है।

वैश्वीकरण ने विचारको के संपूर्ण वाद-विवाद पर प्रकाश डाला है। फलतः शैक्षणिक संवाद में वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण सिद्धांतीकरण पर विचार करने की आवश्यकता है। एंथनी गिडेंस का विचार है कि वैश्वीकरण सामान्यतया आधुनिकता का परिणाम है। इसने जीवन शैली की व्यवस्था को एक अंतराल में बदला है। उनके कहने का अर्थ है कि स्थानीयता और सार्वभौमिकता ने एक दूसरे को अभिव्यक्ति प्रदान की है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि स्थानीयता ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। प्रांतीयता और सार्वभौमिकता दोनों एक दूसरे पर असर डालते हुए सम्मिलित हुए हैं। दूरी का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है।

इसी प्रकार हार्वे ने इस संदर्भ में अंतराल दबाव की धारणा का उपयोग किया है। जब उत्पादन और वित्त की बात आती है तो वैश्वीकरण और भी तीव्र हो जाता है। उन्नतशील प्रौद्योगिकी और कुशल संगठनात्मक प्रबंधन के कारण आज हमारे पास एक एकल वित्त व्यवस्था है जो स्वरूप में सार्वभौमिक है। विश्वव्यापी स्टॉक मार्केट, रात-दिन व्यापार और धन व ऋण आपूर्ति के लिए बाजार ने व्यापक रूप से विश्व में परिवर्तन किया है। तकनीक, संचार, सूचना आदि ऐसे कारक हैं जो सभ्यता में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। जहाँ परिवर्तन की किसी एक प्रक्रिया को एक कारक से समझाया जा सकता है। वहां अन्य परिवर्तनों के लिए अनेक कारकों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ेगी।

डेविड हेल्ड ने वैश्वीकरण को आधुनिकता का परिणाम माना है जिसे एकल आकस्मिक कारक और बहु-आकस्मिक कारकों के कारण माना जा सकता है। वालरस्टीन, रोजनों और गिलपिन एकल-आकस्मिक कारक दृष्टिकोण के विचारक हैं।

वालरस्टीन का सोचना है कि वैश्वीकरण के लिए पूंजीवाद उत्तरदायी था, जबकि रोजनों इसके लिए तकनीकी को जिम्मेवार ठहराते हैं और गिलपिन राजनीति से संबंधित कारकों को इसका एकमात्र कारण मानते हैं। गिडेंस का मानना था कि पूंजीवाद, अंतर्राज्यीय व्यवस्था, सैन्यवाद और उद्योगवाद ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है।

वालरस्टीन ने वैश्विक व्यवस्था की संकल्पना का विकास किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने यह तर्क दिया है कि स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव के प्रकरण की प्रमुख संचालक पूंजीवादी व्यवस्था है। उनका मानना है कि पूंजीवाद की सदा से ही विश्वव्यापी पहुंच रही है। सोलहवीं शताब्दी में अपनी प्रारंभिक अवस्था के दौरान भी वैश्वीकरण की पहुंच असीम महासागरों और हजारों मील दूर तक थी। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि विश्व अर्थव्यवस्था की तीन मौलिक संरचनाएं हैं—केन्द्र, अर्ध-परिधि और परिधिगत क्षेत्र। इस संरचना ने देश-विदेशों के मध्य शक्ति और संसाधनों के संदर्भ में विभिन्नता का मूल निश्चित किया। इसके विरुद्ध अनेक प्रतिरोधी आंदोलन उठ खड़े हुए जैसे कि पर्यावरण, समाजवादी व राष्ट्रवादी आंदोलन। इस विश्व पूंजीवाद ने झगड़े को जन्म दिया जिसने समान समय पर एकीकरण और विघटन, स्थायित्व और अस्थायित्व की स्थिति पैदा की। वालरस्टीन का मानना है कि इस व्यवस्था की समाप्ति के साथ इस झगड़े का भी अंत हो जाएगा।

रोजनों ने वैश्वीकरण की संचालक शक्ति के रूप में तकनीक को देखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यह तकनीकी अथवा प्रौद्योगिकी है जो स्थानीय, राष्ट्रीय और विविध देशों के समुदायों की परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। उनके अनुसार, औद्योगिक से उत्तर औद्योगिक समाज में परिवर्तन ने विश्वव्यापी प्रतिवेश बदला है। वर्तमान विश्व में, देश-विदेशों ने अपने श्रेष्ठता खो दी है। आज विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित संस्था, दूर देशों के निगम और दूर देशों के समाज से संबंधित आंदोलन वास्तविक सार्वभौमिक खिलाड़ी बन गए हैं।

दूसरी ओर, गिलपिन भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की तीव्रता के लिए राजनीति से संबंधित कारकों को एकमात्र कारण मानते हैं। गिलपिन के मतानुसार, वैश्वीकरण किसी महत्वपूर्ण राज्य की प्रभुत्वपूर्ण शक्ति का उत्पाद है जो शेष विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, समस्त संसार पर एक विश्व-व्यवस्था थोपता है और इसके फलस्वरूप देश-विदेशों के मध्य निकटता, परस्पर-निर्भरता और खुलापन आ जाता है।

गिडेंस ने वैश्वीकरण के उपरोक्त उल्लेखित चार विभिन्न व प्रतिपक्षी पहलुओं की ओर संकेत किया है— पूंजीवाद, अंतर्राज्यीय व्यवस्था, सैन्यवाद और उद्योगवाद। इनमें से प्रत्येक आयाम का एक स्वाभाविक वैश्विक लक्षण है। गिडेंस का मानना है कि इनके मध्य अंतःसंबंध है। पूंजीवादी व्यवस्था में समाहित विरोधाभास पूंजीगत वैश्वीकरण की गति और प्रारूप को प्रभावित करते हैं जबकि “राष्ट्र-राज्य का सार्वभौमीकरण” एकल विश्व अर्थव्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार सैन्यवाद के पीछे सैनिक शक्ति के सार्वभौमीकरण और उद्योगवाद के पीछे परिवर्तनशील वैश्विक श्रम-विभाजन का विचार छिपा है। यह जानना कठिन है कि इस परस्पर निर्भरता और पारस्परिक क्रिया का सिलसिला कब शुरू हुआ। कुछ ज्ञानी लोग मानते हैं कि यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जबकि कुछ इस विचार का खंडन करते हैं।

इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि आधुनिक समाजों के उदय में सुधार, पुनर्जागरण, सत्रहवीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति और अठारहवीं शताब्दी के ज्ञानोदय का मुख्य सहयोग है। उद्योगवाद, पूंजीवाद और देश-विदेशों को आधुनिकता का स्तंभ माना जाता है। ज्ञानोदय से सार्वभौमिक मानव समाज का विचार आया। इसके साथ यह धारणा भी जुड़ी हुई है कि सभी मनुष्यों की आवश्यकताएं और हित सार्वजनिक रूप से एकसमान हैं। अतः एंथनी गिडेंस जैसे समाज वैज्ञानिकों का विश्वास है कि आधुनिकता स्वाभाविक रूप से विश्वजनीय है। तथापि आज पुरानी उपस्थित संरचनाओं में व्यापक बदलाव देखा जा सकता है। इस तरह यह जानना महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के उदय के साथ वर्तमान काल एक नया ऐतिहासिक युग है अथवा वर्तमान दौर विद्यमान संरचनाओं को नई दृढ़ता प्रदान करने की अवस्था है।

उत्तर आधुनिकतावादी समुदायों की विविधता, भिन्नता और बहुलता से वर्तमान विश्व का संबंध जोड़ते हैं जो उत्तर आधुनिक परिस्थितियों की विशेषताएं हैं। उनके अनुसार, आधुनिक विश्व एक उत्तर आधुनिक विश्व है। उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध एक अपरिवर्तनीय बहुलवादी मानव विश्व के दृष्टिकोण से है जो अलग-अलग स्वायत्त इकाइयों में बंटा हुआ है और इसमें वास्तविक या प्रभावी रूप से कोई समस्त या अनुलंघ्य व्यवस्था नहीं है। किन्तु समाजशास्त्री एंथनी गिडेंस के

अनुसार, वर्तमान विश्व एक उत्तर आधुनिक विश्व नहीं है। आज जो कुछ भी घटित हो रहा है वह अपनी पुरानी स्थिति से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है बल्कि यह आधुनिकता की उन्नतशील अवस्था है जिसे प्रायः विलम्बित आधुनिकता कहा जाता है। उनका मानना है कि इससे अतीत की प्रवृत्तियां झलकती हैं, परन्तु यह उससे अलग है जैसा शास्त्रीय सिद्धांतवादी समझते हैं। इस आधुनिकता के चरण में गति और तीव्रता आ गई है जो मनुष्य के नियंत्रण से परे है। इसके अतिरिक्त, इस आधुनिक अवस्था ने पुरानी उपस्थित संस्थाओं की भूमिका के स्वरूप में परिवर्तन किया है। गिडेंस ने आधुनिकता की जगन्नाथ के रूप में व्याख्या कुछ इस प्रकार की है:

एक विशाल शक्ति के साथ भागता इंजन जिसे हम कुछ सीमा तक तो संचालित कर सकते हैं परन्तु इसका हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाने का भी खतरा है। इसी प्रकार आधुनिकता की संस्थाएं भी टिकी हुई हैं। हम इस यात्रा के रास्ते या गति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हम आंतरिक रूप से कभी सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि सहक्षेत्र जिस पर यह इंजन चल रहा है, गंभीर परिणामों के खतरो से भरा है।

वैश्वीकरण विद्वानों के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है। वे इस प्रक्रिया को समझने के लिए समूची कोशिश कर रहे हैं। यदि हम वैश्वीकरण को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया मानते हैं तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं से किस प्रकार भिन्न है। जैन आर्ट स्कॉलटे का मानना है— वैश्वीकरण की तुलना प्रायः अंतर्राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, सार्वभौमीकरण और पश्चिमीकरण से की जाती है। उनका तर्क है कि वैश्वीकरण को इन शब्दावलियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। राष्ट्र राज्यों के मध्य सदैव एक अंतर्संबंध बना रहेगा। उन्नीसवीं शताब्दी के आखिरी समय के दृष्टिकोण से विभिन्न स्तरों के सीमा पार प्रवासन, सर्वविदित निवेश, वित्त और व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार उन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार शब्द समकालिक सीमा पार के मामलों और अंतर्संबंधों को समझने के लिए पर्याप्त था तो फिर वैश्वीकरण जैसी नई शब्दावली के उपयोग की क्या आवश्यकता पड़ी? यह निश्चय ही इस बात की ओर संकेत है कि वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण से कहीं अधिक है।

दूसरे, नव-उदारवादियों ने वैश्वीकरण की तुलना सदैव उदारीकरण से की है। उदारवादी विश्व में राज्य की भूमिका पर नियामक प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसने सीमा-पार सामान, सेवाओं, पूंजी, वित्तीय साधनों आदि कार्य द्वारा व्यापार को उन्नत स्थिति प्रदान कर रहे हैं। चूंकि यह प्रक्रिया उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे तिमाही में विद्यमान थी और उसके बारे में कुछ नया ज्ञात नहीं है। इसलिए यह वैश्वीकरण के मापदण्ड को परिभाषित नहीं कर सकता।

तीसरी विशेषता है सार्वभौमीकरण। हालांकि यह भी एक नई प्रक्रिया नहीं है। यद्यपि नूतन समय में विश्व भर में लोगों, संस्कृतियों और वस्तुओं का निरंतर आदान-प्रदान संभव हुआ है। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि हजारों वर्ष पहले भी लैटिन और अरबी जैसी प्राचीन भाषाओं और कुछ धर्मों का सार्वभौमिक महत्व था। अतः वैश्वीकरण के प्रकरण की व्याख्या करने के लिए सार्वभौमीकरण पर्याप्त नहीं होगा।

चौथा लक्षण है पश्चिमीकरण या पाश्चात्यीकरण। इसका उपयोग सदैव वैश्वीकरण की नव-समाज से संबंधित प्रवृत्ति हेतु किया जाता है। इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के समान प्रभुत्वपूर्ण और शक्तिशाली देशों की संस्कृति से संबंधित समाजवादिता और सजातीयकरण की आशंकाओं के लिए किया जाता है। हालांकि यह भी सत्य है कि हर युग में वह सदैव से ही शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध रहा है, जिसका सदा प्रभुत्व स्थापित रहा है।

इस प्रकार स्थानीय घटको के विश्व स्तर पर बदलाव उपरोक्त वर्णित प्रक्रियाओं के समान नहीं है। अतः विप्रदेशीकरण वह विशेषता है जो स्थानीय घटको के विश्व स्तर पर बदलाव को उपरोक्त प्रक्रियाओं से पृथक करती है। स्कॉलटे इसे “लोगों के मध्य अधिप्रादेशिक रिशतों का विकास मानते हैं। इसने प्रादेशिकता के विचार का अंत कर दिया है। यह वैश्वीकरण का एक विशिष्ट लक्षण है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित मुद्रा भंडार और विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से कारोबार करने के लिए निर्मित संस्था जैसी अंतः सरकारी संस्थाओं की बढ़ती भूमिका ने भी स्थानीय घटको के विश्व स्तर पर बदलाव के प्रकरण को तेज किया है।

विभिन्न देशों के बीच परस्पर निर्भरता को बढ़ाने और सदस्य राज्यों को अन्य राज्यों के साथ अपनी प्रभुता के कुछ पहलुओं को बांटने में इन संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक और बाहरी मामलों में परंपरागत अंतर अब अधिक नहीं रह गए हैं। आज यदि किसी देश में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका मीलों दूर स्थित अन्य राष्ट्र के नागरिकों पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) क्षेत्र में मध्यकाल में भारत में साफ्टवेयर इंजीनियरों के करिअर को प्रभावित किया। समय-समय पर यह लगा कि राज्य के अंतः सरकारी संगठनों का भाग होने वजह से अपनी राष्ट्रीय नीतियों पर से अपना नियंत्रण खो दिया है। रोजनों ने उचित रूप से इसे राज्य की क्षमता में शिथिलता कहा है। अतः इस युग में जहां विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित मुद्रा भंडार जैसी अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं व एजेसियों ने प्रत्येक सदस्य राज्य के लिए विश्व स्तरीय नियमों, सिद्धांतों, विनियमों और एजेंडा की

स्थापना कर रखी है वहां जी-8 राष्ट्रों, केन्द्रीय बैंको और निजी विभिन्न राष्ट्रों में संचालित बैंको के वित्त मंत्रालय के मध्य समन्वय की आवश्यकता है। इस प्रकार, राबर्ट काक्स ने इसे "राज्यों का अंतर्राष्ट्रीयकरण" कहा है।

वर्तमान में यह अनुभव किया जा रहा है कि देश-विदेशों की सीमाएं सिकुड़ती जा रही हैं और चार 'आई' अर्थात् निवेश, उद्योग, सूचना और व्यक्ति के कारण दिन ब दिन यह अप्रासंगिक होती जा रही है जिसने सभी घटनाओं के प्रति राज्य को मात्र प्रेक्षक या दर्शक बना दिया है।

वैश्वीकरण : एक उपागम के रूप में

वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के आगमन ने हमारी पुरानी उपस्थित संस्थाओं को बदल दिया है। वास्तव में इसने उस सैद्धांतिक और सुव्यवस्थित ऐनक को भी तोड़ दिया है जिसका उपयोग विचारक समाज के अध्ययन में करते थे। समाज वैज्ञानिकों के विश्लेषण की इकाई के रूप में समाज की अवधारणा भी जटिल हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्वीकरण का संबंध भौगोलिक दूरी की धारणा से है और यह समाज नहीं बल्कि एक सूक्ष्मरंध्री, आंशिक और पारगम्य समाज से संबंधित स्थान प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, भारतीय समाज और मैक्सिकन समाज को लें तो एक भौतिक दूरी के रूप में समाज की धारणा पर भी प्रश्न उठाया जाता है। समाज के वैज्ञानिकों, खासकर समाजवादियों और मानव-वैज्ञानिकों के लिए यह एक नए विषय और विश्लेषण की एक नई इकाई की मांग करता है। आर्चर का तर्क है कि 'समाज के वैश्वीकरण का तात्पर्य है कि विभिन्न समाज अब समाज विज्ञान की प्रमुख इकाईयां बनकर नहीं रह गए हैं। अतः हमें अपना ध्यान विभिन्न समाजों से हटाकर "एक विश्व के समाज विज्ञान" पर टिकाना होगा।

ऐसा माना जाता है कि भूगोल का व्यक्ति के जीवन पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि अर्थव्यवस्था, संस्कृति अथवा राज्य व्यवस्था का प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, भूगोल किसी भी संस्कृति को आकार देने में विशिष्ट भूमिका अदा करता है। राजस्थान के एक रेगिस्तान के निवासी की जीवनशैली निश्चय ही हिमालय की पादगिरी में रहने वाले शेरपा से भिन्न होगी। इस तरह समाज से संबंधित रिश्तों के स्थानीय और अन्य प्राथमिक पहलुओं में गहरा संबंध है। समाज के किसी एक पहलू में बदलाव अन्य क्षेत्रों में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन लाएगा। प्रादेशिक भूमि का एक व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट महत्व है। पारस्परिक क्रिया और संपर्क की तीव्रता स्थानीय दूरी पर निर्भर करती है। यहां तक कि देश-राज्य का विचार भी प्रादेशिक सीमाओं पर आधारित है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रादेशिक सीमाओं से बढ़कर हैं जैसे कि पर्यावरणीय संकट,

दूरसंचार आदि। उन्हें प्रदेश तक सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे भौगोलिक दूरी से परे हैं। चूंकि वैश्वीकरण ने भौगोलिक अंतर समाप्त कर दिए हैं इसलिए यह देखने की आवश्यकता है कि हमारे समाज से संबंधित अनुसंधान के स्वरूप में भी बदलाव होगा या नहीं। हम समाज को स्थान से जोड़ते हैं।

स्कॉलटे का कहना है कि 'सुव्यवस्थित प्रादेशिकता का संबंध सामाजिक विश्व को समझने और प्रादेशिक भूगोल के माध्यम से उसके अध्ययन का संचालन करने से है। इस पद्धति में अनुसंधान के प्रश्न तैयार करने, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों आदि को शामिल किया जाता है।

स्कॉलटे का मत है कि "सुव्यवस्थित प्रादेशिकता" एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। वास्तव में पूर्व आधुनिक युग के प्रारंभिक अनुसंधानों में प्रादेशिक संदर्भ के कोई संकेत नहीं है। इसका उदय आधुनिक युग में हुआ है। चूंकि यह इसकी शुरुआत है तो इसका अंत भी होगा। यह अधिप्रादेशिकता के कारण और गैर स्थानीय सहित एक पद्धति पूर्वक रूप से पुनः स्थिति निर्धारण की मांग करता है।

वैश्वीकरण के विकास में विभिन्न घटनाओं और तकनीकों ने मदद की है। यह बात चिंतन करने योग्य है कि युद्धोत्तर काल में विश्व परिदृश्य में व्यापक बदलाव हुए हैं। विश्व स्तर पर सूचना, संचार और परिवहन तकनीकों का तेजी से उत्थान हुआ है। यह सब डिजिटल तकनीक, केबल नेटवर्क, इंटरनेट और फाइबर ऑप्टिक्स के दौर में हुआ, जिसने सूचना संचार की कुशलता को बढ़ावा दिया है। अतः इस प्रक्रिया के फलस्वरूप "एक विश्व" का उदय हुआ। उन्नत तकनीक, एक उदारीकृत बाजार, आपेक्षिक रूप से स्थिर राजनीति से संबंधित संगठन आदि ने वैश्वीकरण के विकास में विशिष्ट भूमिका अदा करता है।

वैश्वीकरण एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगो का सोचना है कि वैश्वीकरण का आंतरिक मुद्दा अर्थव्यवस्था है जबकि राजनीतिक-विज्ञान और मीडिया के छात्रों के पास इसके स्पष्टीकरण के अलग कारण हो सकते हैं। अतः स्टैगर ने उचित रूप से वैश्वीकरण के बुद्धिजीवी लोगो की तुलना जातक कथाओं के नेत्रहीन विद्वानों से की है जिन्हें किसी हाथी के बारे में समझाने के लिए कहा गया हो। उन्होंने किसी जानवर के शरीर पर हाथ रखकर उसके स्पर्श से उसकी व्याख्या की। वे उसके आंशिक भागों के वर्णन से इस मुद्दे पर लड़ने लगे कि उन नेत्रहीन विद्वानों ने हाथी के बारे में क्या-क्या कहा होगा तो शायद हमें वैश्वीकरण के प्रकरण का भी वास्तविक चित्र मालूम हो जाए। हाथी के शरीर की तरह ही वैश्वीकरण का हर

आयाम अन्य पहलुओं से जुड़ा है और वास्तव में यह एक—दूसरे पर घुमावदार प्रभाव डालता है। यहाँ पर हम पूंजीगत, संस्कृति से संबंधित एवं राजनीति से संबंधित परिप्रेक्ष्य नामक वैश्वीकरण के तीन विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा करना आवश्यक होगा—

आर्थिक परिप्रेक्ष्य :

यह देखा गया है कि विश्वव्यापी सकल घरेलू उत्पाद में हमारा निर्यात केवल कुछ प्रतिशत था और आधी शताब्दी के बाद यह वैश्वीकरण के कारण सामान्यतया तीन गुना बढ़ गया इसके अतिरिक्त यह बात भी स्मरण करने योग्य है कि विश्व स्तर पर उत्तर के बजाय दक्षिण में व्यापारिक एकीकरण की तीव्रता बढ़ी है जिसका यह अर्थ है कि विश्व सरोकार में वैश्विक दक्षिण के कम उन्नत देशों का योगदान बढ़ रहा है। यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति है और इसके बढ़ने की भी संभावना है। दक्षिण में नई औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा दूसरे देशों में बिक्री किए हुए नए उत्पादों का योगदान प्रशंसनीय है क्योंकि इन्होंने विश्व व्यापार का 1/5 भाग संग्रहित कर लिया है। 1980 के दशक से सेवाओं के व्यापार में तीन गुना तरक्की हुई है। हालांकि दक्षिणी विश्व इसका लाभ प्राप्त करता रहा है, फिर भी कतिपय बुद्धिजीवी लोगों की यह शिकायत है कि विकसित देशों अर्थात् प्रथम विश्व के तृतीय विश्व के साथ शोषणकारी संबंध है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तृतीय विश्व के शब्द का उपयोग उन नवनिर्मित राज्यों के लिए किया गया था जो औपनिवेशिक अतीत से गुजर चुके थे और अब उन्हें विकास की और अग्रसर देश कहा गया है। इन देशों में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरीका के देश सम्मिलित थे। उत्तरी और दक्षिणी विश्व के मध्य अंतर को राजनीति से संबंधित, तकनीकी, समृद्धि और जनसांख्यिकीय संदर्भ में बताया जा सकता है। उत्तर विश्व के देश लोकतांत्रिक, तकनीकी रूप से उन्नत और विकसित हैं तथा उनकी जनसंख्या वृद्धि दर शून्य है। तथापि दक्षिणी विश्व में कुछ ऐसे राज्य हैं जो किन्हीं क्षेत्रों में ही पूर्ण विकसित हैं, चारों क्षेत्रों में नहीं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब समृद्ध है परंतु वह अलोकतांत्रिक देश है भारत में लोकतंत्र है पर यहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है और ऐसे कई राष्ट्र हैं जो इन चारों में से किसी एक क्षेत्र को भी संतोषजनक रूप से प्राप्त नहीं कर पाये। उन्हें कम उन्नत देशों में भी न्यूनतम या अल्प विकसित अथवा तृतीय विश्व का भी तीसरा विश्व कहा जाता है। उत्तर—दक्षिण संवाद अब पुराना हो गया है और अवसरों तथा आर्थिक तरक्की में विषमताओं के कारण इसमें बढ़ोतरी हुई है। कतिपय बुद्धिजीवी लोगों का मानना है

निर्भरता सिद्धांत को अभी भी तृतीय विश्व पर लागू किया जा सकता है तथापि, विश्व बैंक इसकी अलग ही कहानी बताता है।

विश्व बैंक की भावी सूचना के अनुसार विकास की और अग्रसर देशों में तुलनात्मक रूप से सस्ती मजदूरी दर के कारण आई.टी. सेक्टर में दक्षिण विश्व का अभी भी बड़ा भाग है। वास्तव में उत्तरी विश्व श्रम के लिए दक्षिणी विश्व के देशों पर निर्भर हैं। हालांकि आई.टी. सेक्टर ने उच्च रूप से कुशल व्यावसायिकों के वेतन में तो बढ़ोतरी की है परंतु इसने निम्न कुशल व्यावसायियों को गरीबी सीमा तक पहुंचा दिया है। राष्ट्रीय निगमों का स्थान विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग ले रहे हैं क्योंकि अपने देश के बाहर बिक्री से उन्हें बड़ी मात्रा में आमदनी हो रही है। अब ये विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग वैश्वीकरण के प्रकरण को और तेजी से आगे बढ़ाकर इसकी प्रमुख संचालक बन गई हैं। अन्य विदेशी उद्योगों के साथ अपने कार्यनीतिक सामूहिक सहयोग अर्थात् एक ही उद्योग में विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग और विदेशी उद्योग के मध्य सहयोग तथा परोक्ष संधि अर्थात् (सह-उत्पादन और निर्यात के लिए भिन्न प्रतियोगी विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग के मध्य एक अस्थायी समझौता) के द्वारा ये विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग वित्तीय संसाधन का प्रमुख स्रोत बन गई हैं जिन्होंने देश-विदेशों को सर्वविदित चुनौती दी है। ये विश्व व्यापार उद्योग पहले से ही दूसरे देशों से सीधे निवेश की नीतियों व निर्णयों में भागीदार हैं।

दूसरे देशों से निवेश ने राष्ट्रीय सीमाओं से पार पूंजी लगाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इन विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योगों ने दूसरे देशों से सीधे निवेश की मदद से राष्ट्रीय पूंजीगत व्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ा है। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों से सीधे निवेश नीतियों ने नई तकनीकी, रोजगार और प्रबंधकीय दक्षता के लिए भी अवसर प्रदान किए हैं। दूसरे देशों से सीधे निवेश ने वित्त व्यवस्था के सार्वभौमीकरण में योगदान दिया है। वित्त संसाधनों के वैश्वीकरण का तात्पर्य है—“वित्तीय बाजारों के परराष्ट्रीयता” वित्तीय प्रबंध की यह व्यवस्था किसी एक देश तक सीमित न होकर सब जगह फैली हुई है। समकालिक वर्षों में एक एकीकृत संयुक्त विश्व बाजार में बदल गया है। इस पूंजीगत समृद्धि की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जहां भौगोलिक अवस्थिति का कोई अर्थ नहीं रह गया है वहां अर्थव्यवस्था और दूर-संचार के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने “दूरी के अंत” और भूगोल की समाप्ति जैसे शब्दों का उपयोग किया है।

राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर अनुबंध और साम्य के संदर्भ के वित्तीय प्रवाह में तेजी से तरक्की हुई है। दिन ब दिन व्यापार में साठ गुना तरक्की होती है चूंकि विश्व भर में दस खरब डॉलर का प्रवाह हो रहा है। द इकोनामिस्ट (10 सितम्बर, 1997) के अनुसार, मुद्रा बाजार का दैनिक व्यवसाय सामान्यतः सरकारी विदेशी विनिमय भण्डार के वैश्विक स्टॉक को भी पार कर रहा है जिसने विनिमय दर पर केंद्रीय बैंकों के प्रभाव को कम कर दिया है। सार्वभौमिक वित्तीय संसाधनों पर इन तीन संस्थाओं का नियंत्रण है— यू.एस. फेडरल रिजर्व बोर्ड, द बैंक ऑफ जापान और द जर्मन बंडेस बैंक। चूंकि 1980 से 2002 के मध्य की अवधि में स्टॉक बाजार मूल्य घातीय रूप से चौगुना हो गया है इसलिए एक देश के स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव से दूसरे देशों में भी समान परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं।

स्वचालित और कम्प्यूटराइज्ड आनलाईन लेन-देन ने सौदे का मूल्य घटा दिया है और दैनिक सौदे की दर को प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया है। इसी को डिजिटल विश्व अर्थव्यवस्था कहते हैं। डिजिटल विश्व अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर वैश्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक ऋण और साख प्रक्रिया पर आधारित व्यवस्था है। इसने “वाणिज्यिक उदारवाद” को आसान बना दिया है और यह पूंजी चालक परिकल्पना को सत्य सिद्ध करता है। समकालीन वर्षों में निजी बाजारों ने इतनी व्यापक तरक्की प्राप्त की है कि राज्य की शक्ति सीमित होकर रह गई है। वे वित्तीय बाजार जिनका निर्माण राज्य ने किया था वह अब उस के नियंत्रण से ही बाहर हो गया है। अब राज्यों की सीमाएं धीरे-धीरे ढीली पड़ती जा रही हैं। यह एक अच्छा संकेत है कि अब उपभोक्ता के पास खरीदारी करते समय या उत्पाद का इस्तेमाल करते समय एक से ज्यादा विकल्प हैं और परस्पर प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित है। दूसरी ओर “पूंजी की द्रुतगति” ने विदेशी पूंजी पर निर्भर अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय बाजारों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया है। विकास की और अग्रसर देशों को पूंजी की जो मात्रा प्राप्त हो रही है वह पहले ही नगण्य है। इसके अतिरिक्त, इस तरह की स्थिति गरीब देशों को बड़ी नाजुक परिस्थिति में डाल रही है।

वर्तमान वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक संकट :

वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट एवं पूंजीगत मंदी के दौर से गुजर रही है। इसने न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बल्कि समस्त विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को सर्वविदित एवं अप्रत्यक्ष रूप से त्रस्त किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपस्थित मौद्रिक संकट स्वयं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गढ़ अमेरिका में उत्पन्न हुआ, जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लगभग ध्वस्त कर दिया और आज भी अमेरिका इससे उबरने की कोशिश कर रहा है। इस अमेरिकी मौद्रिक संकट ने बहुत जल्द ही वैश्विक पूंजीगत संकट का रूप ले लिया जो 1930 के दशक की महान मंदी से भी गंभीर इस अर्थ में है कि महान आर्थिक मंदी के संदर्भ में संकट का भार पूंजी पर डाल दिया गया था परन्तु तत्कालीन संकट के परिप्रेक्ष्य में संकट का भार श्रम पर डाला जा रहा है, जिससे बेकारी व गरीबी बढ़ने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। सन् 2008 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पाल क्रुगमैन ने उपस्थित वैश्विक संकट को “द्वितीय महान मंदी” की संज्ञा दी है।

वर्तमान आर्थिक एवं मौद्रिक संकट ने उदार विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित पूंजीवादी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। इसने अमेरिका से जुड़ी हुई प्रायः हर अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से मुद्रित किया है और अभी भी कर रही है। उल्लेखनीय है कि यह आर्थिक मंदी मुख्यतः सब प्राइम रेहन अथवा गिरवी संकट का परिणाम है। इसका हितार्थ है उच्चतर ब्याज की चाह में बिना किसी सामान्य साख के लोगों को कर्ज उपलब्ध करवाना। फलतः ऐसे लोगों ने बैंकों से कर्ज लेना शुरू किया जिनके पास ब्याज अदायगी का भी सामर्थ्य नहीं था, मूलधन तो दूर की बात थी। इन लोगों की साख भी इतनी अधिक नहीं थी कि इनसे पैसे वसूले जा सकें। फलतः उद्योग एवं बैंकों को इससे भारी पूंजीगत नुकसान हुआ और अमेरिकी बाजार में गिरावट आनी शुरू हो गई। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। लेहमैन ब्रदर एवं मैरिल लिंच जैसे बड़े निगमों ने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया। फलतः पूरे विश्व में एक दूसरा गंभीर मौद्रिक संकट उत्पन्न हो गया। उल्लेखनीय है कि मंदी के समय में भी लोगों में सामान्य तौर पर बचत करने, व्यय को कम करने तथा पूंजी को जमा रखने की समान प्रवृत्ति पाई जाती है। फलतः उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए रोजगारान्मुखी उद्यमों को वस्तुओं की कीमतों में कमी करनी पड़ी जिसकी भरपाई इन उद्यमों ने कर्मचारियों की छंटनी से की। इससे पूरे विश्व में बेरोजगारी बढ़ गई है। कुल मिलाकर इस सबने एक वैश्विक संकट पैदा कर दिया है।

वर्तमान वैश्विक मौद्रिक संकट ने भारतीय मौद्रिक व्यवस्था को भी भयावह तरीके से प्रभावित किया है। चूंकि भारतीय मौद्रिक व्यवस्था सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए बहुत हद तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है, अतः इस संकट का परिणाम भारतीय पूंजीवादिता के संदर्भ में व्यवसायियों की सेवाओं की विमुक्ति में भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत की बड़ी-बड़ी उद्योगों ने सर्वविधित एवं परोक्ष रूप से कर्मचारियों एवं व्यावसायिकों की सेवाओं में कमी कर दी है। अब इन उद्योगों में नियुक्तियां न के बराबर हो रही हैं। पुनः डी.एल.एफ. जैसे उद्योगों ने अपनी सारी भावी परियोजनाओं को तकरीबन बंद कर दिया है। इस संकट से भारत का विदेशी पूंजी निवेश भी प्रभावित हुआ है जो आने वाले समय में उसके विकासात्मक कार्यों एवं परियोजनाओं के लिए बाधक सिद्ध हो सकता है।

राजनीतिक परिप्रेक्ष्य:

वैश्वीकरण का एक अन्य आयाम है— राष्ट्रीय सीमाओं की शिथिलता या यह कहा जा सकता है राजनीति, शासन और अभिशासन का “विप्रदेशीकरण” यह कहा जाता है कि वैश्वीकरण ने इन प्रक्रियाओं को जन्म दिया है :

- ❖ राष्ट्र-राज्यों की प्रभुता का पतन।
- ❖ प्रादेशिक सीमाओं से निकलकर पूंजी, जनता और तकनीकी के व्यापक प्रवाह से राष्ट्र-राज्य की शक्ति में कटौती।
- ❖ वैश्विक अभिशासन का उदय।
- ❖ महाशक्ति का उदय।
- ❖ भू-राजनीतिक क्षेत्र से भू-आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका में व्यापक वृद्धि।

ये सभी प्रक्रियाएं जटिल रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं और एक-दूसरे को मजबूत करती हैं। डेनियल बेल ने सही कहा है कि वैश्वीकरण का संबंध “प्रादेशिक राष्ट्र-राज्य के संकट” से है। राष्ट्रीय सीमाएं अब अधिक सक्रिय नहीं रह गयी हैं। स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव की तीव्र लहरों से अब आंतरिक-बाहरी विभाजन भी समाप्त हो गया है, यहां तक कि अब प्रादेशिक विभाजन इतना अप्रासंगिक हो गया है कि विश्व पूंजी बाजार विनिमय दरों को नियंत्रित करने लगा

है। वैश्वीकरण के कारण अंतर्संबंधों का स्तर इतना बढ़ गया है कि किसी एक राष्ट्र में लिए गए निर्णय का असर दूसरे राष्ट्र पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अमेरीका में आई.टी. मंदी के फलस्वरूप एशिया में साफ्टवेयर व्यवसायियों की नौकरियों को हानि पहुंची। इस परिदृश्य में तो लगता है कि राज्य की प्रभुता का तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया क्योंकि एक देश को राष्ट्रीय सीमाओं में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह तो मीलों दूर स्थित किसी राष्ट्र की घटनाओं का परिणाम है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वे नीतियां जिन्हें परंपरागत रूप से आंतरिक नीतियां कहा जाता है वे किसी बाहरी तत्वों के माध्यम से नियंत्रित हो रही है। जो उस राष्ट्रीय प्रदेश का भाग नहीं है। यहां तक कि नीतियों पर अमल और नीतियों का परिणाम भी राष्ट्रीय सरकार के हाथों में अधिक नहीं रह गए हैं। कुछ लोग इसे राज्य की “उदारता और दुर्बलता” का नाम देते हैं तो कुछ इसे “राज्य की निष्क्रियता” मानते हैं। इस वैश्विक शक्ति को केवल कम्प्यूटर तकनीक से प्रवर्तित नहीं कहा जा सकता। 1980 और 1990 के दशक में पूंजी पर अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं को हटाने में बाजार और नव उदारवादी राजनीति से संबंधित निर्णयों ने भी मदद की है।

अब विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित व्यवस्था का निर्माण अंतरसरकारी संस्थाएं आई जी ओ कर रही हैं जो वैश्विक नियमों, वैश्विक नीतियों, वैश्विक सिद्धांतों और निर्णय निर्माण प्रक्रिया का संचालन करती है। इस परिदृश्य ने इस आई.जे.टो. के सदस्य-राज्यों को भी मुद्रित किया है। उदाहरण के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रवर्तित विश्लेषित समन्वय कार्यक्रम एक सामान्य व्यक्ति को प्रभावित करता है, जिसने इस आई.जी.ओ. के बारे में कभी सुना भी नहीं और उसे यह भी नहीं मालूम, यह सब इस प्रकार क्यों चल रहा है। विश्व अब एक संक्रमणकालीन अवस्था के दौर से गुजर रहा है, जहां राष्ट्र-राज्य अपनी परंपरागत भूमिका निर्वाह करने की स्थिति में नहीं है। शायद यह वैश्विक अभिशासन की दिशा में प्रगति हैं। कुछ लोग इसे “राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीयकरण” का नाम देते हैं। अतः हम अब उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां राष्ट्रीय और भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की नीतियों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश-विदेशी संस्थाओं ने अधिराष्ट्र शक्ति का स्तर प्राप्त कर लिया है। विश्व व्यापार संघ इसका उदाहरण है। एक देश के अधिकारी वर्ग और निर्वाचित राजनीतिज्ञों की नीतियां इन आई.जी.ओ. से प्रभावित होती हैं। इन आई.जी.ओ. की वैश्विक अभिशासन की भूमिका में “अधिकारियों या नौकरशाहों के परसरकारी गठबंधन” का निर्माण किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब नीतियों के निर्णय में निर्वाचित राजनीतिज्ञों या राज्य की केंद्रीय सरकार की अधिक भूमिका नहीं रह गई हैं। वैश्वीकरण के समीक्षकों का कहना है कि अब उत्तरी विश्व का वैश्विक सरकार में अधिक बोलबाला है और

विश्व की महाशक्तियों के प्रभाव के कारण विकास की और अग्रसर दक्षिण विश्व की प्रभुता का अंत हो गया है।

इस वैश्वीकरण की प्रवृत्ति की एक अन्य विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरीका जैसी महाशक्तियों का प्रभुत्व। समकालीन वैश्विक राजनीति की एक अन्य विशेषता है— “भू-राजनीति” से “भू-अर्थनीति” में परिवर्तन। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब तक युद्धों और हमलों से देशों के परस्पर संबंध बिगड़ते हरे जिसमें एक राष्ट्र अपनी राजनीति के मध्यम से पूंजीगत सुरक्षा को सुचारु ढंग से निश्चित करने के लिए दूसरे राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता रहा। सैनिक सामर्थ्य शक्ति और आधिपत्य के बराबर था। वह शक्ति और आधिपत्य ही था जिसे मित्र राष्ट्र गुट बनाकर या विश्व युद्धों और शीत युद्ध के जरिए विश्व में फैलाना चाहते थे। मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के मध्य विवाद ने विश्व युद्धों को जन्म दिया जिसमें प्रत्येक पक्ष ने अपनी सर्वोच्चता निर्धारण के लिए अपनी पूरी ताकत से दूसरे पक्ष के जीवन और संपत्ति का विनाश तक कर दिया।

इसी प्रकार शीत युद्ध ने पूंजीवादी और साम्यवादी शक्तियों के मध्य अप्रत्यक्ष टकराव किया। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर संदेह की दृष्टि से देखते रहे और इस पागलपन की दौड़ में दोनों ही अपना प्रभाव क्षेत्र निर्धारण के लिए विस्तारवादी नीतियों में संलग्न रहे। इन दोनों ही प्रकार के युद्धों में पूंजीगत और मानव संसाधनों की भरपूर हानि हुई। शायद यही कारण हो सकता है जिसकी वजह से महाशक्तियों ने यह अनुभव किया कि शस्त्रों की दौड़ में उन्हें अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने की कोशिशों की बजाय कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबके लिए समृद्धि लाए। अब यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय पहचान सैनिक विजय की बजाय बाजारी प्रतियोगिता से परिभाषित करती है। बाजार प्रतियोगिता ने अनेक देशों में आर्थिक रूप से परस्पर निर्भरता स्थापित की है जिसके फलस्वरूप प्रादेशिक आर्थिक गुटों का निर्माण हुआ।

स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किये गए नियंत्रण में ढील के कारण इस विश्व के देशों की परस्पर निर्भरता ने न केवल देश-विदेशों एकांकी आधिपत्य को समाप्त किया है बल्कि इसने ऐसे गंभीर कारकों को भी चिन्हित किया है जिनका हल निकालना असंभव सा है। विश्व राजनीति से संबंधित परिदृश्य में पर्यावरण प्रदूषण के संकट, आतंकवाद, महिलाओं के शोषण जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। इसी अध्याय में वैश्वीकरण के संदर्भ में, इनमें से कतिपय वजहों के बारे में विचार विमर्श करेंगे।

पर्यावरणीय मुद्दे :

जब वैज्ञानिकों ने अपोलो अंतरिक्षयान से प्रस्थान किया और वहा से उन्होंने पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए यान से बाहर देखा तो संपूर्ण ग्रह एक "बड़े नीले संगमरमर" की तरह जगमगा रहा था और सीमाओं से संबंधित नियमों को तोड़कर बादल एक-दूसरे के क्षेत्र में तैरते हुए दिखाई दिए। इसी प्रकार, पर्यावरण संकट किसी भी सीमा में बँधा नहीं रहता। एक राज्य द्वारा पहुंचाई गई हानि समस्त विश्व पर इसकी अमिट छाप डाल सकती है। उदाहरण के लिए, हमारे समक्ष अम्ल वर्षा का खतरा मौजूद है परंतु इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी से सब बचना चाहते हैं और सब एक-दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। कुछ सालो पहले ब्रिटेन को अम्ल वर्षा के लिए दोषी ठहराया गया था लेकिन ब्रिटेन का दावा था कि किसी के पास इसके कोई पुख्ता गवाह नहीं कि उसका फैलाया प्रदूषण ही अन्य देशों में अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने इस प्रदूषण के विरुद्ध निर्णायक तरीके से कार्यवाही करने में बहुत देरी कर दी। इसका मूल कारण था कि पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली अम्ल वर्षा का निराकरण करना बहुत महंगा पड़ सकता है। वे बिजली की खपत को भी कम करना चाहते थे। यह दौर प्रदूषण के खतरों और पर्यावरणीय संकटों का वैश्विक स्वरूप है। अतः सभी देशों को साथ रहकर इस समस्या के हल के लिए ठोस नीति अपनाना बहुत आवश्यक है।

हमारे सम्मुख पोषणकारी या संपोषित विकास ही एकमात्र विकल्प शेष है जिसके परिणामस्वरूप स्वस्थ विकास हो सकता है। विभिन्न मंचों पर पोषणकारी विकास के लिए अभियान चलाने के प्रयास किए गए हैं। इनमें से पहला प्रयास था 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण संबंधी पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। 1987 में पर्यावरण विकास संबंधी विश्व आयोग का प्रतिवेदन पोषणकारी विकास को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक अन्य बड़ा कदम था। तीसरा प्रयास था। 1992 में ब्राजील के रियो-द-जनेरो में विश्व सम्मेलन। औपचारिक रूप से इसे पर्यावरण एवं विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 150 देश और 8000 पत्रकारों सहित 1400 गैर सरकारी संगठन इकट्ठा हुए। इस सम्मेलन को विश्व सम्मेलन के इतिहास की युगांतकारी घटना माना जाता है क्योंकि इसने "पोषणकारी विकास" के महान कार्य के लिए एक ही मंच पर पर्यावरणवेत्ताओं और अर्थशास्त्रियों को इकट्ठा किया। पहले एक सामान्य धारणा यह थी कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एक-दूसरे के प्रतिकूल है। किंतु, पोषणकारी विकास से एक विचार यह आया कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण

आवश्यक रूप से विरोधी नहीं है। आज जब स्थानीयता और सार्वभौमिकता में घनिष्ठ संबंध है तो पोषणकारी विकास को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

सुप्रसिद्ध भौतिक-विज्ञानी और पर्यावरणवेत्ता वंदना शिवा स्थानीय घटको के विश्व स्तर पर बदलाव के प्रकरण की प्रबल आलोचक हैं। उनके अनुसार, स्थानीय घटको के विश्व स्तर पर बदलाव शक्तिशाली द्वारा दुर्बल देशों पर जबरदस्ती डाली गई एक राजनीति से संबंधित घटना है। यह दुर्बल देशों की संस्कृतियों पर एक विशिष्ट संस्कृति का जबरदस्ती थोपना है। इस कथन के माध्यम से न केवल पूंजीवादी, राजनीति से संबंधित या संस्कृति से संबंधित क्षेत्र में उन्नत देशों द्वारा शोषण की बात कर रही हैं। विश्व ने इसे "पर्यावरणीय जातिभेद" की संज्ञा दी है। उनके मतानुसार, W.T.O. विश्व बैंक और I.M.F. जैसी संसार भर में व्याप्त संगठन इस समझौते का बदला प्रकृति से ले रही है।

सीमा रहित व्यापार ने उत्तर के देशों को दक्षिण के देशों में अपने जहरीले अपशिष्टों के उत्सर्जन का हक दे दिया है। संयुक्त राज्य अमेरीका प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले अपने 275 करोड़ जहरीले उत्सर्जन का निर्यात दक्षिण देशों को करता है। संयुक्त राज्य अमेरीका बेसल अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सदस्य होने के कारण विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित नियमों को परे रखते हुए "पुनर्चक्रण" के नाम पर भारत को बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को भेज रहा है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इन अपशिष्ट पदार्थों के संसाधन और प्रबंधन बहुत ज्यादा खर्च वाला होता है। अतः इसे "थर्ड वर्ल्ड डंपिंग" कहा जाता है।

यह बात पर सदैव ही तर्क-वितर्क का विषय रहेगा कि सीमा रहित व्यापार और प्रदुषण रहित विकास एक साथ संभव नहीं है। उदारवादी पूंजीगत विश्लेषक का मानना है कि सीमा रहित व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह सबके लिए हितकारी है। तथापि, पर्यावरणविद् मानते हैं कि सीमा रहित व्यापार और पर्यावरण एक-दूसरे के विपरीत हैं। इस स्थानीय घटको के विश्व स्तर पर बदलाव के युग में चूंकि हर क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है इसलिए हमें विभिन्न राष्ट्रों में संचालित पूंजीगत व्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य रिश्तों को देखना आवश्यक है क्योंकि वे एक-दूसरे के साथ विवाद का कारण हैं।

उत्तरी विश्व पर्यावरण की दृष्टि से अधिक प्रदूषित है परंतु दक्षिण भी अपनी बढ़ती जनसंख्या के दबाव की समस्या से जूझ रहा है। माइकल टी. क्लैरे के अनुसार, यदि हमने अपनी पर्यावरणीय आवश्यकताओं का हल नहीं खोजा तो बहुत शीघ्र ही विश्व एक “संसाधन युद्ध” का सामना करेगा, जहां प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण महत्वपूर्ण संसाधनों को लेकर युद्ध लड़े जाएंगे। यह युद्ध उन वैचारिक संघर्षों से भी अधिक भयानक होगा जिनका हम आज सामना कर रहे हैं क्योंकि इससे किसी एक के अस्तित्व का निर्धारण होगा। सूचना युग के कारण अर्थव्यवस्थाओं को उत्पादन की बजाय सेवा क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। यह हमारे पर्यावरण के लिए एक वरदान होगा क्योंकि उत्पादन से प्रदूषण होता है और पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। इसमें संदेह नहीं कि पर्यावरण ह्रास के लिए वैश्वीकरण सबसे अधिक जिम्मेदार है।

फिर भी इसने विश्व मंच पर पर्यावरण संबंधी मामलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में योग दिया है। इसने बड़े पैमाने पर लोगों के पर्यावरण के बारे में सोचने और उसके संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करके पारराष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के युग की शुरुआत की है। इसने “पारिस्थितिकी संवेदनशीलता” का प्रसार करने में मदद की है। इसने एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है और नरम कानून का स्तर प्राप्त कर लिया है जो सरकार के कठोर कानून कहे जाने वाले निर्देशकों व नीतियों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ऐसे एक परराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का नाम है “ग्रीन पीस”। इस संगठन का प्रथम कार्यालय 1972 में वैंकूवर में स्थापित किया गया और अब इसके अनेक कार्यालय विश्व भर में फैले हुए हैं।

हाल ही में इसने अपना केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किया है। यह पर्यावरण की समस्याओं पर कार्य कर रहा है जिसे व्यापक रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है— विषैले पदार्थ, ऊर्जा एवं पर्यावरण, परमाणु मुद्दे तथा महासागरीय एवं स्थलीय पारिस्थितिकी। इसकी सक्रिय भागीदारी का नया मामला फ्रांसीसी युद्धपोत—क्लिमेंस्यू के विरुद्ध आंदोलन में देखा गया जो विषैले पदार्थ (एस्बेस्टस) से भरा जहाज लेकर गुजरात के अलग बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। इस घटना को विश्व भर से लोगों और पर्यावरणीय गुटों का समर्थन मिला और अंततः क्लिमेंस्यू को उसकी सरकार द्वारा वापस बुला लिया गया। इस प्रकार ग्रीन शब्द अब लोकप्रिय हो गया है। अब ग्रीन राजनीतिक दल और समूह भी बन गए हैं और यहां तक कि ग्रीन के तत्वावधान में कॉरपोरेट सेक्टर भी शुरू हो गए हैं। हम पर्यावरण विनाश के लिए वैश्वीकरण को उत्तरदायी ठहराते हैं पर यह बात भी सच है कि पर्यावरणीय समूह की सफलता भी वैश्वीकरण के कारण ही मिली है। पर्यावरणविद् यह शिकायत करते हैं कि वैश्वीकरण ने नीले आकाश और पूर्वकालीन जल को भी

नहीं छोड़ा है। तथापि यह भी सत्य है कि वैश्वीकरण ने पर्यावरण के मामलों को विश्व मंच पर उठाने में भी मदद की है।

महिलाएं और वैश्वीकरण :

महिलाओं के आंदोलन को तब और भी बढ़ावा मिला जब संयुक्त राष्ट्र ने 1976-1985 को "महिलाओं के दशक" के रूप में घोषित किया। यह समय वह था जब विकास को एक संकल्पना के रूप में शैक्षणिक व राजनीतिक वाद-विवाद का हिस्सा बनाया गया। महिलाओं का दशक और द्वितीय संयुक्त राष्ट्र-विकास दशक समानांतर रूप से चल रहे थे। इन दोनों घटनाओं में पहली बार विभिन्न मुद्दों को साथ साथ सम्मिलित किया गया और पहली-बार "महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सम्मिलित" करने की मांग उठी। विकास से जुड़े सभी मामलों से महिलाओं के दृष्टिकोण को जोड़ा गया और इससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रूख में बदलाव आया। अनेक देशों में महिला आंदोलनों की शुरुआत हुई और यहां तक कि कुछ देशों में राज्यों ने इन आंदोलनों में सहायता प्रदान की।

वर्ष 1975 को "अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष" के रूप में घोषित किया गया जिसमें समानता, विकास और शान्ति स्थापना जैसे मुद्दों का समर्थन किया गया। उसी वर्ष मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 1976-1985 को "महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक" के रूप में घोषित किया गया। इस दशक के दौरान महिलाओं की स्थिति को संबंधित देशों में विकास प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय सरकारों ने "महिला संबंधी मामलों" को राष्ट्रीय एजेंडे में सम्मिलित करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इसका विस्तार तृतीय विश्व के देशों में भी हो गया। वैश्विक अपील के कारण इसने अन्तर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन का रूप ले लिया। हालांकि उत्तरी विश्व और दक्षिण विश्व की समस्याओं में अंतर है फिर भी प्रादेशिक मुद्दों को सम्मिलित करने और अभिव्यक्त करने की संभावनाएं थी। इसने "संगठित नारीत्व" की छवि प्रस्तुत की। पर यदि हम भारतीय संदर्भ में देखें, विशेषकर कृषि क्षेत्र की कामजीवी स्त्रियों की दशा को, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया उनके लिए अभी भी वरदान सिद्ध नहीं हुई है।

भारत में वैश्वीकरण की मौजूद प्रवृत्तियों से महिलाएं सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुईं। अधिकांश विकासशील देशों में "कृषि का नारीकरण" एक सामान्य विशेषता है। महिलाएं सदा से देशी जानकारी की पोषक रही हैं और सदैव परम्परागत तकनीकों का इस्तेमाल करती रही हैं जो पर्यावरण हितैषी है। इसके अतिरिक्त, उन्हें बीजों के प्रयोग, पौधों की अच्छी नस्ल, अलग-अलग

पौधों के लिए उपजाऊ खाद आदि के बारे में देशी जानकारी रही है। उनके पास पुरुषों से ज्यादा मूल्यवान जानकारी है। तथापि इसे आधुनिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय रूप से गैर-हितैषी तकनीकों व ज्ञान ने चुनौती दी है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र का निगमीकरण जहां अधिकांश महिलाओं को काम पर रखा गया है उसने कहानी को और भी बदतर बना दिया है। हरित क्रांति के दौरान महिलाएं कृषि उत्पादक के प्रबंधक और नियंत्रण के अधिकार से वंचित थीं। इस तथ्य की जानते हुए कि खाद्य उत्पादन के दो तिहाई भाग में स्त्रियों की बड़ी भूमिका है और कुल श्रम बल का दो तिहाई भाग होने के बाद भी वह उपेक्षित बनी हुई है। इसका कारण है कि नई विदेशी तकनीक का आगमन जो पर्यावरण को तो नुकसान पहुँचा ही रही है, साथ ही इसने महिलाओं को उनकी पारम्परिक भूमिका निभाने से भी वंचित कर दिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रोत्साहित वर्तमान तकनीक व केवल प्रकृति के साथ खेल रही है बल्कि जनता का भी शोषण कर रही है।

इस परिदृश्य में महिलाओं के लिए निर्वाह करना और संतोषजनक रूप से अपनी पारंपरिक भूमिका निभाना बेहद कठिन है। कृषि के यंत्रीकरण और निगमीकरण के फलस्वरूप खेती पौरुषवादी हो गई है। महिलाओं को आधुनिक तकनीक के प्रयोग की जानकारी नहीं दी गई है। इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक है कि विकास कार्यक्रम में लिए संबंधी मामलों पर ध्यान दिया जाए। विकासशील देशों में महिलाएं सदैव से ही पानी लाने, खाद्य फसलों के उत्पादन, ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने, पशुओं को देखभाल जैसे कामों में अपनी भूमिका निभाती रही है फिर भी उन्हें यह फैसला करने का अधिकार नहीं कि कौन-सी फसल उगाई जाए। इसके अतिरिक्त, अनाज की छंटाई और उसे ढोने जैसी कुछ पारंपरिक भूमिका भी स्त्रियां सदैव से निभाती रही है पर यंत्रीकरण से उन्हें अपने इस काम से भी हाथ धोना पड़ा खासकर विश्व बैंक संरचनात्मक समन्वय कार्यक्रम ने सब्सिडी में कटौती की है

जिसके परिणामस्वरूप संगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है और उसका महिलाओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 1980 के दशक में कृषि में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई थी जिसमें 1990 के दशक में संरचनात्मक समन्वय कार्यक्रम के लागू होने के बाद भारी रूप से गिरावट आई। यह भी स्पष्ट हुआ है कि बाजार सुधार में महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिला और अधिकांश मामलों में तो महिलाओं का दमन किया गया है। महिलाओं को अपनी भूमि के भोगाधिकार से भी वंचित होना पड़ा है। हरित क्रांति के आने से भूमिगत जल से कमी आने लगी है जिसका अर्थ महिलाओं के लिए और भी मुसीबत है क्योंकि पानी निकालकर ले जाना महिलाओं की

पारंपरिक जिम्मेदारी रही है पर अब उन्हें अपने समस्त परिवार के लिए पानी लेने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है और वनों के कटाव के कारण ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं रह गया है।

अतः विद्वानों का मत है कि महिलाओं को विकासकारी योजनाओं में सम्मिलित करना आवश्यक है क्योंकि जब तक हम उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचते तब तक समाज सम्पूर्ण विकास की दिशा में नहीं बढ़ सकता। इस कारण से हम विकासकारी कार्यक्रमों से उपेक्षित महिलाओं को अलग नहीं कर सकते। क्रिस्टोफर यूडरी¹⁵ द्वारा 1996 में किए गए अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के प्रबंधन ने भूमि के छोटे छोटे भाग पुरुषों द्वारा प्रबंधित बड़े-बड़े भू भाग की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में उत्पादन के प्रति महिलाओं के योगदान को उनके दैनिक घरेलू कार्यों का विस्तार मानकर उनकी गिनती वास्तविक उत्पादकों में कभी नहीं की जाती। भारत सरकार को कृषि संबंधी नितियां लागू करते समय परंपरागत तौर-तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र में स्त्रियों की भूमिका को मान्यता मिले और उन्हें दरिद्रता की स्थिति में न जान पड़े। चूंकि ग्रामीण महिलाओं की ग्रामीण परिवारों तक बेहतर पहुंच है इसलिए उन्हें विकास की प्रक्रिया का सहभागी और एजेंट बनाना आवश्यक है।

वैश्वीकरण और आतंकवाद

11 सितम्बर 2001 को विश्व ने आतंकवाद का एक नया स्वरूप देखा। इसने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और सुरक्षा के इतिहास को एक नया को मोड़ दिया। शीत युद्ध के बाद अमेरिका आत्मसंतोष मना रहा था। वह सोच रहा था कि वह विश्व में वह ही सबसे शक्तिशाली राज्य है। हालांकि उसका यह विश्वास इस 9/11 के ध्वस्त हो गया। कैंग ली और विटकाफ ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि आतंकवाद अपने साथ मन में डर पैदा करने के लिए आतंकी गतिविधियां करने की क्रिया है ताकि सबको अपनी आतंकी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर किया जा सके। राज्य या विरोध भाव को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल शक्तिशाली निर्बल के खिलाफ अपना आधिपत्य जताने के रूप में करता है। ऐसा हमेशा हुआ है जब किसी राजनीति से संबंधित आंदोलन, समाज से संबंधित आंदोलन और जातीय आंदोलन ने फायदा पाने के लिए आतंकवाद का रूप लिया हो। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में हिंसक गतिविधियां और इस्लामी उग्रवादी समूह जो पुरे विश्व में शांति प्रक्रिया को भंग करने की कोशिश करते रहते हैं।

वर्ष 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग ने विश्व स्तर पर कार्य कर रहे 33 आतंकी संगठनों को नामांकित किया है ऐसा बोला जाता है कि किसी व्यक्ति के लिए यदि कोई आतंकवादी है तो अन्य व्यक्ति के लिए वह स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। परन्तु एक स्वतंत्रता सेनानी और एक आतंकवादी में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक स्वतंत्रता सेनानी कभी किसी बेगुनाह को हानि नहीं पहुंचाता है किसी को व्यर्थ में नहीं मारता है जबकि एक आतंकवादी प्रायः हिंसा की मंशा रखता है। हमेशा अपना वर्चस्व बनाने की सोचता है, राज्य या विरोधभाव को दबाने के लिए हिंसा को राज्य या देश का समर्थन हो सकता है। भारत हमेशा कश्मीर में आतंकवाद भड़काने वाले समूहों और उसे सहायता देने वाले देशों को जिम्मेदार ठहराता आया है और पाकिस्तान अपने राज्य के भीतर होने वाली आतंकवादी घटनाओं के लिए भारत को जिम्मेदार बताता आया है। अमेरिका ने ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया को 'आतंक के समर्थनकारी देशों की संज्ञा दी है। अमेरिका ने क्यूबा, लीबिया, सूडान और सीरिया पर भी आतंकवाद का आरोप लगाया है। इसी तरह से वियतनाम, चिली, अल सेल्वाडोर, निकारगुआ, इराक ने भी उल्टा अमेरिका पर आतंकवाद को समर्थन देने के लिए आरोप लगाया जाता है।

9/11 के हमले के बाद संसार के सामने आतंकवाद का एक नया स्वरूप निकल कर सामने आया है। विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से कारोबार करने के लिए निर्मित केन्द्र की ईमारत के धराशायी होने के बाद ओसामा बिन लादेन ने अपने एक टेप किए हुए जारी सूचना संदेश में कहा कि "अमेरिका में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा। सबसे बदला लिया जायेगा। विरोधभाव को दबाने के लिए हिंसा को अब कोई भी सामान्य धमकी नहीं समझेगा। नए विभिन्न राष्ट्रों में संचालित आतंकवादी विभिन्न तकनीकों में दक्ष व्यक्ति है जो नए हथियारों और तकनीकों का उपयोग करना जानते हैं और प्रलयकारी विध्वंस करने में सक्षम है वे धार्मिक युद्ध या 'जिहाद' के लिए धर्म के नाम पर इस आतंकवाद को फैला रहे हैं। अलकायदा हिजबुल जैसे ये नए आतंकी समूह आतंकवाद को चरम स्तर पर ले गए हैं तथा अब विश्व के कई भागों में सक्रिय हो गए हैं। पहले आतंकवादी दंगे फसाद का कार्य इसलिए करते थे क्योंकि वे अपने मंसूबे का पूरा के लिए जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे पर अब वे पूरी तरह से शत्रु मिटाने में विश्वास रखते हैं। 9/11 के हमले से स्पष्ट है, इस विश्व आतंकवाद ने 'मौत से दूरी' को भी कम कर दिया है। यहाँ तक कि अब उग्रवादी विश्व भर में अपनी गतिविधियों के सञ्चालन के लिए अति आधुनिक सूचना तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। इस सूचना युग में आतंकी गुटों के मध्य संबंध अधिक प्रभावी हो गए हैं। आतंकियों को वित्तीय सहायता अनेक स्थानों से मिल रही है इस पर रोक लगाने के लिए वर्ष 2000

में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी देशों की सहमति से अपनाया गया नया अंतरराष्ट्रीय समझौता भी आतंकवाद को मिटाने में असफल हो गया।

नागरिक समाज और वैश्वीकरण

नागरिक समाज सामूहिक जीवन का क्षेत्र है जो राज्य और बाजार से मुक्त है। गार्डन व्हाइट ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि परिवार और राज्य के मध्य रिश्तों का वह मध्यस्थ क्षेत्र जिसमें उन संगठनों का अस्तित्व है जो राज्य से भिन्न है, राज्य के साथ रिश्तों में स्वायत्तता का उपभोग कर रहे हैं और इसका निर्माण स्वैच्छिक रूप से समाज के सदस्यों के संरक्षण और उनके हितों व मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। इसे प्रायः तीसरा सेक्टर या तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। नागरिक समाज में जीवन परस्पर जुड़ा होता है। नागरिक समाज गैर सरकारी संगठनों के अनुरूप हो गया है। वैश्वीकरण के अंत से नागरिक समाज की भूमिका सुदृढ़ हो गई है। इस एन.जे.टो. की नेटवर्किंग के कारण अनेक मामलों को तर्क-वितर्क के लिए विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित मंच मिला और इसमें जनता की व्यापक सहभागिता से विशेष विषय पर जनता की जागरूकता को बढ़ावा मिला है। 1992 में रियो में विश्व सम्मेलन के समय इन संगठनों ने कुछ विश्व समस्याओं को प्रकाश में लाने की प्रमुख भूमिका अदा की। तदंतर रियो सम्मेलन में गठित संपोषित विकास आयोग में उन्हें विशिष्ट भूमिका निभाने का अवसर मिला। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय महासभा के माध्यम से अधिकाधिक देशों की गैर सरकार संगठनों ने वाद विवाद का एजेंडा निश्चित करने का जिम्मा उठाया।

इन संगठनों ने मानव अधिकार, सरकारी नीतियां, पर्यावरण वजहों व लैंगिक मामलों जैसी विभिन्न समस्याओं के लिए एक सामान्य मंच प्रदान किया है। इन संगठनों को एक बड़ी सफलता तब मिली जब भूमि खदानों पर नियंत्रण लगाने के लिए संधि का प्रारूप बनाने को लेकर सरकारी दबाव के लिए अभियान चलाया गया। इंटरनेट के जरिए लगभग हजारों की संख्या में चलाए जाने वाले परराष्ट्रीय एन. जी. ओ. अभियान के प्रतिनिधि जोड़ी विलियम को उस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से शोभित किया गया। भारत में इन गैर-सरकारी संगठनों का प्रभाव नर्मदा बचाओ आंदोलन में देखा जा सकता है जिसने विश्वव्यापी लोकप्रियता प्राप्त की और अंततः इसने इस परियोजना के लिए कोष कार्यक्रम को रोकने के लिए विश्व बैंक और जापानी सरकार पर दबाव डाला।

बड़े पैमाने पर सक्रिय होकर समाज के स्वयंसेवियों के साथ इन गैर-सरकारी संगठनों ने विश्व नागरिक समाज के उदय में मदद की है। इसका कारण है कि इन स्वयंसेवियों और गैर सरकारी संगठनों को वैश्वीकरण के कारण विश्वव्यापी समर्थन मिला है। अब उनके पास सरकार की किसी भी अवांछित नीति के विरुद्ध जनमत तैयार करने की शक्ति है। सूचना और संदेश के तीव्र विकास से अब जनता अधिक जागरूक बन चुकी है। आई.टी. क्रांति ने इंटरनेट, फ़ैक्स और टेलीकान्फ़ेरेंसिंग के जरिए इन संगठनों को विश्व में अपने नेटवर्क बनाने में मदद की है।

इस प्रकार एक साइबर एक्टिविज्म की प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके द्वारा एक समूह के वे सदस्य जिन्होंने कभी एक-दूसरे को देखा भी नहीं होगा। वे इसके द्वारा निकट आ गए हैं और महत्वपूर्ण मामलों पर अपने विचार आपस में बांट रहे हैं। वे अपना मत का निर्माण कर रहे हैं, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मीडिया के द्वारा इसका प्रचार कर रहे हैं और राष्ट्रीय व विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित संगठनों एवं संस्थाओं के साथ साथ सरकारों को उनकी नीतियों में परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे हैं। हालांकि यह भी समस्यात्मक हो सकता है। वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि होने का दावा कर रहे हैं जो उन्हें काम करने के लिए वैधता और नैतिक प्राधिकार प्रदान कर रहा है।

परन्तु ये संगठन मात्र कतिपय लोगों द्वारा निर्मित संघ है जो जनता की ओर से अपनी स्थिति निर्धारित कर रहे हैं। किसी भी तरह से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि इन संस्थाओं ने जनता को सशक्त किया हो। बल्कि वे अपनी राय उन पर थोपकर उन्हें अशक्त कर रहे हैं। निचले स्तर से बात करने वाले इन तथाकथित नागरिक समाज अभिकर्ताओं ने जनता को कमजोर किया है और यह संभव है कि इन पश्चिमी देशों से मिलकर बने संगठनों के कारण तृतीय विश्व के गैर-सरकारी संगठन किनारे पर आ जाएं।

मानव अधिकार और वैश्वीकरण

हर महान सभ्यता में हत्या और दासता के चिह्न मिलते हैं अथवा अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि हर सभ्यता में मानव अधिकारों का हनन हुआ है और उन अधिकारों को फिर से हासिल करने के लिए क्रांति का प्रयास किया गया है। मानव अधिकारों की संकल्पना तब और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है जब उनका अतिक्रमण होता है। मानव अधिकारों का संबंध एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से है। मानव अधिकारों को उत्पत्ति के संकेत मैग्नाकार्टा (1215) में देखे जा सकते हैं जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई है।

इंग्लिश पिटिशन ऑफ राइट्स (1628) और इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स (1689) पहले दस्तावेज थे जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं की स्थापना की। मानव अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में 1776 को अमेरिकी स्वतंत्र्य उद्घोषणा एक अन्य मील का पत्थर है। इसमें व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का विचार निहित है। इसके बाद 1789 की मनुष्य व नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसियों की उद्घोषणा का स्थान है जिसने स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के विचारों को फैलाया। उन्नीसवीं शताब्दी महत्वपूर्ण कदम था। तथापि द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी शिविरों में भीषण अत्याचारों के कारण मानव अधिकारों को विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित मंच मिला। युद्ध अपराधों और जातिसंहार सहित मानवता के विरुद्ध अत्याचारों के आधार पर नाजी शासकों पर न्यूरोमबर्ग द्वारा आरोप लगाने के प्रयासों से मानव अधिकारों का मुद्दा विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित परिदृश्य में संस्थात्मक संरचना के अंतर्गत आया।

मानव अधिकार कानूनों का वर्णन 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किया गया है। चार्टर की प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि संगठन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 'मूलभूत मानव अधिकारों, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों और छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के समान अधिकारों में आस्था को स्वीकार करना। परन्तु वह बात ध्यान देने योग्य है कि मानव अधिकारों में सार्वभौमिक घोषणापत्र केवल अधिकारों का उल्लेख करता है, वह इसके क्रियान्वयन के संबंध में कुछ नहीं कहता। वह इसकी चर्चा बहुत कम करता है कि इन अधिकारों को कौन लागू करेगा? आमतौर पर राज्य को यह कार्य सौंपा गया है परन्तु उस स्थिति में ऐसा करना कठिन हो जाएगा। यदि राज्य स्वयं ही अतिक्रामक बन जाए। इसके अतिरिक्त यह सभी राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है। 1960 के दशक में विश्वभर में वि-औपनिवेशिक आंदोलन चलाए गए। इस प्रकार नए राज्यों का उदय हुआ और संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की सूची में भी नए मुद्दे सम्मिलित होने लगे जैसे कि जाति विरोध, वि-उपनिवेशवाद और आत्म निर्माण का अधिकार आदि। शीत युद्ध के बाद सर्वाधिकारी साम्यवादी राज्यों के पतन और उन राज्यों में नागरिक व राजनीति से संबंधित अधिकारों की स्थापना में मानव अधिकार के मामलों में कुछ सुधार आया।

इक्कीसवीं सदी में वैश्वीकरण के वक्त में मानव अधिकार संगठनों का झुकाव पूंजीगत और समाज से संबंधित अधिकारों की ओर हुआ। यह विश्व पूंजीवाद का युग है। पश्चिमी सरकारों ने मानव अधिकारों और मुक्त बाजार पूंजीगत व्यवस्थाओं को परस्पर आवश्यक समझा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाजारों में समृद्धि को बढ़ावा मिला है, परन्तु वे सार्वभौमिक पूंजीगत व समाज से संबंधित अधिकारों को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं है।

बहुआयामी पूंजीगत संगठन अपने सुनियोजित कार्यक्रम के द्वारा गरीब नागरिकों के पूंजीगत व समाज से संबंधित अभिकर्ताओं के समाज से संबंधित कर्तव्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पहले विकास और मानव अधिकारों को एक दूसरे से अलग समझा जाता था पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि मानव अधिकारों को लागू करने के लिए विकास एक अनिवार्य शर्त है तथापि राबर्ट गुडिन जैसे बुद्धिजीवी लोगो की सोच है कि विकास के लिए मानव अधिकारों में कटौती की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव अधिकार विकास के मामलों में पूंजी और निवेश की दिशा मोड़ देते हैं। इसका मूल्य राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था को चुकाना पड़ता है। इस प्रकार यह देखा गया है कि विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से कारोबार करने के लिए निर्मित संस्था का गठन विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार और मानव अधिकारों को जोड़ने के लिए नहीं किया गया है।

वैश्वीकरण ने राज्य की प्रभुता को सीमित रूप में लाकर रख दिया है। ऐसा देखा गया है कि विकास की और अग्रसर देशों ने विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योगों को आकर्षित करने के लिए मानव अधिकार और पर्यावरणीय वजहों से समझौता कर लिया है। उनका यह विश्वास है कि चूंकि विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग एक से ज्यादा देशों में वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उपयोग कर रही है और देश में जिस भी स्थान पर वे अपनी शाखा खोलती है वहां उन्हें देश भर के कार्मिक की आवश्यकता पड़ती है जिससे उन्हें सस्ती दर पर श्रम मिल जाता है। इस प्रक्रिया में जहां भी इनकी शाखाएँ या बाजार खुलता है वहां देश के नागरिकों के लिए नौकरी के अवसर पैदा हो जाते हैं। चूंकि विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग रोजगार के अवसरों का निर्माण करने को तैयार है। आजकल विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग सम्मिलित रूप से मानव अधिकार आचार संहिता अपनाकर और मानव अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य पर इन संहिताओं के अनुसरण का दबाव डालकर मानव अधिकारों के एजेंडा में अत्यधिक योगदान कर रही है। उदाहरण के लिए विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग ने चीन और म्यानमार जैसे अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले देशों से अपने हाथ खींच लिए हैं। इस प्रकार मानव अधिकार, विकास और वैश्वीकरण साथ-साथ चल सकते हैं।

उदारवादी लोकतंत्र और वैश्वीकरण

उदारवादी लोकतंत्र का संबंध प्रतिनिधि सरकार और उसके नागरिकों के मध्य समझौते और इस समझौते का नियमन करने वाली विशिष्ट व्यवस्था से है। इस व्यवस्था का संचालन राजनीति से संबंधित चुनावों से होता है। उदारवादी लोकतंत्र में उदारवाद शब्द राजनीति से संबंधित व्यवस्था

की दो संबंधित विशेषताओं पर ध्यान आकर्षित करता है। पहला, लोकतंत्र को उसकी मान्यता नागरिकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलती है, इससे नहीं कि सरकार जनता के कल्याण के विषय में क्या उचित समझती है। दूसरे, बहुमत की इच्छाओं को अल्पसंख्यकों के नागरिक, राजनीति से संबंधित व संस्कृति से संबंधित अधिकारों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। उदारवाद और लोकतंत्र शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। उदारवादी लोकतंत्र एक नवीन प्रक्रिया है।

उन्नीसवीं शताब्दी में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का प्रावधान था। 1902 में 48 स्वतंत्र राष्ट्रों में से लोकतांत्रिक राष्ट्रों की संख्या केवल नौ थी। 1920 के दशक के मध्यमें 65 देश-विदेशों में 22 लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। 1980 के दशक में लोकतांत्रिकीकरण की तीसरी लहर से लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप और प्रशांत महासागर के छोर पर सूचना, संप्रेषण और संगठन की स्वतंत्रता और चुनावी प्रतियोगिता में तरक्की हुई। 1989 में पोलैण्ड, हंगरी, पूर्व जर्मनी और चौकोस्लोवाकिया जैसी सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं में उदारवादी लोकतंत्र के लिए आंदोलन किया गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने उदारीकरण और लोकतांत्रिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसा सदैव देखा गया है कि प्रादेशिक सीमाओं का निर्धारण नीति-निर्माण प्रक्रिया में जनता की सहभागिता से होता है। हालांकि आज ऐसे निर्णयों का असर राष्ट्रीय सीमाओं से परे दिखाई देता है।

राज्यों के मध्य अंतःरिश्तों की मजबूतों से जो विशेष प्रक्रिया अब दृढ़ हो गई है उसने एक राजनीति से संबंधित संयोग के रूप में लोकतंत्र की अवधारणा पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय, प्रादेशिक और विश्वव्यापी संरचनाओं को परस्पर व्याप्ति के कारण लोकतंत्र और स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्यों की नियति दलदल में धंसती जा रही है। शक्ति के अनेक केन्द्र उभरे हे और वैधता की प्रक्रिया ने सार्वभौमिक लोकतांत्रिक निगम को जन्म दिया है। सार्वभौमिक लोकतंत्र समय की आवश्यकता है क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा आज के युग में लोकतंत्र जीवित है एक लोकतांत्रिक जन कानून जो सीमाओं के भीतर और बाहर संस्थापित है। कांट सार्वभौमिक कानून के रूपायेवं क्षेत्र को सार्वभौमिक आतिथ्य की स्थितियों तक सीमित करते हैं, जिससे उनका आशय है अपनी परियोजनाओं और जीवन योजनाओं की प्राप्ति के लिए दूसरों के समान और न्याससंगत अधिकारों के प्रति स्वीकृति और सम्मान। इसमें एक सार्वभौमिक लोकतांत्रिक समुदाय के निर्माण की प्रतिबद्धता भी सम्मिलित है।

लोकतंत्र का यह सर्वव्यापी मॉडल प्रादेशिक और देश की सीमाओं से बाहर निकलकर एक पारराष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयत्नशील हो करके विभिन्न मुद्दे उठा सकता है। सर्वव्यापी लोकतांत्रिक मॉडल प्रादेशिक और विश्वव्यापी अंतर्संबंधों के संदर्भ में संस्थात्मक व नियमों को बांधकर एक सार्वभौमिक समुदाय के निर्माण में मदद कर सकता है। एक भूमंडलीकृत विश्व में यह लोकतंत्र का सबसे नया अवतार होगा।

सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

वैश्वीकरण ने संस्कृति की समरूपता का प्रत्यर्पण किया है और साथ ही साथ इसने विभिन्न संस्कृतियों में महान अंतर को भी स्पष्ट किया है। वह प्रभावशाली पाश्चात्य संस्कृति है जिसने समस्त विश्व में अपनी जगह बना ली है। कतिपय लोग इसे 'विश्व का अमेरिकीकरण' कहते हैं जबकि कुछ इसे 'सांस्कृतिक समाजवादीता' का नाम देते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री जार्ज रिट्जर ने तो 'मैकडानल्डार्जेशन' शब्द का उपयोग किया है क्योंकि विश्व भर में इसके फास्ट फूड रेस्तरां की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। एक प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार बेंजोमिन बार्बर इस विश्व के अमेरिकीकरण को 'मैक्वर्ड' कहते हैं जो दुनिया को धीरे धीरे एक उपभोक्तावादी समाज में बदल रहा है और यह समाज अमेरिकी जीवनशैली का अंधानुकरण कर रहा है। उनका मानना है कि संस्कृति से संबंधित समाजवादीता के अंधकारपूर्ण पहलू ने इस्लामी राष्ट्रों में जिहाद को जन्म दिया है। उनका मत है कि धार्मिक मौलिकतावाद और संस्कृति से संबंधित समाजवादीता एक सिक्के के दो पहलू हैं जो नागरिक समाज के विकास को रोक देगा। जिसके फलस्वरूप लोकतंत्र अपाहिज हो जाएगा।

तथापि कतिपय अन्य राजनीति से संबंधित सिद्धांतकार भी हैं जिन्होंने विश्व की इस एकरूपता का स्वागत किया है। उनका विश्वास है कि खुला बाजार अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र का प्रचार एक समरूपी समाज के द्वारा ही किया जा सकता है और इसके द्वारा अधिक से अधिक गैर-लोकतांत्रिक राष्ट्र जिनकी अर्थव्यवस्था बंद है, वे भी पश्चिमी मूल्यों के प्रभाव में आ जायेंगे। दक्षिण विश्व सदैव उत्तर विश्व पर अपने मूल्य थोपने और दक्षिण विश्व ने सदैव ही टेलीविजन और विश्व के अन्य मीडिया स्रोतों पर नियंत्रण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप पर दोष लगाया है। अतः दक्षिण विश्व ने एक नई विश्व सूचना और संग्रेषण व्यवस्था की मांग की है जो सूचना के उस बहाव में संतुलन बनाएगा जो अभी तक केवल उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती रही है। इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में नई तकनीक अपनाने की संस्कृति प्रचलित हो गई है। स्टेगर का कहना है कि ओसामा बिन लादेन जो अमेरिकी वस्तुओं को इसी संस्कृति से

संबंधित समाजवादी की प्रवृत्ति के विरुद्ध था। वह स्वयं केवल इस वैश्वीकरण के बलबुते ही दुनिया के हर कोने से अपनी आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा था।

ओसामा बिन लादेन आज की पहचान विश्वव्यापी स्तर पर केवल वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुई है। वैश्वीकरण ने एकरूपता की दिशा में एक प्रसिद्ध संस्कृति को जन्म दिया। 1995 में स्टीवन स्पीलबर्ग की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जुरासिक पार्क का हिन्दी रूपान्तरण किया गया। उस समय विश्व भर में अटकलें लगाई गई कि जल्द ही बालीबुड की फिल्मों का स्थान हॉलीवुड की फिल्में ले लेगी। एक ब्रिटिश अखबार गार्डियंस का फिल्म समीक्षक डेरेक मेलकाम ने यह धमकी दी कि भारत में संस्कृति के भीषण टकराव की धुंधली छाया दिख रही है। जब सिल्वेस्टर स्टैलान द्वारा अभिनित क्लिफहेंगर ने भारत के थियेटर्स में धूम मचा दी तो उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीय फिल्म जगत में कयामत का दिन आने वाला है। तथापि, भारतीयों का हिन्दी फिल्मों के प्रति जो जुनून है उसे कोई नहीं बदल सकता। अतः भारत में पश्चात संस्कृति के उत्पाद बेचने में असफलता के बाद अब हॉलीवुड विभिन्न स्टुडियो में निवेश कर रहा है। भारतीय लोग इसे अपनी जीत मानते हैं कि हॉलीवुड अपने विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर के बावजूद उनके देश में अपने उत्पादों के बहाव को धकेलने में असफल रहा। हालांकि भारतीयों को यह भी डर नहीं कि भारतीय उत्पादों से जो लाभ होगा वह अंततः हॉलीवुड के पास चला जाएगा। इसलिए दोनों ही पक्ष इसमें अपनी जीत अनुभव करते हैं। भारतीय मीडिया उद्योग यह सोचती है कि उन्होंने अपने खेलानुसार स्टार चैनल को मनवा लिया है और अमेरिकी सोचते हैं कि अब उन्हें भारतीय बाजारों में छन छन कर प्रवेश करना होगा।

मनोरंजन की दुनिया में परराष्ट्रीय उद्योगों के कदम रखने से वित्त व्यवस्था और संस्कृति के मध्य एक अंतर्संबंध बन गया है जो विश्वभर में एक समरूपी संस्कृति को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहा है। उदाहरण के लिए स्टार टी.वी. और सोनी जैसी पारराष्ट्रीय उद्योग के भारतीय चैनल डेली सोप के विज्ञापन जिस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। वह वास्तव में हमारी संस्कृति का चित्र प्रस्तुत नहीं कर रहे बल्कि उन्हें अमेरिकी जीवनशैली में प्रस्तुत किया जा रहा है जिस पर देसी प्रकार का छलावरण डाल दिया गया है। 1980 के दशक में जो टी.वी. सीरियल बनते थे वे प्रमुख रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों पर केन्द्रित होते थे या फिर उनमें ग्रामीण जन-जीवन दिखाया जाता था। आज यह मुख्यधारा मीडिया से बिलकुल लुप्त हो गई है और अब उच्चवर्गीय समाज के जीवन पर आधारित कहानियां दिखाई जाती हैं। यहां तक कि परंपरागत सास बहू की कहानियों के भी नए भड़कीले अंदाज में दिखाया जाता है। जिसमें कहानी की पात्र महंगे महंगे गहनों और वस्त्रों से

सजी धजी दिखाई देती है ताकि एक औसतन भारतीय नागरिक को इस उपभोक्तावाद के जाल में फंसाया जा सके। परराष्ट्रीय उद्योगों द्वारा पेश की जा रही ऐसी छवि ने निश्चय ही उपभोक्ता उत्पादों को आगे बढ़ने की हिम्मत देने के लिए एक बड़ा बाजार प्रदान किया है। इस प्रकार नेहरूवादी मितव्ययी अर्थव्यवस्था का अंत हो गया है और एक उपभोक्तावादी संस्कृति का उदय हुआ है।

भारत में उदारीकरण ने 1991 में प्रवेश किया। इसमें जीवन के हर क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया। मीडिया का ही उदाहरण लें। विज्ञापनों के विश्लेषण में उमा चक्रवर्ती में विज्ञापनों में महिलाओं द्वारा प्रदर्शित एक नई छवि का उल्लेख किया है। पहले विज्ञापनों में दिखाया जाता था कि किस तरह एक कुशल गृहिणी सही डिटर्जेंट का चयन करती है और उसके पति को तरक्की मिलती है जिससे परिवार में और भी खुशियां आ जाती है। इसमें सर्फ, रिन और व्हील अभियान में ललिताजी का लोकप्रिय विज्ञापन भी सम्मिलित है। उसके बाद महिलाओं को न केवल साबुन, डिटर्जेंट और कास्मेटिक के विज्ञापन में बल्कि अन्य कई विज्ञापनों में भी दिखाया जाने लगा। उसके बाद ऐसे विज्ञापन आए जिनमें कामकाजी महिलाओं को पति के साथ घर के काम करते करते उनकन चाय और एरियल विज्ञापनों में दिखाया गया।

महिलाओं की एक नई छवि को एम.डी.एच. मसाले के विज्ञापन में भी दिखाया गया है जिसमें नायिका कम समय में बेहतर व्यंजन तैयार करके अपनी सास को पीछे छोड़ देती है। उसे हेडफोन की धुनों पर नाचते हुए दिखाया गया है और यहां एक और उसकी सास चालीस मसालों की गिनती कर रही होती है वहां दूसरी ओर वह सिर्फ एम.डी.एच. मसालों के चयन से हर काम आसानी से कर लेती है। उसकी सास उस स्वादिष्ट व्यंजन से प्रभावित हो जाती है और वह भी कम समय में खाना पका लेती है। यहां देखा जा सकता है कि परंपरागत भारतीय परिवारों की तरह बहू पर सास की सत्ता अविकल बनी हुई है। क्रमपरंपरा तो वही है पर बहू का स्थान अब एक कुशल बहू ने ले लिया जो सास को खुश करने के साथ साथ सही उत्पाद के उपयोग से चीजों का प्रबंधन कर सकती है। वैश्वीकरण और समाज द्वारा दी गई आजादी के साथ एक नई स्वतंत्र महिला की छवि उभरी है।

वैश्वीकरण बनाम क्षेत्रीयता :

विशाल प्रादेशिक एकात्मकता का निर्माण वैश्वीकरण का एक अन्य परिणाम है। बुद्धिजीवी लोगों का सोचना है कि स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव ने एक समरूपी विश्व को जन्म दिया है। ऐसा कहा जाता है कि विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योगों ने सूचना-संप्रेषण के घटते मूल्य की सुविधा से सेवाओं और प्रौद्योगिकी उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीयकरण द्वारा इस समरूपता के निर्माण में मदद की है। तथापि वास्तविकता यह है कि सेवाओं का यह अंतर्राष्ट्रीयकरण कुछ शक्तियों और किसी महत्वपूर्ण भाग में ही केंद्रित है। 1990 के दशक के मध्य में यह देखा गया है कि संपूर्ण विदेशों से आने वाली पूंजी का 85 प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरीका, पश्चिमी यूरोप और जापान इन तीन देशों में ही उपयोग किया गया। यह विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योगों के निवेश, सेवाओं और उत्पादन के प्रादेशीकरण की ओर रुझान को दर्शाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादन की विधियाँ जैसे कि अल्प उत्पादन और लचीला उत्पादन उच्च प्रशिक्षित और प्रेरक श्रम बल की मांग करती है जिसका विश्व स्तर की बजाय प्रादेशिक स्तर पर कम जोखिम पर अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सके। इसमें कुछ अन्य चीजें भी सम्मिलित हैं। जैसे कि सांस्कृतिक संबंध तथा रोजगाररुन्मुखी प्रतिष्ठान का प्रमुख ग्राहक के निकट आने की इच्छाशक्ति।

1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरीका ने पश्चिमी यूरोपीय बाजार से निकटता अनुभव की जिसने उसे उत्तर अमेरीकी सीमा रहित व्यापार संधि के लिए बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार एशिया पैसिफिक में जापान ने भी प्रादेशिक अर्थव्यवस्था का यूरोपीय और उत्तर अमेरीकी मॉडल अपनाते हुए अपने प्रयास मजबूत किए। प्रादेशीकरण की ऐसी प्रक्रियाओं ने कतिपय क्षेत्रों में समझौते अथवा सौदेबाजी की शक्ति प्रदान की है। फिशला और हैगर्ड के अनुसार, प्रादेशिक संबंध बाजार संचालित प्रादेशिक एकीकरण के आधार पर निर्मित हुए हैं। हालांकि पश्चिमी यूरोप के मामले में प्रादेशिक ब्लाक के निर्माण को राजनीति से संबंधित अधिस्वरों से बढ़ावा मिला है। उत्तर अमेरीकी पक्ष काफी हद तक बाजार संचालित है।

व्यापारिक उदारीकरण के लिए युद्धोत्तर गतिविधियों को कमजोर करने की प्रवृत्ति के कारण यह कभी-कभार विश्व अर्थव्यवस्था में अस्त-व्यस्तता उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए दूसरे देशों से सीधे निवेश पड़ोसी और विशिष्ट निकायो में केंद्रित हो सकता है। इसके फलस्वरूप विशिष्ट प्रादेशिक खण्डों के बाहर के देशों में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, अपनी पहचान खोने के डर से वैश्वीकरण प्रबल प्रादेशिक तत्वों को प्रकाश में लाएगा जो कभी-कभार मौलिकतावादी शक्तियों के निर्माण में गंभीर रूप धारण कर सकते हैं।

हालांकि वैश्वीकरण की तीव्रता से शिथिल होते जा रहे प्रादेशिक तत्व न केवल अपनी पहचान को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि वे साथ-ही-साथ समस्त प्रदेश के लिए समृद्धि लाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रादेशिकता विकास प्रक्रिया में सहायक है। जब तक बाहरी तत्व सदस्य देशों के बाजारों में निवेश के लिए उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेते हैं यह उनकी पहुंच को नियंत्रित बनाए रखती है। इसके द्वारा तकनीकी हस्तांतरण और रोजगार निर्माण में सुविधा मिलती है। चूंकि पूंजीगत संसाधन को आज एक शक्ति माना जाता है इसलिए आर्थिक तरक्की शायद विश्वव्यापी स्तर पर इसकी पहचान को मजबूती प्रदान कर सकती है। यूरोपीय यूनियन इसका उदाहरण है। इसने बिना किसी संशय के राज्यों के समूह को सशक्त किया है और क्षेत्र में एक प्रबल अर्थव्यवस्था के निर्माण में एक-दूसरे की सहायता की है।

यूरोपीय संघ :

यूरोपीय संघ एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संस्था है जो नव-उदारवादी सिद्धांत में आस्था उत्पन्न करता है। यह उन प्रादेशिक आई. जी. ओ. का सर्वात्तम उदाहरण है जिन्होंने विश्व स्तर पर सफलता प्राप्त की है। यूरोपीय महाद्वीप ने अनेक राजनीति से संबंधित समस्याओं के दौर देखे हैं। क्योंकि अठारह सौ वर्ष पूर्व जब से पैक्स रोम साम्राज्य का पतन हुआ तब से यूरोपीय राज्य सदा आपस में लड़ते रहे। यूरोप के भविष्य के संबंध में हाल ही में निर्मित ई.यू. की एक अलग ही कहानी है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग का सारतत्व बन गया जिसमें यूरोपीय राष्ट्रों को एक समुदाय में बांध दिया जिनके हित आपस में जुड़ गये और मुद्रा भी एक हो गई। अब उन्हें सुरक्षा समुदाय कहा जाता है। ई.यू. उदारवादी लोकतांत्रिक अभिशासन की पद्धति पर चलता है और इसका तृतीय प्रकार के मूल्यों का समर्थन करते हुए मुक्त बाजार पूंजीवाद की ओर झुकाव है। अब इसे यूरोलैंड कहा जाता है। इसके निर्माण का आरंभ 1951 में यूरोपीय कोयला एवं स्टील समुदाय की शुरुआत, 1957 में यूरोपीय अणु ऊर्जा (यूरेटम) की स्थापना और 1957 में यूरोपीय पूंजीगत समुदाय के निर्माण के साथ ही हो गया था।

प्रारंभिक रूप से इन संगठनों की स्थापना व्यापार और विकास की दृष्टि से की गई थी पर जैसे-जैसे समय बीता, उन्होंने अपने क्षेत्र बढ़ा लिये और सामूहिक रूप से यह यूरोपीय समुदाय बन गया। पहले इसमें केवल छह राष्ट्र सम्मिलित थे जिनके नाम हैं— बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड। इसके बाद 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम भी इसमें सम्मिलित हो गए। 1981 में यूनान, 1986 में पुर्तगाल और स्पेन तथा 1995 में आस्ट्रिया,

फिनलैंड और स्वीडन भी इसके सदस्य बन गए। अप्रैल 1998 में ब्रुसेल्स में सम्मेलन के दौरान ई.यू. ने दस अन्य पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों के साथ समझौते का निर्णय लिया और वर्ष 2004 तक साइप्रस, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, याल्टा, पोलैंड और स्लोवेनिया को भी अपनी परिधि में सम्मिलित कर लिया। बुल्गारिया और रोमानिया सहित ये सभी दस देश अब ई.यू. के सदस्य हैं जिससे इसकी सदस्य-संख्या कुल 27 हो गई है।

इस प्रकार इसे एक ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है जिसने यूरोप का भाग्य बदल दिया। ऐसा देखा गया है कि इन यूरोपीय राज्यों के मध्य भूतपूर्व युद्धों और तनावों ने यूरोपीय संघ को किसी भी समझौते के लिए बाध्य नहीं किया और न ही संगठन की कार्यप्रणाली में कोई अवरोध पैदा किया है। इस संगठन के फलस्वरूप यूरोप का राजनीति से संबंधित एकीकरण हुआ है। ई.यू. संघीय प्रभुता की प्रक्रिया द्वारा एक अधिराष्ट्रीय यूरोपीय निकायो के निर्माण के लिए देश-विदेश से ऊपर उठकर आगे बढ़ा है। कैंगली और विटकाफ विश्व परिदृश्य में इसकी संभावित महाशक्तिशाली स्थिति को देखते हुए इसे “संयुक्त राज्य यूरोप” का नाम देते हैं। ई.यू. ने यूरोप वासियों के मध्य एकात्मकता की प्रबल भावना को सफलतापूर्वक प्रोत्साहन दिया है। यूरोपीय समुदाय को एक झटका तब अनुभव हुआ तब ब्रिटेन ने यूरोपीयन संघ से एक विवादास्पद जनमत संग्रह के पश्चात् पृथक होने का निर्णय लिया है।

वैश्वीकरण और तृतीय विश्व :विचार और प्रति विचार

वालडेन बेलो ने अपनी कृति डीग्लोबलाइजेशन: आइडियाज फार ए न्यू वर्ल्ड इकोनामी (2000) में “विभूमंडलीकरण” की संकल्पना का समर्थन किया है। उनका सोचना है कि वैश्वीकरण ने सीमा रहित व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर एक समरूपी और एकांगी विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। तथापि, विभूमंडलीकरण या गैर-वैश्वीकरण विश्व भर की विकेंद्रीकृत, भिन्न, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को ऊपर उठाने का प्रयास कर सकता है। वे एक निगम-विरोधी स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव के लिए आंदोलन करने और विश्व व्यापार संघ व अन्य ब्रेटनवुड्स संस्थाओं की समाप्ति की मांग करते हैं। उनका मानना है कि एकशक्तिशाली बहुपक्षीय संस्था के रूप में फैला हुआ वैश्विक व्यवसाय तंत्र विकास, समाज से संबंधित न्याय, समानता और पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। पश्चिमी निगमों ने राजनीति से संबंधित, पूंजीगत और सैनिक वर्चस्व स्थापित कर लिया है और इसमें विनाशकारी निगम संचालित वैश्वीकरण निहित है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरीका प्रखर उपक्रम निभा रहा है।

वैश्विक व्यवसाय तंत्र और अन्य ब्रैटनवुड्स संस्थाएं कुछ ऐसे नियम आरोपित कर रही हैं जो अमेरीकी निगमों के हितों को बढ़ावा दे रही हैं। अतः इन विशाल बहुपक्षीय संस्थाओं को विघटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के साथ-साथ “विश्व आर्थिक अभिशासन की बहुलवादी व्यवस्था” का निर्माण कार्य शुरू करना होगा जो एक वैकल्पिक व्यवस्था पर काम करेगा। हॉलांकि इसका यह अर्थ नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समाप्त कर दी जाए। वाल्डेन का यह सुझाव है कि निर्यात के लिए उत्पादन करने की बजाय स्थानीय बाजार के द्वारा उत्पन्न होने वाली उपज पर गौर किया जाए। इस प्रकार विभूमंडलीकरण या गैर-वैश्वीकरण का तात्पर्य है स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर का नव-सशक्तीकरण। वाल्डेन निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता द्वारा गैर-वैश्वीकरण की व्याख्या करते हैं।

विदेशी वित्तीय संसाधनों जैसे कि विदेशी निवेश और विदेशी बाजारों पर निर्भर होने के बजाय एक राष्ट्र को विकासकारी उद्देश्यों के लिए अपने संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। प्रभावशाली आंतरिक बाजार के निर्माण के लिए आय और भूमि के पुनर्वितरण के दीर्घकालीक उपाय अपनाने होंगे। यह बाजार अर्थव्यवस्था का आधार होगा और निवेश के लिए पूंजीगत संसाधन उपलब्ध कराएगा। पर्यावरण असंतुलन को कम करने के लिए विकास और अधिकतम श्रमता प्राप्त करने पर कम बल देना होगा। कार्यनीतिक पूंजीगत निर्णयों को बाजार पर न छोड़कर लोकतांत्रिक चयन के अधीन रखना। नागरिक समाज द्वारा निजी सेक्टर और राज्य की निरंतर मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी। नए उत्पादन और विनिमय समूह स्थापित किए जाएं जिनमें सामुदायिक सहकारी, निजी उद्यमों को सम्मिलित किया जाए और परराष्ट्रीय उद्योगों को बाहर किया जाए।

आर्थिक जीवन में सब्सिडी का सिद्धांत लागू करके समुदाय को सुरक्षित बनाने के लिए उचित मूल्य पर यदि संभव हो सके तो सामुदायिक और छोटे छोटे भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाली उपज को बढ़ावा देना। वे बाजार की भूमिका को नियंत्रित रखना चाहते हैं और सुरक्षा, साम्य और समाज से संबंधित एकात्मकता पर अधिक मनन देने की बात करते हैं। वे परराष्ट्रीय निगमों का पर्यवेक्षण करके वैश्विक व्यवसाय तंत्र और ब्रैटनवुड्स संस्थाओं का विघटन चाहते हैं अथवा इन संस्थाओं को विशुद्ध अनुसंधान संस्था में बदलकर निष्पक्ष बना दिया जाए या फिर उनकी शक्ति और प्रभाव को घटाकर उन्हें अन्य प्रादेशिक खंडों की तरह बदल दिया जाना चाहिए जो उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के संयम और निरीक्षण में रहें। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का मत है कि वैश्वीकरण अनिवार्य रूप से पश्चिमी नहीं है। इसकी उत्पत्ति ऐतिहासिक रूप से हुई है। इसने स्वस्थ, समृद्ध और प्रतिष्ठित जीवन के अनेक नए अवसर प्रदान किए हैं। हमारे पास एक

वैश्विक संपदा है जो अब हम तक पहुंच गई है और इस स्तर पर इसने विभिन्न निकायों में व्यापक योगदान दिया है। सेन ने इस बात के उदाहरण दिए हैं कि किसी प्रकार दूसरी और छठी शताब्दी ईस्वी सन् के मध्य समय में भारत में दशमलव प्रणाली के उदय और उसके बाद में इसके अरबवासियों द्वारा उपयोग के साथ-साथ “ज्ञान के वैश्वीकरण” का उदय हुआ। दसवीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम चतुर्थांश के दौरान यूरोप में इसने वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया। इसके अतिरिक्त, नौवीं शताब्दी में अरब में मूसा-अल-ख्वारिज्म ने बीजगणित और दशमलव प्रणाली की खोज व प्रस्तुतीकरण किया और गणित के इस विशेष क्षेत्र ने अंततः यूरोपीय पुनर्जागरण, ज्ञानोदय व औद्योगिक क्रांति में योग दिया। अतः सेन हमारा ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि पुराने समय में वैश्वीकरण (अधिकांश मामलों में) पूर्व की ओर एक उपहार के रूप में आया और आज स्थिति पलट गई है।

इस प्रकार इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद कहना गलत होगा। क्या यूरोप ने पूर्वी राष्ट्रों से आए ज्ञान को स्वीकार करने से इनकार किया है? वह पहले उतना विकसित नहीं था जितना संपन्न वह आज है। इसी प्रकार वैश्वीकरण से इंकार करना पूर्व के लिए एक विवेकपूर्ण विचार नहीं होगा। आमतौर पर वैश्वीकरण का आर्थिक पहलू सबसे अधिक विवादास्पद है विशेषकर बाजार अर्थव्यवस्था का उपयोग। सेन का तर्क है कि बाजार द्वारा मिले अवसरों को टुकराकर पूंजीगत समृद्धि प्राप्त करना कठिन होगा। बाजार स्वयंमेव काम नहीं करता। यह कई “अनुकूल परिस्थितियों” पर निर्भर करता है जैसे कि पूंजीगत, समाज से संबंधित व राजनीति से संबंधित संस्थाएं जो एक सार्वभौमिक पूंजीवादी व समाज से संबंधित रिश्तों को आकार देती हैं।

सेन स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव के विरोधी विशेष सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ प्रयत्नशील विश्वभर के उन कार्यकर्ताओं को भी याद दिलाते हुए कहते हैं कि उनके आंदोलनों ने विश्व स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त की है तो वह भी केवल वैश्वीकरण से संभव हुआ है। उनका सुझाव है कि वैश्वीकरण में सुधार की आवश्यकता है।

नोबेल पुरस्कार में सम्मिलित अर्थशास्त्री एवं विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्ज अपनी कृति ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स (2002) में दावा करते हैं कि वैश्वीकरण में असीम लाभ निर्मित करने की शक्ति है, बशर्ते कि राष्ट्रीय सरकारें वैश्वीकरण के पीड़ितों को उनके संकट से बाहर निकालने के लिए तैयार हो। चूंकि वैश्वीकरण के पीड़ित अपनी गलती की मार नहीं खा रहे हैं इसलिए यह राष्ट्रीय सरकारों का कर्तव्य है कि वह उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करे। यदि कोई देश अपनी इच्छा से वैश्वीकरण को अपनाता है तो वह उसके

लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे पूर्वी एशियाई देशों के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने ज्ञान के वैश्वीकरण का लाभ उठाकर अपने प्रौद्योगिकी क्षमता का विस्तार किया जिसने उन्हें अंततः आत्म निर्भर बना दिया। कोरिया और ताईवान जैसे देशों ने वाशिंगटन के निजीकरण और उदारीकरण के परामर्श को ठुकरा दिया और सीमा रहित व्यापारके लिए अपनी सीमाएं खोलने की दौड़ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। ये उन देशों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो समृद्धि की दिशा में बढ़े हैं क्योंकि इन्होंने स्थिति को परखकर और अपने लिए उचित निर्णय लेकर वैश्वीकरण को स्वीकार किया है। दूसरी ओर थाइलैंड जैसे भी कुछ देश हैं जिन्होंने मुक्त बाजार के लिए अपने दरवाजे तो खोले पर भीषण परिणामों का भी सामना किया।

स्टिगलिट्ज का मत है कि पश्चिमी देशों ने गरीब देशों को व्यापारिक बाधाएँ हटाने के लिए बाध्य किया है परन्तु वे स्वयं इतने चतुर हैं कि उन्होंने अपने सीमा रहित व्यापार की बाधाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा है। वे विकास की और अग्रसर देशों को अपने कृषि उत्पादों को बेचने से रोक रहे हैं और उन्हें आप के उस बड़े साधन से वंचित कर रहे हैं जो उन्हें इसके निर्यात से प्राप्त हो सकता है। ऐसा पाया गया है कि वह ने केवल विकास की और अग्रसर देशों को प्रभावित कर रहा है बल्कि साथ ही साथ इसका प्रभाव अमेरिकी नागरिक उपभोक्ता और करदाता दोनों पर पड़ रहा है। पहले मामले में उन्हें मिलने वाले उत्पाद के लिए ऊंची कीमत अदा करनी पड़ सकती है और दूसरे मामले में उन्हें ऊंची सब्सिडी के लिए अर्थप्रबंध का बोझ उठाना पड़ सकता है। वे यह अपेक्षा करते हैं कि विकास की और अग्रसर देश संपन्न देशों के उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दे जिससे तृतीय विश्व के देशों के औद्योगिकृत माल से सब्सिडी हटाना मुश्किल हो जाएगा।

उदाहरण के लिए वैश्विक व्यवसाय तंत्र में चीन के साथ अमेरिकी समझौता अमेरिका की पूर्ण मिथ्या का प्रतीक था जिसने इस बात पर बल दिया कि चीन एक उन्नत देश है क्योंकि वैश्विक व्यवसाय तंत्र के नियमों के अनुसार विकास की और अग्रसर देशों की लंबी संक्रमण अवधि की अनुमति है जिसमें वैश्विक व्यवसाय तंत्र के नियमों की ओर से राज्य सब्सिडी और अन्य प्रस्थान मान्य है। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा नियंत्रित वैश्विक मुद्रा भंडार अपने एस. एस. पी. के साथ विकास की और अग्रसर देशों पर ब्याज की उच्च दर का अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। उनके तर्क हैं कि वैश्वीकरण के द्वारा होने वाला नुकसान उसके प्रदत्त लाभ से कहीं अधिक है। यह पर्यावरण को ऐसी क्षति पहुंच रहा है जिनकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसने राजनीति से संबंधित व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया है और विश्वभर में संस्कृति प्रघात की लहर दौड़ा दी है।

दक्षिण विश्व में व्यापक बेरोजगारी के लिए अकेले वैश्वीकरण उत्तरदायी है। वैश्वीकरण पर अंकुश अंतर्राष्ट्रीय निगमों का है जो सीमा पर पूंजी, लोगों, वस्तुओं और तकनीक का आदान-प्रदान कर रहे हैं। तथापि इन दिनों वैश्वीकरण का पूंजीगत पहलू सबसे विवादास्पद विषय बना हुआ है। कुछ आई.जी.ओ. और विभिन्न राष्ट्रों में संचालित घटनक्रम स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव के प्रकरण को तेज कर रहे हैं। इसे वैश्विक अभिशासन कहा जाता है क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव है। स्टिगलिट्ज का यह अर्थ नहीं कि हमें वैश्वीकरण से दूर जाना चाहिए बल्कि इसका यह अभिप्राय है कि विकसित और विकास के लिए अग्रसर देशों के मध्य समानता लाने के लिए विकास की और अग्रसर देशों की सरकारों को आई.जी.ओ. को अपनाने से पहले उनकी नीतियों को जांचने और इस संदर्भ में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

जगदीश भगवती सीमा रहित व्यापारके समर्थक है। अपनी कृति इन डिफेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन (2004) में उन्होंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मुक्त बाजार ने पूंजीवादी व्यवस्था के विकास में व्यापक रूप से मदद की है। यह भी सच है कि इससे कुछ कार्मिकों पर प्रभाव पड़ा है। परन्तु इसका अर्थ नहीं कि हमें सीमा रहित व्यापार पर रोक लगा देनी चाहिए बल्कि हमें सीमा रहित व्यापार से प्रभावित कार्मिकों के होने वाले नुकसान के लिए के लिए कार्य करना होगा। उनका अनुमान है कि इन कार्मिकों के होने वाले नुकसान के लिए जो खर्च आएगा वह इस सीमा रहित व्यापार से होने वाले फायदे से कई गुना कम होगा। इस संदर्भ में सामंजस्य सहायता कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जब सभी संपन्न देशों में ऐसे कार्यक्रम है तो निर्धन देशों को तो इनकी गंभीर रूप से आवश्यकता होगी और बिना व्यवस्थित सामंजस्य कार्यक्रम के उदारीकरण की प्रक्रिया में पूंजीगत और राजनीति से संबंधित संकट की अधिक संभावना है। वे इस बात से भी परिचित हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में आर्थिक सहायता करना अत्यंत कठिन काम होगा। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक बुद्धिजीवी लोगो का तर्क है कि प्रतिरक्षा खर्च में कटौती एक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण विकल्प होगा।

जगदीश भगवती का सोचना है कि वैश्वीकरण हमें विकास का अवसर दे रहा है और वैश्वीकरण से उत्पन्न तथाकथित अवरोध और असमानता तो इसके चलते उत्पन्न होगी। वे उन गरीब किसानों का उदाहरण देते हैं जो प्रतियोगिता का सामना न कर पाने और लगातार एक ही व्यापारिक फसल के उगाने से ऋण के बोझ और बुरी हालत में फंस गए हैं। भगवती मानते हैं कि ऐसी घटनाएं घटती हैं और ऐसा सिर्फ वैश्वीकरण के संदर्भ में नहीं है। यह तथ्य वैश्वीकरण में नहीं जुड़े हैं और इन्हें अर्थशास्त्र में 'काबवेब साईकल' कहा जाता है। काबवेब साईकल वह प्रक्रिया है

जिसमें उच्च उत्पादन से कीमतें घट जाती हैं और इससे उत्पादन में भी गिरावट आती है और इसके बाद कम उत्पादन से कीमतों में उछाल आता है। इस प्रकार यह दोषपूर्ण चक्र चलता रहता है। उनका मानना है कि दक्षिण विश्व के किसान सामान्यतया कृषक हैं जो विश्व बाजार के उतार चढ़ाव से परिचित नहीं हैं। अतः यह राष्ट्रीय सरकार की जवाबदेही है कि वह इन किसानों को सामंजस्य सहायता कार्यक्रमों द्वारा संरक्षण प्रदान करे। इन कार्यक्रमों को विश्व बैंक और अन्य विभिन्न देशों की विकासकारी एजेंसियों व संपन्न देशों से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो वैश्वीकरण हर एक के लिए वरदान बन जाएगा।

निष्कर्षात्मक अवलोकन

इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण से उत्पन्न व्यापक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया है। हमारे जीवन का कोई भी पहलू इससे अछूता नहीं है। जिस प्रकार वैज्ञानिक खोजों ने आधुनिकता को सुसाध्य बनाया है और ज्ञानोदय ने मनुष्य के भ्रम से पर्दा उठाया है उसी तरह हम आज एक अन्य युग के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। पूंजीवाद, उद्योग और राष्ट्र-राज्य जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनका जन्म आधुनिकता के साथ हुआ, उनके स्वरूप में भी आज व्यापक बदलाव आ गया है। इस प्रकार वे जो भूमिका निभा रहे हैं उनमें भी परिवर्तन आया है। आज वर्तमान परिदृश्य को समझने के लिए नई दृष्टि की आवश्यकता है। चीजों को नए प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। चूंकि पुरानी संरचनाओं में परिवर्तन आ रहा है इसलिए उनकी पुरानी पहचान भी समाप्त होती जा रही है।

आज वर्ग, लिंग, जाति और राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक भूमि का विखंडन देखा जा सकता है जिसने कभी समाज से संबंधित प्राणियों को दृढ़ता प्रदान की थी। यहां तक कि अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में हम भावी खतरों का भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हालांकि एक चीज निश्चित है कि हम वैश्वीकरण के लाभों को नहीं झूठला सकते। अतः वैश्वीकरण के प्रति अपने दरवाजे बंद करने की बजाय हमें इसके लाभ और हानि के मध्य प्रभावी संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हम अब एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहां व्यक्तिगत सरकारें कुशलता से कार्य नहीं कर सकती। अतः यदि हमें वैश्वीकरण की समस्याओं से मुक्ति पानी है तो हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका समाधान भी वैश्वीकरण से ही हो सकता है। भूमण्डलीकरण व वैश्वीकरण से आशय है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की पूंजीगत व्यवस्था के साथ समायोजित करना। यह एक विभिन्न राष्ट्रों में संचालित अभिशासन के नए रूप की मांग करता है जो सहयोग और कुशलता से वैश्विक बिन्दुओं का समाधान करेगा।

वैश्वीकरण की प्रकृति

वैश्वीकरण विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर एक-दूसरे से मतभेद रखते हैं। वे मुख्य ध्यान विश्व में एक व्यवस्था होने पर लगाते हैं। साथ ही उन विश्वव्यापी प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं जो कि समाज व राष्ट्रों से अलग व स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रख क्रियान्वित होती हैं। इस तर्क के समर्थन में कि वैश्वीकरण से व्यक्ति व समाज दोनों अपनी स्वतंत्रता खोते जा रहे हैं, रिट्जनतथे मॅलेन का मानना है कि मैकडानल्ड जैसे अमेरिकी उत्पाद उपभोक्तावाद की मानसिकता पर फल-फूल रहे हैं। साथ ही इससे लोगों को लगने लगा है कि विश्व व्यवस्था में राज्य अब प्रमुख कारक नहीं रह गया है। विश्व स्तरीय पटल पर विभिन्न राष्ट्रों में संचालित कम्पनियों प्रमुखता से अपनी जगह बना रही है। इसके साथ ही विश्व में विभिन्न स्थानों पर मैकडानल्डाइजेशन की प्रक्रिया के विरोध के भी संकेत मिलने लगे हैं। ऐसा मुख्य रूप से विकास की और अग्रसर देशों में हो रहा है। विकास की और अग्रसर देशों में लोग बड़ी संख्या में मानते हैं कि विभिन्न भागों में वैश्वीकरण की विधि ने दोलतमन्द लोगों को ही फायदा पहुँचाया है।

वैश्वीकरण से सम्बन्धित सिद्धांत अभी पूर्ण विकसित नहीं हो पाए हैं, परन्तु इन्हें पूंजीगत, संस्कृति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, मनोवैज्ञानिक, सामरिक तथा संस्थागत रूपों में बाँटा गया है। वैश्वीकरण की अवधारणा नई नहीं है। यह प्रक्रिया तो प्राचीन समय से चल रही है इतिहासकार, साधु तथा राजा तब धन, शक्ति व ज्ञान की खोज में नए-नए मार्गों की खोज करते हुए दूर-दराज की यात्राएँ किया करते थे। इसका प्रमाण चीनी तथा फारसी लोगों की विभिन्न प्रयोजन से दूर देशों की यात्रा से मिलता है। औद्योगिक क्रांति ने भी उद्योग तथा तकनीक से मानवीय संवाद व आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया। सूचना व संचार जगत् में आई क्रांति ने तो वस्तुओं, पदार्थों, तकनीकों, संसाधनों, विचारों और विशेषज्ञता के क्षेत्र को सर्वसमावेशी बनाया है। साथ ही यात्रियों व पर्यटकों के रूप में लोगों के आवागमन को भी बहुत बढ़ा दिया है। विंसेट वाइ चेंग वांग ने वैश्वीकरण की चार दशाएँ बतायी हैं—

खोज व अन्वेषण का युग (1492-1789), जो कि व्यापार व प्राचीन भंडारण के रूप में सामने आया। इसका प्रतीक कोलम्बस द्वारा की गयी अमेरिका की खोज को माना जा सकता है। क्रांति, मुद्रा व साम्राज्यों का युग (1789-1900), जिसकी झलक फ्रांसीसी क्रांति व ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी की उत्पादन क्रांति से उपजे औद्योगिक समाजवादी से मिलती है।

अतिवादी युग (1900–1970), प्रथम विश्वयुद्ध तथा रूस की बालशेविक क्रांति के दौरान एकाधिकारी पूँजीवाद इसका प्रतीक है।

सूचना का युग (1970 से लेकर वर्तमान तक) यह वैश्वीकरण के प्रकरण से प्रकट होता है। इसकी विशेष बात बर्लिन की दीवार का टूटना तथा सोवियत संघ का विघटन रही।

वैश्वीकरण आखिर क्या है तथा इसके प्रमुख घटक क्या हैं? इसके लिए वैश्वीकरण की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। शुद्ध रूप में वैश्वीकरण का अर्थ भौगोलिक सीमाओं का न होना तथा भौगोलिक दूरियों की समाप्ति माना जा सकता है। इसके तात्पर्य विभिन्न देशों व व्यक्तियों से सम्बन्धित विचारों, तकनीकों, संस्कृतियों तथा अर्थव्यवस्थाओं के बीच घटती दूरियाँ व त्वरित आदान-प्रदान भी हैं इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने में उन विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के तथा निजी संगठनों की प्रमुख भूमिका रही है। जिन्होंने विश्व समुदाय की चिन्ताओं व हितों को मुखर रूप से उठाया है।

शीतयुद्ध काल की समाप्ति व सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्वीकरण को लेकर विश्व में गर्म बहस छिड़ी हुई है। न्यूयार्क टाइम्स के विदेश मामलों के स्तम्भकार थामस एल. फ्रीडमन का मानना है कि, वैश्वीकरण व्यवस्था ने शीतयुद्ध कालीन व्यवस्था की जगह ले ली है। फ्रीडमन समझाते हैं कि वैश्वीकरण ने बाजार व्यवस्था को बढ़ाया है। साथ ही इसने समान विश्वव्यापी संस्कृति को भी पनपाया है जो मुख्य रूप से विश्वस्तर पर अमेरिकी संस्कृति का प्रसार ही है। वर्ष 1999 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, वैश्वीकरण का मतलब विश्वव्यापी बाजार, विश्वव्यापी तकनीक, वैश्विक विचार तथा वैश्विक एकता को बढ़ाकर सभी स्थानों पर आम आदमी के जीवन यापन की शैली में सुधार लाना है। संलेख के अनुसार “वैश्वीकरण” के नये स्वरूप का अर्थ नये बाजार, नये अभिनेता, नये नियम व प्रचलन तथा संचार की नई तकनीकों का प्रसार है।

विश्व स्तर पर काफी हद तक हैन्स हैन्डरिक हाल्स तथा जार्ज सोरेन्सन द्वारा दी गई वैश्वीकरण की परिभाषा को ही मान्यता मिली है। उनके अनुसार, वैश्वीकरण से तात्पर्य, “विभिन्न भौगोलिक सीमाओं के बीच, राजनीति से संबंधित, समाज से संबंधित, पूँजीगत, तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना है। इस परिभाषा की दृष्टि अनुसार, वैश्वीकरण के प्रकरण ने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के भावों तथा विभिन्न राष्ट्रों की विदेशी नीतियों की प्रकृति को ही बदल दिया है। विश्वीकरण का दायरा अन्तर्क्षेत्रीय तथा अन्तर्महाद्वीपीय भी माना जा सकता है। इसने राज्यों व सभाओं के बीच संवाद तथा आपसी सम्पर्कों को भी बढ़ावा दिया है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के

राजनीति के विशेषज्ञ स्थानीय घटकों के विश्व स्तर पर बदलाव के प्रकरण से राष्ट्र-राज्यों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों जैसे कि उनका स्वायत्तता, अर्थव्यवस्था, मानवीय सुरक्षा व विकास से भी जूझने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञ वैश्वीकरण की विधि के विभिन्न सभ्य समाजों, एशिया तथा लैटिन अमेरिका की अधिनायकवादी सरकारों व खाड़ी तथा मध्य पूर्व के तानाशाहों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन कर रहे हैं।

वैश्वीकरण प्रक्रिया के बढ़ने का एक प्रभाव क्षेत्रीयवाद के पनपने के रूप में भी सामने आया है। वैश्वीकरण की विधि के अन्तर्गत अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के सदस्यों देशों के बीच एकीकरण भी बढ़ा है। क्षेत्रीयवाद शुरू में विश्व में स्थापित हो रही बड़ी आर्थिक शक्तियों जैसे यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया में और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की इच्छा के फलस्वरूप पनपा था। बाद में स्थानीय भागों की व्यापार की परियोजना ने विभिन्न आकार लिये तथा विश्व के विभिन्न भागों में अलग-अलग तरह से व्यापार प्रक्रिया विकसित होती गई। इसका संकेत, पश्चिमी यूरोप में बढ़ रहे पूंजीगत संरक्षणवाद से भी मिलता है। यह संरक्षणवाद विकास की और अग्रसर देशों की कीमत पर एकीकृत स्थायी व खुशहाल यूरोप स्थापित करने की दिशा में था। यूरोपीय संघ में व्यापार नियमों व व्यवस्थाओं का विकास की और अग्रसर राष्ट्रों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। विकास की और अग्रसर राष्ट्र भेदभाव सहित व्यापार व्यवस्था चाहते हैं। इसके बावजूद भी, क्षेत्रीयवाद का विश्व व्यवस्था में व्यापार, निवेश, पूंजी आधारित तकनीक के हस्तांतरण व कूटनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

वैश्वीकरण: भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

वैश्वीकरण के युग में विश्व अर्थव्यवस्था वर्तमान में एक गंभीर दौर से गुजर रही है। सरकार द्वारा किये गए नियंत्रण में आर्थिक रूप से ढील देकर, निजीकरण एवं बेड़ी विहीन पूंजीवादी बाजार व्यवस्था ने विकास की और अग्रसर, समाजवादी एवं अर्ध उन्नत देशों को संदेश दिया कि राज्य की सीमाओं में बँधी अर्थव्यवस्था से विश्वव्यापी पूंजीवादी व्यवस्था की गति धीमी पड़ी है। यह तर्क भारत तथा चीन जैसे घनी आबादी के देशों को आश्वस्त करने लगा जिसके अंतर्गत चीन ने 1978 में और भारत ने 1991 में पूंजीगत सुधारों को लागू किया। विकास के समाजवादी मॉडल को त्यागकर पूंजीवादी बाजार की अर्थव्यवस्था को ग्रहण किया। निःसंदेह, पूंजीगत उदारीकरण एवं संरचनात्मक सुधारों के कारण भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं को ऊँचाईयाँ प्राप्त हुईं। वर्तमान में इन दोनों देशों की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं,

यद्यपि 2008 के वैश्विक मौद्रिक संकट के कारण इनकी आर्थिक तरक्कीकी दर में गिरावट अवश्य आई है। जहाँ चीन की पूंजीगत तरक्कीकी दर 12 प्रतिशत हुआ करती थी वह 2015 में 6.9 प्रतिशत रह गई। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विश्व में आई पूंजीगत मंदी का प्रभाव चीन पर पड़ा है। अमेरिका सबसे बड़ा चीन का आयातक देश है। अमेरिका व यूरोप जो चीनी वस्तुओं के सबसे बड़े आयात करने वाले देश थे, उन्होंने चीन से भारी मात्रा में आयात कम कर दिया है। इसका सीधा दुष्प्रभाव चीन के औद्योगिक उत्पादन एवं देश के बहार परिवहन पर पड़ा है। ऐसी स्थिति में चीन की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दर सन् 2016 में 63 प्रतिशत और सन् 2017 में 6 प्रतिशत अनुमानित थी।

वैश्विक पूंजीगत संकट नया नहीं है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित मौद्रिक संकट की पुनरावृत्ति है। 1980 के दशक में मेक्सिको में ऋण संकट पैदा हुआय 1990 के अंतिम दशक में रूस और पूर्वी एशिया के देशों में मौद्रिक संकट उत्पन्न हुआ। इन संकटों को ध्यान में रखते हुए जी-7 की सरकारों ब्रेटनवुड्स संस्थाओं और अन्य राष्ट्रीय व विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा नियामक एजेंसियों ने वित्तीय व्यवस्था को दुरस्त बनाने के लिए विश्व बाजारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों की वकालत की गई। उधार व्यवस्था पर बैंक के नियमन व्यवस्था एवं मॉनिटरिंग की आवश्यकता पर बल दिया गया।

भारत के बड़े-बड़े राष्ट्रीय बैंकों ने (17 बैंकों) उद्योगपति विजय माल्या को 9 हजार करोड़ की रकम जो उधार दे रखी थी उसकी माल्या से वसूली नहीं की जा सकी है। बैंकों ने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा 5 मार्च, 2016 को खटखटाया। जबकि माल्या 2 मार्च, 2016 को ही भारत छोड़कर लंदन चले गए और वहीं से उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया (मई 2016 में)। सी.बी.आई. और इन्फोसमेंट डायरेक्टरेट (ई.डी.) उन्हें नोटिस जारी कर चुके हैं परंतु माल्या के पीछे राजनीति से संबंधित दलों और नौकरशाहों एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के समर्थन के कारण बैंकों के ऋण की वसूली नहीं हो पाई है। माल्या की किंग फिशर हवाई कंपनी जब घाटे में चल रही थी तब भी बैंकों ने माल्या को ऋण स्वीकृत करने में संकोच नहीं किया। इसी तरह ललित मोदी ने करोड़ों के घोटालों के बावजूद वह भी एक भगोड़े की तरह लंदन में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि बैंकिंग संकट के पीछे बड़ा कारण नियमों की अवहेलना एवं नियामक व्यवस्था के दुरुस्त व चुस्त न होने से राष्ट्रीय मौद्रिक संकट विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित मौद्रिक संकट में बदल जाता है।

- ❖ 2007 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों के कारण एवं हाउसिंग बाजार में अपर्याप्त इक्विटी के विरुद्ध में अधिकाधिक उधार देने की बैंकों की प्रवृत्ति से अमेरिका 2008 में पूंजीगत संकट की चपेट में आ गया जिसके दुष्परिणाम विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को झेलने पड़ रहे हैं।
- ❖ आइसलैण्ड पहला देश है जो वैश्विक पूंजीगत संकट का शिकार हुआ। उसकी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई अर्थात् गिर गई जिसके कारण आइसलैण्ड की सरकार को उन्हें दिवालिया होने की घोषणा करनी पड़ी।
- ❖ अमेरिका और यूरोप में कई बैंकों को बन्द करना पड़ा कई धन्धों के खर्चों में कटौती करनी पड़ी एवं वर्क फोर्स (कामकाजी लोग) को कम करना पड़ा एवं बेरोजगारी के प्रतिशत में भारी तरक्की हुई।
- ❖ वैश्विक आर्थिक वृद्धि की दर 2015 में 3.1 प्रतिशत थी। अब आशा व्यक्त की जा रही है कि विश्व अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार के कारण 2016 में आर्थिक वृद्धि की दर 3.4 प्रतिशत एवं 2017 में 7.2 प्रतिशत आंकी गई है। सन् 2018 में 6.9 प्रतिशत रही। चीन की अर्थव्यवस्था की भी गति धीमी हुई है। भारत इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।
- ❖ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण तेल निर्यातक देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक, रूस, नाइजीरिया तथा वेनेज्यूला की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अमेरिका की मौद्रिक नीति में कठोरता आई है।
- ❖ लेटिन अमेरिका में ब्राजील व अन्य देशों में मंदी का प्रभाव वहाँ रोजगार एवं नौकरियों पर पड़ा है। लेटिन अमेरिका के अनेक देशों में हड़तालें व हिंसा का दौर चल रहा है।
- ❖ चीन के 'खराब कर्ज' जो + 5 ट्रिलियन को पार कर सकता है, चलते चीनी बैंकों ने ऋण देने से हाथ खींच लिए हैं।
- ❖ अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापार घाटे वाला देश बन गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जर्मनी, जापान और चीन की अर्थव्यवस्थाएँ अमेरिकी मांग पर निर्भर करती है।
- ❖ यूरोप ऋण संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल व इटली कंगाली की स्थिति में आ गये हैं। मार्च, 2016 में ब्रसल्स में यूरोपियन परिषद की बैठक में ई.यू. के नेताओं ने ऋण-ग्रस्त सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग पर बल दिया।
- ❖ भूराजनीतिक तनावों, संकट व गृह युद्धों का वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उपरोक्त दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए जी-7, जी-20 तथा जी-5 के सदस्य देशों को वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने के लिए निम्न वित्तीय सुधारों की आवश्यकता है –

- ❖ विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था एवं नियमों में सुधार लाना।
- ❖ वैश्विक वित्तीय नियामक व्यवस्था को विकसित कर उसके नियमों को कठोरता से लागू करना है।

विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक एवं विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित मुद्रा कोष में सुधार तथा आई.एम.एफ. के संसाधनों को तीन गुना तरक्की की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है ताकि जरूरतमंद अफ्रीकी देशों के ऋण व अनुदान से अधिक दिया जाये।

वैश्विक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि “अनियंत्रित वैश्वीकरण” वांछित नहीं है। अतः नई संस्थाओं और क्षतिपूर्ति व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि वैश्वीकरण को प्रभावी एवं टिकाऊ बनाया जा सके। सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौती नवीन संस्थाओं का तंत्र विकसित करना है। नवीन वैश्वीकरण की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से किया जायेगा कि क्या वैश्विक पूंजीगत उदारीकरण से विश्व के अधिक से अधिक लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है या नहीं तथा गरीब व अमीर के बीच की खाई कम हुई है या नहीं। क्या विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में लाये गये सुधारों से एक न्यायोचित एवं पारदर्शी विभिन्न राष्ट्रों में संचालित पूंजीगत व्यवस्था का निर्माण हुआ है ?

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप आई क्रांति ने विश्व में वैश्विक संघीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। इन्टरनेट के माध्यम से लोग एक-दूसरे से तीव्र गति से जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंकडइन एवं अन्य माध्यमों से संपूर्ण विश्व के लोग एवं विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों एवं आस्थाओं एवं विचारधाराओं से प्रेरित लोग एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के प्रकरण में लोग राजनीति से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, समाज से संबंधित एवं पूंजीगत दृष्टि से जुड़ने की प्रक्रिया ने लोगों की सामाज एवं सांस्कृति के प्रति सोच में भारी परिवर्तन आया है। भारत के संदर्भ में हम पाते हैं कि यहाँ का समाज तीव्र गति से बदल रहा है।

वैश्वीकरण का आर्थिक पहलु –

भारत ने जून 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू किया था। देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था निर्यात-आयात व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए आर्थिक उदारीकरण अपरिहार्य हो गया था इसके प्रभावों को निम्नानुसार बतलाया जा सकता है –

- औद्योगिक लाइसेंस राज को कुछ अपवादों को छोड़कर समाप्त करना;
- निर्यात को बढ़ावा देना;
- विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना;
- पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी को आगे बढ़ाना ताकि देश की आर्थिक विकास की गति में अभिवृद्धि, निरंतरता एवं स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके।
- आर्थिक उदारीकरण की गति को बनाये रखना।

उपरोक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप जहाँ भारत की अर्थव्यवस्था में तरक्की हुई है वहीं आर्थिक मूलभूत ढांचे में बदलाव के कारण विशेष रूप से सड़क, मोटर परिवहन, रोजगार, टेलीकम्यूनिकेशन, इन्सश्योरेंस, एयरपोर्ट आदि क्षेत्रों में आशातीत व सकारात्मक परिणाम मिले हैं। लेकिन पूंजीगत व्यापारिक उदारीकरण के ऋणात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उनमें

(1) वैश्विक प्रतिद्वंद्वता के फलस्वरूप विदेशी कम्पनियाँ, विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग का भारत के घरेलू बाजारों पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। भारत में आटोमोबाइल के क्षेत्र में कुछ कार उद्योगों जैसे फियट, एम्बेसेडर पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ा है। फिएट कार के द्वारा उत्पन्न होने वाली उपज को बंद करना पड़ा।

(2) भारतीयों में विदेशी ब्रांड का असर बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी के लोग छोटे-मोटे काम जैसे काल सेंटर्स से पैसा कमाकर विलासिता की वस्तुओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं।

(3) लोकल बाजारों में भारतीय माल के प्रति रुझान कम होता जा रहा है।

(4) भारत का उद्योग श्रम प्रेरित था वह पूंजी-प्रेरित होता जा रहा है।

(5) कृषि क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है।

(6) बेरोजगारी में इजाफा हुआ है।

(7) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों के अंधाधुंध विस्तार से अनुसंधान व गुणवत्ता शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

2016 की प्रिंसटन मूल्यांकन के अनुसार भारत का कोई भी विश्वविद्यालय, केवल प्रबंधन संस्थाओं को छोड़कर, टॉप 200 विश्वविद्यालयों में नहीं है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव –

भारतीय संस्कृति एवं समाज से संबंधित मूल्यों का त्यागकर भारतीय युवा पश्चिमी संस्कृति की ओर आकृष्ट होता जा रहा है। परिवार टूट रहे हैं संयुक्त परिवार की प्रथा तेजी से गायब होती जा रही हैं। न्यायालयों में तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्जातीय विवाह एवं लिव-इन-रिलेशनशिप का फैशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन नये प्रयोगों का कुछ लाभ भी है परंतु उनके नुकसान अधिक हैं।

भारत की प्रतिभा विदेशों की ओर रूख कर रही है। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार जान गेडिस का मत है कि वैश्वीकरण के प्रकरण ने समाज से संबंधित एवं संस्कृति से संबंधित टूटन को जन्म दिया हैय समाज से संबंधित स्थिरता एवं सामुदायिक सौहार्दता को तार-तार करता है। निःसंदेह संस्कृति से संबंधित विविधता जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है उस पर साम्प्रदायिक शक्तियाँ हावी होती जा रही हैं। जिनका उद्देश्य सांस्कृति पहनावे को थोपना है। इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा भारत जैसे देश में विविध धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों के लोगों में देश भावना, राष्ट्रीय प्रेम के प्रति मोह भंग हो सकता है। इससे भारत की एकता व अखण्डता को खतरा है।

संदर्भ ग्रंथ

सिंह एस.एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016 पृ.सं. 213
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंधओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा.लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 356
गिन्डसें, ए.	दी कोन्सेक्यूएन्स ऑफ मोर्डेनिटी, केम्ब्रिज पो. लिटी प्रेस 1990, पृ.सं. 14
हार्वे. डी.	दी कन्डीसन ऑफ पोस्ट मोर्डेनिटी ऑक्फोर्ड : कौंसिल ब्लेक व्हेल 1989 पृ. सं. 284
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा .लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 358
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा .लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 359
आर्चर एम.एस.	सोसियोलोजी फॉर वन वर्ल्ड यूनिटी एण्ड डायवर्सिटी : इंटरनेशनल सोसियोलोजी वोल्यूम-6, संख्या-2, 1991, पृ.सं. 131-147
कैंगली एण्ड विटकॉफ	वर्ल्ड पॉलिटिक्स: ट्रेन्डस् एण्ड ट्रान्सफोर्मेशन, वर्थ पब्लिशर्स, 1999, पृ. सं. 118-121
कैंगली एण्ड विटकॉफ	वर्ल्ड पॉलिटिक्स: ट्रेन्डस् एण्ड ट्रान्सफोर्मेशन, वर्थ पब्लिशर्स, 1999, पृ.सं. 257
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 366
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 366
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 370
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 371

विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 378
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 382
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 383
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 384
बेलो, वाल्डेन	दी ग्लोबलाइजेशन: आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, लंदन जेड बुक्त, 2002
सेन अमृत्य	हाउ टू जज ग्लोबलाईज्म, दी अमेरिकन प्रोस्पेक्ट, वाल्यूम-13, संख्या-1, जनवरी 2002, पृ.सं. 1-14
जोसेफ स्टिगलिट्स	ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिसकन्टेंट्स न्यूयार्क : डब्ल्यू डब्ल्यू एण्ड कम्पनी 2002
भगवती जगदीश	इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, न्यूयार्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस-2004

अध्याय—तृतीय

भारत में वैश्वीकरण एवं मेक इन
इण्डिया योजना

अध्याय—तृतीय

भारत में वैश्वीकरण एवं मेक इन इण्डिया योजना

जिन वस्तुओं का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। भले ही वे दैनिक आवश्यकताएं हो जैसे भोजन, कपड़े, फर्नीचर, बिजली का सामान या दवाईयां अथवा आराम और मनोरंजन की वस्तुएं। इनमें से कई भूमण्डलीय आकार के नेटवर्क से हम तक पहुंचती हैं। कच्चा माल किसी एक देश से निकाला गया हो सकता है। इस कच्चे माल पर प्रक्रिया करने का ज्ञान किसी दूसरे देश के पास हो सकता है और इस पर वास्तविक प्रक्रिया किसी अन्य स्थान पर हो सकती है और हो सकता है कि उत्पादन के लिए पैसा एक पृथक देश से आया हो। विश्व के विभिन्न भागों में बसे लोग किस प्रकार एक-दूसरे से संलग्न हैं। उनकी परस्पर निर्भरता केवल वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाली उपज और वितरण तक ही सीमित नहीं है। वे एक-दूसरे से शिक्षा, कला और साहित्य के माध्यम से प्रभावित होते हैं। देशों और लोगों के मध्य व्यापार, निवेश यात्रा, लोक संस्कृति और अन्य प्रकार के नियमों की अंतर्क्रिया भूमण्डलीकरण की दिशा में एक कदम है।

भूमण्डलीकरण की कार्यविधि में देश एक-दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के मध्य दूरियां घट जाती हैं। एक देश अपने को विकसित करने के लिए दूसरे देशों से सहयोग पर निर्भर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सूती कपड़े के उद्योग में महत्वपूर्ण नामों में से एक जापान, भारत या अन्य देशों में पैदा हुए कच्चे माल पर निर्भर करता है। हम सब जानते हैं कि अमेरीका का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किस सीमा तक भारत और अन्य विकास की और अग्रसर देशों के इंजीनियरों पर निर्भर करता है। भूमण्डलीकरण में केवल वस्तुओं और पूंजी का ही संचलन नहीं होता, अपितु लोगों अथवा प्रतिभाओं का भी संचलन होता है।

भूमण्डलीकरण के प्रारंभिक रूप में भूमण्डलीकरण कोई नई अवधारणा नहीं है। लगभग 200ई-पूर्व से 1000 ई-तक पारस्परिक और लंबी दूरी तक व्यापार सिल्क रूट के माध्यम से हुआ। सिल्क रूट मध्य और दक्षिण-पश्चिम एशिया में लगभग 6000 कि.मी. तक फैला था और चीन को भारत और पश्चिमी एशिया और भूमण्डलीकरण क्षेत्र से जोड़ता था। सिल्क रूट के साथ वस्तुओं, लोगों और विचारों ने चीन, भारत और यूरोप के मध्य हजारों कि.मी. की यात्रा की। 1000 ई. से 1500 ई. तक एशिया में लंबी-लंबी यात्राओं द्वारा लोगों में भावों का आदान-प्रदान होता रहा। इसी अवधि में हिंद महासागर में समुद्री यातायात को महत्व मिला।

दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य एशिया के मध्य समुद्री मार्ग का विस्तार हुआ। केवल वस्तुओं और लोगों ने ही नहीं अपितु प्रौद्योगिकी ने भी विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा की। इस अवधि में भारत न केवल शिक्षा एवं आध्यात्म का केंद्र था अपितु यहां धन-दौलत का भी अपार भंडार था। इसे 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था। जिससे आकर्षित होकर विश्व के अन्य भागों से व्यापारी और यात्री यहां आए। चीन में मंगोल शासन के दौरान कई चीनी आविष्कार जैसे बारूद, छपाई, धमन भट्टी, रेशम की मशीनें, कागज की मुद्रा और ताश यूरोप में पहुंचे। वास्तव में इन्हीं व्यापारिक रिश्तों ने भूमंडलीकरण का बीजारोपण किया है।

आज के भूमंडलीकरण की एक विशेषता 'प्रतिभा पलायन' अथवा प्रतिभा संपन्न लोगों का पूर्व से पश्चिम की ओर भागना है। चौदहवीं सदी का विश्व इस प्रकार की घटना का साक्षी है, परंतु तब बहाव विपरीत अर्थात् पश्चिम से पूर्व को था। भूमंडलीकरण के प्रारंभिक रूपों में भारत का कपड़ा, इंडोनेशिया और पूर्वी अफ्रीका के मसाले, मलाया का टिन और सोना, जावा का बटिक और गलीचे, जिंबाब्वे का सोना तथा चीन के रेशम, पोर्सलीन और चाय ने यूरोप में प्रवेश पाया। यूरोप के लोगों की अपने स्रोतों को ढूंढने की उत्सुकता ने यूरोप में अन्वेषण के युग का प्रारंभ किया। आधुनिक भूमंडलीकरण की ओर कदम प्रौद्योगिक परिवर्तनों ने भूमंडलीकरण की कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना, इस प्रक्रिया में सहयोग देने वाला एक अन्य कारक है। इससे बढ़कर निजी उद्योगों को अपने देश से बाहर बाजार मिलने और उपभोक्तावाद ने विश्व के विभिन्न भागों को भूमंडलीकरण के आयाम की ओर प्रेरित किया।

वैश्वीकरण को प्रायः निम्न दृष्टाओं से समझा जा सकता है –

“तरुण रोज शाम 8 बजे डिनर करके काम पर निकलता है। वह पूरी रात एक काल सेंटर में काम करता है। दिन में वह तरुण होता है, जबकि रात में दफ्तर में घुसते ही वह टाम बन जाता है। इस काम के दौरान वह एक नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हजारों कि.मी. दूर बसे अपने ग्राहक से एक नई भाषा में बात करता है। तरुण एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिसे न वह जानता है न ही उससे कभी मुलाकात ही संभव है, फिर भी आज यही उसका काम है जिसके बारे में दो दशक पहले सोचा भी नहीं था। तरुण की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं, बल्कि अमेरिकी कैलेंडर से मेल खाती हैं जहां उसके ग्राहक रहते हैं। इनो चाचा बहुत दिनों से अपने घर के लिए एक चटाई और बेटे के लिए एक साइकिल खरीदना चाह रहे थे।

अंततः उन्होंने एक साइकिल और चटाई खरीदी, जो बनी तो चीन में थी लेकिन बिक भारत में रही थी। इसकी कीमत इनो चाचा की जेब के अनुकूल पड़ी और क्वालिटी भी पसंद आई। कजरी अपने गांव और परिवार की पहली शिक्षित लड़की है। कठिन मेहनत के बूते वह स्कूल और कालेज में प्रथम आई अब उसे नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, किंतु उसके परिवार वाले उसकी नौकरी का विरोध कर रहे हैं, परंतु अवसर की उपलब्धता के कारण कजरी को नौकरी करने का निर्णय लिया जिसके बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती हैं। “यह तीन उदाहरण भूमंडलीकरण का एक-न-एक पहलू दर्शाते हैं।

पहले उदाहरण में ‘तरुण’ वैश्वीकरण की भागीदारी कर रहा है। ‘इनो’ चाचा द्वारा खरीदे गए सामान से हमें विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं के आयात निर्यात का पता चलता है और ‘कजरी’ के सामने परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों की टकराहट अवसर के साथ होने की दुविधा दिखाई देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में दृष्टिगोचर में होने वाले इन उदाहरणों से अनुभव होता है कि भारत में भूमंडलीकरण के विविध निहितार्थ हैं, जिसे समझने की आवश्यकता है। भूमंडलीकरण विश्वग्राम की संकल्पना से जुड़ा है। सामान्य तौर पर भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ संपूर्ण विश्व और समस्त मानवता के मध्य अर्थपूर्ण-समाज से संबंधित और राजनैतिक लेन-देन है।

भूमंडलीकरण दो क्षेत्रों पर बल देता है- उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण का अर्थ है- कारोबारी और सेवा क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित नियमों में ढील देना और विदेशी उद्योगों को घरेलू स्थानों में व्यापारिक इकाइयां स्थापित करने हेतु आकर्षित करना। निजीकरण के माध्यम से गैर-सरकारी क्षेत्र की उद्योगों को उन वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है, जिनकी पहले अनुमति नहीं थी। इसमें सरकारी क्षेत्र उद्योगों की संपत्ति को गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों बेचना भी सम्मिलित हैं। भूमंडलीकरण के आधुनिक रूपों का प्रारंभ दूसरे विश्व युद्ध से हुआ है, परंतु इसकी ओर अधिक ध्यान विगत बीस वर्षों में गया है। आधुनिकभूमंडलीकरण मुख्यतः उन्नत देशों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। उन्नत देश विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य भाग खर्च करते हैं। इन देशों के लोग विश्व जनसंख्या का 20 प्रतिशत है, परंतु वे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के 80 प्रतिशत से अधिक भाग का उपभोग करते हैं। उनका नवीनतम प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण है। विकास की ओर अग्रसर देश प्रायोगिकी, पूंजी, कौशल और हथियारों के लिए इन देशों पर निर्भर हैं।

भूमंडलीकरण कई देशों में सरकार के स्थान पर विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग को मुख्य भूमिका निभाने की छूट देता है। उनके पास संसाधन एवं प्रौद्योगिकी है और उनकी गतिविधियों को सरकार का सहयोग उपलब्ध है। कई विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग अपनी फैक्ट्रियों को एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी उन्हें उत्पादन और वितरण को भंग कर विश्व में कहीं भी जाने योग्य बनाती हैं। कल और आज के भूमंडलीकरण में क्या अंतर है। आज न केवल वस्तुएं ही एक देश से दूसरे देश को जा रही हैं अपितु बड़ी संख्या में लोग भी जा रहे हैं।

पहले केवल तैयार की गई वस्तुएं ही जाती थीं, अब इनमें कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और प्रतिभाएँ भी सम्मिलित हैं। पहले पूर्वी देशों को ही दूसरे देशों में व्यापार में प्रमुखता थी और उनकी वस्तुओं की मांग, ऊँचे दाम और उनका सम्मान था। अब स्थिति विपरीत है। अब पश्चिम की वस्तुओं का सम्मान अधिक है। कई उद्योग विकास की और अग्रसर देशों में वस्तुओं का उत्पादन करके और उन्नत देशों में अपना लेबल लगाकर पूरे विश्व बाजार में उन्नत देशों के उत्पाद के रूप में उनका विक्रय कर रही हैं।

स्वाधीनता मिलने के बाद भारत ने मिश्रित पूंजीवादी व्यवस्था की नीति को अपनाया, जिसके अंतर्गत सरकार ने विकास के मार्ग को अपनाया। इसने कई बड़े उद्योग स्थापित किए और धीरे-धीरे गैर-सरकारी क्षेत्र को विकसित होने दिया। वर्षों से भारत अपने निर्धारित लक्ष्य को अर्जित करने में सक्षम नहीं हो सका। कल्याणकारी कार्यों के लिए भारत ने अन्य देशों से ऋण लिया। कुछ परिस्थितियों में सरकार ने लोगों के धन को भी मुक्त हस्त से व्यय किया। 1991 में भारत ऐसी स्थिति में पहुंच गया, जिससे वह बाहर के अन्य देशों से ऋण लेने की विश्वसनीयता खो बैठा। कई अन्य समस्याएं जैसे बढ़ती कीमतें, पर्याप्त पूंजी की कमी, धीमे विकास और उद्योगों को अधिक उन्नत करने तथा सही ढंग से चलाने की विधि के पिछड़ेपन ने संकट को बढ़ा दिया। सरकारी खर्च आय से कहीं अधिक खर्च हो गया। इसने भारत को भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने तथा विश्वव्यापी संस्थानों, विश्व बैंक और वैश्विक मुद्रा भंडार के सुझाव के अनुसार अपने बाजार खोलने को विवश किया।

सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति को नई पूंजीगत नीति कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत कई गतिविधियां को, जो सरकारी क्षेत्रों द्वारा ही की जाती थी, गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए भी उनके मार्ग को खोल दिया गया। निजी क्षेत्रों को भी प्रतिबंधों से भी मुक्त कर दिया गया। उन्हें उद्योग प्रारंभ करने तथा व्यापारिक माल और सेवाएं भारत में बेचने के लिए आमंत्रित किया गया।

कई विदेशी वस्तुओं को, जिन्हें पहले भारत में बेचने की अनुमति नहीं थी, अब अनुमति दी जा रही है।

भारत में भूमंडलीकरण के अंतर्गत विगत एक दशक में कई विदेशी उद्योग द्वारा मोटर गाड़ियों, सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक्स, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की ईकाइयां स्थापित की गई हैं। इससे भी बढ़कर कई उपभोक्ता वस्तुओं, विशेषता इलेक्ट्रानिक उद्योग में जैसे रेडियो, टेलीविजन और अन्य घरेलू उपकरणों की कीमतें घटी हैं क्योंकि संचार क्षेत्र ने असाधारण प्रगति की है। अतीत में जहां हम टी.वी. पर एक या दो चैनल देख पाते थे उसके स्थान पर अब अनेक चैनल देख सकते हैं। हमारे यहां सेलुलर फोन उपयोग करने वालों की संख्या लगभग 20 करोड़ हो गई है, कम्प्यूटर और अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यधिक बढ़ा है। जब विकास की और अग्रसर देशों को व्यापार के लिए उन्नत देशों से सौदेबाजी करनी होती है तो भारत एक नेता के रूप में विशिष्ट भूमिका का सांचालन करता है। एक क्षेत्र जिसमें भूमंडलीकरण भारत के लिए उपयोगी नहीं है वह है— रोजगार पैदा करना। यद्यपि इसके कुछ अत्यधिक कुशल कारीगरों को अधिक कमाई के अवसर प्रदान किए, परंतु भूमंडलीकरण व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करने में असफल रहा। अभी कृषि को, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, भूमंडलीकरण का लाभ मिलना शेष है।

भारत के अनेक भू-भागों को विश्व के अन्य भागों में उपलब्ध भिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी का कुशलता से उपयोग कर सिंचाई अवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। उन्नत देशों में खेती के लिए अपनाएँ जाने वाले तरीकों को अपनाने के लिए भारतीय कृषकों को शिक्षित करना है। यहां अस्पतालों को अधिक आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है। भूमंडलीकरण द्वारा अभी भारत के लाखों घर में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवानी है।

अतः भूमंडलीकरण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसका प्रभाव विश्व में सर्वत्र देखा जा सकता है, विश्व के एक भाग के लोग अन्य भाग के लोगों के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं। निःसंदेह इस प्रकार के व्यवहार की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें इसके उज्ज्वल पक्ष की ओर देखना चाहिए और हमें इसका उपयोग अपने देश एवं निवासियों के हित में करना चाहिए जैसा कि चीन ने कर दिखाया है।

वैश्वीकरण आज एक वास्तविकता है। इसकी जितनी आलोचना होती है, वह उतना ही विस्तृत होता चला जाता है। वैश्वीकरण जहां अकर्मण्यता, अक्षमता, विलम्ब तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप उपजा है, वहीं दूसरी ओर यह कटु सत्य स्थापित करता है कि जनता को अपने शासन की बागडोर स्वयं संभालनी है। जनता शासन व्यवस्था तथा समाज की बुराई के वही जुमले बार-बार नहीं सुनना चाहती है। वह स्वावलम्बी होकर अपने तौर-तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। उसने अपने तथाकथित पथ-प्रदशकों तथा बुद्धिजीवियों से कन्नी काट ली है। जनता अपने लिए उच्चतम स्तर की उपभोक्तावादी जीवन शैली की सुविधाएं चाहती है। जो समाज, सभ्यता या देश समय के साथ नहीं चलता है, वह पिछड़ जाता है। वर्तमान में वैश्वीकरण भी एक शक्तिशाली एवं अपरिहार्य विचार-पद्धति तथा जीवन शैली है।

वैश्वीकरण के माध्यम से सभी संस्कृतियों को पृथक करने का प्रयत्न किया जा रहा है, न कि उनमें समरसता लाने का प्रयास। वस्तुतः सभी महान संस्कृतियों के मूलभूत तत्व समान ही हैं। जैसे करुणा, सहिष्णुता समन्वय एवं कौटुंबिक समरसता। सभी संस्कृतियों का केंद्रबिंदु 'वसुधैव कुटुम्बकम्' है, वैश्वीकरण का यह लक्ष्य धन, भौतिक साधनों, सामग्रियों तथा सुविधाओं के बल और आकर्षण का माध्यम है।

क्यूबा के लोकप्रिय राष्ट्रपति स्व. फिदेल कास्त्रो जैसे बाजारवाद के कट्टर विरोधियों को यह भरोसा था कि अंततोगत्वा संस्कृतियां एकजुट होकर बाजारवाद के महल को ध्वस्त करेंगी पर चीन का साम्यवादी नेतृत्व वर्ग भी बाजारवाद की सुनामी के समक्ष स्वयं को असहाय पा रहा है। वैश्वीकरण एक सीमा तक ग्रहणीय है। व्यक्ति समाज, राष्ट्र तथा विश्व की विभिन्नता में जीना चाहता है, पर साथ-साथ वह अपनी देश की संस्कृति और सभ्यता तथा स्थानीय लोक-संस्कृति को भी गंवाना नहीं चाहता है, क्योंकि वह उन्हीं में जन्मा है, पला है तथा बड़ा हुआ है। मां के दूध से अधिक कोई प्रभावशाली नहीं है। कालाहांडी का आदिवासी अपने घर या गांव में 'पत्थर के देवी-देवताओं'को पूजकर या बलि देकर उतना ही खुश होता है जितना दिल्ली का निवासी हनुमान जी के मंदिर जाकर या बंबई (मुम्बई) का नागरिक गणपति के मंदिर में माथा टेककर। आदिवासियों की मान्यता पर कटाक्ष करने का कोई युक्ति युक्त या नीतिगण कारण नहीं है, यदि उसकी मान्यता उसे अंधविश्वास में नहीं ढकेलती है। वह अपने वनाच्छादित वातावरण में विशुद्ध आक्सीजन लेकर, नारियल का पानी पीकर तथा रात्रि में हंडिया पीकर नगरवासियों से अधिक प्रसन्न एवं संतुष्ट है।

वैश्वीकरण सभ्यता की चमक—धमक दिखाकर उसे उसके आनन्द पथ से विचलित करना न्यायसंगत नहीं है। यदि अमेरीकावासी या यूरोपवासी को अपने माता—पिता को वृद्धाश्रम में रखकर देखभाल करने में आनन्द प्राप्त होता है तो भारत या एशिया के निवासियों को अपने माता—पिता को घर में रखकर सेवा करने में उससे अधिक आनन्द प्राप्त होता है। यह केवल दृष्टिगत या वैचारिक विभेद हैं जिन्हें रहना ही चाहिए। यदि अफ्रीका या दक्षिणी अमेरीका के आदिवासियों को वन, नदी, झील या अन्य वन्य जीवों के मध्य रहने में सुख प्राप्त होता है तो विदेशी उद्योग खनिजों का अपहरण करके उनके परिवेश को क्यों बिगाड़ें?

चीन के आक्रमण का खतरा भी भारत को दलाई लामा से विरत नहीं कर पाया, अमेरीका के अरबों डॉलर पाकिस्तान के नागरिकों को इस्लाम से दूर न रख सके। यही हाल कमोबेश, ईरान, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान का है। अतः संस्कृतियां ही वैश्वीकरण के हमले के विरुद्ध खड़ी हो सकती हैं।

प्रायः विश्व के सभी साहित्यों तथा साहित्यकारों ने बाजारवाद का विरोध किया है, पर वे वैश्वीकरण की वास्तविकता को मजबूरी में स्वीकारते हैं। आज हैरी पॉटर उपन्यास की लाखों प्रतियां सारे संसार में एक दिन में बिक जाती है, भारत में चेतन भगत या पूर्व राष्ट्रपति कलाम की कृतियों का भी यही हाल है, जबकि बाईबल, कुरान, गीता, वेद और रामचरितमानस केवल पुस्तक केंद्रों की शोभा बढ़ाते रहते हैं। कब तक प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता उन्हें अपने सीने से चिपकाकर रखें ?

उसे भी अपने उदर की भूख या उपभोग की जलन को शांत करना है। यद्यपि प्रत्येक साहित्य के प्रवर्तक ग्रंथ या वैश्वीकरण सभ्यता से उपजी कृतियां व्यक्ति को रुमानी संसार में ले जाती है। पहला पंथ लंबा तथा बीहड़ है, जबकि दूसरे पथ में गंतव्य तुरंत मिल जाता है। आदर्श ग्रंथों और साहित्य की निरर्थकता को वर्तमान पाठक पहचान चुका है। उसने अपने माता—पिता और भाई—बहनों को सिद्धांतों के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। उनका अभाव और दुख उसके मन के चित्रपट पर आज भी अंकित है। वह उस रास्ते पर और नहीं चलना चाहता है। उसने भूमंडलीकरण का अंश होकर अपने माता—पिता के विदेश घूमने का स्वप्न अपनी युवावस्था में ही पूरा कर दिया है और अब वह कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने स्वप्न पूरे कर रहा है। भला वह साहित्य एवं साहित्यकारों के भाषणों एवं नैतिक प्रतिमानों का क्यों अनुकरण करें ? उसने साहित्यकारों से तंत्र के लिए सदैव गाली—गलौच सुनी, जबकि समाज के खुले आंगन में भ्रमण करने पर उसने संसार को इतना दुखमय और अभावग्रस्त नहीं पाया। अतः शनैः शनैः उसने विशुद्ध साहित्य से पल्ला झाड़ लिया और वह भौतिकवाद की वास्तविक दुनिया में विचरने लगा। यदि साहित्य उसे दोबारा अविलंब

सुख, प्रसन्नता एवं आह्लाद उपलब्ध कराएगा, वह उसकी ओर फिर आमुख होगा जैसे वह अधुनातन युग में गुरुओं, योग-प्रशिक्षकों तथा सलाहकारों अथवा समाधानकर्ताओं की ओर आकर्षित हो रहा है। तथाकथित धार्मिक मठाधीशों, साधुओं तांत्रिकों तथा धर्म-प्रचारकों ने उसके माता-पिता तथा बहनों के साथ विश्वासघात किया है। वह उनकी ओर अधिक नहीं देखना चाहता है।

साहित्य व्यक्ति की शाश्वत आकांक्षाओं तथा मानसिक सुख की धरोहर का संवाहक है और रहेगा। वर्तमान संक्रमण काल है। भूतकाल में भी साहित्य पर अनेक आक्रमण हुए पर अंततः वह विजयी रहा। साहित्य को अपना मूल स्वरूप स्थापित रखते हुए वैश्वीकरण की ललकार का यथार्थ के धरातल पर सामना करना पड़ेगा। भूमंडलीकरण से साहित्य को भी लाभ होने वाला है। जो प्राचीन साहित्य यहां-वहां बिखरा हुआ था, अब वह कंप्यूटर सी.डी. में रखा जाएगा। आज भारत का वैदिक पौराणिक साहित्य पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित रखा है। अब तो पूर्वी देशों की विशेषतः भारत की संस्कृति तथा आदि साहित्य के निर्यात से इतनी आमदनी होने वाली है, जिसकी किसी भी संस्कृति या साहित्य के अध्येता ने कल्पना भी नहीं की थी। आशा है कि साहित्य भूमंडलीकरण या बाजारवाद के इन भुलावों में नहीं भटकेगा तथा सत्य को प्रतिस्थापित करेगा, जो इसका धर्म है।

बहुदेशीय निगमों तथा बड़ी-बड़ी उद्योग ने आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके और बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन और खरीद-फरोख्त करके उत्पाद को बेहतर एवं सस्ता बना दिया है। दूसरी ओर बड़े-बड़े माल्स, विपणन-केंद्रों तथा वातानुकूलित बिक्री केंद्रों पर इन उत्पादों का प्रदर्शन करके तथा मृदुभाषी बिक्री सहायकों को रखकर ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। जनसंचार माध्यम वैश्वीकरण से उन्हें अधिकतम लाभ पहुंच रहा है। उन्हें बड़े-बड़े विज्ञापन मिलते हैं। अधिकांश समाचार-पत्र केवल विज्ञापनों से चलते हैं। बिना विज्ञापन के व्यापार चलाना भी असंभव या दुस्साध्य है।

राजनीति से संबंधित एवं धार्मिक गुरु संचार माध्यमों के शिकार हो चुके हैं फलतः जनसंचार माध्यम उन्हें भी मदारी की भांति अपनी छड़ी से नचा रहे हैं, क्योंकि शनैः शनैः वे जनता से पृथक हो गए हैं। दूसरी ओर जनसंचार माध्यम विज्ञापनों द्वारा आमदनी बढ़ाने के दुश्चक्र में फंसकर खरीदारों के वर्ग तक केंद्रित हो चुके हैं। इन जनसंचार माध्यमों के आकर वे बड़ी-बड़ी उद्योगों के प्रबंधक एवं संचालक हैं जो इन्हें भी एक दिन दूध की मक्खी की भांति निकालकर फेंक देंगे और देखते-देखते बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जायेगी।

जनता के अधिकारों का एकमात्र आश्रय स्थल न्यायपालिका भी इनके छलावे में आ गई है तथा ख्याति पाने के लिए इनका अंतिम शिकार हो चुकी है। न्यायपालिका का पथ-प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध अधिवक्तागण भी प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें वैश्वीकरण के संचालकों से अप्रत्याशित मोटी फीस सहज में प्राप्त होती जाती है। निःसंदेह उपभोक्ता ही वैश्वीकरण का केंद्र है। उपभोक्ता को सस्ते दामों पर उत्तम गुणवत्ता युक्त वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो जाती है। आज सामान्य उपभोक्ता उन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर रहा है जिन पर एक समय केवल राजा-महाराजाओं, जमींदारों तथा पूंजीपतियों का अधिकार था। आज उपभोक्ता वातानुकूलित बाजारों में खरीदारी करने जाता है, सुसज्जित होटल एवं रेस्त्राओं में मनचाहे व्यंजन खाता है, हवाई यात्राएं करता है तथा वातानुकूलित कारों और बसों में यात्रा करता है।

जब बड़ी-बड़ी उद्योगों के स्वामी, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अपने व्यक्तिगत जेट में यात्रा करेगे, सात सितारा होटलों में रहेंगे, अपने घरों में हेली पैड बनाएंगे तो उनके अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी और श्रमिक भी उनसे अधिक वेतन एवं भत्ते भी मांग रखेंगे। जिनको पूरा न करने पर वे अन्य कारखानों में नौकरी करने लगेंगे। उन्हें विकास की और अग्रसर तथा अविकसित देशों में स्थित अपने कारखानों अथवा अपने सहयोगियों के कारखानों में वे सुविधाएं देनी पड़ेंगी जो वे अपने देश में दे रहे हैं।

श्रमिकगण तभी उनके षडयंत्र के सामने ठहर पायेंगे जब वे उच्च तकनीकी में स्वयं को भली-भांति प्रशिक्षित कर लेंगे अन्यथा 'फूट डालो और राज करो' नीति के अंतर्गत उनका शोषण चलता रहेगा। कृषकों को भी कतिपय फायदे होंगे। कृषकों को अपने खाद्य-पदार्थों की अधिक कीमत मिलेगी। किसानों को अपनी उपज को बचाकर संरक्षित रखने के लिए शीत-श्रृंखला उपलब्ध होगी तथा बेहतर बाजार या मंडी, पर किसान वैश्वीकरण के कट्टर विरोधी है, क्योंकि बड़े-बड़े कारखानों को स्थापित करने के लिए उनकी प्रिय एवं उपजाऊ जमीनें चली जाती हैं। भारत में केवल 67 विशेष पूंजीगत क्षेत्र (एस.ई.जेड.) को स्थापित करने के लिए 1,34,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हुआ। जमीनों के बदले में कुछ परिवारों में एक-एक को नौकरी मिल जाती है, जो बाद में फिर भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। इन कारखानों से निकलता धुआं तथा प्रदूषित जल उन्हें कई बीमारियों का शिकार बना देते हैं। उनकी शेष भूमि की मिट्टी प्रदूषित हो जाती है और उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।

वैश्वीकरण भ्रष्ट राजनीतिज्ञों तथा उनके आश्रित नौकरशाहों की अक्षमता का परिणाम है। राजनीतिज्ञ उसके प्रथम शत्रु है। वह उन्हें भेंट देकर मित्रवत् व्यवहार करता है। वह राजनीतिज्ञों को पहले पैसे से खरीदता है, अपने संचार माध्यमों द्वारा उनके कारखानों को उजागर करता है तथा फिर उनका अवैध धन चुनावी मैदान में व्यय करवाता है। राजनीति से संबंधित कार्याधिकारी तथा प्रशासक भी खुश रहते हैं, क्योंकि बाजारवाद के फलस्वरूप उन्हें शासनतंत्र चलाने के लिए कुछ लोगो से ही आवश्यक राजस्व प्राप्त हो जाता है तथा उन्हें राजस्व वसूली के लिए अपने वातानुकूलित कार्यालयों तथा कमरों से बाहर नहीं आना पड़ता है, पर वैश्वीकरण आज का युग धर्म है। यह एक साधन मात्र है। इस वास्तविकता को हम जितना शीघ्र एवं सहज स्वीकार करें, उतना ही उत्तम होगा। जो इसका अपने हित में उपयोग कर सकेगा, उसे यह अपना दास बना लेगा। चीन इसका उदाहरण है। वैश्वीकरण को केवल संस्कृतियां तथा साहित्य ही नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास गवाने के लिए कुछ नहीं है। साहित्यकार की कलम को आज तक कोई नहीं खरीद सका है। जैसे-जैसे उसके खरीदार बढ़ते हैं, वह और धारदार होती चली जाती है।

अंततोगत्वा बहुदेशीय उद्योगों के नायक, जन-संचार माध्यमों की नायिकाएं तथा राजनीतिज्ञ और नौकरशाह खलनायक वैश्वीकरण के प्रभामंडल के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उसका मुकाबला करने के लिए संस्कृतियों तथा साहित्य को खुले आसमान के नीचे धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक विचरण करना होगा, सत्य को पहचानना होगा अन्यथा नीले आकाश की आंधी संस्कृतियों और साहित्य को भी धूल-धूसरित कर देगी। यदि संस्कृति और साहित्य यह कार्य नहीं कर सकें, तो वैश्वीकरण का महल अपने विशाल आकार, ऐश्वर्यशाली रहन-सहन तथा उच्च स्तरीय खर्च के कारण एक लंबे अंतराल के पश्चात् स्वयमेव ढह जाएगा।

“मेक इन इण्डिया” को समझने से पूर्व हमें भारतीय स्वदेशी आंदोलन के दर्शन को भी जानना अति आवश्यक है—

स्वदेशी आंदोलन

स्वदेशी आन्दोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन तथा सफल रणनीति व दर्शन था। स्वदेशी का अर्थ है— ‘अपने देश का’। इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुँचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। यह ब्रिटेनी

शासन को उखाड़ फेंकने और भारत की समग्र आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए अपनाया गया साधन था।

वर्ष 1905 में बंग-भंग विरोधी जन-जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। यह 1911 तक चला और महात्मा गांधीजी के भारत में पदार्पण के पूर्व सभी सफल आंदोलनों में से एक था। अरविंद घोष, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बन गया। उन्होंने इसे “स्वराज की आत्मा” कहा।

भारत में स्वदेशी आंदोलन का इतिहास :-

स्वदेशी आंदोलन विशेषकर उस आंदोलन को कहते हैं जो बंग-भंग के विरोध में केवल बंगाल अपितु पूरे ब्रिटिश भारत में चला। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तु अपनाना और दूसरे देश की वस्तु का बहिष्कार करना था। यद्यपि स्वदेशी का यह विचार बंग-भंग से बहुत पुराना है। भारत में स्वदेशी का पहले-पहल नारा बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने “बंगदर्शन” के 1279 की भाद्र संख्या यानी 1872 ई. में ही विज्ञानसभा का प्रस्ताव रखते हुए दिया था। उन्होंने कहा था—“जो विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता, वह विदेशी होने के कारण प्रभु बन बैठा है, हम लोग दिन ब दिन साधनहीन होते जा रहे हैं। अतिथिशाला में आजीवन रहने वाले अतिथि की तरह हम लोग प्रभु के आश्रम में पड़े हैं, यह भारतभूमि भारतीयों के लिए भी एक विराट अतिथिशाला बन गई है।”

इसके बाद भोलानाथ चंद्र ने 1874 में शंभुचंद्र मुखोपाध्याय द्वारा प्रवर्तित “मुखर्जीज मैग्जीन” में स्वदेशी का नारा दिया था। उन्होंने माना था—

“किसी प्रकार का शारीरिक बल उपयोग न करके राजानुगत्य अस्वीकार न करते हुए तथा किसी नए कानून के लिए प्रार्थना न करते हुए भी हम अपनी पूर्व संपदा लौटा सकते हैं। जहां स्थिति चरम में पहुंच जाए, वहां एकमात्र नहीं तो सबसे अधिक कारगर अस्त्र नैतिक शत्रुता होगी। इस अस्त्र को अपनाना कोई अपराध नहीं है। आइए हम सब लोग यह संकल्प करें कि विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे। हमें हर समय यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत की उन्नति भारतीयों के द्वारा ही संभव है।”

‘स्वदेशी’ का विचार कांग्रेस के जन्म के पहले से ही दे दिया गया था। जब 1905 में बंग-भंग हुआ, तब स्वदेशी का नारा प्रबलता से अपनाया गया। उसी वर्ष कांग्रेस ने भी इसके पक्ष में मत प्रकट किया। देशी पूंजीपति उस समय मिलें खोल रहे थे, इसलिए स्वदेशी आंदोलन उनके लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ।

इन्हीं दिनों जापान ने रूस पर विजय प्राप्त की। उसका प्रभाव सभी पूर्वी देशों पर हुआ। भारत में बंग-भंग के विरोध में संभाएं तो हो ही रही थी। अब विदेशी वस्तु बहिष्कार आंदोलन ने भी बल पकड़ा। वंदेमातरम् इस युग का महामंत्र बना। 1906 के 14 और 15 अप्रैल को स्वदेशी आंदोलन के गढ़ वारीसाल में बंगीय प्रादेशिक सम्मेलन होने का निश्चय हुआ। यद्यपि इस समय वारीसाल में बहुत कुछ दुर्भिक्ष की हालत थी, फिर भी जनता ने अपने नेता अश्विनी कुमार आदि को धन जन से इस सम्मेलन के लिए सहायता दी। उन दिनों सार्वजनिक रूप से “वंदेमातरम्” का नारा लगाना गैर कानूनी बन चुका था और कई युवकों को नारा लगाने पर बंते लगाने के अतिरिक्त अन्य सजाएं भी मिली थीं। जिला प्रशासन ने स्वागत समिति पर वह शर्त लगाई कि प्रतिनिधियों का स्वागत करते समय किसी हालत में “वंदेमातरम्” का नारा नहीं लगाया जायेगा। स्वागत समिति ने इसे मान लिया। किंतु उग्र दल ने इसे स्वीकार नहीं किया। जो लोग “वंदेमातरम्” का नारा नहीं लगा रहे थे, वे भी उसका बैज लगाए हुए थे। ज्यों ही प्रतिनिधि सभास्थल में जाने को निकले त्यों ही उन पर पुलिस टूट पड़ी और लाठियों की वर्षा होने लगी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर 200 रुपए जुर्माना हुआ। वह जुर्माना देकर सभास्थल पहुंचे। सभा में पहले ही पुलिस के अत्याचारों की कहानी सुनाई गई। पहले ही दिन किसी तरह अधिवेशन हुआ, पर अगले दिन पुलिस कप्तान ने आकर कहा कि यदि “वंदेमातरम्” का नारा लगाया गया तो सभा बंद कर दी जायेगी। लोग इस पर राजी नहीं हुए, इसलिए अधिवेशन यहीं समाप्त हो गया। पर उससे जनता में और जोश बढ़ा।

लोकमान्य तिलक और गणेश श्री कृष्ण खापर्डे भी इस संबंध में कलक पहुंचे और बंगाल में भी शिवाजी उत्सव का प्रवर्तन किया गया। रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने इसी अवसर पर ‘शिवाजी’ शीर्षक से प्रसिद्ध कविता लिखी। 10 जून को तीस हजार कलकत्ता वासियों ने लोकमान्य तिलक का विराट जुलूस निकाला। इन्हीं दिनों बंगाल में बहुत से नये समाचार पत्र निकले, जिनमें “वंदेमातरम्” और “युगांतर” प्रसिद्ध हैं।

इसी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर पेकेटिंग शुरू हुई। अनुशीलन समितियां बनीं जो आन्दोलन को कुचले जाने के कारण क्रांतिकारी समितियों में परिणत हो गयीं। अरविंद के छोटे भाई वीरेन्द्र कुमार घोष ने बंगाल में क्रांतिकारी दल स्थापित किया। इसी दल की ओर से खुदीराम बोस ने जज किंगफोर्ड के धोखे में कैनेडी परिवार को मार डाला, कन्नैहा लाल ने जेल के अंदर मुखबिर नरेंद्र गोसाई को मारा और अंत में वारींद्र स्वयं अलीपूर षडयंत्र में गिरफ्तार हुए। उनको तथा उनके साथियों को लंबी सजाएँ हुईं।

दिल्ली दरबार (1911) में बंग-भंग रद्द कर दिया गया, पर स्वदेशी आंदोलन नहीं रुका। अपितु वह स्वतंत्रता आंदोलन में परिणत हो गया।

स्वतंत्रता के बाद स्वदेशी आन्दोलन :-

प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के पश्चात् भारत की गणना विश्व के गरीब देशों में होती थी। देशवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और 75-80 फीसदी जनसंख्या जीवनयापन के लिए कृषि पर आश्रित थी। आजादी के दशकों बाद भी देश में औद्योगीकरण की रफ्तार सुस्त थी और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती थी। सन् 1990 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आर्थिक उदारीकरण आरंभ करने के पश्चात् से देश अर्थव्यवस्था ने तरक्की की राह पकड़ी और निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश करना प्रारंभ किया और देखते ही देखते भारत की गिनती विश्व के सबसे बड़े बाजारों में होने लगी।

भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था पर अभी भी देश की जनसंख्या के दृष्टि से यह विकास दर अत्यधिक धीमी थी। अधिकतक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादों के आयातित कलपुर्जों को एकत्रित करने के लिए भारत में प्लांट बना रखे थे जिससे प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं होता था और रोजगार सृजन में भी कमी आ रही थी।

मेक इन इंडिया योजना :-

अर्थव्यवस्था के विकास की गति बढ़ाने, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर, 2014 को मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया। इस योजना के प्रारंभ से ही अनेक लाभ दृष्टिगत होने लगे, उसके पश्चात् निवेश के लिए भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद बन गया और वर्ष 2015 में भारत ने अमेरिका और चीन को पछाड़कर 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। इसके बाद साल 2016 ने पुरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने करीबन 60 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो विश्व के कई बड़े विकसित देशों से कहीं अधिक था।

मेक इन इंडिया अथवा भारत में बनाओ योजना भारत सरकार द्वारा देश और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही भारतीय उत्पादों द्वारा वस्तुओं पर बल देने के लिए बनायी गयी है। निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने तथा देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर 2014 को की है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में देश के अग्रणी उद्यमियों से खचाखच भरे मुख्य हॉल में मुख्य कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्यों की राजधानियों में इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा विदेश में भारतीय दूतवासों ने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया था। सभी स्थानों पर स्थानीय उद्योगपतियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस अवसर पर मेक इन इंडिया का प्रतीक चिह्न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जारी किया जिसमें कलपुर्जा से बने एक सिंह को दर्शाया गया है। सिंह न केवल देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न अशोक चक्र का हिस्सा है बल्कि यह साहस, बुद्धिमत्ता व शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक व अर्थशास्त्री भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी की संज्ञा प्रायः इस आधार पर देते हैं कि यह बहुत विशाल तो है, किन्तु इसकी चाल बड़ी सुस्त है। इस धारणा को तोड़ने के लिए ही मोदी सरकार ने बहुत विचार विमर्श के पश्चात् सिंह को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के प्रतीक चिह्न के तौर पर चुना है

इसे चीनी चुनौति के प्रतीक ड्रेगन के प्रत्युत्तर के रूप में भी देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जिस दिन भारत ने मेक इन इंडिया अभियान की लांचिंग की है, उसी दिन चीन ने भी मेक इन चाइना' नाम का अभियान शुरू किया था। भारत के नागरिकों के लिए फर्स्ट डेवलप इंडिया के रूप में उन्होंने इसे परिभाषित किया। इस अवसर पर सरकार की ओर से उद्यमियों को भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बिजनेस के माहौल को आसान बनाकर देश के

आगे ले जाना चाहती है। इस दृष्टि ने बदलाव की शुरुआत सेल्फ सर्टिफिकेशन से सरकार ने की है। इस अवसर पर भारत के पास उपलब्ध 3-डी शक्ति अर्थात डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एवं डिमांड का उल्लेख उन्होंने किया। इसके साथ ही देश की 'लुक ईस्ट नीति' के साथ 'लिंग वेस्ट का मंत्र' भी उन्होंने दिया और कहा कि इन दोनों को जोड़कर ग्लोबल विजन के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

मेक इन इंडिया अभियान ने एक नए उत्साह का संचार देश के उद्योग जगत में किया है। जिन कंपनियों में विभिन्न कारणों से अपनी निवेश योजनाओं को स्थगित रखा था, उन्होंने भी अब अपनी इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की घोषणाएँ की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 12 से 15 माह की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में रुपये 1,80,000 करोड़ के निवेश की घोषणा कार्यक्रम के लांचिंग के अवसर पर की। कार्यक्रम में उपस्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की प्रबंधक निदेशक व सी.ई.ओ चंदा कोचर ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान देश के विकास को गति देने वाला प्रमुख कारक बन सकता है। इससे निर्यात को जबर्दस्त बढ़ावा मिलेगा और यदि सारी नीतियां ठीक तरीके से लागू की गईं तो अगले दस वर्षों में रोजगार के नौ करोड़ अतिरिक्त अवसर इससे पैदा हो सकते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने इस अवसर पर कहा कि ग्लोबल स्तर का पसंदीदा मैनुफैक्चरिंग हब बनने के लिए उन चुनौतियों का भी सामना करना होगा, जो इसकी राह में रोड़े अटका रही है। इन अड़चनों में ढांचगत क्षेत्र की स्थिति, पारदर्शी कर ढांचे के अभाव, स्थायी नीति तथा सस्ती व भरोसेमंद, बिजली की कमी का उन्होंने उल्लेख किया।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ देश के बेरोजगारों को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में रोजगार के हालात बहुत खराब हैं। विगत समय रोजगार की गति पर एक दृष्टि डालने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अपने देश में कम्पनियों की रेटिंग, रिसर्च तथा सलाह की सेवाएं क्रिसिल नामक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। क्रिसिल ने बताया कि 2005 से 2010 की अवधि में देश में 270 लाख रोजगार उत्पन्न हुए, परन्तु स्वरोजगार में 250 लाख की कटौती हुई। अंत में 20 लाख रोजगार उत्पन्न हुए। इस अवधि में लगभग 10 लाख युवाओं ने श्रम में बाजार में प्रवेश किया यानी केवल 5 प्रतिशत युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार में शिथिलता का कारण मशीनों का अधिकाधिक उपयोग दिखता है। क्रिसिल के अनुसार वर्ष 2005 में एक करोड़ रुपये का उत्पादन करने में 171 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी। 2010 में इतना ही उत्पादन करने के लिए केवल 105 श्रमिकों की आवश्यकता पड़ रही थी। फलस्वरूप मैनुफैक्चरिंग में रोजगार में 7 प्रतिशत की कटौती हुई। देश की आर्थिक विकास दर बढ़ी, उद्योगों ने लाभ कमाया,

सेंसेक्स में उछाल आया, परन्तु रोजगार का हनन हुआ क्योंकि उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी तथा स्वचालित विधियां तकनीकियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

देश में किसी वस्तु का निर्माण दो तरह से होता है— पूंजी सघन और श्रम सघन। चीनी मिल पूंजी सघन एवं खांडसरी का कारखाना श्रम सघन होता है। सरकार को चाहिए कि चीनी मिल पर एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स बढ़ाएं और खांडसरी पर घटाए जिससे टैक्स की औसत दर पूर्ववत् बनी रहे। इसी प्रकार देश की विभिन्न पूंजी यानी उद्योगों की पूंजी को सघन एवं श्रम सघन उद्योगों में बांटा जा सकता है।

पूंजी सघन उद्योग स्टील, सीमेंट, पेट्रोलियम, कार तथा मोटर साइकिल इत्यादि है। जबकि श्रम सघन उद्योग सॉफ्टवेयर, पोल्ट्री फार्म, कालीन, कंस्ट्रक्शन—निर्माण इत्यादि है। सरकार को पूंजी सघन उद्योगों पर टैक्स बढ़ाने और श्रम सघन उद्योगों पर टैक्स बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी अर्थव्यवस्था का चरित्र श्रम सघन हो जाएगा। साथ ही साथ अधिक संख्या में रोजगार उत्पन्न करने वाली इकाइयों को श्रम कानूनों से मुक्त कर देना चाहिए, जैसे— वर्तमान में एक करोड़ का उत्पादन करने में औसत सौ श्रमिक लगते हैं और इकाई उतना ही उत्पादन करने में पांच सौ श्रमिकों को रोजगार दे उसे श्रम कानूनों में प्राथमिकता देनी चाहिए। तब उद्योगों के लिए रोजगार सृजन करना लाभप्रद हो जाएगा और मेक इन इंडिया कार्यक्रम सही अर्थों में सफल हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि विनिर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था की बेहतरी का सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। इसके विकास से औद्योगिक संवर्द्धन गतिशील होता है जिससे प्राथमिक वस्तुओं के बजाए निर्मित और प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्माण और निर्यात का मार्ग प्रशस्त होता है। जिससे बढ़े हुए आयातों का भुगतान करने के लिए निर्यातों को अपेक्षित स्तर तक बढ़ाना संभव है। इससे अंततः भुगतान शेष की प्रतिकूलता हल करने में मदद मिलती है और आयात प्रतिस्थापन के साथ निर्यात प्रोत्साहन का भी मार्ग प्रशस्त होता है। इस अभियान की मंशा यह है कि दुनिया के बड़े उद्योग भारत में अपनी उत्पादन इकाइयां लगाए, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाए बिना लगातार उंची विकास दर प्राप्त नहीं की जा सकती। उद्योगों के भारी विकास से ही बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं तथा देश में अधिक राजस्व अर्जित होगा। इससे बहुसंख्यक आबादी गरीबी रेखा के ऊपर आ सकती है अथवा जीवन स्तर बढ़ा सकती है।

चीन में निर्यात आधारित उद्योगों के जरिए पिछले दशकों में तेज तरक्की की है, लेकिन अब चीन में जीवन स्तर बढ़ने के साथ मजदूरी बढ़ी है। वहां कारोबार करने में दूसरी समस्याएँ भी

पेश आ रही है, ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में निवेश की संभावनाएं खोज रही हैं, भारत इस मौके का लाभ उठाना चाहता है। विनिर्माणोन्मुख अर्थव्यवस्था पूंजीगत साधनों की मांग पैदा करती है, जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया त्वरित होती है। इस अभियान के माध्यम से नई तकनीकों का अधिग्रहण और अधोस्थापना से संबंध सुविधाओं को बढ़ाने के साथ त्रुटिहीन उत्पादन और पर्यावरण अनुकूल उद्योग के रूप में पूंजी के विकासीय प्रयोग पर बल लिया गया है, जो कि विकास की सामायिक आवश्यकता है। इस अभियान से भारत की बड़ी कंपनियों की दुनिया में पैठ और पहचान तो बनेगी ही, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में लघु उद्योगों को भी मदद मिलेगी।

‘मेक इन इंडिया’ अभियान की अच्छी सफलता के पीछे भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के आरंभिक सकारात्मक आर्थिक परिणाम भी हैं जिससे सरकारी कार्यालयों में पक्षपात के मुद्दे पर भारत की रैंकिंग में अत्यधिक सुधार हुआ है। नेताओं पर जनता के भरोसे में भी सुधार हुआ है और सरकारी धन के गलत प्रयोग और रिश्वत जैसे मानकों पर स्थिति बेहतर हुई है, जो इस अभियान की सफलता के संकेत दे रहे हैं। इसके सफल होने की संभावना इसी लिए है क्योंकि भारत की क्रयशक्ति निरन्तर बढ़ रही है। क्रयशक्ति क्षमता के आधार पर अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

भारत सरकार द्वारा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की घोषणा के बाद से देश के अनेक क्षेत्रों में निर्माण अब भारत में ही होने लगा है। रक्षा, तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो मोबाईल समेत सभी क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों में विगत तीन सालों में भारत में बड़ी मात्रा में निवेश किया है। ग्राहकों की संख्या की दृष्टि से तो भारत एक बड़ा बाजार पहले भी था, लेकिन अब निर्माण के क्षेत्र में भी भारत अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है।

‘मेक इन इंडिया’ अभियान का उद्देश्य और रूपरेखा

‘मेक इन इंडिया’ अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई एक सराहनीय पहल है। यह एक स्लोगन नहीं बल्कि यह विचार है जिस पर अमल करने की सोचते हुए देश की पिछली सरकारों ने कई वर्ष गंवा दिए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और उनका कौशल विकसित करना है। इस पहल के प्रारंभ में ही उच्च गुणवत्ता मानकों और निम्नतम पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले 25 क्षेत्रों के विकास पर बल दिया

गया है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले 25 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने का प्रयास जारी है और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अग्रलिखित 25 क्षेत्रों में विकास पर बल दिया जा रहा है—

- ऑटोमोबाइल्स
- ऑटोमोबाइल्स कलपुर्जे
- उड्डयन
- जैव प्रौद्योगिकी
- रसायन
- निर्माण
- रक्षा उत्पादन निर्माण
- इलेक्ट्रिकल मशीनरी
- इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
- खाद्य प्रसंस्करण
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन
- चमड़ा
- मीडिया और मनोरंजन
- खनन
- तेल और गैस
- फार्मासिटिकल्स
- बंदरगाह और जहाजरानी
- रेलवे
- अक्षय ऊर्जा
- सड़क और राजमार्ग
- अंतरिक्ष और खगोल
- कपड़ा और वस्त्र
- तापीय ऊर्जा

- पर्यटन और अतिथ्य सत्कार
- स्वास्थ्य

25 सितम्बर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का श्री गणेश किया था तब से ही यह पहल विश्व भर में चर्चा बटोरने लगी। भारत मजबूती से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विश्वपटल पर तेजी से उभरता हुआ बाजार है। आज भारत की गिनती एशिया के अग्रणी देशों में होती है और आने वाले समय में वह विश्व की महाशक्ति बनकर उभरेगा। मोदी सरकार की इस पहल को विश्वभर में सकारात्मकता प्रतिक्रिया और समर्थन मिला जिसकी बदौलत भारत ने वर्ष 2015 में अमेरिका और चीन जैसे देशों को पछाड़ते हुए 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 के अक्टूबर महीने में भारत में 13 फीसदी अधिक जापानी कंपनियां पंजीकृत हुई थी। नवंबर 2014 में भारत में फ़ैक्ट्री विकास दर की गति अधिकतम रही थी।

भारत का पुराना सहयोगी रहा जापान अब भारत के प्रमुख सहयोगी देशों की सूची में अग्रणी स्थान पर है। बुलेट ट्रेन परियोजना के अतिरिक्त कई जापानी कंपनियों ने भारत में निवेश करने में रूचि दिखाई और मेक इन इंडिया की सफलता में अपनी भागीदारी दी। मेक इन इंडिया की लांचिंग के बाद अगले ही महीने में भारत में रजिस्टर्ड होने वाली जापानी कंपनियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 13 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई थी। जापान तकनीकी रूप से दक्ष देश हैं उसकी गिनती विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में होती है मेक इन इंडिया में जापानी निवेश निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ तकनीकी को सुधारने में भी सहयोगी सिद्ध होगा।

मेक इन इंडिया के माध्यम से मोदी सरकार ने निर्माण क्षेत्र में नये आयाम छूने पर बल दिया है। आटोमोबाइल, आटोमोबाइल कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे क्षेत्रों के साथ साथ मोदी सरकार ने रक्षा उत्पाद और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी दूसरे देशों से सीधे निवेश को मंजूरी दे दी थी। रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में 49 फीसदी वही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 100 फीसदी दूसरे देशों से सीधे निवेश लागू करने का प्रस्ताव मोदी केबिनेट के पारित किया था।

मोदी सरकार का मुख्य ध्येय मेक इन इंडिया मुहिम के तहत भारत को विश्व में मुख्य निर्माण क्षेत्र बनाना है। इसके साथ साथ देश के भीतर ही उन्नत प्रौद्योगिकी और तकनीकी से निर्माण स्थल में बाहुल्य पर ध्यान खींचा जा रहा है। अब भी भारत में निर्माण क्षेत्र में अधिकतर

काम मानव शक्ति से होते हैं। मोदी सरकार मानव शक्ति को मानव कौशल में बदलना चाहते हैं, जिससे गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उत्पादकता भी बढ़ाई जा सके।

‘मेक इन इंडिया’ के तहत मोदी सरकार के मुख्य ध्येयों में से एक है बेरोजगारी दूर करना। मेक इन इंडिया के तहत भारत में प्रारंभ होने वाले उद्योगों के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षता में सुधार के लिए निर्मित मंत्रालय की स्थापना की थी। युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए मोदी सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिसके तहत युवाओं को मार्गदर्शित किया जा रहा है।

‘मेक इन इंडिया’ मुहिम के तहत भारत में जो विदेशी उद्योग निवेश कर रही है उनमें से अधिकतर उद्योग मानव शक्ति की जगह मानव कौशल पर केंद्रित कार्यशैली पर काम करती है। मेक इन इंडिया के मूर्त रूप लेने के बाद निश्चित रूप से देश के युवाओं को लाभ होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।

मेक इन इंडिया : भारतीय अर्थव्यवस्था

मेक इन इंडिया के पूर्णतया मूर्त रूप लेने से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। युवाओं को देश में रोजगार मिलेगा और विदेशी आयात में कमी आएगी। इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सरकारी कोष को मजबूती मिलेगी। रक्षा उत्पादों के देश में बनने के बाद रक्षा सौदों की लागत घटेगी और बिचौलियों से बचा जा सकेगा। कंपनियों से मिलने वाले करों से राज्य सरकार की आय बढ़ेगी और देश के हर भाग में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी। भारतीय कंपनियों के उत्पादों के सीधी टक्कर अब विदेशी कंपनियों के उत्पादों से होगा और देश की जनता को इस प्रतिद्वंद्विता का लाभ मिलेगा। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य घटेंगे और गुणवत्ता उच्च होगी। मेक इन इंडिया अगर अपने प्रस्तावित स्वरूप में जमीनी हकीकत में उत्तर पाती है तो यह भारत के लिए युग परिवर्तक पहल होगी और विश्व में भारत का दबदबा बढ़ेगा।

योजना की समीक्षा

‘मेक इन इंडिया’ को मूर्त रूप देना सरल नहीं है। भारत ऐसा देश है जहां बिना राजनीति के कुछ भी संभव नहीं है। अभी तक देश हित में जो भी काम हुए हैं वो देश के राजनीति से संबंधित दलों ने अपने लाभ के लिए किए हैं। भारत की राजनीति में स्वार्थीपन की पारदर्शिता है और राष्ट्र नितियां अपारदर्शी है। आंखों के समक्ष कुछ और दिखाई देता है पर परदे के पीछे की वास्तविकता कुछ और ही बयान करती है। सड़कों के निर्माण से लेकर बांध के निर्माण तक, देश में हर मसले पर राजनीति का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। भूमि अधिग्रहण का विरोध और राज्य सरकारों की उदासीनता पुराने समय से ही देश के विकास की राह में बाधा रही है। ऐसे में मेक इन इंडिया जैसी युग परिवर्तक पहल अगर बिना वाद-विवाद के तय समय में मूर्त रूप ले सके तो इसे अजूबा ही माना जाएगा।

इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मेक इन इंडिया योजना में अभी तक कोई भी प्रगति बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिली है। जिस प्रकार से इस योजना की चर्चा हुई थी, उस स्तर पर यह लागू नहीं हो पायी है।

मेक इन इंडिया के लांच होने के 4 साल बाद भी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार की गति अत्यधिक धीमी है। लाखों लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने छोटे कार्य शुरू किए थे, उन्हें सरकार की योजना नोटबंदी और जी.एस.टी. से बहुत धक्का लगा है। ऐसे में यह देखना होगा कि अब आने वाले समय में मेक इन इंडिया के लाभ बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे या नहीं।

सारतः यह कहा जा सकता है कि भूमण्डलीकरण ‘विश्व-ग्राम’ की कल्पना से संलग्न है। सामान्यतः भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ संपूर्ण विश्व और समस्त मानवता के मध्य संस्कृति से संबंधित निकायों, समाज से संबंधित उपक्रमों, पूंजीगत और राजनीति से संबंधित लेन-देन है। यानी भूमण्डलीकरण शब्द संस्कृति के लेन-देन, दूरदराज के लोगों के परस्पर रिश्तों में प्रगाढ़ता और पूंजीगत गतिविधि बढ़ाने के लिए विश्वव्यापी व्यापारिक रिश्तों को संदर्भित करता है। लेकिन प्रसिद्ध दार्शनिक ज्यों. बौद्रिल्ला भूमण्डलीकरण और वैश्वीकरण में अंतर करते हैं। उनका सोचना है कि वैश्वीकरण का संबंध जहाँ मानवाधिकार, स्वतंत्रता, संस्कृति और लोकतंत्र से है वहीं भूमण्डलीकरण उद्योगों को अधिक उन्नत करने तथा सही ढंग से चलाने की विधि, बाजार, पर्यटन और सूचना से संबंधित है। यदि इन अर्थों में देखें तो भूमण्डलीकरण का संबंध विनिमय से जबकि

वैश्वीकरण का संबंध विचार मूल्य से होता है और यह कहा जा सकता है कि विनिमय का भूमण्डलीकरण मूल्यों के वैश्वीकरण का अंत कर देगा। इस विचार-विमर्श से वैश्वीकरण अच्छा और भूमण्डलीकरण बुरा प्रतीत होता है लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनका संबंध व्यापार, बाजार और समाज से है। एक अवधारणा के रूप में भूमण्डलीकरण अकेला नहीं आया बल्कि यह उदारीकरण और निजीकरण जैसी संकल्पनाओं से कदम ताल करता हुआ आया है। भूमण्डलीकरण को सरकार द्वारा किये गए नियंत्रण में ढील देकर और सरकारी प्रकार्यों के निजी क्षेत्र में स्थानांतरण की नीतियों का सर्वविदित प्रभाव माना जाता है।

प्राचीनकाल से भारत की मान्यता 'वसुदेव कुटुम्बकम' की रही है। सम्पूर्ण विश्व को एक कुटुम्ब मानना भारतीय मूल्यों को दर्शाता है लेकिन शनैः शनैः भारत पर आतातयियों के आक्रमण से यहाँ की स्थानीय व्यवस्था को धक्का लगा और भारतीय विदेशी शिकंजों में जकड़ गये। भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही हानि पहुँची। अंत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय को स्वाधीनता प्राप्ति हेतु आंदोलन करना पड़ा और स्वदेशी की राह पकड़नी पड़ी। उपनिवेशवाद में स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। यहाँ पर यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्राचीन भारत से दुनिया के व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। यहाँ का उत्पादन विदेश में बहुत लोकप्रिय था। उसकी बड़ी मांग रहती थी। उपनिवेशवाद-साम्राज्यवाद का वह दौर गया जब लाभांविता पक्ष केवल शक्तिशाली राष्ट्र ही हुआ करते थे। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में तो अमेरिका का पेप्सी-कोला भारत में बिकता है तो भारत का एसेम्बलिंग किया हुआ कम्प्यूटर अमेरिका में भी बिकता है। इंग्लैण्ड की कंपनी वोडाफोन यदि हमारी दूर संचार कंपनी 'एस्सार' को खरीदती है और हमारी टाटा कंपनी ने भी इंग्लैण्ड की 'टेटली' तथा कोरिया की 'देबू' को खरीद कर सबको चौका दिया है।

विभिन्न राष्ट्र के उद्योग की प्रतिस्पर्धा ने भारत को 'मेक इन इंडिया' हेतु बाध्य किया है। परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस योजना को 25 सितम्बर, 2014 को प्रारंभ किया। इसके मूल ध्येय नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करना और उनका कौशल विकसित करना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले 25 निकायों को इसमें सम्मिलित कर उनके विकास पर बल दिया जायेगा। इसके माध्यम से विदेशों से आने वाली पूंजी को लगाने को प्राथमिकता दी जा रही है। इस उद्देश्य हेतु जापान, अमेरिका तथा अन्य देशों से निवेश प्रारंभ हो गये हैं। भारत की विकास गति इस योजना के फलस्वरूप निरन्तर आगे बढ़ रही है।

वैश्विक मुद्रा भंडार की अप्रैल-2018 की वर्ल्ड इकोनामी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में भारत का सकल घरेलु उत्पाद 2.6 ट्रिलियन डॉलर का स्तर छू गया, जिससे अब भारत अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी तथा इंग्लैण्ड के बाद विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्रय शक्ति समता के आधार पर, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 'मेक इन इंडिया' के फलस्वरूप उत्साहवर्धक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। लेकिन अभी इस योजना को और अधिक प्रचारित करने की आवश्यकता है। वस्तुतः प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि सरकार व्यापार माहौल को सरल बनाकर देश को आगे ले जाना चाहती है।

मनन करने योग्य तथ्य यह है कि वैश्वीकरण संबंधी भारतीय विचार की अवधारणा कल्याणकारी राज्य की ओर प्रवृत्त है, जो कि एक स्पष्ट संदर्भ के रूप में प्रतिदिन सार्वजनिक रीति के रूप में आता है। आई.एम.एफ. विश्व बैंक और उन्नत राष्ट्रों सहित विश्व ने अब निरन्तर इस तथ्य को पहचान प्रदान की है कि विभिन्न राष्ट्रों में संचालित पूंजीगत व्यवस्थाओं के वैश्वीकरण का अधिकाधिक लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक विश्व के गरीबों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि गरीबों अर्थात् विश्व की 1/5 जनसंख्या को सम्मिलित किए बिना वैश्वीकरण पूरा किया जाता है तो क्या इसे विश्व का विकास कहा जाएगा। भारत वैश्वीकरण के प्रकरण के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना ही स्वयं को पूंजीगत महाशक्ति बनाने हेतु प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य की सिद्धि 'मेक इन इंडिया' के द्वारा ही संभव हो सकती है।

स्वदेशी तकनीक से निर्मित/भारत में बनाओ योजना—

भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण का अब तक का सबसे जटिल और प्रतिष्ठित अभियान 'चंद्रयान-2' 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में पहुँच गया। अभियान के अंतिम चरण में अब 'चंद्रयान-2' के 7 सितंबर, 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सतह पर उतरने का अनुमान था, लेकिन यह अभियान सफल नहीं रहा। यदि यह अभियान सफल रहता तो चंद्रमा पर यान उतारने भारत वाला दुनिया का चौथा देश होता। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। चंद्रमा की कक्षा में पहुँचने से पहले 'चंद्रयान-2' 14 अगस्त, 2019 को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा पर पहुँचने के लिए चंद्रपथ पर अपनी यात्रा शुरू की थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे चंद्रपथ पर डालने के लिए 14 अगस्त, 2019 को एक महत्वपूर्ण अभियान प्रक्रिया 'ट्रांस लूलर इंसर्शन' को अंजाम दिया था। इसरो 'चंद्रयान-2' के प्रक्षेपित करने के बाद से

अब तक उसको पृथ्वी की कक्षा में ऊपर उठाने के पाँच प्रक्रिया चरणों को अंजाम दे चुका है। पाँचवे प्रक्रिया चरण को 6 अगस्त, 2019 को अंजाम दिया गया था।

भारत ने अपने दूसरे चंद्र अभियान 'चंद्रयान-2' का 22 जुलाई, 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। इसरो के अब तक के सबसे शक्तिशाली 43.43 लंबे 'बाहुबली' प्रक्षेपण यान (राकेट) 'जीएसएलवी-मार्क 3 एम 1' ने प्रक्षेपण के, 16 मिनट 14 सेकंड बाद 3850 किग्रा. भारी 'चंद्रयान-2' को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था। 'चंद्रयान-2' के प्रक्षेपण यान से अलग होने के तत्काल बाद अंतरिक्ष यान के सौर पैनल स्वयं तैनात हो गए और बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमान प्रणाली ने अंतरिक्ष यान का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। 'चंद्रयान-2' में आर्बिटर, लैंडर-विक्रम और रोवर-प्रज्ञान ले गाए गए हैं और यह 7 सितंबर, 2019 को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी 'साफ्ट लैंडिंग' कराएँगे।

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अभी तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुँच पाया है। 'चंद्रयान-2' को पहले 15 जुलाई, 2019 को प्रक्षेपित करना निर्धारित किया था, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण इसे अंतिम क्षणों में टाल दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार दो महिला वैज्ञानिकों को पूरे अभियान की जिम्मेदारी दी गई। इसरो की महिला वैज्ञानिक मुथैया विनीता को परियोजना निदेशक तथा रितु करिधाल श्रीवास्तव को अभियान को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुथैया विनीता ने जहाँ पूरी परियोजना की जिम्मेदारी संभाली, वहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ निवासी रितु करिधाल श्रीवास्तव को 'चंद्रयान-2' के चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद के पूरे अभियान के क्रियान्वयन जिम्मेदारी सौंपी गई है।

'चंद्रयान-2' अपने साथ कुल 13 पैलोड लेकर गया है, जिसमें से आठ आर्बिटर पर, तीन लैंडर-विक्रम पर और दो रोवर-प्रज्ञान पर लगे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक पैसिव पैलोड भी इस अभियान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी का पता लगाना है। फिलहाल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की आंकी गई दूरी तीन लाख 84 हजार कि.मी. है। 'चंद्रयान-2' अभियान में विविध प्रकार के कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर, रडार, प्रोब और सिसमोमीटर भी शामिल है। यह अनुमान लगाया था कि 'चंद्रयान-2' में लैंडर विक्रम और रोवर-प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। चंद्रमा की सतह पर उतरने के चार दिन पूर्व 'विक्रम' उतरने वाली जगह का निरीक्षण करना शुरू करेगा। लैंडर-विक्रम 'चंद्रयान-2' से अलग होने के बाद चंद्रमा की सतह के और समीप पहुँचेगा। लैंडर-विक्रम उतरने वाली जगह का स्कैन करना

शुरू करेगा और फिर शुरू होगी सतह को छूने की प्रक्रिया। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद लैंडर-विक्रम का दरवाजा खुलेगा और वह रोवर-प्रज्ञान को रवाना करेगा। रोवर-प्रज्ञान को निकलने में लगभग चार घंटे का समय लगेगा। फिर यह वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए चंद्रमा की सतह पर निकल जाएगा। फिर यह वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए चंद्रमा की सतह पर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया के मात्र 15 मिनट बाद ही इसरो को लैंडिंग की तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएँगी।

‘चंद्रयान-2’ के अहम अंग निम्न हैं—

ऑर्बिटर: 2379 किग्रा भार वाला आर्बिटर एक वर्ष तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। इसमें आठ पेलोड लगे हैं, जो अलग-अलग प्रयोगों को अंजाम देंगे। यह ऑर्बिटर बंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से संपर्क साधन में सक्षम होगा। इसके अलावा यह लैंडर-विक्रम के संपर्क में भी रहेगा।

रोवर-प्रज्ञान : रोवर-प्रज्ञान का नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ ‘बुद्धिमत्ता’ है। 27 किग्रा. भारी रोवर-प्रज्ञान पर दो पेलोड लगे हैं। यह छह पहियों वाला एक कृत्रिम मेधा संचालित रोबोटिक वाहन है, जो सौर ऊर्जा की मदद से चंद्रमा की सतह पर एक सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकेगा। इसे भी चंद्रमा के एक दिन यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर काम करने के लिए बनाया गया है। इस पूरी अवधि में यह चंद्रमा की सतह पर कुल 500 मीटर की दूरी तय करेगा।

‘चंद्रमा-2’ पहला भारतीय अंतरिक्ष अभियान है जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसका तकनीकी लक्ष्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश (रूस, अमेरिका और चीन के बाद) बनना था। जबकि ‘चंद्रयान-2’ का प्रमुख वैज्ञानिक लक्ष्य निम्न थे—

- चंद्रमा की उत्पत्ति और क्रमिक विकास को समझना।
- चंद्रमा की जमीन में खनिजों और ध्रुवीय क्षेत्र का मैप तैयार करना।
- बर्फ के रूप में मौजूद पानी के साक्ष्यों की पुष्टि करना।
- चंद्रमा की जमीन की ऊपरी सतह और वायुमंडल का अध्ययन करना।
- चंद्रमा के चट्टानी क्षेत्र रेगोलिथ की विस्तृत 3-डी मैपिंग करना।
- आयनमंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व और सतह के पास प्लाज्मा वातावरण का भी अध्ययन करना।

‘चंद्रयान-2’ से ली गई पहली तस्वीर : इसरो ने 4 अगस्त, 2019 को ‘चंद्रयान-2’ से ली गई पृथ्वी की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया था। यह तस्वीरें चंद्रयान-2 के लैंडर-विक्रम पर लगे हुए एल 14 कैमरे द्वारा 3 अगस्त, 2019 से ली गई थी। लगभग 5000 कि.मी. की दूरी से पृथ्वी की ली गई यह सभी पाँच तस्वीरें रंगीन हैं और इसमें दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के हिस्से नजर आ रहे हैं।

भारत स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा

भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संगठन के प्रमुख के. शिवन और अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 जून, 2019 को संयुक्त रूप से घोषणा की कि भारत अब अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत ने अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के लिए वर्ष 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना देश के पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम ‘गगनयान’ का विस्तार होगा। ‘गगनयान’ के जरिए वर्ष 2022 में इसरो तीन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा और इसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में भारत किसी भी अन्य देश की मदद नहीं लेगा। क्योंकि, गगनयान के जरिए भारत वैज्ञानिकों को एक सप्ताह तक अंतरिक्ष में रखेगा। यानी अंतरिक्ष में वैज्ञानिक भेजने की तकनीक भारत हासिल कर चुका होगा। भारत द्वारा स्थापित होने वाले अंतरिक्ष स्टेशन की क्षमता लगभग 20 टन होगी। इसमें किसी देश की साझेदारी नहीं होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यानों के मिलने, उपग्रहों को उतारने व वैज्ञानिकों के रहने की सुविधा होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी से लगभग 400 कि.मी. दूर स्थापित किया जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश होगा, जो स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की उपलब्धि प्राप्त करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होने से भारत को निम्नलिखित लाभ होंगे—

- भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर 15–20 दिन तक रुक सकेंगे।
- अंतरिक्ष में रहकर भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर महत्वपूर्ण अनुसंधान और सूक्ष्म गुरुत्व से जुड़े प्रयोग कर सकेंगे।
- अंतरिक्ष युद्ध की स्थिति में अंतरिक्ष स्टेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

अंतरिक्ष स्टेशन एक ऐसा बड़ा स्पेसक्राफ्ट होता है, जो अंतरिक्ष में मौजूद रहता है और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रुकने में मदद करता है। अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना अंतरिक्ष की निकटवर्ती कक्षा में की जाती है, जो पृथ्वी से लगभग 1200 कि.मी. की ऊँचाई तक होती है। लेकिन आमतौर पर अंतरिक्ष स्टेशन 400–500 कि.मी. की ऊँचाई पर स्थापित होते हैं। सबसे पहले रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) और अमेरिका ने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए थे, जो अब कार्यरत नहीं है। वर्तमान में केवल दो अंतरिक्ष स्टेशन हैं, जो अंतरिक्ष में कार्यरत हैं। पहला— अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय देशों ने संयुक्त रूप से बनाया है। इसका नाम 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' है। दूसरा कार्यरत अंतरिक्ष स्टेशन चीन का है, जो अस्थायी है। यानी कुछ वर्षों बाद यह काम करना बंद कर देगा। इसका नाम 'तियानगॉन्ग-2' है। अब भारत दुनिया का तीसरा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा।

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन: अमेरिका, जापान, रूस और कई यूरोपीय देशों ने मिलकर वर्ष 1988 में इसे बनाने की शुरुआत की थी। यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इस स्टेशन की अकेली मालिक नहीं है। वर्ष 2000 में यह पूरी तरह तैयार हो गया था। इसका वजन 391000 किलो है। यहाँ 6 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक रह सकते हैं। यह 400 कि.मी. प्रति घंटे की स्पीड से धरती के चक्कर लगाता है। आईएसएस के रख-रखाव में भारी खर्च आता है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका देता है। इस बड़े सरकारी खर्च पर अमेरिका में विवाद भी हो चुका है।

तियानगॉन्ग-2: चीन ने सबसे पहले वर्ष 2011 में अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। इसका नाम तियानगॉन्ग-1 था। यह बहुत छोटा था, जिसमें अंतरिक्षयात्री बहुत कम दिन रुक सकते थे। यह 10.4 मीटर लंबा था। वजन 8500 किलो था। वर्ष 2016 में तियानगॉन्ग-1 ने काम करना बंद कर दिया। फिर चीन ने दूसरा स्पेस स्टेशन तियानगॉन्ग-2 वर्ष 2016 में लॉन्च किया। इसका साइज भी पहले जितना है। कुछ मिलाकर चीनी स्पेस स्टेशन एक छोटा केंद्र है, जोकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में बहुत छोटा है और स्थाई नहीं है। तियानगॉन्ग-2 भी करीब 6 वर्षों तक ही अंतरिक्ष में काम कर पाएगा।

देश के पहले मानव मिशन 'गगनयान' को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 दिसंबर, 2018 को भारत के पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम को गगनयान परियोजना नाम दिया गया है। इसके तहत तीन सदस्यीय दल को कम से कम सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान परियोजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस मंजूरी के 40 महीने के अंदर वर्ष 2022 की शुरुआत तक इसरो मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज देगा। वास्तविक मानव मिशन से पहले दो बार बिना मानव के मिशन को अंजाम दिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संगठन श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से स्वदेशी भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क-3 के जरिए तीनों भारतीयों को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। इसरो का लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से 350-400 कि.मी. ऊंचाई और धरती की कक्षा तक भेजना है। यदि गगनयान परियोजना देश में शोध कार्यों को बढ़ावा देगी, साथ ही देश को अंतरिक्ष एवं विज्ञान क्षेत्र की नई प्रौद्योगिकी तैयार करने में मदद मिलेगी। औषधि, कृषि, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, जल एवं खाद्य स्रोत प्रबंधन के क्षेत्र में तरक्की करने के नए मार्ग खुलेंगे। अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की राह खुलेगी। भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन बढ़ने की संभावना है। इसलिए गगनयान की सफलता भी अंतरिक्ष पर्यटन की जमीन तैयार करेगी।

ज्ञातव्य है कि पहली बार रूस ने 3 नवंबर, 1957 को स्पुतनिक-2 नामक अंतरिक्षयान में एक कुतिया 'लाइका' को अंतरिक्ष में भेजा था। जबकि रूस ने ही पहली बार 12 अप्रैल, 1961 को एक मानव को अंतरिक्ष में भेजा था। इस पहले अंतरिक्ष यात्री मर्क, 1961 में अंतरिक्ष में भेजा था। वर्ष 2003 में रूस की मदद से चीन अंतरिक्ष पर मानव भेजने वाला दुनिया का तीसरा देश बना था। भारत में इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना पर वर्ष 2004 में काम शुरू किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में गगनयान परियोजना बनाई गई थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मदद के लिए भारत ने रूस और फ्रांस के साथ समझौता किया है। इसरो ने मानवरहित अंतरिक्ष विमान के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी संपन्न 'क्रू एस्केप सिस्टम' का सफल परीक्षण भी कर लिया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2018 को लाल किले से घोषणा की थी कि वर्ष 2022 तक इसरो देश का पहला मानव मिशन भेजेगा।

जी.एस.एल.वी. के चौथे चरण की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 अप्रैल, 2019 को मौजूदा भू-स्थिर/भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के चौथे चरण को आगे जारी रखने की मंजूरी दी। जी.एस.एल.वी. कार्यक्रम के चौथे चरण के लिए 2729.13 करोड़ रुपये की आवश्यकता का आकलन किया गया है। इस राशि में पांच जी.एस.एल.वी., कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान का खर्च शामिल है। चौथे चरण में वर्ष 2021-24 के बीच पांच जी.एस.एल.वी. रॉकेट प्रक्षेपित किए जाएंगे। जी.एस.एल.वी. निरंतरता कार्यक्रम को सबसे पहले वर्ष 2003 में मंजूरी मिली थी। इसके दो चरण पूरे हो चुके हैं, जबकि क्रियान्वयन से गुजर रहा तीसरा चरण वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद चौथे चरण के तहत पृथ्वी के चित्र, नौवहन, डाटा रिले कम्युनिकेशन और अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र के लिए दो टन वजनी उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा जाएगा।

एमीसैट व 28 विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संगठन ने 1 अप्रैल, 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान 'पी.एस.एल.वी.-सी. 45' के माध्यम से भारत एक निगरानी सैन्य उपग्रह 'एमीसैट' और 28 विदेशी नैनो उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया। विदेशी नैनो उपग्रहों में अमेरिका के 24, लिथुआनिया के 2 और स्पेन तथा स्विट्जरलैंड के एक-एक उपग्रह शामिल थे। पी.एस.एल.वी.-सी. 45 ने अपने 47वें अभियान पर 436 किग्रा. वजनी एमीसैट सहित कुल 29 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष की तीन अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित किया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पी.एस.एल.वी. ने एक बार में तीन अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया।

इस अभियान से नई पी.एस.एल.वी. टीम जुड़ी थी और पहली बार प्रक्षेपण के लिए पहले चार ट्रैप-ऑन मोटर्स से लैस पी.एस.एल.वी.-क्यू.एल. रॉकेट के नए प्रकार का इस्तेमाल किया गया। इसरो का यह पहला ऐसा अभियान था, जिसे आम लोगों की उपस्थिति में प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण को लाइव दिखाने के लिए इसरो ने गैलरी बनाई थी, जिसमें बैठकर 1000 लोगों ने पी.एस.एल.वी.-सी. 45 को उड़ते देखा और इस इस पूरी प्रक्रिया के कंपन को महसूस किया। इंडिगो एयरलाइंस के पायलट कैप्टन करुण करुम्बया ने उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 50 नॉटिकल मील दूर रहते हुए विमान से इस अभियान को कैमरे में कैद किया। इस अभियान में उद्योग ने भी अहम

भूमिका निभाई। लगभग 95 प्रतिशत हार्डवेयर और उपग्रहों के 60–70 प्रतिशत सामान इसरो के बाहर बनाए गए थे। यह इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का सम्मिलित दूसरा सफल अभियान था। इससे पहले दोनों ने 27 मार्च, 2019 को 'मिशन शक्ति' सफलतापूर्वक पूरा किया था।

एमीसैट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस उपग्रह है, जिसका उद्देश्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को मापना है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के काम आने वाला यह उपग्रह डी.आर.डी.ओ. की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला ने इसरो के सहयोग से 'प्रोजेक्ट कौटिल्य' के तहत लगभग आठ वर्ष में तैयार किया है। एमीसैट को 748 कि.मी. ऊपर ध्रुवीय सौर समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया। इजरायल के जासूसी उपग्रह 'सरल' की तर्ज पर तैयार एमीसैट के.ए. बैंड का उपयोग करेगा और बादल, वर्षा, जंगल तथा तटीय क्षेत्रों में काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम मापने के लिए एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है। जिसकी सहायता से रडार संकेतों की पहचान, उसकी जगह को खोजने और आर.एफ. सिग्नेचर की मदद से रडार संचालित करने वाले के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

जब एमीसैट को 'एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम' के साथ उपयोग में लाया जाएगा तो यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा और इसकी मदद से दुश्मनों के रडार की पहचान करना काफी आसान हो जाएगा। यह जमीन पर संचार प्रणालियों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से निकले सिग्नल को पकड़ सकेगा। यह भारत की सीमाओं पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी देगा। एमीसैट का उपयोग संचार संबंधी नेटवर्कों और मोबाइल सहित अन्य संचार उपकरणों की स्थिति के बारे में भी होगा। इसके अलावा, पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के अध्ययन में भी इसका उपयोग होगा।

जीसैट-31 का सफल प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संगठन (ISRO) ने देश के नवीनतम संचार उपग्रह 'जीसैट-31' को 6 फरवरी, 2019 को दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पूर्व तटीय क्षेत्र में स्थित फ्रांसीसी क्षेत्र फ्रेंच गुयाना के कोरुस के अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपीय प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एनियरस्पेस के एरियन-5, अंतरिक्ष यान द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। जीसैट-31, भारत का 40वां संचार उपग्रह है, जिसको इसरो के संवर्द्धित 'आई-2 के बेस' से जोड़ा गया है। लगभग 2536 किग्रा. भार वाला जीसैट-31 उपग्रह का विस्तार भारत के जमीनी और समुद्री हिस्से तक होगा और

यह डी.टी.एच., ए.टी.एम. कनेक्टिविटी और आपातकालीन सेवाओं जैसी संचार सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जीसैट-31 उपग्रह की जीवन अवधि लगभग 15 वर्ष है।

जीसैट-31 उपग्रह में लचीली आवृत्ति खंड के साथ के.यू.-बैंड के 19 ट्रॉसपोंडर लगे हैं, जो देश के दूरस्थ इलाकों तक बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता करेंगे। यह इनसैट 4सी.आर. तथा इनसैट 4ए को भी निरंतरता प्रदान करेगा। जीसैट-31 उपग्रह का इस्तेमाल टेलीविजन अपलिंग, डिजिटल उपग्रह समाचार संग्रह, डी.टी.एच. टेलीविजन सेवाओं, सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी, ए.टी.एम. नेटवर्क की कनेक्टिविटी, शेयर बाजार और ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन के लिए वी-सैट कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। यह बैंकिंग, ई-शासन, दूरसंचार क्षेत्र में अधिक डेटा संचरण और आपदा प्रबंधन के लिए संचार सेवाओं को मजबूत करेगा। जीसैट-31 उपग्रह व्यापक बैंड ट्रॉसपोंडर की सहायता से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बड़े हिस्से में संचार की सुविधाओं के लिए व्यापक बीम कवरेज उपलब्ध कराएगा।

जीसैट-7ए का सफल प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संगठन के भूस्थैतिक प्रक्षेपण यान जी.एस.एल.वी.-एफ. 11 ने देश के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट-7ए को 19 दिसंबर, 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (श्रीहरिकोटा) से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। जी.एस.एल.वी.-एफ. 11 द्वारा प्रक्षेपित 2250 किग्रा. भार का जीसैट-7ए इसरो का 35वां संचार उपग्रह है, जो के.यू.-बैंड में संचार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यह संचार उपग्रह भारतीय वायुसेना के लिए विशेष फ्रीक्वेंसी उड़ान संचार उपलब्ध कराएगा। जीसैट-7ए में चार सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिनके जरिए लगभग 3.3 किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है। इसके साथ इसमें कक्षा में आगे-पीछे जाने या ऊपर जाने के लिए बाई-प्रोपलेंट का केमिकल प्रोपेलशन सिस्टम भी दिया गया है। इस उपग्रह में ग्रिगोरियल एंटीना लगाया गया है। इसका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए होगा। जीसैट-7ए के माध्यम से विमान के बीच हवा से हवा में वास्तविक समय में संपर्क हो सकेगा और ग्राउंड के जरिए संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। 500-800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित जीसैट-7ए की अभियान अवधि 8 वर्ष है।

जीसैट-11 का सफल प्रक्षेपण

देश के अब तक के सबसे भारी, सबसे बड़े और अत्याधुनिक संचार उपग्रह जीसैट-11, को दक्षिण अमेरिका के पूर्वोत्तर तटीय इलाके में स्थित फ्रांस के अधिकार वाले भूभाग फ्रेंच गुयाना के कोरु अंतरिक्ष केंद्र से एरियन-5वी.ए. 246 प्रक्षेपण यान की मदद से 5 दिसंबर, 2018 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। एरियन-5 से पृथक होने के बाद जीसैट-11 अंडाकार भूतुल्यकालिक ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संगठन के वैज्ञानिकों ने चरणबद्ध तरीके से जीसैट-11 को भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 कि.मी. ऊपर है। जीसैट-11 को भूस्थिर कक्षा में 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रखा गया है। जीसैट-11 इसरो के इंटरनेट आधारित उपग्रह श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इंटरनेट की गति को बढ़ाना है। जीसैट-11 से साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और इससे एक नया सुरक्षा कवच मिलेगा तथा भारत का बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत होगा। जीसैट-11 परिचालन से देश के डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आने वाली भारत नेट परियोजना में शामिल देश के ग्रामीण इलाकों और दुर्गम इलाकों के ग्राम पंचायतों तक ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेट परियोजना का मकसद सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं मसलन ई-बैंकिंग, ई-हेल्थ, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। जीसैट-11 टेलीकॉम और डी.टी.एच. में अहम भूमिका निभाएगा।

जीसैट-11 उपग्रह का वजन 5854 किग्रा. है तथा इसकी कुल लागत 1117 करोड़ रुपये है। इसका प्रत्येक सौर पैनल 4 मीटर से भी बड़ा है तथा यह 11 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करेगा। जीसैट-11 नई पीढ़ी का 'हाई थ्रोपुट' संचार उपग्रह है जिसका जीवनकाल 15 वर्ष से अधिक का है। जीसैट-11 के के.यू. और के.ए. बैंड फ्रीक्वेंसी में 40 ट्रांसपॉंडर है और यह 14 गीगाबिट प्रति सेकंड डेटा ट्रांसफर रफ्तार वाली बैंडविड्थ कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। जीसैट-11 में के.यू. बैंड में 32 यूजर बीम जबकि के.ए. बैंड में 8 हब बीम लगाए गए हैं।

पी.एस.एल.वी.-सी44 का सफल प्रक्षेपण

24 जनवरी, 2019 को इसरो ने चेन्नई के स्कूली छात्रों की एक टीम (स्पेस किड्स से जुड़े) द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे हल्के और पहले 3डी प्रिंटेड 1.2 किलोग्राम वजनी 'कलामसैट वी2' उपग्रह को पी.एस.एल.वी. सी.-44 के जरिए पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। 10 सेंटीमीटर आकार वाले तथा 1.2 किग्रा. भार वाले इस सेटेलाइट को आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा

स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा मुफ्त में प्रक्षेपित किया गया। इसरो ने पहली बार किसी भारतीय निजी संस्था का उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह का नाम 'कलामसैट वी2' रखा गया है। इसका उपयोग वायरलेस कम्यूनिकेशन के लिए किया जाएगा। कलामसैट को 'फेम्टो' की श्रेणी में रखा गया है। कलामसैट-वी2 के साथ माइक्रोसैट-आर को भी प्रक्षेपित किया गया जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है।

मिशन शक्ति : उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र ने 27 मार्च, 2019 को ओडिशा तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से 300 कि.मी. की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में एक सक्रिय उपग्रह को मात्र 3 मिनट में सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। ए-सैट प्रक्षेपास्त्र डी. आर.डी.ओ. द्वारा विकसित एक बैलिस्टिक प्रतिरक्षा इंटरसेप्टर है। इस परीक्षण को 'मिशन शक्ति' कूट नाम दिया गया था। यह पूरी तरह से स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित परीक्षण था जिसमें भारत के ही एक सक्रिय उपग्रह को निशाना बनाया गया। परीक्षण में भारत ने माइक्रोसैट-आर सैटेलाइट को नष्ट किया। इसे जनवरी, 2019 में पी.एस.एल.वी. के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संगठन ने 277 कि.मी. ऊंचाई पर स्थापित किया था। इस उपग्रह का भार 740 किग्रा. था। डी.आर.डी.ओ. के इस सफल प्रौद्योगिकी मिशन से भारत ने अब अंतरिक्ष में 300 कि.मी. दूर पृथ्वी की निचली कक्षा में किसी सक्रिय उपग्रह को मार गिराने की क्षमता प्राप्त कर ली है। इसके साथ भारत अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में सक्रिय उपग्रह को मार गिराने की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया। अब तक यह क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के ही पास थी।

ए-सैट मिसाइल, अग्नि मिसाइल और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का मिश्रण है। यह प्रणाली वर्ष 2012 में तैयार हो चुका था, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी वर्ष 2016 में मिलने के कारण इसका प्रौद्योगिकी परीक्षण मार्च, 2019 में हो सका। ए-सैट मिसाइल के वॉर हेड पर बारूद के स्थान पर मेटल स्ट्रिप होती है, जो उपग्रह के ऊपर गिराई गई। यह उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद था। यह परीक्षण निचली कक्षा में इसलिए किया गया ताकि कोई मलवा एकत्रण हो। इस अभियान का अधिकांश मलवा वायुमंडल में जल जाएगा और शेष मलवा पृथ्वी पर गिरेगा। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। इस सफल परीक्षण से भारत ने भविष्य में किसी युद्ध की स्थिति में शत्रु के उपग्रह गिराने और निगरानी एवं संचार व्यवस्था ठप करने के साथ-साथ अपनी ओर आ रहे प्रक्षेपास्त्र को नष्ट करने की क्षमता हासिल की है। इससे आकाश में सुरक्षा सुनिश्चित

होगी। कोई भी संदिग्ध उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। दुश्मन देश उपग्रह के माध्यम से जासूसी नहीं कर पाएंगे।

उल्लेखनीय है कि रूस ने उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र के लिए वर्ष 1956 में कार्य शुरू किया था और उसे 'ओ.के.बी.-1' नाम दिया था। रूस ने पहला उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र परीक्षण वर्ष 1967 में किया, जो असफल रहा। रूस ने पहला सफल परीक्षण वर्ष 1970 में किया, जो उसका 23वां परीक्षण था। अमेरिका ने पहला उपग्रह रोधी परीक्षण वर्ष 1959 में 'बोल्ड ओरियन' नाम से किया, जो असफल रहा। अमेरिका को इस मिशन में सफलता वर्ष 1985 में 20 परीक्षण के बाद मिली। चीन ने अपने चौथे परीक्षण में वर्ष 2007 में यह सफलता पाई थी। जबकि भारत ने अपने पहले ही प्रयास में उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया। संयुक्त राष्ट्र संघ उपग्रह रोधी परीक्षणों के परिप्रेक्ष्य में 'अंतरिक्ष युद्ध' की आशंका को देखते हुए वर्ष 1967 में अंतरिक्ष की बाहरी सुरक्षा के लिए संधि बनाई। इसमें ऐसे हथियारों के अंतरिक्ष में परीक्षण पर प्रतिबंध है जिससे वहां मौजूद किसी ऐसे उपग्रह को नुकसान पहुंचे या दुनिया का एक बड़ा तबका प्रभावित हो। इस संधि पर 98 देशों ने संधि की पुष्टि की है, जबकि 28 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 1963 की लिमिटेड टेस्ट वैनट्रीटी के तहत अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियार के परीक्षण पर भी प्रतिबंध है। इस पर 105 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।

स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र 'निर्भय'

भारत ने 15 अप्रैल, 2019 को ओडिशा में बालासोर जिले के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लंबी दूरी के स्वदेशी सब-सोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र 'निर्भय' का सफल परीक्षण किया। 'निर्भय' पहली बार देश में डिजाइन और विकसित किया गया लंबी दूरी का सब-सोनिक प्रक्षेपास्त्र है। यह 300 किग्रा. तक की आयुध सामग्री के साथ 1000 किमी. तक मार करने में पूरी तरह सक्षम है। यह एक टर्बोफैन या टर्बोजैट इंजन के साथ यात्रा कर सकता है और एक अत्यधिक उन्नत इन्शियल नेविगेशन प्रणाली द्वारा निर्देशित है। 'निर्भय' प्रक्षेपास्त्र का यह छठा परीक्षण था, जिसमें इसके सभी उद्देश्य पूरे हो गए। 'निर्भय' का पहला परीक्षण 12 मार्च, 2013 को किया गया था, जो निर्धारित उड़ान पथ से विचलित हो जाने के कारण असफल हो गया था। 'निर्भय' 17 अक्टूबर, 2014 को दूसरे परीक्षण के दौरान रडार, टेलीमेटरी, पथ परिचालन और नियंत्रण से जुड़े सभी मापदंडों पर खरी उतरी। इसका तीसरा (16 अक्टूबर, 2015) और चौथा (21 दिसंबर, 2016) परीक्षण असफल रहा था। 'निर्भय' का पांचवा परीक्षण 7 नवंबर, 2017 को सफल रहा था। 'निर्भय' सभी मौसम में

काम करने वाली क्रूज मिसाइल है। यह नीचे उड़ान भरते हुए दुश्मन के रडार से छिपकर आतंकी अड्डों को आसानी से निशाना बना सकती है।

आई.एन.एस. इम्फाल

भारतीय नौसेना ने अप्रैल, 2019 में युद्धपोत आई.एन.एस. इम्फाल का मुंबई के मझगाँव डॉक्स में समुद्र में जलावतरण किया। गाइडेड मिसाइलों को ध्वस्त करने में माहिर आई.एन.एस. इम्फाल को भारत में ही प्रोजेक्ट 15बी के तहत डिजाइन करने के साथ-साथ निर्मित किया गया है। प्रोजेक्ट 15बी के तहत भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया पहला युद्धपोत आई.एन.एस. विशाखापत्तनम था, जो 20 अप्रैल, 2015 को लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट 15बी श्रेणी के तहत आने वाले अन्य युद्धपोत हैं—आई.एन.एस. मोरमुगाओ और आई.एन.एस. पोरबंदर। इस श्रेणी के सभी युद्धपोत गाइडेड मिसाइल ध्वस्त करने में माहिर हैं तथा अत्याधुनिक हथियारों से लैस है।

आई.एन.एस. इम्फाल का वजन फिलहाल 3,037 टन है, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों और शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होने के बाद इसका वजन बढ़कर 7,300 टन हो सकता है। इसकी लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17.4 मीटर है। चार गैस टरबाइनों से चलने वाला आई.एन.एस. इम्फाल 30 नॉट की गति से चल सकता है। इस पर दो हेलिकॉप्टरों को भी तैनात किया जा सकता है। आई.एन.एस. इम्फाल दुनिया के दूसरे देशों में निर्मित अपनी श्रेणी के युद्धपोतों को सभी मामलों में टक्कर देने में सक्षम है।

भारतीय वायुसेना विमान की मिश्रित जैव ईंधन के साथ पहली उड़ान

सफल

भारतीय वायुसेना के पायलटों और इंजीनियरों ने ए.एन.-32 सैनिक परिवहन विमान में पहली बार मिश्रित जैव जेट ईंधन का इस्तेमाल करते हुए 17 दिसंबर, 2018 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख परीक्षण स्थल ए.एस.टी.ई., बंगलुरु में सफलतापूर्वक प्रायोगिक उड़ान भरी। इस परीक्षण उड़ान में 90 प्रतिशत एविएशन टर्बाइन फ्यूल और 10 प्रतिशत जट्रोफा (रतनजोत) के तेल से तैयार मिश्रित जैव जेट ईंधन का इस्तेमाल किया गया। इस ईंधन को छत्तीसगढ़ जैव डीजल विकास प्राधिकरण से प्राप्त जट्रोफा तेल से बनाया गया, जिसे बाद में देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में प्रसंस्करण किया गया। यह परियोजना भारतीय वायुसेना, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन

डायरेक्ट्रेट जनरल एयरोनॉटिल क्वालिटी एश्योरेंस और सी.एस.आई.आर.—आई.आई.पी. का मिला-जुला प्रयास है।

जट्रोफा के तेल से बने डीजल में सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होने के कारण इसको जैव-डीजल की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय रेल दिल्ली से अमृतसर तक जट्रोफा जैव डीजल से शताब्दी एक्सप्रेस चलाकर महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी अपने ट्रेक्टरों में जैव डीजल का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना से पूर्व स्पाइसजेट के एक विमान क्यू-400 ने 26 अगस्त, 2018 को जैव-ईंधन के इस्तेमाल से देहरादून के जॉलीग्रॉन्ट हवाईअड्डे पर 10 मिनट की उड़ान भरी थी। इसके बाद स्पाइसजेट के विमान ने 27 अगस्त, 2018 को जैव-ईंधन के इस्तेमाल से देहरादून से दिल्ली तक उड़ान भरी थी। इसके साथ भारत उस समूह में सम्मिलित हो गया जिन्होंने जैव-ईंधन से किसी विमान को उड़ाया है। भारत ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश है। कनाडा, आस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित देश ऐसा पहले कर चुके हैं। दुनिया के पहले जैव-ईंधन वाले विमान को लॉस एंजलिस से मेलबर्न के लिए 29 जनवरी, 2018 को आस्ट्रेलिया की क्वांट्स एयरलाइंस ने उड़ाया था। जैव-ईंधन जट्रोफा तेल, सब्जी के तेलों, प्रसंस्कृत ग्रीस, कार्बो, जानवरों के वसा आदि से बनाया जाता है।

गहन जलमग्न बचाव वाहन 'आई.एन.एस. निस्तार'

भारतीय नौसेना ने 12 दिसंबर, 2018 को देश के पहले गहन जलमग्न बचाव वाहन 'आई.एन.एस. निस्तार' को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। यह बचाव वाहन परडुब्बी समुद्र में 15 घंटे से 18 घंटे तक पानी में रहकर 15 लोगों का बचाव करने में सक्षम है। 'आई.एन.एस. निस्तार' को पश्चिम रेस्क्यू यूनिट में कैप्टन अर्जुन जॉर्ज के नेतृत्व में तैनात किया गया है। भारत ने ब्रिटेन से लगभग दो हजार करोड़ रुपये की लागत से दो डी.एस.आर.वी. को खरीदा था। ऐसा दूसरा डी.एस.आर.वी. 'आई.एन.एस. निरीक्षक' है, जो वर्ष 2019 में नौसेना में शामिल होगा। डी.एस.आर.वी. की क्षमताओं के साथ भारतीय नौसेना विश्व नौसेना के ऐसे चुनिंदा समूह में शामिल हुई है, जो विशिष्ट उपकरण संचालित करते हैं। अब तक अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों के पास ही यह सुविधा थी। इसे हिंद महासागर क्षेत्र में और उससे आगे बचाव सेवाओं के लिए तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना भारत के मित्र देशों को भी इसकी सेवाएं प्रदान कर सकती है। 'आई.एन.एस. निस्तार' को फिलहाल भारतीय शिपिंग कार्पोरेशन के साबरमती जहाज पर तैनात

किया गया है। भारतीय नौसेना ने डी.एस.आर.वी. के लिए दो मदर शिप जहाजों का निर्माण करने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से 9000 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2020 तक होनी है। डी.एस.आर.वी. को मदर शिप पर स्थायी रूप से तैनात किया जाएगा। परीक्षणों में डी.एस.आर.वी. ने 300 फीट की गहराई पर पनडुब्बी को बचाया। इन परीक्षणों ने समुद्र में फंसी पनडुब्बियों के बचाव अभियान शुरू करने की डी.एस.आर.वी. की क्षमता सिद्ध कर दी है।

यदि समुद्र के अन्दर किसी भारतीय पनडुब्बी के साथ कोई दुर्घटना होती थी तो भारत अब तक अमेरिका की मदद पर निर्भर था। डी.एस.आर.वी. के आने से भारतीय नौसेना स्वयं समुद्र के अंदर होने वाली किसी भी दुर्घटना से निपटने में सक्षम हो गई है। भारतीय नौसेना द्वारा दोनों डी.एस.आर.वी. को मुंबई और विशाखापट्टनम में स्थायी रूप से तैनात किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बी आई.एन.एस. सिंधुरक्षक समुद्र के नीचे दुर्घटनाग्रस्त होने पर विस्फोट होने के बाद 13 अगस्त, 2013 को डूब गई थी। इस पनडुब्बी में सवार सभी 18 भारतीय नौसैनिक शहीद हो गए थे। इससे पहले आई.एन.एस. सिंधुरक्षक में वर्ष 2010 में भी आग लग गई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दो अन्य लोग घायल हुए थे। आई.एन.एस. सिंधुरक्षक का निर्माण रूस में हुआ था।

‘आई.एन.एस. अरिहंत’ का गश्ती अभियान पूरा

भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी ‘आई.एन.एस. अरिहंत’ ने अपना पहला गश्ती अभियान 5 नवंबर, 2018 को पूरा किया। इसके साथ ही भारत का नाभिकीय त्रिकोण यानी धरती, आकाश और समुद्र से परमाणु हमले करने की क्षमता पूरी तरह स्थापित हो गई। नाभिकीय त्रिकोण बनाकर भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन की बराबरी कर ली। अग्नि मिसाइल के जरिए जमीन से मिराज-2000 लड़ाकू विमान से वायु से परमाणु हमले की क्षमता भारत के पास पहले से है। जबकि आई.एन.एस. अरिहंत के माध्यम से जल से परमाणु हमले की क्षमता भारत को मिली है। आई.एन.एस. अरिहंत के बाद दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आई.एन.एस. अरिधमान भी लगभग तैयार है।

देश में स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहली परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बी ‘आई.एन.एस. अरिहंत’ को अगस्त, 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ‘अरिहंत’ का शाब्दिक अर्थ शत्रु का संहार करने वाला है। एस.एस.बी.एस. श्रेणी की ‘आई.एन.एस. अरिहंत’ की लंबाई 110 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और वजन 6000 टन है। इसमें लगभग 83 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर

(बार्क द्वारा कलपक्क में निर्मित), एक टरबाइन, एक शैफ्ट तथा 7 ब्लेड वाला प्रणोदक लगा है। सोनार डिवेल तकनीक की सहायता से ध्वनि तरंगों के माध्यम से पानी में मौजूद दूसरी वस्तुओं के बारे में पता लगाने में सक्षम इस पनडुब्बी की गति पानी की सतह पर 22-28 कि.मी. प्रति घंटा और पानी के अंदर 44 कि.मी. प्रति घंटा है। यह पनडुब्बी 750 कि.मी. मारक क्षमता वाले के-श्रेणी के-15 श्रेणी के 15 प्रक्षेपास्त्रों और 3500 कि.मी. मारक क्षमता वाले के-4 श्रेणी के चार बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों को ढोने में सक्षम है।

ज्ञातव्य है कि एक अति गोपनीय परियोजना के तहत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसेल कोड नाम से 'आई.एन.एस. अरिहंत' का निर्माण वर्ष 1984 में शुरू किया गया था। हालांकि औपचारिक रूप से 'आई.एन.एस. अरिहंत' का वास्तविक निर्माण कार्य विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर पर स्टील की कटिंग के साथ वर्ष 1998 में शुरू हुआ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और परमाणु ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र के लॉर्सन एंड टुब्रो की साझेदारी से यह परमाणु पनडुब्बी निर्मित हुई। 'आई.एन.एस. अरिहंस' रूस निर्मित परमाणु पनडुब्बी 'आई.एन.एस. चक्र' के बाद भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली दूसरी और स्वदेशी निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी है।

स्वदेशी तोप 'धनुष'

देश में निर्मित पहली तोप 'धनुष' को भारतीय सेना के बेड़े में 8 अप्रैल, 2019 को औपचारिक रूप से शामिल किया गया। जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री में निर्मित छह धनुष तोप अभी सेना को सौंपी गई है। यह भारत में निर्मित होने वाली लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली पहली तोप है। सेना ने 114 धनुष तोपों का ऑर्डर दिया है। देसी बोफोर्स के रूप में प्रसिद्ध 155 एम.एम. और 45 कैलिबर वाली धनुष तोपों की मारक क्षमता 38 कि.मी. है। धनुष की प्रणाली वर्ष 1980 में प्राप्त बोफोर्स पर आधारित है। स्वचालित तकनीक के चलते धनुष से एक समय में तीन से छह गोले दागे जा सकते हैं। धनुष तोप की क्षमता एक घंटे में 42 गोले दागने की है। लगभग 13 टन वजनी धनुष तोप पहाड़ी, रेगिस्तानी और समतल इलाकों में एक समान रूप से कार्य करने में सक्षम है। यह 22 डिग्री तक के झुकाव में पहाड़ियों पर बिना बाहरी सहायता के चढ़ाई करने में सक्षम है। मात्र 13 सेकंड में तीन फायर करने वाली धनुष 3 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान तक कार्य करने में सक्षम है। वजन में हल्की होने के कारण इस तोप को उबड़-खाबड़ रास्ते या पहाड़ी, रेतीले क्षेत्रों तक ले जाना आसान है।

स्वास्थ्य के दस संभावित खतरों की सूची

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी, 2019 में 10 उन बीमारियों/खतरों की सूची जारी की है जो वर्ष 2019 में दुनिया को संभावित स्वास्थ्य संकट में डाल सकते हैं। डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा सुझाए गए इन 10 खतरों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 2019 में नई पंचवर्षीय रणनीतिक योजना की शुरुआत करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी 10 स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं डब्ल्यू.एच.ओ. तथा अन्य स्वास्थ्य सहयोगियों के लिए चुनौती सिद्ध हो सकती है।

डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा घोषित 10 खतरे निम्नलिखित हैं—

वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, गैर-संक्रामक रोग (मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग आदि), अंतर्राष्ट्रीय इन्फ्लूएंजा महामारी, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (ए.एम.आर.), बदतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टीका लगवाने में संकोच, डेंगू, एच.आई.वी. और इबोला एवं अन्य खतरे वाले रोग।

आई.एन.एस. सागरध्वनि सागर मैत्री अभियान के लिए रवाना

20 जुलाई, 2019 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा विकसित आई.एन.एस. सागरध्वनि समुद्री और संबंधित अंतरविषयी प्रशिक्षण व अनुसंधान पहल (सागर मैत्री) के लिए कोच्चि से रवाना हुआ। इस पोत के मिशन की परिकल्पना डी.आर.डी.ओ. ने तैयार की थी जो प्रधानमंत्री के विजन 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (एस.ए.जी.ए.आर., सागर) के अनुरूप है। भारतीय नौसेना और एन.पी.ओ.एल. का यह मिशन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा और अनुसंधान को बेहतर बनाएगा। सागर मैत्री मिशन का मुख्य उद्देश्य अंडमान समुद्र और समीपवर्ती समुद्री क्षेत्र समेत संपूर्ण उत्तरी हिन्द महासागर में आकड़ो का संग्रह तथा समुद्र अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सभी हिन्द महासागर क्षेत्र के 8 देशों के साथ दीर्घावधि सहयोग स्थापित करना है।

दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भारत पहुँचा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में दुनिया का सबसे तेज या शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर 'डी.जी.एक्स.-2' भारत में जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में जून, 2019 में लगाया गया। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे तेज और ए.आई. एप्लीकेशंस के लिए सबसे शक्तिशाली सुपर, कंप्यूटर है, जो भारत में पहली बार आया है। आई.आई.टी., जोधपुर व अमेरिकी सुपर कंप्यूटर अपनी नविडिया के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दो वर्ष का समझौता हुआ है। डी.जी.एक्स.-2 उसी समझौते के तहत भारत लाया गया है। लगभग 2.50 करोड़ रूपए की लागत वाले डी.जी.एक्स.-2 में 16 विशेष जी.पी.यू. कार्ड लगे हैं और प्रत्येक की क्षमता 32 जीबी है। इसकी रैम 512 जीबी की है। आम कंप्यूटर की क्षमता केवल 150 से 200 वाट होती है। जबकि डी.जी.एक्स.-2 की क्षमता 10 किलोवाट है। इसका वजन 1.5 क्विंटल और आंतरिक भंडारण क्षमता 30 टीबी है।

सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति-2019

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी, 2019 को सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति-2019 को मंजूरी दी ताकि भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के तौर पर विकसित किया जा सके। इस नीति के अंतर्गत सोची गई योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगले सात वर्षों के लिए 1500 करोड़ रुपये के व्यय को शुरूआती तौर पर सम्मिलित किया गया है। इन 1500 करोड़ रूपयों को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि (एस.पी.डी.एफ.) और अनुसंधान एवं नवाचार निधि में विभाजित किया जाएगा। इस नीति के अंदर जिस रूपरेखा की परिकल्पना की गई उससे देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं और तौर-तरीकों के सूत्रीकरण की राह बनेगी। सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति (एन.पी.एस.सी.-2019) को प्राप्त करने के लिए इस नीति में निम्नलिखित पांच मिशन रखे गए हैं-

1. बौद्धिक संपदा (आई.पी.) से संचालित होने वाले एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को प्रोत्साहित करना जिससे वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना बढ़ोतरी तक पहुंचा जा सके।

2. सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पोषित करना जिसमें टीयर-2 और टीयर-3 नगरों व शहरों में ऐसे 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं और वर्ष 2025 तक सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर 35 लाख लोगों के लिए रोजगार निर्मित करना।
3. सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए एक प्रतिभा समूह का निर्माण करना। इसके लिए ये किया जाएगा –
 - (क) 1,000,000 सूचना प्रौद्योगिकी पेशवरों को अतिरिक्त कुशलताओं से सुसज्जित करना,
 - (ख) 100,000 स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना
 - (ग) 10,000 विशेषीकृत पेशवरों का निर्माण करना जो नेतृत्व प्रदान कर सकें।
4. एकीकृत आई.सी.टी. आधारभूत ढांचे, मार्केटिंग, इनक्यूबेशन, अनुसंधान व विकास/ परीक्षण मंच और परामर्श सहयोग वाले 20 क्षेत्रवार व रणनीतिक रूप से स्थित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करते हुए एक क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

इस नीति की योजना और कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उन्हें विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें सरकार, शिक्षा समुदाय और उद्योग की भागीदारी होगी।

संदर्भ ग्रंथ

सिंह एस.एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016 पृ.सं. 213
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा.लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 361
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई 2019, पृ.सं. 465
सिंह, रहीस	वैश्विक संबंध, डार्लिंग किंडरस्ले इंडिया प्रा. लि. पियर्सन, नोएडा 2013 पृ.सं. 89
चक्रवर्ती, बिद्युत, चन्द्र प्रकाश	वैश्विक दुनिया में लोकप्रशासन, सेज पब्लिकेशन इंडिया प्रा.लि. न्यू देहली 2018, पृ.सं. 449
चक्रवर्ती, बिद्युत, चन्द्र प्रकाश	वैश्विक दुनिया में लोकप्रशासन, सेज पब्लिकेशन इंडिया प्रा.लि. न्यू देहली 2018 पृ.सं. 437
चतुर्वेदी, एम.एस.	प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक कॉलेज बुक हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, संस्करण 2017, पृ. सं. 219
चतुर्वेदी, एम.एस.	प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक कॉलेज बुक हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, संस्करण 2017, पृ. सं. 220
चतुर्वेदी, एम.एस.	प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक कॉलेज बुक हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, संस्करण 2017, पृ. सं. 254
चतुर्वेदी, एम.एस.	प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक कॉलेज बुक हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, संस्करण 2017, पृ. सं. 260
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेगो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 1-6-107
प्रतियोगिता दर्पण	समसामयिकी संस्करण 2019, वोल्यूम-2, पृ.सं. 47
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं.9.20

सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं.9.21
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं.9.22

अध्याय—चतुर्थ

मैक इन इण्डिया योजना तथा विकास

अध्याय—चतुर्थ

मैक इन इण्डिया योजना तथा विकास

अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू कम्पनियों को भारत में ही उत्पाद बढ़ाने व प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर 2014 में “मैक इन इण्डिया” योजना का शुभारम्भ किया। इस पहल में केवल विनिर्माण बल्कि प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना और सेवा क्षेत्रों में भी उद्यमशिलता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस पहल के कतिपय आयाम इस अध्याय में दर्शाये जा रहे हैं—

योजना का दृष्टिकोण

मैक इन इण्डिया का मूल उद्देश्य भारत में पूंजीगत लागत व प्रौद्योगिक निवेश दोनों को आकर्षित करना है, ताकि देश चीन और अमेरिका से भी आगे निकल कर दुनिया की सबसे अधिक एफ.डी.आई. वाला देश कहा जाए।

योजना के उद्देश्योंनुसार अर्थ—व्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना एवं कौशल विकास पर बल देना है। इसमें ओटोमोबाईल, उड्डयन, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा विनिर्माण विद्युत मशीनरी, खाद्य, प्रसंस्करण, तैल व गैस, दवाई इत्यादि सम्मिलित है।

योजना के लोगो (प्रतीक चिन्ह) को बहुत ही दार्शनिकता के आधार पर निश्चित किया गया है। इसकी प्रेरणा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र से ग्रहण की गई है। इसमें लम्बी डग भरता हुआ एक शेर है। जो दातेंदार पहियों से बना हुआ है। यह विनिर्माण शक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संकेतक है। वैसे भारतीय अर्थ—व्यवस्था का प्रतीक हाथी को माना जाता है। लेकिन योजना के करण—धारों ने हाथी की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए इसे इसका “लोगो” स्वीकार नहीं किया गया है। क्योंकि हाथी एक धीमी गति का प्रयाय है और हमें अर्थ—व्यवस्था को शेर की गति से प्रारम्भ करना है। इस पहल का एक और लक्ष्य है उच्च गुणवत्ता वाले मानको और स्थिरता के आयामों को लागू करना है। इसमें अपनाई गई नीतियां हैं—

कारोबार को सरल बनाना, पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को इनसे दूर करना, युवाओं के लिए कौशल और रोजगार की व्यवस्था करना इत्यादि। इन पहलुओं के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं। एक स्वस्थ कारोबारी वातावरण को बनाना, गैर अनुकूल कारकों को दूर करना, भारतीय मे एस.एम.ई.

कम्पनियों पर अधिक ध्यान देना, विश्व स्तरीय शोध व विकास की कमी को दूर करना और चीन के “मेक इन चाइना” अभियान से इसकी तुलना करना। यह पहल निम्न चार स्तम्भों पर आधारित है।

नई प्रक्रियाएं:—

मेक इन इण्डिया, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजिनेस को सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान्यता देता है। करोबारी वातावरण को और सरल बनाने के लिए कई पहलें की गई हैं जिनमें और निवेश पैदा होगा जो अत्यधिक मात्रा में रोजगारों और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाएगा। इसके परिणामस्वरूप, भारत, विश्वभर में डूइंग बिजिनेस सूचकांक में 2016 के 131 वे पायदान से बढ़कर 2018 में 100वें पायदान पर चढ़ गया है।

नया बुनियादी ढांचा:—

सरकार की मंशा, औद्योगिक गलियार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा (इसलिए भारतमाला जैसी परियोजना) जिसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और हाई-स्पीड संचार (इसलिए, भारतनेट परियोजना) सुविधाओं से सुसज्जित स्मार्ट शहर विकसित करने की है ताकि उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। उद्योग के लिए कौशल आवश्यकताओं की पहचान की जाएगी। और उसके अनुसार कार्यबल को लगाने का काम किया जाएगा। (इसलिए कौशल भारत मिशन संचालित किया जा रहा है)।

दूसरे देशों से सीधे निवेश—

भारत निर्माण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पूंजी दूसरे देशों से सीधे निवेश के माध्यम आकर्षित करना चाहता है। इस प्रकार, रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा युक्तियों, निर्माण और रेलवे की आधारभूत संरचना आदि में व्यापक स्तर पर दूसरे देशों से सीधे निवेश को खोल दिया गया है।

नया दृष्टिकोण —

देश के आर्थिक विकास में उद्योग द्वारा साझेदारी करने के लिए, सरकार सहायक की भूमिका अपनाएगी न कि विनियामक या नियंत्रक की (जैसा कि लाइसेंस राज में हुआ करता था।) इस प्रकार, ‘मेक इन इण्डिया’ का लक्ष्य घरेलू कम्पनियों को वैश्विक स्तर की कम्पनियों में बदलने

के लिए सहायता प्रदान करना है जिसका प्राथमिक बल, हरित और उन्नत निर्माण कार्य व भारत को उच्च आय वाले देश के रूप में परिवर्तित करना है।

सूचना के प्रसार के लिए और निवेशकों से वार्तालाप के लिए एक “संवाद मूलक पोर्टल” का बनाया जाना जिसका उद्देश्य देश में निवेश अवसरों और परिदृश्यों के बारे में जागरूक करना है ताकि विदेशी बाजार में भारत को पंसदीदा निवेश गन्तव्य के रूप में बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक एफ.डी.आई. में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकें।

राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित और सरलीकृत करने की एंजेन्सी के रूप में “इन्वेस्ट इण्डिया” की स्थापना करना।

देश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ मेक इण्डिया पहल के तहत एक पूर्णकालिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सैल (निवेश प्रोत्साहन केन्द्र) की स्थापना की गई है। इसका मुख्य कार्य है। सभी निवेश प्रश्नों को जानने व समझने में मदद करना। साथ ही सम्भावित निवेशकों की तरफ से विभिन्न एंजेन्सियों से सम्पर्क करना।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 में जैसा परिकल्पित है उसके अनुसार मैक इन इण्डिया संकल घरेलू उत्पादन का 25 प्रतिशत का योगदान और 2022 तक 10 करोड़ नौकरियां दे सकता है। भारत में कामगारों/बेरोजगारों के हुनर एवं कौशल को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं ताकि वे उचित रोजगार पा सकें।

रचनात्मक संभावनाओं के दोहन व उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के क्रम में “स्टार्टअप इण्डिया” और “स्टेण्ड इण्डिया” अभियान की घोषणा की गई।

भारत में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रोत्साहन मंच प्रारम्भ किया गया है। जिसका नाम ए.आई.एम. (अटल इनोवेशन मिशन) है। इसके अलावा एक तकनीकी वित्तीय उष्मायन एवं सुगमता कार्यक्रम लागू किया गया है। जिसका नाम एस.ई.टी.यू. (सैल्फ एम्पलाइड एण्ड टेलेन्ट यूटीलाइजेशन) है।

लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए और स्टार्टअप एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मैक इन इण्डिया योजना के द्वारा कई कदम उठाये गये हैं—

- एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के उद्यम को वित्त पोषण के लिए सिडबी (एस.आई.डी.बी.आई.) के तहत इण्डिया एस्पाइरेशन फण्ड की स्थापना की गई है।
- उदार शर्तों पर भारतीय एस.एम.ई. कम्पनियों को शर्त आधारित अल्पावधि ऋण व आभाषी इक्विटी देने के लिए सब्सिडी(एस.आई.डी.बी.आई.) मैक इन इण्डिया लॉन फॉर स्माल इन्टरप्राइजेज का शुभारम्भ किया गया है।

ऊपर बताये गये वैश्विक परिदृश्य के सामने विनिर्माण क्षेत्र में 12 प्रतिशत विकास सम्भव हुआ है।

भारत में बनाओं (मैक इन इण्डिया) योजना के तहत रेल विकास हेतु जो प्रयास किये गये हैं। उनका उल्लेख करना भी समाचीन होगा —

ट्रेन-18: देश की पहली इंजन रहित रेल

भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन तैयार की गई है। रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में इस ट्रेन की जानकारी जारी की गई। इस ट्रेन का नाम ट्रेन-18 रखा गया है। इस विशेष ट्रेन की रफ्तार 160 कि.मी. प्रति घंटे होगी। इसे ट्रेन-18 इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसे 2018 में लॉन्च किया गया है। इसी तरह की खास तकनीक का उपयोग करते हुए ट्रेन-20 नामक एक और ट्रेन का निर्माण किया गया है। यह ट्रेन 2020 से पटरी पर दौड़ेगी।

ट्रेन-18 की विशेषताएं

- चैन्नई की रेल कोच फैक्ट्री में इन दोनों ट्रेनों का निर्माण मैक इन इण्डिया अभियान के तहत किया जा रहा है।
- इनके निर्माण की लागत विदेशों से आयात की गई ट्रेनों की कीमत से आधी होगी।
- रेल मंत्रालय का दावा है कि इस ट्रेन से सामान्य ट्रेन के मुकाबले यात्रा समय 20 फीसदी तक कम हो जाएगा।

- ट्रेन के कोच चैन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार हो चुके हैं। इसमें 14 नॉन एग्जीक्यूटिव कोच होंगे।
- ट्रेन-18 में प्रति कोच में 78 यात्री बैठ सकेंगे जबकि 2 नान एग्जीक्यूटिव कोच होंगे, इसमें प्रति कोच 56 यात्री बैठ सकेंगे।

ट्रेन-18 को अत्याधुनिक किया गया है—

15 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन “वंदे भारत एक्सप्रेस” की नई दिल्ली से शुरुआत की। यह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य संचालित की गई है। मैक इन इण्डिया के तहत 160 कि.मी. प्रति घंटे की गति से चलने वाली इस ट्रेन का निर्माण केवल 18 महीने में इंटीग्रल कोच कारखाना, चैन्नई द्वारा किया गया है। इसमें आरामदायक कुर्सियां हैं जो 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। जी.पी.एस. सूचना प्रणाली, सी.सी. टी.वी. कैमरा आपातकाल में ड्राइवर से बात करने के लिए टॉक बैंक सुविधा आदि अत्याधुनिक सुविधाओं से इसे तैयार किया गया है।

मैक इन इण्डिया योजना को सफल बनाने हेतु निम्न योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं—

कौशल विकास एवं उद्यमिता

किसी भी देश की पूंजीगत प्रगति तथा समाज से संबंधित विकास में कौशल व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्थानीय व विभिन्न राष्ट्रों में नौकरी बाजार की चुनौतियों का सामना करने में तथा अवसरों का लाभ उठाने में उन देशों को अधिक सफलता मिलती है। जिनमें कौशल के अधिक उन्नत स्तर उपलब्ध होते हैं। भारत में दक्षता में विस्तार की राष्ट्रीय नीति की घोषणा 2009 में की गई थी। इस नीति की घोषणा के बाद 2009 में ही राष्ट्रीय दक्षता में सुधार के लिए निमग्न की स्थापना की गई। एन.एस.डी.सी. ने अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए 211 प्रशिक्षण प्रदायकों की मदद की ताकि विशिष्ट उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्षता में तरक्की के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकें। जून 2013 में राष्ट्रीय दक्षता में सुधार के लिए एजेंसी की स्थापना की गई जो राज्य सरकारों की सहायता से राज्य स्तर पर आयोजित दक्षता में सुधार के लिए आयोजनों को पुनर्जीवित करने तथा लागू करने के लिए प्रयासरत है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के माध्यम से इस बात की चेष्टा की जा रही है कि उच्च शिक्षा तथा दक्षता में सुधार के लिए आयोजनों के मध्य तालमेल बिठाया जाए। इन सब प्रयासों के आधार में कारोबारी प्रशिक्षण संस्थाओं तथा पॉलिटेक्निक्स का सहयोग निहित है जिनकी संख्या अब क्रमशः 12000 तथा 3200 हो चुकी है।

परन्तु आगे आने वाले वर्षों में देश को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि भारत की श्रम शक्ति के केवल 4.69 प्रतिशत को ही विधिवत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त है जबकि इंग्लैण्ड में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, अमेरिका में 52 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत तथा दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत श्रमशक्ति को विधिवत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त है। एन.एस.डी.सी. द्वारा 2010 से 2014 की अवधि के मध्य किए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि भारत को 2022 तक 24 प्रमुख निकायों में 10.97 करोड़ अतिरिक्त प्रशिक्षित व कौशल प्राप्त लोगों की आवश्यकता होगी।

नीति के लक्ष्य व उद्देश्य

दक्षता में तरक्की एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति 2015 का उद्देश्य बड़े पैमाने पर उच्च मानकों पर आधारित, दक्षता में तरक्की की परम्परा को लागू करना है तथा नवप्रवर्तनों के माध्यम से ऐसी उद्यम परम्परा को जन्म देना है जिससे देश की सम्पूर्ण जनता के लिए रोजगार व धन संपदा का सृजन करके जीवनयापन के उपयुक्त व वहनीय अवसर पैदा किए जा सकें।

नीति का मूल उद्देश्य लोगों को जीवन भर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवा कर उनके शक्तिकरण को और मजबूत बनाना है। इस प्रशिक्षण व्यवस्था के दौरान उन्हें उपयुक्त प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, साख की व्यवस्था की जाएगी तथा उद्योगों को अधिक उन्नत करने तथा सही ढंग से चलाने की विधि संबंधी नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नीति में यह विश्वास प्रकट किया गया है कि जैसे-जैसे व्यक्तियों का विकास होगा, समाज व देश भी उनकी उन्नत उत्पादकता व तरक्की से लाभान्वित होंगे इस नीति में निम्नलिखित तथ्यों को प्राथमिकता होगी—

- परिणाम—उन्मुख गुणात्मक कौशल की व्यवस्था जिससे एक और लोगों की रोजगार प्राप्त करने की योग्यता बढ़ेगी व उन्हें बेहतर जीवनयापन के अवसर मिलेंगे तथा दूसरी ओर सभी (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक) क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- प्रशिक्षण आधार संरचना तथा प्रशिक्षकों की क्षमता तथा गुण में सुधार।

- कौशल प्रशिक्षण तथा सामान्य उच्च शिक्षा व्यवस्था में अधिक तालमेल तथा सामंजस्य ।
- औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा भारत के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कुशल श्रमिकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था का निर्माण जिससे कौशल प्राप्त श्रम शक्ति की मांग व आपूर्ति में उपयुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके ।
- काम के दौरान प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर बल ।

समाज से संबंधित रूप से तथा भौगोलिक रूप से पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग इत्यादि) की काबिलियत में विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की उपयुक्त साझेदारी सुनिश्चित करना ।

कौशल विकास के लिए कदम

कौशल विकास के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति 2015, में कई कदमों की घोषणा की गई है जिनमें से कतिपय महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं—

- भावी पाँच वर्षों के दौरान कम से कम 25 प्रतिशत स्कूलों में नौवीं कक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षाओं का सामान्य शिक्षा कक्षाओं से एकीकरण किया जाएगा ।
- कौशल विकास तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के सहयोग से, राष्ट्रीय स्तर पर नए कौशल विश्वविद्यालयों व संस्थाओं की स्थापना की जाएगी तथा मौजूदा संस्थाओं का उपयुक्त विस्तार किया जाएगा ।
- कौशल व्यवस्था का उच्च शिक्षण संस्थाओं के साथ एकीकरण के दृष्टिकोण से पॉलीटेक्निक्स में एन.एस.क्यू.एफ. के अधीन व्यावसायिक कोर्स आरम्भ किए जाएंगे तथा Bachelor of Vocational Studies के डिग्री कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे ।

- बाजार में विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की मांग के स्वरूप को देखते हुए आई.आई.टी. तथा पॉलीटेक्निक्स में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का संशोधन व आधुनिकीकरण किया जाएगा।

भारत में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी आधारित संरचना उपलब्ध है जिसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है उदाहरण के लिए देश में 10 लाख से अधिक ऐसी संस्थाओं के भवन हैं जिनका सप्ताह में केवल 40 घंटे ही उपयोग हो पाता है। इस आधारित संरचना का प्रयोग छुट्टी के दिनों में तथा खाली घंटों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

सरकारी तथा निजी सहभागिता में नए आई.आई.टी.एस. का गठन किया जाएगा (विशेषतः पर उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की संस्थाएं नहीं हैं) ताकि कौशल कार्यक्रमों की पहुँच बढ़ाई जा सके।

राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे पंचायत स्तर पर कौशल वर्धन केन्द्र की स्थापना करें। इन केन्द्रों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्कूलों में न जाने वाले बच्चों, नवयुवतियों, गृहणियों तथा ग्रामीण युवा वर्ग को रोजगार योग्य बनाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।

सभी प्रकार की सामान्य व व्यावसायिक शिक्षा (जिसमें कौशल प्रशिक्षण भी सम्मिलित) को दिसम्बर 2018 तक एन.एस.यू.एफ. के साथ संबद्ध करना होगा। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त वैधानिक व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाएगा।

क्षेत्र कौशल कौंसिल को जो उद्योग प्रेरित संस्थाएं होंगी, और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए उन्हें और प्रतिनिधिक बनाया जाएगा, उनकी पहुँच बढ़ाई जाएगी तथा उनकी दक्षता में और वृद्धि की जाएगी। एस.एस.सी.एस. द्वारा विकसित मानकों का नियंत्रण एन.एस.क्यू.एफ. के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति द्वारा किया जाएगा।

युवा वर्ग को रोजगार योग्य बनाने के लिए सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम्प्यूटर साक्षरता, वित्त, भाषा, शिष्टाचार, स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, कार्य-क्षेत्र में उपयुक्त व्यवहार इत्यादि से अवगत कराया जाएगा।

कौशल भारत तथा भारत के निर्माण –

भारत में निर्माण तथा कौशल भारत एक दूसरे के पूरक है। भारत में निर्माण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के 25 क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है जिससे रोजगार सृजन होगा तथा इस प्रकार कौशल प्राप्त श्रम शक्ति के लिए मांग पैदा होगी। इन क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र हैं, मोटर कार, रसायन, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि निर्माण, वस्त्र उद्योग, बन्दरगाह, हवाई यात्रा, चमड़ा, पर्यटन व अतिथि सत्कार, रेलवे, आटो सामन डिजाईन विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, खान, बायो टेक्नोलौजी तथा इलेक्ट्रानिक्स। जहाँ तक “कौशल भारत” का संबंध है, इसका उद्देश्य उच्च कौशल प्राप्त श्रम शक्ति को तैयार करना है जो पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप है ताकि उत्पादकता में सुधार किया जा सके जिससे आर्थिक संवृद्धि की गति और तेज हो सकें।

“भारत में निर्माण” कार्यक्रम के अधीन 25 क्षेत्रों को चुना गया है। कौशल कार्यक्रमों को, इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, तैयार किया जाएगा। सभी पक्षों की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी जो “भारत में निर्माण” कार्यक्रम का सतत् मूल्यांकन करती रहेगी ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किस प्रकार के कुशल श्रमिकों की आवश्यकता कहाँ-कहाँ पर है। कौशल कार्यक्रमों को इस आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाएगा।

- प्रशिक्षण सुविधाओं के उपयुक्त विकास व प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा, दूर-दराज क्षेत्रों में सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की लागत को कम करने के प्रयास किए जाएंगे।
- भारत में 3000 कालेजों के मुख्य पाठ्यक्रम में उद्यमिता शिक्षा को सम्मिलित किया जाएगा। इन कालेजों में कार्यरत शिक्षकों के पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी तथा सभी आवश्यक सहायता दी जाएगी।
- “एक” राष्ट्रीय, 30 राज्य स्तरीय, 50 नोडल तथा 3000 कालेज आधारित ई-हब की स्थापना की जाएगी जो सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
- कौशल विकास की प्रशासनिक व्यवस्था तथा वित्तीयन

“कौशल प्राप्त भारत” का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने एक पृथक कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका प्राथमिक उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास है। यह मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति 2015 को लागू करने का दायित्व निभाएगा तथा कौशल विकास की प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों व कार्यक्रमों के मध्य तालमेल

बिठाएगा। इसके अलावा, 2013 में स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी एन.एस.क्यू.एफ. के कार्यान्वयन में सहयोग देगा। निजी क्षेत्रों द्वारा आरम्भ किए सभी कौशल विकास कार्यक्रमों के एकीकरण का काम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को सौंपा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक कौशल क्षमता का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित अलग-अलग तरह की मांग के अनुरूप हो, 'क्षेत्र कौशल कौंसिल' की स्थापना की गई।

सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भारत जैसे बड़े देश में व्यापक स्तर पर कौशल कार्यक्रमों के उपयुक्त प्रसार को संभव बनाने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों से पूरी धन-व्यवस्था नहीं की जा सकेगी। इसलिए सभी को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे अर्थात् सरकारी सहायता के अलावा, निजी क्षेत्र के उद्यमों को भी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे तथा सीधे लाभान्वितों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी।

सरकार ने देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास फण्ड की स्थापना की है। इस फण्ड की निगरानी का काम एक सार्वजनिक ट्रस्ट को सौंपा जाएगा जो सभी ओर से आने वाली वित्तीय सहायता का लेखा जोखा रखेगा।

कौशल विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के व्यय को उठाने के लिए एक अच्छी ऋण व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए एक साख गारण्टी फण्ड की स्थापना की गई है। उद्यमिता विकास के उद्देश्य से प्रधानमंत्री योजना के अधीन प्रति वर्ष 3000 करोड़ रुपये की साख गारण्टी फण्ड की स्थापना की गई है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

भारतीय श्रम शक्ति के बहुत छोटे से अंश को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि देश के कई क्षेत्रों को कुशल श्रमिकों की उपयुक्त मात्रा की उपलब्धि नहीं हो पाती जिसके कारण उत्पादकता कम रहती है। हाल में स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास कौंसिल के अनुसार गुणात्मक रूप से कौशल श्रमिकों की गंभीर कमी है तथा देश के व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र एवं प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों का उपयुक्त मात्रा में अभाव है, अनुमान है कि वर्ष 2017 में व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्र में अध्यापकों व अन्य विशेषज्ञों की कमी 2,11,000 थी। 2022 तक श्रम शक्ति की आवश्यकता बढ़कर 3,20,000 हो जाने की संभावना है। लोगों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में कमी की भरपाई के लिए अपना निवेश बढ़ाए। इस संदर्भ में, कौशल विकास एक प्राथमिकता क्षेत्र बन कर उभरा है। इस पृष्ठभूमि में

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई है। यह सरकार द्वारा नए स्थापित मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का मुख्य कार्यक्रम है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास कौंसिल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा वर्ग का कौशल विकास करना है और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर मौद्रिक पुरस्कार देने की व्यवस्था है। विशेष रूप से, योजना का उद्देश्य है:

- सर्टिफिकेशन प्रक्रिया का मानकीकरण करना तथा कौशल प्राप्त लोगों की सूची तैयार करना।
- भारतीय युवा वर्ग को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वह कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा इस प्रकार अपनी रोजगार क्षमता में सुधार करें, विद्यमान श्रम शक्ति की उत्पादकता में वृद्धि करना, तथा देश की आवश्यकताओं के अनुसार, प्रशिक्षण व सर्टिफिकेशन के कार्यक्रमों का सामंजस्य करना।
- युवा वर्ग की रोजगार क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए उन्हें बेहतर कौशल-प्रशिक्षण प्रदान करना तथा कौशल सर्टिफिकेशन के आधार पर मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करना।
- मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को 8,000 रुपये प्रति विद्यार्थी की औसत सहायता प्रदान करना।
- इस प्रकार 24 लाख युवाओं को 1,500 करोड़ रुपये की लागत से लाभान्वित करना।

कौशल विकास की युक्ति तथा दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि में 24 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर मौद्रिक पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सार्वजनिक-सार्वजनिक साझेदारी द्वारा किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को दिया गया है। योजना के तहत यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं प्रशिक्षकों से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है उसे मौद्रिक पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार

कई क्षेत्रों में उच्च क्वालिटी कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होने पर देश की श्रम शक्ति का कौशल विकास हो सकेगा जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सहायता से देश में कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं का व्यापक विस्तार हो पाएगा जिससे आगे आने वाले वर्षों में उपयुक्त मात्रा में कौशल प्राप्त श्रमिक मिल पाएंगे। योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थात्मक ढाँचा तैयार हो चुका है जिसमें राष्ट्रीय कौशल विकास कौंसिल, क्षेत्र कौशल कौंसिल, मूल्यांकन एजेंसियां तथा प्रशिक्षण सहयोगी सम्मिलित है। मांग प्रेरित लक्ष्य-कौशल मांग तथा कौशल आपूर्ति में अंतराल के आधार पर क्षेत्र कौशल कौंसिल को कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य दिए जाएंगे। इस प्रशिक्षण की व्यवस्था एस.एस.सी.जी. द्वारा, एन.एस.डी.सी. के सहयोग से तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की मदद से किया जाएगा।

राष्ट्रीय मुख्य कार्यक्रमों व क्षेत्रों के अनुरूप लक्ष्य-भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत, भारत में निर्माण, डिजीटल भारत, राष्ट्रीय सौर्य मिशन इत्यादि द्वारा जनित मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

कौशल प्रशिक्षण के सभी कार्यक्रमों में परिणाम-आधारित लक्ष्यों पर जोर होगा तथा सभी कार्यक्रमों का विभिन्न संस्थाओं व प्रशिक्षण प्रदायकों द्वारा उपयुक्त मूल्यांकन व सर्टिफिकेशन किया जाएगा, बेहतर पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे, तथा प्रशिक्षण प्रदायकों को बेहतर तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इन सब प्रयासों से देश में उच्च गुणवत्ता का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा। सभी कौशल प्रशिक्षण में व्यक्तिगत स्तर पर उपयुक्त प्रशिक्षण, स्वच्छता, बेहतर काम की इच्छा, शिष्टाचार इत्यादि पर बल दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन कोई भी भारतीय नागरिक सम्मिलित हो सकता है। जो

- (1) योग्य प्रशिक्षण प्रदायकों से निर्धारित सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करता है,
- (2) जिसका मूल्यांकन मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा योजना के एक वर्ष के भीतर किया जाता है तथा
- (3) जो योजना की प्रथम वर्ष की अवधि में केवल एक बार मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त कर रहा है।

इस योजना का प्रसार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों व संभावनाओं की जानकारी के लिए कौशल मेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि यह योजना देश के सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में पहुँचाई जा सके।

दीन दयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल योजना

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 23 सितम्बर, 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आरम्भ की गई। यह रोजगार अवसरों से जुड़ी हुई कौशल प्रशिक्षण की योजना है। यह एक महत्वाकांशी योजना है जिसका उद्देश्य रोजगार से जुड़े कौशल कार्यक्रमों को विश्व मानकों व आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है। इसका दूरगामी उद्देश्य यह है कि भारत के जनांकिकीय आधिक्य को जनांकिकीय लाभ के रूप में परिणत करने के लिए ग्रामीण भारत को विश्व मांग के अनुरूप कौशल प्राप्त श्रमिकों का स्रोत बनाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप आशा है कि 5.50 करोड़ ग्रामीण निर्धन युवाओं को (जो कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार हैं) प्रशिक्षित करके उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस प्रकार इस योजना से गरीबी स्तरों को कम करने में सहायता मिलने की सम्भावना है। इस प्रकार डी.डी.यू.–जी.के.वाई. का मिशन है ग्रामीण निर्धन परिवारों को नियमित मजदूरी पर लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के स्तर को कम किया जा सके। यह भी आशा है कि डी.डी.यू.–जी.के.वाई., प्रधानमंत्री के भारत में निर्माण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

योजना के निर्देशक सिद्धांत

- निर्धन लोगों के मध्य आर्थिक अवसरों की भारी मांग है तथा साथ ही उनकी कार्य-योग्यताओं को बढ़ाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं।
- भारत के जनांकिकीय आधिक्य को जनांकिकीय लाभ में परिणत करने के लिए सामाजिक संघटन की तथा मजबूत संस्थाओं के नेटवर्क की नितांत आवश्यकता है।
- भारतीय नियोजकों तथा वैश्विक नियोजकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण निर्धनों को कौशल प्रदान करने के लिए गुणवत्ता एवं मानकों पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है।

मुख्य विशेषताएं

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ कौशल प्रदायक कार्यक्रम है जो ग्रामीण युवाओं के लिए तैयार किया गया है। इसका कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सार्वजनिक निजी क्षेत्र की साझेदारी में किया जाना है। पी.आई.एज. के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे उनके द्वारा प्रशिक्षित युवाओं में से कम से कम 75 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध करावाएं। इन कार्यक्रमों के अधीन ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 35 वर्ष के मध्य के युवाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

सामाजिक समावेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि पिछड़े वर्गों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। क्षेत्रीय आधार पर भी जम्मू व कश्मीर के लिए एक उप-योजना शुरू की गई है जिसे हिमायत नाम दिया गया है। इसी प्रकार नौ राज्यों के 25 वामपंथी अतिवादी जिलों में ग्रामीण निर्धन परिवारों के युवा वर्ग के लिए भी योजना आरंभ की गई है जिसे 'रोशनी' नाम दिया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में व्यवस्था है कि तीन मास के प्रशिक्षण के पश्चात् श्रमिकों को न्यूनतम 6,000 रुपये प्रति मास की नौकरी दिलवाई जाए, नौकरी के दौरान उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान की जाती रहे तथा बेहतर नौकरियां पाने में उनकी मदद की जाती रहे। कौशल परियोजनाओं का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे प्रशिक्षण सहयोगियों को चुना जाए जो दूसरे देशों में भी रोजगार अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं तथा इन अवसरों के अनुरूप उपयुक्त प्रशिक्षण दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में निर्माण कार्यक्रम की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण निर्धन युवा वर्ग को कौशल सम्मान किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी करने की योजना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। वर्ष 2015-16 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.78 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका था तथा 60 हजार को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका था।

स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैण्ड अप इंडिया

स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि नवप्रवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सके। इसी के साथ, यह भी आशा की गई थी कि अमेरिका की फेसबुक, गूगल, अमेजोन और भारत की पिलपकार्ड जैसी सफलता गाथाओं को दोहराया जा सकेगा जिससे संवृद्धि और अधिक नौकरियां पैदा हों।

स्टार्ट-अप इंडिया के अतिरिक्त, स्टैण्ड-अप इंडिया योजना की शुरुआत भी 2016 में की गई थी जो समाज के कमजोर तबकों को अपना कारोबार स्थापित करने में सहायक देगी। हर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की हर शाखा से किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या एक महिला उद्यमी को कारोबार, सेवा या निर्माण क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के मध्य लोन दिया जा सकता है।

स्टार्ट-अप इंडिया की उल्लेखनीय विशेषताएं निम्नलिखित हैं –

- साधारण बनाना और हैंडहोल्डिंग
- निधि देकर सहायता और प्रोत्साहन
- उद्योग व विद्वान-वर्ग की साझेदारी और कारगर वातावरण देना
- क्रेडिट गारंटी निधि

स्टार्ट अप कार्य योजना के तहत हाल ही में उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं –

स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल और मोबाइल ऐप :- स्टार्ट-अप व आवश्यक इनपुट देने वाले अन्य हितधारियों को अपडेट व सूचना, पात्रता प्रमाणपत्र और मान्यता देने के लिए, इसे प्रारंभ किया गया है।

स्टार्ट-अप इंडिया हब :- स्टार्ट अप से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने और उन्हें आवश्यक सहायता देने के लिए इसकी शुरुआत 2016 में की गई है। इसके अलावा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इसी तरह के हब स्थापित करने हैं और स्टार्ट अप को अपने जीवन-चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता देने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना होगा।

निधि की निधि :- स्टार्ट-अप में सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की निधि स्थापित की गई है जिसका प्रबंधन सूक्ष्म उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) करेगा। इस निधि का उपयोग, स्टार्ट-अप के लिए प्रारंभिक पूंजी में निवेश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार यह निधि, स्टार्ट-अप के लिए इक्विटी, आधी इक्विटी, सॉफ्ट लोन और अन्य प्रकार की जोखिम पूंजी के रूप में निजी पूंजी को आकर्षित करेगी। अब तक सिडबी द्वारा 1100 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 80 आईएसी में स्टार्ट-अप के लिए 5 वर्ष की अवधि में तीन वर्ष के लिए कर छूट देने की व्यवस्था है यदि स्टार्ट-अप को 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2019 के मध्य बनाया गया हो।

स्व-प्रमाणन :- स्टार्ट-अप को सरल बनाने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने एंस.एफ.डी. श्रेणी में आने वाले उद्योग को पर्यावरण से संबंधित 3 अधिनियमों के अंतर्गत लागू होने वाले स्वप्रमाणन से छूट प्राप्त है -

- जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2003 और
- वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को स्टार्ट-अप इंडिया की कार्य योजना में सूचीबद्ध है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोन्नयन योजना (एन.ए.पी.एस.)

मध्यकाल में शिक्षा का प्रसार कम था और संस्थानों में कौशल विकास के बारे में सुनना तो दूर की बात थी। जो भी युवा कौशल सीखना चाहते थे वो किसी कुशल व्यक्ति के सानिध्य में प्रशिक्षु बना करते थे। उदाहरण के लिए, लुहार बनने के लिए, युवा के पास किसी स्थापित लुहार का शार्गिद बनने के अलावा कोई चारा न था। इस स्थापित लुहार ने भी अपनी युवावस्था में यह कौशल किसी स्थापित लुहार से ही सीखा होगा। इससे समाज को पर्याप्त कौशल सुनिश्चित करने में सहायता और प्रशिक्षु को पूरी तरह से पेशेवर बनने का अवसर मिलता था। इससे युवाओं को आरंभिक दौर में ही नौकरी मिल जाया करती थी और उनका गुरु उनका शोषण किया करता था। वे बहुत लंबे घंटों तक मुश्किल हालातों व अस्वास्थ्यकारी दशाओं में काम करते थे जिनको पर्याप्त मजदूरी भी नहीं दी जाती थी केवल पेट भरने लायक खाना दिया जाता था और सदैव उनसे बुरी

तरह व्यवहार किया जाता था। इस तरह के शोषण का जीवंत जिक्र चार्ल्स डिफेन्स ने अपनी पुस्तक 'डेविड कूपरफील्ड' में किया है।

इस कारण, कई देशों ने प्रशिक्षुवृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया या इसे बहुत मुश्किल बना दिया था। भारत में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 ने इसे बहुत ही मुश्किल बना दिया था। उनकी सेवाएं लेना असंभव ही हो गया, जबकि वे इस आयु के थे और उन्हें कुछ युवित्तयुक्त मजदूरी प्रदान की जा सकती है। इसके कारण पूरे देश में अब लगभग 2.3 लाख प्रशिक्षु हैं।

इस प्रतिकूल प्रभाव के कारण नियोजकों को कुशल मानव शक्ति नहीं मिल पाती है और युवाओं को कोई नौकरी लेने के लिए या अपने चुने हुए क्षेत्र में उद्यमी बनने को मौका नहीं मिल पाता। समाज में रोजगार व कौशल स्तर को बढ़ाने में प्रशिक्षुओं के महत्त्व के कारण, अब सरकार ने राष्ट्रीय प्रोन्नयन योजना की शुरुआत की है जिसका लक्ष्य 2020 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाना है। मोटे तौर पर इस योजना में निम्नलिखित व्यवस्था है –

ऐसे नए प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पर होने वाली बुनियादी लागत का वहन जो केवल प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और कुशल पेशेवरों के सहयोगी सहायक के रूप में काम नहीं करते हैं। एक बार बुनियादी प्रशिक्षण को लेकर वे कुशल पेशेवरों के सहायक के साथ काम करके अपने कौशल का वर्धन कर सकते हैं ताकि वे कुछ मजदूरी/स्टाइफंड कमाना शुरू कर सकें।

कुशल पेशेवरों को अपने साथ प्रशिक्षु रखकर उन्हें स्टाइफंड देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार अदा किए गए स्टाइफंड के 25 फीसदी की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। इस प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि 1500 रुपये होगी। किसी प्रकार के शोषण को रोकने व कम आयु के प्रशिक्षुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये जायेंगे।

भारत के सौर रूपान्तरण के लिए धारणीय छत कार्यान्वयन (सृष्टि)

छत पर स्थित सौर ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा उत्पादन के लिए छत के स्थान का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक तौर पर 1 किलोवाट के छत पर स्थित सौर संयंत्र के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किसी परिसर में उपभोग या ग्रिड में भेजने के लिए किया जा सकता है और नेट मीटरिंग से इसको बिजली के बिल में समायोजित किया जा सकता है। इस तरह के संयंत्रों से बिजली वितरण कंपनियों को बिजली प्रेषण व वितरण में होने वाली हानियों को समाप्त करने में मदद मिलती है क्योंकि इसमें बिजली

का उपयोग व उत्पादन एक ही स्थान पर है। ये दिन के समय उच्चतम लोड का पूरा करने में भी सहायक होता है क्योंकि सौर उत्पादक के तरीके से इसकी पूर्ति हो जाती है। भारत सरकार ने 2022 तक 40,000 मेगावाट की छत पर स्थित सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है। सेक्टर आधारित प्रस्तावित लक्ष्य निम्नलिखित है –

- वाणिज्यिक व औद्योगिक निकाय– 20000 मेगावाट
- सरकारी निकाय– 5000 मेगावाट
- आवासीय निकाय– 5000 मेगावाट
- सांस्थानिक निकाय– 5000 मेगावाट
- सामाजिक निकाय– 5000 मेगावाट

चालू कार्यक्रम– सरकार ने 30 सितम्बर 2015 को वित्त वर्ष 2019–20 तक 5000 करोड़ की राशि के लिए वित्तीय बजट के साथ 'ग्रिड से जुड़े छत पर स्थित व लघु सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम' के कार्यान्वयन की मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदान की जानी वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता, सामान्य श्रेणी के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए बेंचमार्क लागत/निविदा लागत (जो भी कम हो) का 30 फीसदी तक और विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों जैसे सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए बेंचमार्क लागत/निविदा लागत (जो भी कम हो) का 70 फीसदी तक हो सकती है।

इस कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए केवल आवासीय संस्थानिक और सामाजिक क्षेत्र ही पात्र है। वाणिज्यिक व औद्योगिक इकाइयों को कोई केंद्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

इस कार्यक्रममें 2019–20 तक देश में 4200 मेगावाट के छत पर स्थित सौर संयंत्र स्थापित करने में सहायता मिलने की आशा है। लेकिन दिसम्बर 2017 तक देश में केवल 845 मेगावाट की कुल क्षमता ही स्थापित हो पाई है। मंत्रालय ने इस असंतोषजनक कार्य निष्पादन का कारण निविदा में देरी, कई हितधारियां, वितरण कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राज्य एजेंसियों आदि की संबद्धता, राजस्व हानि के कारण वितरण कंपनियों की अनिच्छा, नेट मीटर की सीमित उपलब्धता व एकसमान विनियम न होना बताया है।

इस योजना का नाम अब बदलकर 'सृष्टि' कर दिया गया है और बदलाव का कारण, कार्यान्वयन तंत्र की जटिलता को कम करता है। तदनुसार, छत पर स्थित सौर संयंत्र कार्यक्रम की

अगुआई वितरण कंपनियों के हाथ में दे दी गई है। साथ ही, अपने क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने के लिए उन्हें कार्य निष्पादन आधारित वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, वितरण कंपनियों को इस योजना को चालू करने के लिए एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी बना दिया गया है।

अब, केवल आवासीय क्षेत्र में छत पर सौर संयंत्र लगाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो 5 किलोवाट की क्षमता के संयंत्र तक सीमित होती है। केंद्रीय वित्तीय सहायता अन्य श्रेणियों जैसे आवासीय (5 किलोवाट से अधिक), संस्थागत, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों के हित लाभार्थी, ऊंचे प्रशुल्क भुगतान करने वाले हैं और उनके लिए सौर ऊर्जा अपना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होगा। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए केवल समर्थकारी वातावरण तैयार करना है। वितरण कंपनियों द्वारा अपने वितरण नेटवर्क द्वारा संस्थापित मूलभूत क्षमता (पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में) के आधार पर छत पर सौर संयंत्र क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इस प्रोत्साहन का रूप प्रगतिशील होगा और उच्च स्तर की उपलब्धि के लिए उच्चतर प्रोत्साहन दर होगी।

बचत लैंप योजना के स्थान पर उजाला योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने 01 मई, 2015 में की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, दक्ष प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना, बिजली की बचत करने वाले/वाली ऊर्जा दक्ष उपकरण के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और पर्यावरण का संरक्षण है। इस योजना को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) द्वारा लागू किया जा रहा है। एल.ई.डी. बल्बों का वितरण कंपनी बिल संग्रह केंद्रों, निर्धारित ई.ई.एस.एल. कियोस्क, साप्ताहिक हाट बाजार आदि के माध्यम से किया जाएगा।

एल.ई.डी. बल्बों को घरों व सड़कों पर इतने व्यापक स्तर पर चलाने के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर, एल.ई.डी. बल्बों के बारे में एक समस्या यानि उसकी लागत का समाधान कर लिया है ये सी.एफ.एल. की तुलना में अत्यधिक महंगे थे। सी.एफ.एल. पारंपरिक बल्बों की तुलना में बहुत महंगे थे। इतने व्यापक स्तर पर एल.ई.डी. की मांग होने से उत्पादन स्तर बहुत मितव्ययी हो गया जिसके कारण भारत में एल.ई.डी. का मूल्य अत्यधिक कम हो गया है। वस्तुतः अब सबसे सस्ते एल.ई.डी. बल्ब केवल भारत में ही बनते और अब इस माल का निर्यात होना भी प्रारंभ होने की आशा है। यह सब 'मेक इन इंडिया' की करामात है।

स्ट्रीट लाईट राष्ट्रीय कार्यक्रम (एस.एल.एन.पी.)

इस कार्यक्रम का आरम्भ प्रधानमंत्री ने जनवरी 2015 में किया था। इसके तहत, मार्च 2019 तक, 1.34 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर ऊर्जा दक्ष एल.ई.डी. बल्ब लगाए जाएंगे। यह कार्यक्रम, ई.ई.एस.एल. द्वारा लागू किया जा रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट प्रतिस्थापन कार्यक्रम है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) का गठन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। यह एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण बिजलीकरण निगम और पावरग्रिड का संयुक्त उद्यम है। यह राज्य बिजली वितरण कंपनियों के लिए क्षमता निर्माण के संसाधन केंद्र के रूप में काम करता है। यह (ई.ई.एस.एल.) वर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ई.ई.ई.) के लिए बाजार से संबंधित कार्यों को गति प्रदान करता है।

ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, आंध्र प्रदेश के 7 जिलों की ग्राम पंचायतों में 10 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को बदलेगा। यह स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत देश में ग्रामीण एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पहली परियोजना है।

फेम इंडिया योजना

हाइब्रिड व बिजली वाहनों का तीव्रतर अंगीकरण व उत्पादन: फेम इंडिया की शुरुआत, राष्ट्रीय बिजली गतिशीलता मिशन (एन.ई.एम.एम.) के तहत 2015 में की गई थी। इसका लक्ष्य देश में पर्यावरण-मैत्री वाहनों को बढ़ावा देना है। इसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। यह हाइब्रिड/बिजली वाहन बाजार विकास और इसकी उत्पादन प्रणाली को सहायता प्रदान करता है। इस योजना के चार मुख्य क्षेत्र हैं –प्रौद्योगिकी ढांचे को तैयार करना। इसके तहत, दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहनों व बसों सहित सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

इसका लक्ष्य 2020 तक बिजली के वाहनों के लिए इको प्रणाली तैयार करना है ताकि भारत द्वारा अपने लिए 2030 तक तय किए गए लक्ष्य बिक्री किये जाने वाले वाहनों का 30 फीसदी बिजली चलित होना, को प्राप्त किया जा सके। यह अनुमान है कि दक्षता के वर्तमान स्तर पर, हर बिजली कार 30-40 लीटर ईंधन हर महिने बचाने की क्षमता रखती है और इसमें कार्बन पदचिह्न पेट्रोल/डीजल वाहनों की तुलना में 30 फीसदी ही रह जाएगा।

स्वस्थ भारत मिशन (ग्रामीण)

विश्व के अंदर भारत में कुपोषित, कमजोर व छोटे कद के बच्चे सबसे अधिक हैं जिसके कारण युवा जीवन में उनकी आर्थिक क्षमता बहुत कम हो जाती है व उनकी युवावस्थाअस्वास्थ्यकारी ही रहती है। भारत में शिशु मृत्यु भी सबसे अधिक है जिनमें से अधिकांश मौतों का कारण गंदी व अस्वस्थ्यकारी जीवन दशाओं में कारित बीमारियों (विकसित देशों में न सुनी वाली बात) है जैसे पेचिश और पेट आंत की बीमारियां।

अब तक, स्वास्थ्य में सरकार का केन्द्र बिन्दु 'रोगहर' पहलुओं पर था अर्थात् यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे दवा देकर उसे स्वास्थ्य लाभ देना। लेकिन, स्वास्थ्य देखरेख के निवारक पहलू की अहमियत भी उसके बराबर ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहले ही बीमारी से बच सकें?

यह भी भलीभांति ज्ञात है कि भारत में अधिकतर बीमारियां ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अस्वस्थ्यकारी दशाओं के कारण होती हैं। यह अनुमान है कि 2007 में, 525 मिलियन (जनसंख्या का 40 फीसदी) लोगों द्वारा खुले में शौच करने से प्रत्यक्ष संक्रमण (उदाहरण के लिए मक्खी से खाद्य संबंधी) हुआ जबकि अप्रत्यक्ष रूप से पेय व स्नान जल में अशुद्धियों के विलयन के दूषण के कारण। बात सही भी है कि, स्वच्छ पर्यावरण से जीवन गरिमामयी बनता है। गांधीजी कहा करते थे कि स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है। उनका यह भी मानना था कि स्वच्छ शरीर, अस्वच्छ शहर में निवास नहीं कर सकता।

इन विचारों में प्रधानमंत्री मोदी को अत्यधिक प्रभावित किया जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने पर 02 अक्टूबर, 2014 को अपने सबसे पहले कदम के रूप में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्होंने सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, भारत को स्वच्छ बनाकर दी जा सकती है।

स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य हैं –

- स्वच्छता, सफाई व खुले में शौच को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना।
- पारिवारिक व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच को समाप्त करना।

- सुरक्षित व पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति
- 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति बढ़ाना।
- सामुदायों को धारणीय स्वच्छता व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना और जागरूकता व स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा इसमें सहायता प्रदान करना।
- पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित व धारणीय स्वच्छता के लिए लागत प्रभावों व उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रणालियों पर ध्यान केंद्रीय करते हुए समुदाय द्वारा प्रबंध की जाने वाली स्वच्छता प्रणालियां, जहां आवश्यक हों, विकसित करना।
- लिंग के संबंध में कारगर सकारात्मकता पैदा करना और विशेषकर सीमांत समुदायों में स्वच्छता बढ़ाकर सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करना।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत, 2019 तक 8.84 करोड़ परिवारों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाये जाने हैं। साथ ही, प्रोत्साहन, व्यवहारगत परिवर्तन, संचार, सूचना, शिक्षण (आई.ई.सी.) द्वारा 2.27 करोड़ शौचालय (गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले गैर-हकदार, बंद पड़े शौचालय वर्ग में आने वाले) बनाना।

स्वच्छ भारत मिशन का अन्य महत्वपूर्ण पहलू अन्य मंत्रालय के साथ व मंत्रालय के अंदर विभिन्न योजनाओं के मध्य समन्वय का होना है। उदाहरण के लिए, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, (आई.एच.एच.एल.) के निर्माण के लिए, मनरेगा, आई.ए.वाई. के साथ समन्वय आई.एच.एच.एल., आंगनबाड़ी शौचालयों और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में लगातार जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के साथ समन्वय विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए निधि की कमी को पूरा करना।

मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों व अन्य कंपनियों से सी.एस.आर. (निगम सामाजिक दायित्व) निधि के लिए समन्वय बढ़ाएगा। सभी आंगनबाड़ियों में समेकित महिला स्वच्छता परिसर, शौचालय व पेयजल व्यवस्था के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय करने का प्रावधान भी है।

स्वच्छ भारत मिशन के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे हैं –

आवश्यकता व इसके परिणामस्वरूप कृषि के लिए पानी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए, नदियों से सिंचाई के लिए सुसमन्वित नीति न बनाये जाने के कारण किसानों को भूमि जल (ट्यूबवैल) पर निर्भर रहना पड़ा। जिसके उपयोग को नियंत्रित तो किया ही नहीं गया बल्कि इसके लिए सब्सिडी (बड़े पंपों के लिए सस्ती बिजली) भी दी गई। भौम जल की प्रतिपूर्ति, अत्यधिक दोहन होने के कारण न हो सकी, जिसके कारण भूमि जल लगभग सूख ही गया है। इसमें भी महत्वपूर्ण है, अत्यधिक दोहन के कारण जल में दूषकों जैसे आर्सेनिक, फ्लुरॉइड आदि की मात्रा बढ़ती ही जा रही है, इसलिए एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. आरंभ किया गया है।

इस कार्यक्रम को सभी ग्रामीण इलाकों, परिवारों, व्यक्तियों को हैंड पंप, पाईप जल आपूर्ति आदि के माध्यम से सुरक्षित व पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में व्यवस्था है—

- मानव इस्तेमाल के लिए 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल रेगिस्तान विकास कार्यक्रम इलाकों में पशुओं के लिए 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन।
- 250 व्यक्तियों के लिए एक हैंड-पंप या स्टैंड पोस्ट।
- जल स्रोत, आवास के अंदर/मैदानों में 1.6 किलोमीटर के अंदर और पहाड़ी इलाकों में 100 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए।

इसके अलावा, यह कार्यक्रम छह घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कवरेज, धारणीयता, जल गुणवत्ता, प्राकृतिक आपदा, सहायता और रेगिस्तान विकास योजना।

स्वच्छ भारत मिशन—शहरी

भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आरंभ किया है। इस अभियान में निम्न लिखित संयुक्त उद्देश्यों के साथ देश की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करने के लिए 4041 शहरों व कस्बों को कवर किया गया है –

- खुले में शौच को खत्म करना।
- इन्सॅटरी शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना।

- हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन
- नगर निगम अपशिष्ट का सौ फीसदी संग्रहण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण/निपटाना, पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण
- स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ इसके संबंध के बारे में जागरूकता फैलाना ताकि स्वस्थ स्वच्छता व्यवहारों के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सके
- अपेक्षित प्रणालियों का डिजाइन तैयार करने, लागू करने व इसका संचालन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करना
- पूंजीगत व्यय और संचालन व अनुरक्षण लागत दोनों के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता लेने के लिए उचित वातावरण तैयार करना।

इस मिशन के उद्देश्यों को, पारिवारिक शौचालयों के निर्माण, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों, नगर निगम अपशिष्ट प्रबंधन कार्यान्वयन, सूचना, शिक्षण व संचार (आई.ई.सी.) व सार्वजनिक जागरूकता और अंततः नगर निगम निकायों में क्षमता निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

नगर निगम अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से प्रबंधन करने का प्रोत्साहित करने और नगरों को अधिक स्वच्छता बनाने के लिए प्रेरित करने और नगरों को अधिक स्वच्छता बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए, आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 जनवरी 2018 को कूड़ा करकट मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल शुरू किया है। 7 स्टार रेटिंग को स्मार्ट (सिंगल मैट्रिक, मेजरबल, अचीवेबल, रिगर्स वेरीफिकेशन एंड टारगेटिव टूवार्ड्स कस्टमर्स) दृष्टिकोण के आधार पर नव-प्रवर्तन के तरीके से तैयार किया गया है। इसी कारण से यह, भारत के शहरों व कस्बों में स्वच्छता का मूल्यांकन करने के लिए विशेष प्रकार की रेटिंग है।

12 मापदण्डों पर आधारित यह प्रणाली, शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और शहरों की स्वच्छता और इसकी धारणीयता के उच्चतर मानकों को प्राप्त करने की महत्वकांशा की भावना को बढ़ावा देती है। स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के मजबूत पक्ष है –

यह परिणाम आधारित टूल है न कि प्रक्रिया आधारित। इसलिए, स्रोत विलगाव, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण, जुर्माना व कूड़ा इधर उधर गिरने तथा ढेर कूड़ा जनरेटरों के अनुपालन जैसे अच्छे व्यवहारों को संस्था द्वारा अपनाने में सहयोग देना।

इसको इस तरह तैयार किया गया है कि जिससे कोई शहर, आदर्श शहर (7-स्टार) बन सकेगा जिससे उनकी समग्र स्वच्छता में उत्तरोत्तर सुधार होगा।

7 स्टार स्तर पर 3 आर (reduce, reuse, recycle) के सभी घटकों को सम्मिलित कर लिया गया है।

स्वच्छता अभियान का उद्देश्य विदेशी निवेश का आकृष्ट करना है। यदि शहरों में स्वच्छता होगी तो निश्चित ही विदेशी निवेशक आकर्षक होंगीं। यह 'मेक इन इंडिया' की पहल का ही सुपरिणाम कहा जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भीम

भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) की शुरुआत दिसम्बर 2016 में की गई थी। इसका नामकरण भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी भीम राव अंबेडकर के नाम पर किया गया है। यह आधार प्लेटफार्म का उपयोग करने वाली बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली है जो सीधे बैंक में ई-भुगतान में सहायता के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यू.पी.आई.) है। सरकारी एजेंसियों के मूल्यांकन से पता चला है कि आधार से काल्पनिक दावों को हटाकर पिछले 3 सालों में 57,000 करोड़ की बचत हुई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, अब तक, 2.33 करोड़ नकली राशन कार्ड और 3 करोड़ नकली एल.पी.जी. कनेक्शनों का पता चला है।

वित्तीय और अन्य अनुदानों, लाभों व सेवाओं की लक्षित डिलीवरी अधिनियम, 2016 का संक्षिप्त रूप आधार अधिनियम है। यह जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है।

आधार का सफल कार्यान्वयन, पहल (प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ) योजना के रूप में देखा जा सकता है। पहल के तहत एल.पी.जी. के लिए नकद अंतरण का लाभ लेने के लिए आधार को जोड़ना आवश्यक है। सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होने के कारण, यह गिनीज बुक में दर्ज है। नवम्बर 2017 तक, 19.12 करोड़ एल.पी.जी. उपभोक्ता, पहल योजना से जुड़ चुके हैं। आधार से काल्पनिक खातों, कई खातों और निष्क्रिय पड़े खातों की पहचान करने में सहायता मिली है। इससे 2014-17 के दौरान लगभग 29,446 करोड़ रुपये के अनुदान की बचत हुई है।

जहाजरानी मंत्रालय

भारतीय बंदरगाह भारत के कुल एग्जिम व्यापार के 90 फीसदी को हैंडल करते हैं। हालांकि भारत बंदरगाह व लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। वी.डी.पी. में रेलवे के 9 फीसदी हिस्से और सड़कों के 6 फीसदी हिस्से की तुलना में बंदरगाहों की भागीदारी केवल 1 फीसदी है। इसके अलावा, लॉजिस्टिक की ऊंची लागत से भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। इसलिए, बंदरगाहों और जहाजरानी को भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका नियत स्थान दिलाने व बंदरगाह आधारित विकास में सक्षम बनने के लिए, सागरमाला परियोजना की 2005 में सिद्धांततः अनुमति मिली है।

सागरमाला परियोजना का प्रमुख लक्ष्य बंदरगाह आधारित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना व बंदरगाहों से तेजी से, दक्षता से और लागत-प्रभावी तरीके से सामान की आवाजाही के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है। यह विकास के निम्नलिखित तीन स्तंभों की चुनौतियों को हल करती है—

- उपयुक्त नीति और सांस्थनिक हस्तक्षेप के जरिए बंदरगाह आधारित विकास से सहायता व सहयोग प्रदान करना और समेकित विकास के लिए एजेंसियों और मंत्रालयों/विभागों/राज्यों के मध्य सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करना।
- आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों की स्थापना सहित बंदरगाह आधारित बुनियादी ढांचे की वृद्धि,
- बंदरगाह से दूर स्थित स्थानों से सामान को बंदरगाह तक दक्षता के साथ लाना।

सागरमाला परियोजना के कार्यन्वयन से पहले, भारत में केवल 12 बड़े बंदरगाह (कांधला, मुंबई, जे.एन.टी.पी.—जवाहर लाल नेहरू, मारमागाओं, न्यू मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, चैन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, कोलकाता) थे। सरकार के स्वामित्व वाले इन बड़े बंदरगाहों को समुद्र के रास्ते होने वाले परिवहन के अनुरक्षण की जिम्मेदारी थी। हालांकि ये उभरती प्रौद्योगिकीय उन्नति के साथ गति नहीं बना सके। इस स्थिति को सही करने के लिए, तटीय आर्थिक क्षेत्र (सी.ई.जैड.) कहे जाने वाले संभावी भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई थी। इन तटीय आर्थिक क्षेत्रों का लक्ष्य बंदरगाह के समीप स्थित

औद्योगिक स्कूलों के विकास को प्रोत्साहित करना है। इसमें बंदरगाह आधारित विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और एग्जिम व घरेलू कार्गो की आवाजाही लागत व समय में कमी आएगी और भारतीय निर्माण क्षेत्र में वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा आएगी। फरवरी 2018 तक सागरमाला के तहत 14 तटीय आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं जिनके नाम हैं— कच्छ, सौराष्ट्र, सूर्यपुर, उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण, दक्षिणी कनारा, मालाबार, मन्नार, पूमपूहार, विजान—चैन्ने औद्योगिक गलियारा (वी.सी.आई.सी.), वी.सी.आई.सी. केंद्रीय, वी.सी.आई.सी. उत्तरी, कलिंग व गौड़। इस प्रकार इनमें सभी नौगम्य राज्यों व संघ राज्यों को सम्मिलित कर लिया गया है।

सागरमाला परियोजना का लक्ष्य बड़े व छोटे बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाना, उन्हें दक्ष बनाने के लिए उनका आधुनिकीकरण करना है ताकि वे बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक बनकर, विद्यमान व भावी परिवहन परिसंगतियों का इष्टतम उपयोग कर सकें और नई लाइनों/परिवहन के लिए लिंकेजों (सड़क, रेल, आंतरिक जलमार्ग और तटिय रूटों सहित) का विकास, लॉजिस्टिक संकुलों की स्थापना और एग्जिम व घरेलू व्यापार में बंदरगाहों द्वारा सेवा प्रदान करके औद्योगिक व उत्पादन केंद्रों की स्थापना की जा सके। बंदरगाह और आवाजाही बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के अलावा, इसका उद्देश्य बंदरगाहों पर कार्गो के आवागमन के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रियाओं को सरलीकृत करना और तीव्र, दक्ष, बाधा—रहित और सतत कार्गो आवागमन के लिए सूचना आदान प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

जुलाई 2018 तक, भारतीय बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सागरमाला परियोजना के तहत लगभग 2.5 लाख करोड़ की लागत की 200 परियोजनाओं की पहचान की जा चुकी है। इसमें 112 सड़क परियोजना, 70 रेल परियोजना, 11 आंतरिक जलमार्ग परियोजना, 3 पाईपलाइन परियोजना और 15 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क सम्मिलित है। इन परियोजनाओं को कई एजेंसियों द्वारा लागू किया जा रहा है जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय रेल, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय आंतरिक राजमार्ग प्राधिकरण, मेजर पोर्ट्स, कोनकोर आदि। 'मेक इन इंडिया' दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने देश के प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकतम रूप देकर विदेश को आकृष्ट होने को बाध्य किया है।

पधानमंत्री जन औषधि परियोजना

सरकार ने जन औषधि स्टोर के माध्यम से सस्ते मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए जन औषधि परियोजना की शुरुआत की है। जेनेरिक दवा की लागत खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवा की तुलना में 50-90 फीसदी कम होती है। उदाहरण के लिए एम्लोडोपिन 5 एम.बी. की 10 गोलियों का मूल्य 3.25 रुपये है जबकि ब्रांडेड दवा का औसत बाजार मूल्य 20 रुपये है।

यह भी उल्लेखनीय है कि दवा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता क्योंकि ब्रांडेड दवा में भी यह लवण रहता है। इसके अलावा, जन औषधि स्टोर के लिए आपूर्ति की जाने वाली दवा के हर बैच की गुणवत्ता जांच एन.ए.बी.एल. (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला) प्रत्यायित प्रयोगशाला में की जाती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन जी.एम.पी. (स्वस्थ उत्पादन व्यवहार) मापदंडों के अनुसार होती है। भारत में लगभग 10,000 फार्मास्युटिकल कंपनियां हैं जिसमें से लगभग 1400 विश्व स्वास्थ्य संगठन जी.एम.पी. का पालन करती हैं। मंत्रालय द्वारा तय की गई इन 1400 कंपनियों से ही एक योजना के लिए दवा खरीदी जाती है।

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन (पी.एच.एम.आई.) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में इस योजना की सफलता में बाधा डालने वाली निम्नलिखित चिंताओं को उजागर किया गया है –

- राज्य सरकारों पर अत्यधिक सहायता आश्रितता।
- आपूर्ति श्रृंखला का बदहाल प्रबंधन।
- चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक दवा न लिखा जाना।
- राज्य सरकारों द्वारा निःशुल्क दवा वितरण।
- जनता में जागरूकता का अभाव।
- उत्पादों की बहुत कम मात्रा का होना।

इसके बाद सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए बड़े कदम उठाये हैं, जैसे –

उत्पादों की संख्या को बढ़ाना अब उत्पादों में दर्दनाशकों, बुखार भगाने वाली, एलर्जी रोधी, संक्रमण-रोधी, मधुमेह-रोधी, दिल संबंधी, कैंसर रोधी, जठरांत्र, मूत्रल जैसे बड़े उपचारों को सम्मिलित करते हुए 154 सर्जिकल व उपभोग्य दवाओं सहित 700 से ज्यादातर दवाओं को

सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (आयुष दवा) के तहत 666 दवाएं और 81 सर्जिकल डिस्पोजेबल भी उपलब्ध है।

- अलग-अलग राज्यों में वितरकों व सी. एंडएफ. (लागत व भाड़ा) एजेंटों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार लाना।
- कार्यरत स्टोरों की संख्या को बढ़ाना।
- मानवशक्ति को बढ़ाकर ऑपरेटिंग एजेंसी जैसे (भारत के फार्मा पी.एस.यू. ब्यूरो) को मजबूत करना।
- ऑपरेटिंग एजेंसी की पात्रता कसौटी में छूट।

चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक दवा न लिखे जाने वाले मुद्दे का हल निकालने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने सम्पूर्ण भारत में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और चिकित्सकों को दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसके तहत जेनेरिक दवा के नाम सहित उसका ब्रांड नाम मुख्यतः लिखना अनिवार्य है। मार्च-2018 तक, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 3214 केन्द्र देश के 33 राज्यों तथा संघ शासित राज्यों में कार्यरत थे ताकि इन क्षेत्रों में उचित मूल्य पर गुणवत्ता की जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

सारतः कहा जा सकता है कि 25 सितम्बर 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नयी दिल्ली में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत में निवेश करने के लिए (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) पूरे विश्व में मुख्य व्यापारिक निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए ये एक पहल थी। देश में किसी भी क्षेत्र में (उत्पादन, टेक्सटाईल्स, ऑटोमोबाईल्स, निर्माण, खुदरा, रसायन, आई.टी., बंदरगाह, दवा के क्षेत्र में, अतिथि सत्कार, पर्यटन, स्वास्थ्य, रेलवे, चमड़ा आदि) अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए सभी निवेशकों के लिए ये एक बड़ा अवसर है। भारत में विनिर्माण पावरहाउस की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों के लिए इस आकर्षक योजना के साथ साधन संपन्न प्रस्ताव है।

व्यापार (उपग्रह से पनडुब्बी तक, कार से सॉफ्टवेयर, औषधिय से बंदरगाह तक, कागज से ऊर्जा तक आदि) के लिए इसे एक वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए देश में डिजिटल नेटवर्क के बाजार के सुधार के साथ है। प्रभावशाली भौतिक संरचना के निर्माण पर केंद्रित भारतीय सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत की गई। इसका प्रतीक (भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से लिया हुआ) एक विशाल शेर है जिसके पास ढेर सारे पहिये (शांतिपूर्ण प्रगति और चमकीले भविष्य के रास्ते को

इंगित करता है) है। कई पहियों के साथ चलता हुआ शेर हिम्मत, मजबूती, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को इंगित करता है। फेसबुक पर 'मेक इन इंडिया' पेज को 12,000 लाईक्स मिले हैं और आरंभ करने के तारीख से कुछ महीनों के अंदर 1,30,000 से अधिक फोलोअर्स इसके ट्वीटर पर हो चुके हैं।

एक वैश्विक व्यापारिक केन्द्र में देश की बदलने के कलिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है क्योंकि इसके पास स्थानीय और विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक प्रस्ताव है। देश के युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 25 क्षेत्रों में कौशल को बढ़ाने के साथ ही इस अभियान का ध्यान बड़ी संख्या में मूल्यवान और सम्मानित नौकरी उत्पन्न करना है। इसमें ऑटोमोबाईल, रसायन, आई.टी. तथा बी.पी.एम., विमानन उद्योग, औषधीय निर्माण, बिजली से संबंधित मशीन, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा, विनिर्माण, अंतरिक्ष, टैक्स्टाईल्स, कपड़ा उद्योग, बंदरगाह, चमड़ा, मीडिया, और मनोरंजन, स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन और मेहमानदारी, रेलवे, ऑटोमोबाईल घटक, नवीकरणीय ऊर्जा, बायोटेक्नॉलोजी, सड़क और हाईवे, इलेक्ट्रॉनिक निकाय और थर्मल ऊर्जा सम्मिलित है।

इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने से भारत में 100 स्मार्ट शहर प्रोजेक्ट और वहन करने योग्य घर बनाने में सहायता मिलेगी। प्रमुख निवेशकों की मदद के साथ देश में ठोस वृद्धि और मूल्यवान रोजगार उत्पन्न करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये दोनों तरफ के लोगों को लाभ पहुँचाएगा, निवेशकों और हमारे देश दोनों को। निवेशकों के असरदार और आसान संचार के लिए एक ऑनलाईन पार्टल (makeinindia.com) और एक समर्पित सहायक टीम भारतीय सरकार ने बनायी है। किसी भी समय व्यापारिक कंपनियों के सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकारी व्यवस्था है।

फरवरी-2016 के मुंबई के कुर्ला में 'मेक इन इंडिया' वीक का आयोजन किया गया इसमें 68 देशों के 2500 तथा घरेलु 8000 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की थी। सम्मेलन की उपलब्धि यह रही कि इसमें निवेशकों ने अपनी रुचि प्रदर्शित की थी। योजना की पहल के अंतर्गत अमेरिका तथा जापान में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आश्वासन दिया है तथा प्रत्यक्ष में किया भी है तो एक कीर्तिमान है।

'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति 2015 का उद्देश्य दीर्घ स्तर पर उच्च मानकों पर आधारित, कौशल विकास की परम्परा को लागू करना है तथा नव प्रवर्तनों के माध्यम से ऐसी उद्यम परम्परा

को जन्म देना है जिससे देश की सम्पूर्ण जनता के लिए रोजगार व धन सम्पदा का सृजन करके जीवन-यापन के उपयुक्त व वहनीय अवसर पैदा किये जा सकें। नीति का मूल उद्देश्य लोगों को जीवनभर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके शक्तिकरण को और अधिक सुदृढ़ करना है। इस उद्देश्य की सिद्धि हेतु सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैण्ड-अप इंडिया कार्यक्रमों को अपनाया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, औषधी क्षेत्र तथा भीम बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली आदि को अपनाया है।

वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव

वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के सभी देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण से हैं। इसमें देशों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना में अनेक परिवर्तन होते हैं। भारत में औद्योगिक विकास भी इससे अछूता नहीं रहा है तथा वैश्वीकरण से सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।

वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव:—

- वैश्वीकरण से देशों के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई है, जिससे वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।
- भारत का विश्व निर्यात में योगदान बढ़ा है। 1990 में 0.5% से बढ़कर यह 2014 में 1.7% हो गया है।
- वैश्वीकरण से बचत और निवेश का स्तर बढ़ा है। 1990 में 22% से बढ़कर 2018 में यह 3.5% हो गई।

वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव:—

- वैश्वीकरण से भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों जैसे कि फार्मास्युटिकल्स उत्पाद, रसायनिक उत्पाद आदि में विदेशी कंपनियों को ज्यादा लाभ हुआ है।
- वैश्वीकरण से औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी के समावेश से श्रमिकों की मांग में कमी हुई है। फलतः बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।

- एफ.डी.आई. का कुछ बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु में ही आगमन हुआ है। परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है।

वैश्वीकरण का औद्योगिक विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हुआ है। नकारात्मक प्रभावों को रक्षा विनिर्माण ईकाईयों की स्थापना के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न पहलों, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया तथा स्टैंड-अप इंडिया से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।

वाहन उद्योग में गिरावट और औद्योगिक नीति

औद्योगिक नीति की बात करते ही तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं। मुक्त बाजार के पक्षधर जहां इसकी आलोचना करते हैं, वहीं सरकारी हस्तक्षेप में विश्वास करने वाले इसके समर्थन में उतर आते हैं। परंतु जैसा कि अर्थशास्त्री दानी रोड्रिक ने एक दशक पहले कहा था, वास्तव इन दोनों से अलग है। विकास की और अग्रसर देशों में आगे की राह न तो तगड़े सरकारी हस्तक्षेप से निकलती है और न ही सरकार को अर्थव्यवस्था से पूरी तरह दूर रखने से। हालांकि कई बार आयात में रियायत, नियोजन और सरकारी स्वामित्व के कारणों से सफलता मिली है। भारत में अंतरिक्ष शोध संगठन 'इसरो' इसका उदाहरण है। परन्तु अक्सर ऐसी सफलताएं अतिरंजना के चलते या लचीलेपन की कमी के चलते नाकामी और संकट में परिवर्तित हो गई है। इसी प्रकार, उदारीकरण के कारण भी निर्यातकों, वित्तीय बिचौलियों तथा कुछ कुशल कर्मियों को लाभ मिला लेकिन अक्सर यह व्यापक पूंजीगत तरक्की सुनिश्चित कर पाने में नाकाम रही।

औद्योगिक नीति की कई व्याख्याएं हैं। बुनियादी ढांचे की एक ऊर्ध्वाधर शैली है, जो अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं के लिए एक ऊंची उठती लहर की तरह होती है। लंबवत स्थिति के लिए राज्य नियोजन और नियंत्रण इसके विपरीत होता है। सरकारी नियमन और सहयोग का मिश्रण इसके बीच की स्थिति है जहां कर प्रोत्साहन, श्रम नियमन, वित्तीय कारण, भूमि आवंटन एवं अधिग्रहण के अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ तालमेल सम्मिलित होता है। इन्हें उद्योग या विनिर्माण तक सीमित किया जा सकता है या फिर अधिक व्यापक करके देखा जाए तो इसे सम्पूर्ण पूंजीगत गतिविधियों से जोड़कर देखा जा सकता है। जिसमें कृषि, डेयरी और सेवाएं सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो औद्योगिक नीति का आंशिक पालन हर जगह हुआ है। अमेरीका में रीगन के कार्यकाल में डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (डी.ए.आर.पी.ए.) ने सरकारी और

निजी प्रतिभागियों का संगठन स्थापित किया ताकि सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्र के भागीदारों का समूह बनाकर समन्वित प्रयास किए जा सकें।

इसी प्रकार सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रौद्योगिकी समूह (सेमाटेक) में इंटेल और टैक्सस इंस्ट्रूमेंट्स जैसी उद्योगों के साथ मिलकर अमेरिकी सेमीकंडक्टर उद्योग में नई जान फूंकने के लिए विनिर्माण लागत और उत्पाद की कमियां दूर करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार उन्नत मशीनी उपकरणों और स्वचालन उद्योग के लिए द नैशनल सेंटर फार मैनुफैक्चरिंग सांइसेज (एन.सी.एम.एस.) का गठन किया गया। एक अन्य परियोजना का संबंध अमेरिका की घटती प्रतिस्पर्धी क्षमता के कारणों का पता लगाने से था। साथ ही इसके अमेरिकी दबदबा दोबारा स्थापित करने के तरीके तलाशने की बात भी सम्मिलित थी।

इनका निष्कर्ष यह था कि अमेरिकी अपनी तकनीकी आधारित प्रतिस्पर्धी क्षमता गंवा रहा है क्योंकि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद निर्णय लेने की क्षमता तकनीक आधारित योजना से वित्त आधारित नियोजन की ओर स्थानांतरित हो गई। बाद वाली स्थिति में सफलता का आकलन वित्तीय प्रतिफल से किया जाता जबकि तकनीक आधारित नियोजन में लक्ष्य होता तकनीक की सहायता से प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करना और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना। अमेरिका में बुश प्रशासन ने सन 1990 में इस परियोजना को रद्द कर दिया क्योंकि इसे मुक्त बाजार के समय में औद्योगिक नीति में हस्तक्षेप करने वाला माना जा रहा था।

औद्योगिक नीति और भारत का वाहन क्षेत्र

वर्ष 2006 में भारी उद्योग मंत्रालय ने वाहन क्षेत्र के मशविरे से 2002 की एक पहल पर काम करना प्रारम्भ किया। स्वचालन मिशन योजना 2006-2016 एक ऐसा कार्यक्रम था जो सरकारी एजेंसियों, उद्योग जगत के प्रतिभागियों और अकादमिक जगत तक विस्तारित था इसका लक्ष्य था देश को वाहन उद्योग का वैश्विक गढ़ बनाना। 2008 और 2013-14 की गिरावट के बावजूद यह सफल रहा और 2016 तक इस क्षेत्र के रोजगार एक करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हो गये। इसका अगला चरण 2016 से 2026 तक प्रभावी है। इस अवधि में कुल उत्पादन में नियति की भागीदारी बढ़ाकर 35 से बढ़कर 40 फीसदी करने की बात शामिल है। इस दौरान इस क्षेत्र के रोजगार बढ़ाकर 6.5 करोड़ करने का लक्ष्य है। गत वर्ष इसकी गति में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन इसके लिए कुछ विपरीत कारक उत्तरदायी हैं। इसमें डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नीतियों में भ्रम और अनिश्चितता बड़ी वजह रहे। साथ ही कारोबारी तनाव, जी.डी.पी. तरक्की में गिरावट

उत्सर्जन नीतियों और करों के कारण लागत में बढ़ोतरी तथा वित्तीय क्षेत्र में संकट के चलते ऐसा हुआ है।

वाहन क्षेत्र में धीमेपन और बड़ी तादाद में नौकरियां जाने की आशंका के बीच क्या तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है? कुछ पर्यवेक्षकों को ऐसा लगता है कि जबकि अन्य मंदी को चक्रीय बताकर खारिज करते हैं। वे मंदी और निराशा की खबरों को भी अतिरंजित करार देते हैं। हमें यह मानना होगा कि भारत की तुलना आई.सी.डी. के बाजारों से नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए देश में सन् 2007 में प्रति 1,000 में से 27 लोगों के पास कार थी। आई.ओ.सी.डी. देशों में यह आंकड़ा सैंकड़ों में है। जाहिर है कि अगर उद्योग जगत मुनाफे में रहा और नया निवेश आया तो रोजगार में अपार तरक्की हो सकती है। हालांकि इस बीच पर्यावरण प्रभ. व, ईंधन आयात और अधिक सड़कें बनाने का काम भी करना होगा। इसमें दो राय नहीं कि भारत को विकास के इंजन के रूप में वाहन उद्योग की आवश्यकता है। चूंकि यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करता है इसलिए इसमें नाकामी का असर तमाम क्षेत्रों पर पड़ सकता है। दूरसंचार, विनिर्माण और वित्त क्षेत्र की तरह इसे पतन से बचाना होगा।

कार्पोरेट मुनाफा 2008 में जी.डी.पी. के 7.8 फीसदी से घटकर 2018 में जी.डी.पी. के 3 फीसदी पर आ गया। ऐसे में सरकार को जमीनी हकीकतों को समझना होगा। हमारी प्राथमिक आवश्यकता स्थिर और सहयोगी नियमकीय महौल की है। इलेक्ट्रिक वाहन या डीजल वाहनों आदि की नीतियों जैसे नीतिगत बदलाव समावेशी मशविरे के जरिये लिये जाने चाहिए।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट के विभिन्न कारक

गत वर्ष आटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट देखी गयी इसके लिए कतिपय कारक उत्तरदाई है जैसे—डीजल एवं इलेक्ट्रिकल वाहनों को लेकर अनिश्चितता, कारोबारी तनाव, जी.डी.पी. तरक्की में गिरावट (आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19) उत्सर्जन नीतियों और करों के कारण लागत में बढ़ोतरी तथा वित्तीय क्षेत्र में संकट इत्यादि।

‘स्वचालन मिशन योजना’ के अगले चरण (2016–2026) जिसमें कुल उत्पादन में निर्यात की भागीदारी बढ़ाकर 35.40% करने की बात सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में आटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

उदारीकरण (1991) के पश्चात भारतीय औद्योगिक नीति एकाधिकार की समाप्ति, श्रमिकों के हितों का संरक्षण, विदेशी विनियोग, लघु क्षेत्रों का विकास आत्म-निर्भरता तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी इत्यादि पर आधारित है।

अनेक उपलब्धियों के पश्चात औद्योगिक नीति के समक्ष कतिपय चुनौतियां भी हैं। जैसे निर्माण क्षेत्र में व्यापक निवेश न हो पाना, (2017 में देश की जी.डी.पी. में निर्माण क्षेत्र का योगदान केवल 16% था), आधारभूत संरचना का समुचित विकास न हो पाना तथा कानून एवं नियमन की जटिल व्यवस्था। परिणामतः आटोमोबाइल क्षेत्र जो रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, गिरावट दर्ज की गई है। आटोमोबाइल सेक्टर के उत्थान हेतु कतिपय सुझाव

- औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर में डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर अनिश्चितता को समाप्त करना। स्पष्ट दिशा-निर्देशों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नीति को आसान बनाना।
- छोटे उद्योगपतियों व व्यापारियों को बढ़ावा देने हेतु मानदंडों को लचीला बनाना।
- पर्यावरणीय मानकों के सरलीकरण हेतु तकनीकी विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- वित्त उपलब्धता हेतु न्यूनतम दरों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु 'मुद्रा' जैसी योजनाओं का विस्तार करना तथा स्टार्ट अप को बढ़ावा देना।
- निर्यातोन्मुख विनिर्माण मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना।

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का कौशल :

ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आमूल चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है समसामयिक संदर्भ ले. जिस्लेटिव रिसर्च एजेंसी 'पी.आर.एस.' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में, राज्यों द्वारा केंद्र सरकार की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 72 फीसदी अधिक खर्च करने की उम्मीद की गई थी। स्पष्ट है कि सार्वजनिक निकाय में होने वाले खर्च के अधिकांश निर्णय केंद्र के सीमा से बाहर हैं। ऐसे में अधिकतर केंद्रीय योजनाएं, जैसे स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटीज मिशन, राज्य के अधिकारियों द्वारा वास्तविक कार्यान्वयन पर ही निर्भर करती है।

ब्यूरोक्रेसी: परिवर्तन के क्षेत्र

नौकरशाही में पेशेवरों का प्रवेश एक स्वागत योग्य पहल है, हालांकि, इससे नौकरशाही की मानसिकता बदलने में ज्यादा मदद नहीं मिली है, इसके कुछ व्यावहारिक कारण हैं। पहला और प्रमुख कारण यह है कि पेशेवरों को गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है और यही उन्हें लीक से हटकर, सकारात्मक परिणाम पाने के लिए प्रेरित करता है।

प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की अनुपस्थिति में, पेशेवर भी नौकरशाही के कामकाज करने के तरीके अनुरूप ही काम करने लगते हैं और यहीं पर इस नए उपयोग के विफल होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां आमूल चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

ईज ऑफ डूइंग

हाल में आई विश्व बैंक की 2018 की कारोबार करने को सरल बनाने वाले रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जी.एस.टी. फाइलिंग में लगने वाले समय में बढ़ोतरी हुई है। 2017 में कारोबारियों को कर अदायगी में लगने वाला समय लगभग 214 घंटे का था, जो 2018 में 275.4 घंटे का हो गया। इसी रिपोर्ट में विभिन्न पैमानों पर 'इन्सात्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड' के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

दिवालियेपन की नीति

दिवालियेपन की घोषणा के बाद कर्ज नहीं लौटाने की बढ़ती परंपरा में भारत 2017 में 103वें पायदान पर था वहीं 2018 में भारत 108वें पायदान पर आ गया। केंद्र सरकार को न सिर्फ सब्सिडी जैसे संरक्षणवादी उपायों पर फिर एक गहन विचार करने की आवश्यकता है, बल्कि कुछ और मामलों में भी उदाहरण स्वरूप, 2016 के रियल स्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम को भी दोबारा परखने की आवश्यकता है।

स्किल डेवलपमेंट मिशन

स्किल डेवलपमेंट मिशन के मामले में भी कई कमियां रही हैं, उद्योग जगत के साथ इस मामले में कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना का मूल उद्देश्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना और स्किल डेवलपमेंट में व्यापार जगत को जोड़ना था, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस पूरे मिशन में सरकार की तरफ से लगभग 99 फीसदी फंड की भागीदारी रही जबकि इसकी फ्लैगशिप स्कीम में भी सिर्फ 12 फीसदी प्रशिक्षुओं को ही रोजगार मिला।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किस उद्योग का वृद्धि स्तर पर ज्यादा है और कौन से उद्योग में रोजगार की संभावना ज्यादा है। हम कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ फंड के मामले में भी उद्योग जगत को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के तहत अपने साथ जोड़ सकते हैं। इससे न मात्र प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि सरकार के वित्तीय दबाव में भी कमी आएगी। बहरहाल, नीति आयोग में लगातार विशेषज्ञों की हो रही बैठकें इस सरकार के, अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के समर्पण को दर्शाता है।

संदर्भ ग्रंथ

महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ. सं. 1-6-107
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ. सं. 1-6-108
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा. लि., चैन्नई 2019 पृ. सं. 9.21
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 148
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 148
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 149
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 149
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 150
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 150
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 151
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 152
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 152
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा. लि., चैन्नई 2019 पृ. सं 92२

सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा. लि., चैन्नई 2019 पृ. सं. 92२
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ सं. 1-6-120
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ. सं. 1-6-124
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ. सं. 1-6-124
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ. सं. 1-6-125
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ. सं. 1-6-126

अध्याय—पंचम्

'मेक इन इण्डिया' योजना की दिशा
एवं दशा के निर्धारक तत्व

अध्याय— पंचम्

‘मेक इन इण्डिया’ योजना की दिशा एवं दशा के निर्धारक तत्व

‘मेक इन इण्डिया’ (भारत में बनाओ) योजना के वांछित लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए आवश्यक है कि इसमें स्थानीय उद्यमी, विदेशी निवेशक तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आवश्यक सहयोग करें। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देश भी सराहनीय सहयोग प्रदान करें। उक्त सभी तत्व मुक्त हस्त सहयोग प्रदान करेंगे तब ही इस योजना की दिशा तय होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब इस योजना का सितम्बर 2014 में शुभारम्भ किया था उस अवसर पर भारत के ख्याति-लब्ध उद्योगपति भी उपस्थित थे। योजना के सन्दर्भ में इन्होंने अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की थी तथा तत्काल निवेश की राशि की भी घोषणा की थी। कई देशों ने इस पहल में आश्वासन दिया तथा निवेश हेतु अपने हाथ आगे बढ़ाए।

संयोग अथवा दुर्संयोग देखिए उसी दिन पड़ोसी देश चीन ने भी ‘मेक इन चाइना’ कार्यक्रम का आरम्भ किया था। भारत का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं के आयात को कम करना तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब भारत एक “मैन्युफेक्चरिंग हब” बने। इसका आशय यह नहीं है कि भारत विदेशी माल के आयात का विरोधी है, लेकिन भारत चाहता है कि मुक्त-व्यापार में भारतीय अर्थव्यवस्था को घाटा नहीं होना चाहिए। अतः भारतीय नीति-निर्माताओं ने भारत में निर्मित माल को विदेशों में निर्यात के उद्देश्य से “भारत में बनाओ” योजना को आधार बनाया। पड़ोसी देशों के साथ भी भारत ने कई समझौते एवं करार किये हैं। इनमें अफगानिस्तान, चीन, जापान कोरिया है। उक्त सभी तथ्य योजना की भावी सफलता के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रस्तुत अध्ययन में इन सभी तथ्यों को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत की स्थिति

भारतीय मौद्रिक व्यवस्था को उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि भारत में पूंजीगत सुधारों (1991) के पश्चात् उत्पादन में शीघ्रता से उन्नति हुई है, जिस कारण अर्थव्यवस्थाओं की तरक्की दर वर्तमान में लगभग 7.5 फीसदी बनी हुई है। साथ ही कृषि विभाग के अलावा निर्माण उद्योग और सेवा के विभिन्न भागों का योगदान भी निरंतर बढ़ रहा है। वैश्विक बैंक के माध्यम से जारी वर्गीकरण के अनुसार भारत को निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इस दृष्टि से भारत को अपना स्तर विश्वव्यापी प्रतिवेश में ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा।

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस कारण वैश्विक मुद्रा भंडार द्वारा भारत को निवेश के श्रेष्ठ गंतव्य स्थल के रूप में माना गया है। यद्यपि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था धीमी गति से विकास कर रही है। जिसकी तरक्की दर 4 फीसदी से भी कम है। तथापि भारत में सरकार द्वारा किये गये क्रमिक नवीन पूंजीगत सुधारों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में अपनी सकारात्मक भूमिका का प्रदर्शन किया है।

भारतीय मौद्रिक व्यवस्था जी.डी.पी. आंकड़ों के अनुसार विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। छठे स्थान पर पहुंचने के क्रम में भारतीय मौद्रिक व्यवस्था द्वारा 2.57 फीसदी ट्रिलियन यूएस डॉलर की फ्रांस की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया गया है। वर्तमान में भारतीय मौद्रिक व्यवस्था का आकार लगभग 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। क्रय शक्ति क्षमता (पी.पी.पी.) के आधार पर भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं। यदि भारत की पूंजीगत विकास की गति की बात की जाए तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था चीन को पछाड़ते हुए विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गयी है। वर्तमान में जहां चीन लगभग 6.4 फीसदी की दर से विकास कर रहा है। वहीं भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की विकास दर लगभग 7.5 फीसदी है। इस कारण आई.एम.एफ. द्वारा भारत में निवेश की संभावनाओं को अवसरों से युक्त मानते हुए इसे ब्राइट स्पॉट के रूप में संबोधित किया गया है। यदि वैश्विक निवेश की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2018 के

जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय मौद्रिक व्यवस्था विश्व का सर्वाधिक सर्वविदित विदेश निवेश (एफ.डी.आई.) आकर्षित करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है।

अफ्रीकी देशों से व्यापार के संदर्भ में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा दुनियाभर के प्रमुख देशों और बड़ी उद्योगों की दृष्टि अफ्रीका पर है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मेकिन्स के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में 10 हजार से अधिक चीनी उद्योग कारोबार कर रही है। चीन के भारी इन्वेस्टमेंट से अन्य देशों में, विशेषकर आज की रूचि भी बढ़ा दी है। 2006 में व्यापार में अफ्रीका के तीन बड़े पार्टनर—अमेरिका, चीन और फ्रांस थे। 2018 में चीन प्रथम, भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे पायदान पर पहुंच गए। इस अवधि में भारत का व्यापार 292 फीसदी और चीन का 226 फीसदी बढ़ा। वैसे अब भी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की उद्योग सबसे अधिक पूंजी लगा रही हैं, लेकिन चीन की सरकारी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उसके साथ भारत और सिंगापुर के इन्वेस्टर भी प्रतिस्पर्धा में हैं।

भारत और वियतनाम ने 2020 तक 15 अरब डॉलर के व्यापार का रखा लक्ष्य

वियतनाम की यात्रा पर गये उपराष्ट्रपति एम. वैकया नायडू ने यहां के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ राजनीति से संबंधित, रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, हाई टेक कृषि, नवाचार, तेल और गैस उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के आवश्यक कदम उठाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बड़े शहरों को सीधी विमान सेवा से जोड़ने पर सहमति व्यक्त की, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआती तौर पर इस साल के अंत में 'इंडिगो' भारत तथा वियतनाम के मध्य सीधी विमान सेवा प्रारंभ करेंगी। भारत और वियतनाम दोनों देशों के मौजूदा समय में होने वाले 14 अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक 15 अरब डॉलर करने के लिए काम करेंगे।

भारत—अफगानिस्तान व्यापार

अफगानिस्तान ने 24 फरवरी 2019 को ईरान के नवविकसित चाबहार बंदरगाह के द्वारा पहली बार भारत को निर्यात करना प्रारंभ किया। इससे अफगानिस्तान की विदेशी बाजारों तक पहुंच बनेगी और उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ध्यातव्य हो कि वर्ष 2017 में भारत ने सफलतापूर्वक अफगानिस्तान को चाबहार बंदरगाह के जरिए 1.1 मिलियन टन गेंहु भेजा था। इसी

वर्ष द्विपक्षीय व्यापार के लिए नयी दिल्ली और काबुल के मध्य वायु गलियारा की शुरुआत की गयी थी।

स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा 20 दिसम्बर को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 जारी की गई। डी.आई.पी.पी. द्वारा 16 जनवरी, 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया की शुरुआत के पश्चात् पहली बार राज्य स्तर पर रैंकिंग जारी की गयी। स्टार्ट-अप इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

इसका उद्देश्य राज्यों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाना है ताकि वे अच्छी प्रक्रियाओं को सीख सकें, साझा कर सकें और उन्हें अपना सकें। साथ ही देश में उभरते उद्यमियों को आकर्षित करना है। योजना के तहत कर अवकाश, इंस्पेक्टर राज से मुक्त व्यवस्था और पूंजीगत लाभ, कर की छूट प्रदान करना आदि सम्मिलित है।

राज्यों का आकलन स्टार्ट-अप नीति नेतृत्व, इनक्यूबेशन हब, नवाचार, नवाचार प्रगति, संचार, पूर्वोत्तर नेतृत्व, पर्वतीय राज्य नेतृत्व इत्यादि 7 विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। इन श्रेणियों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को शानदार प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन, मार्गदर्शक, आकांक्षी मार्गदर्शक, उभरते हुए राज्य और आरंभकर्ता के रूप में पहचान की गई है।

निवेश

छह वर्ष पश्चात् दूसरे देशों से सीधे निवेश निवेश में हुई गिरावट

देश में दूसरे देशों से सीधे निवेश (एफ.डी.आई.) में पिछले छह वर्षों में पहली बार 2018-19 में गिरावट आई है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार, फार्मा में निवेश में गिरावट से एफ.डी.आई. 1 प्रतिशत गिरकर 3.08 लाख करोड़ रुपये (44,37 अरब डॉलर) रह गया। एफ.डी.आई.के मामले में सिंगापुर ने मारीशस को पीछे छोड़ दिया। भारत में निवेश करने वाले अन्य देशों में जापान, नीदरलैण्ड, ब्रिटेन, अमेरीका, जर्मनी, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस सम्मिलित है।

तालिका सं. – 5.1

भारत में एफ.डी.आई.के शीर्ष प्रवाह वाले देश (मिलियन डॉलर)

देश	2017–18	2018–19
मॉरीशस	15941	8084
सिंगापुर	12180	16228
नीदरलैण्ड	2800	3870
टमेरिका	2095	3139
जपान	1633	2965

तालिका सं. – 5.2

भारत में एफ.डी.आई.के शीर्ष क्षेत्र (मिलियन डॉलर)

क्षेत्र	2017–18	2018–19
सेवा क्षेत्र	6709	9158
कम्प्यूटर	6153	6415
छूरसंचार	6212	2668
ट्रेडिंग	4348	4462
ऑटो मोबाइल	2090	2623

तालिका सं. – 5.3

भारत में गत पांच वर्षों में एफ.डी.आई.

वित्त वर्ष	आंकड़े (अरब डॉलर में)
2014	24.30
2015	30.90
2016	40.00
2017	43.50
2018	35.90

विनिवेश से 78 हजार करोड़ रूपए का एकत्रण

केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018– 19 की अवधि में विनिवेश से 80,000 करोड़ रूपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में अपनी भागीदारी की बिक्री करके रिकॉर्ड 77,417 करोड़ रूपए जुटाए हैं। यह तेजी एयर इंडिया के निजीकरण के साथ 2019 में भी निरन्तर रहने की प्रत्याशा है। 2018 में हुये बड़े विनिवेश सौदों में ओ.एन.जी.सी. द्वारा एच.पी.सी.एल. का अधिग्रहण, सी.पी.एस.ई. ई.टी.एफ., भारत-22 ई.टी.एफ. और कोल इंडिया की भागीदारी बिक्री सहित 6 आरंभिक सार्वजनिक निर्गम सहित अन्य सम्मिलित है।

विगत 10 में से छह साल भारत ने लिया विश्व बैंक से सबसे अधिक कर्ज

विश्व बैंक से ऋण लेने के मामले में भारत पिछले 10 वर्षों में 6 बार शीर्ष पर रहा है। बहुपक्षीय ऋण देने वाले संस्थान की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत ने विश्व बैंक से लगभग 24.57 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लिया। साल 2009 से 2018 के मध्य विश्व बैंक ने सड़क और बिजली के बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारत की बड़ी सहायता प्रदान की है।

2012 में सबसे कम कर्ज लिया

डेटा से ज्ञात हुआ है कि वार्षिक धनराशि में परिवर्तन हुए हैं। बैंक द्वारा चार साल की अवधि में आम तौर पर (99.11 हजार करोड़ से 1.06 लाख करोड़) का कर्ज दिया जाता है। देश के साथ साझेदारी कार्यक्रम का कार्यकाल भी सामान्यतः 4-5 वर्ष का होता है। यहां ध्यान करने वाली बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2011 और 2014 में 35 हजार करोड़ से अधिक रही है। हालांकि वर्ष 2013 में विगत 10 वर्षों में सबसे कम 9.44 हजार करोड़ ही रही है। कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया है का विवरण करना यहाँ आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। ब्रेटनवुड सम्मेलन के निर्णयानुसार 27 दिसम्बर, 1945 को इसकी स्थापना वाशिंगटन में हुई थी, किन्तु इसने वास्तविक रूप में 1 मार्च, 1947 से कार्य प्रारम्भ किया था, वर्तमान स्थिति के अनुसार 189 राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य है। नौरू गणराज्य को 12 अप्रैल, 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189 वाँ सदस्य बनाया गया था, क्रिस्टीन लेगार्डे वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौता अनुच्छेदों के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सन्तुलित विकास करना।
- विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना।
- बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबन्धों को समाप्त करना अथवा कम करना।
- सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करने के लिए अस्थायी तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।

- अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी के संकट के समय असन्तुलन की मात्रा एवं अवधि में कमी करना।

पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक

आई.बी.आर.डी. को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलाकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है वर्तमान में विश्व बैंक निम्नलिखित संस्थाओं का समूह है—

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ
- (3) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम
- (4) बहुपक्षीय निवेश गारण्टी संस्था
- (5) निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र भारत

आई.सी.एस.आई.डी. को छोड़कर अन्य सभी का सदस्य है। द्वितीय विश्वयुद्ध ने न केवल बहुमुखी व्यापार व्यवस्था को ही असन्तुलित कर दिया था, बल्कि अनेक राष्ट्रों में जीवन एवं सम्पत्ति को भी अत्यधिक हानि पहुँचाई थी युद्ध में सक्रिय भाग लेने वाले देशों (जैसे—जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि) की अर्थव्यवस्था तो बुरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, अतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व्यवस्था के लिए यह आवश्यक था कि इन युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाए इसके साथ—साथ यह भी सोचा गया कि अल्पविकसित देशों का भी पूर्व योजनानुसार विकास किया जाए इस विचार के फलस्वरूप ही जुलाई 1944 में ब्रेटनवुड सम्मेलन के तहत पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (विश्व बैंक) की स्थापना दिसम्बर 1945 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ—साथ हुई इसने जून 1946 में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीयमुद्रा कोष एक दूसरे की पूरक संस्थाएँ हैं।

विश्व बैंक के उद्देश्य

विश्व बैंक की स्थापना के समय सम्पन्न समझौते की धारा प्रथम में इसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं—

- सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु उन्हें दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना।
- भुगतान संतुलन की साम्यता एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्तुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करना, जिससे कि सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता में वृद्धि हो, परिणामतः मानव शक्ति की स्थिति एवं जीवन-स्तर और अधिक उन्नत हो सके।
- सदस्य राष्ट्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- लघु एवं वृहत इकाइयों तथा आवश्यक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना अथवा ऐसे ऋणों के लिए गारन्टी देना।
- युद्ध अर्जित अर्थव्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को लागू करना।

वैश्विक मुद्रा भंडार की भांति इसमें भी दो प्रकार के सदस्य हैं— मौलिक सदस्य एवं सामान्य सदस्य। इसके भी 30 मौलिक सदस्य हैं, जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1945 तक विश्व बैंक की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। भारत वैश्विक मुद्रा भंडार की भांति विश्व बैंक के भी संस्थापक देशों में से एक है। 31 दिसम्बर 1945 के पश्चात के सदस्यता ग्रहण करने वाले राष्ट्रों को सामान्य सदस्य कहा जाता है। सितम्बर 2017 तक विश्व बैंक की कुल सदस्य संख्या 180 नौक विश्व बैंक का 189वां सदस्य 12 अप्रैल 2016 को बना है। बैंक की पूंजी के सदस्य राष्ट्रों के अंश के अनुरूप ही बैंक के सदस्यों के मताधिकार का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक एक अंश पर एक अतिरिक्त मताधिकार सदस्य राष्ट्र को आवंटित किया जाता है।

विश्व बैंक और भारत

भारत के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गति को त्वरित करने में विश्व बैंक ने देश की विभिन्न विकास परियोजनाओं में दीर्घकालीन पूंजी निवेश करके अभूतपूर्व योगदान दिया है, विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु विश्व बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए हैं, विशेषतः देश की परिवहन एवं संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युतशक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण आदि दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु बैंक द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। आई.डी.ए. ऋण भारत सरकार के लिए सर्वाधिक रियायती वाले ऋण हैं जो कि मिलेनियम विकास कौशल अर्जित करने के लिए समाज से संबंधित क्षेत्र में क्रियान्वित परियोजनाओं में उपयोग किये जाते हैं। आई.बी.आर.डी. फंड कुछ महेंगे हैं लेकिन बाहरी रोजगारुन्मुखी ऋणों से सस्ते हैं। भारत सरकार इन ऋणों का उपयोग प्रमुखतः आधारभूत भागों की अवस्था में सुधार तथा उन्नति पथ की ओर अग्रसित करने के लिए करती है, यद्यपि कभी-कभी आई.डी.ए. और आई.बी.आर.डी. दोनों के ऋणों को मिलाकर उपयोग किया जाता है, अब तक भारत विश्व बैंक से 6.58 बिलियन डॉलर का ऋण ले चुका है आई.बी.आर.डी. ऋणों की अवधि 20 वर्ष (पाँच वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित) है जिस पर भारत को ब्याज (लिबोर + वेरिफ़बल स्प्रेड) चुकाना होता है, जबकि आई.डी.ए. ऋण 35 वर्ष (10 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित) के लिए शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं, इन पर केवल 0.75 प्रतिशत का सेवा शुल्क अदा किया जाता है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विगत 70 वर्षों (1945-2015) में बैंक से सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश है। विगत 70 वर्षों में विश्व बैंक के दो अंगों- विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर सहयोग से निर्मित पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के विकास संघ ने भारत को क्रमशः 52.7 बिलियन डॉलर तथा 49.4 बिलियन डॉलर के ऋण प्रदान किए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के विकास संघ विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती दर पर ऋण देने वाली खिड़की अर्थात् 'उदार ऋण खिड़की' भी कहते हैं इसकी स्थापना 24 सितम्बर, 1960 को दी गई थी, इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली

हुई है, वर्तमान में इसकी सदस्यता संख्या 173 हो गई है इसे विश्व बैंक की रियायती दर पर ऋण देने वाली खिड़की के रूप में जाना जाता है। आई.डी.ए. से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा वह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों के ही उपलब्ध कराए जाते हैं, वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के विकास संघ से केवल वही सदस्य देश ऋण पाने के पात्र है जिनकी 2012 में प्रति व्यक्ति आय (वर्ष 2010 के डॉलर मूल्य में) 1175 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है। इस संघ का कार्य संचालन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो विश्व बैंक का संचालन करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में की थी, वह निगम विकास की और अग्रसर देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें उन्नति पथ की ओर अग्रसित करता है, अर्थात् इसका मुख्य कार्य विकास की और अग्रसर देशों के निजी निकायो को समर्थन प्रदान करता है। सितम्बर 2017 के अन्त में इसकी सदस्य संख्या 184 थी, 31 जनवरी 2017 को इसकी अधिकृत पूंजी 2.58 बिलियन डॉलर थी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संघ के उद्देश्य

- निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करना।
- पूंजी तथा प्रबंध में समन्वय स्थापित करना।
- पूंजी प्रधान देशों को अभाव वाले देशों में पूंजी लगाने को प्रोत्साहित करना।
- विश्व व्यापार संगठन

1947 में गैट की स्थापना के बाद से विभिन्न राष्ट्रों में संचालित व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संघ (W.T.O.) की स्थापना हुई। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौरे के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। 1986-94 तक उरुग्वे दौरे की बातचीत का लम्बा सिलसिला चला, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संघ की स्थापना के रूप में हुई इस वार्ता में वस्तुओं के व्यापार से सम्बद्ध बहुपक्षीय नियमों पर अनुशासन की पहुँच का बहुत विस्तार हुआ और सेवा एवं बौद्धिक व्यापार

(बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार) के क्षेत्र में बहुपक्षीय नियमों की शुरुआत हुई, उरुग्वे दौरे वार्ता के कारण कृषि उत्पादों के समन्वय के चरणबद्ध कार्यक्रम पर भी सहमति हुई गैट (जी.ए.टी.टी.आई.) व्यवस्था में वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों के समन्वय के चरणबद्ध कार्यक्रम पर भी सहमति हुई जी.ए.टी.टी.आई. द्वारा निर्धारित नियमों तथा इससे सम्बद्ध समझौतों को डब्ल्यू.टी.ओ. के सभी सदस्य देशों को एकमुश्त समझौते के उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों के मध्य संतुलन पर विचार करने के बाद भारत सरकार में डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते की पुष्टि की।

भारत जी.ए.टी.टी.आई. और डब्ल्यू.टी.ओ. दोनों का संस्थापक सदस्य है। डब्ल्यू.टी.ओ. नियम आधारित पारदर्शी एवं प्रत्यक्ष बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था है जो शक्तिशाली व्यापार भागीदार के दबाव से सदस्य देशों की रक्षा करती है। डब्ल्यू.टी.ओ. नियम अन्य डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्यों के बाजारों को भारत के निर्यात को राष्ट्रीय व्यवहार और अत्यधिक प्राथमिकता वाले देश के रूप में भेदभाव रहित व्यवस्था प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय व्यवहार सुनिश्चित करता है कि एक बार हमारे उत्पाद अन्य डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्य के यहाँ आयात हो गए तो उस देश के उत्पादों की तुलना में उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, एम.पफ.एन. व्यवहार सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश अपनी कर व्यवस्था में ही नहीं, बल्कि अन्य नियमों विनियमों प्रोत्साहनों आदि के मामले में भी डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्यों के मध्य भेदभाव नहीं करेंगे। यदि कोई सदस्य देश अनुभव करता है कि अन्य व्यापार भागीदार की व्यापारिक नीतियों के कारण उसको निश्चित लाभ नहीं मिल रहा है तो वह डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटारा तंत्र के तहत वाद दायर कर सकता है।

गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत विश्व व्यापार संघ एक स्थायी संगठन है तथा इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की सांसदों द्वारा अनुमोदित एक विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के संधि के आधार पर हुई है, पूंजीगत जगत् में इसकी स्थिति अब वैश्विक मुद्रा भंडार व विश्व बैंक की भांति यह संयुक्त राष्ट्र समूह की एक एजेंसी नहीं है।

डब्ल्यू.टी.ओ. की सदस्यता एवं मुख्यालय

वर्तमान में डब्ल्यू.टी.ओ. की सदस्य संख्या 164 थी, वर्तमान में विश्व के लगभग 30 अन्य देश डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्य बनने की प्रक्रिया में हैं। 19 दिसम्बर, 2015 को अफगानिस्तान विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बना इससे पूर्व साइबेरिया इस निकाय का 163वां देश बना था। 26 अप्रैल 2015 से सेशेल्स को विश्व व्यापार संगठन का 161वां सदस्य बनाया गया था। 27 जुलाई 2015 को कजाखिस्तान विश्व व्यापार संगठन का 162वां सदस्य बना।

सम्बद्ध समितियाँ

विश्व व्यापार संगठन के कार्य संचालन हेतु अनेक महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो समितियाँ हैं – (1) विवाद निवारण समिति तथा (2) व्यापार नीति समीक्षा समिति। विवाद निवारण समिति का कार्य विभिन्न राष्ट्रों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर विचार करना है, सभी सदस्य देश इस समिति के सदस्य होते हैं, किन्तु किसी शिकायत विशेष के गहन अध्ययन के लिए यह विशेषज्ञों की समिति गठित की जा सकती है। इस समिति की बैठक माह में दो बार होती है।

व्यापार नीति समीक्षा समिति का कार्य सदस्य राष्ट्रों की व्यापार नीति की समीक्षा करना है। सभी बड़ी व्यापारिक शक्तियों की व्यापार नीति की दो वर्ष में एक बार समीक्षा की जाती है। संगठन के सभी सदस्य राष्ट्र इस समिति के सदस्य होते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद् तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर परिषद् आदि हैं।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है जो निम्नलिखित हैं –

- जीवन स्तर में वृद्धि करना।
- पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मार्ग में वृहतस्तरीय परन्तु ठोस वृद्धि करना
- वस्तुओं के उत्पादन पर व्यापार का प्रसार करना।
- ये सभी गेट के उद्देश्य थे इनके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में अग्रलिखित अतिरिक्त उद्देश्यों की भी चर्चा की गई है –
- सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रयास करना।

- विश्व के संगठनों का अनुकूलतम उपयोग करना (गैट में विश्व संसाधनों के पूर्ण उपयोग की बात कही गई थी)
- अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना।
- पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

विश्व व्यापार संगठन के कतिपय महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है—

- विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौते के कार्यान्वयन प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविचार प्रदान करना।
- व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के मध्य विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना।
- विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना।
- व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना।
- वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना।
- विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना।
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन—अंकटाड

सन् 1961 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1961-70 को विकास दशक घोषित किया तथा इसका मुख्य उद्देश्य अल्पविकसित देशों की आय में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि लाने का था। इस अहम् मुद्दे को लेकर संघ के महासचिव से एक विश्व सम्मेलन बुलाने का अनुरोध किया गया। जुलाई 1962 में काहिरा में विकासशील देशों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन ने भी एक विश्व सम्मेलन की मांग की इसी उद्देश्य को लेकर संघ के महासचिव के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र संघ की

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने जेनेवा में एक विश्व व्यापार एवं विकास सम्मेलन बुलाया, जो 31 मार्च, 1964 से 16 जून, 1964 तक चला, इसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी विश्वव्यापी नीति निर्धारित की गई तथा विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार सम्बन्धी समस्याओं के व्यावहारिक पहलुओं पर विचार किया गया वास्तव में इसी सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन कहा जाता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का यह सम्मेलन एक स्थायी संगठन बन गया है। इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में स्थित है।

दक्षिण अफ्रीका के 'एलेक इरविन' अंकटाड के वर्तमान अध्यक्ष है। चार वर्ष के अन्तराल में सामान्यतः इसका अधिवेशन बुलाया जाता है। इसकी सभी सभाओं में आई.एम.एफ. को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। UNCTAD द्वारा पारित प्रस्तावों को आई.एम.एफ. अपनी नीति निर्माण में प्रयुक्त करता है। अंकटाड के सुझाव मात्र रचनात्मक होते हैं, जिन्हें पालन करने के लिए किसी भी राष्ट्र को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास से सम्बद्ध आवश्यक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना एवं नीति निर्धारित करना।
- निर्धारित सिद्धान्तों एवं नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा एवं आर्थिक व सामाजिक परिषद् को आवश्यक सहयोग प्रदान करना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाओं के कार्यों के साथ तालमेल बैठाना
- व्यापार सम्बन्धी वार्ता के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना।

अंकटाड की सदस्यता व मताधिकार

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी एजेन्सी के रूप में अंकटाड कार्य कर रहा है। जिसकी सदस्यता पूर्णरूपेण ऐच्छिक है कोई भी राष्ट्र अपनी इच्छानुसार अंकटाड की सदस्यता ग्रहण कर सकता है अथवा परित्याग कर सकता है वर्तमान में अंकटाड के 194 सदस्य हैं।

अंकटाड की कार्य प्रणाली पूर्णरूपेण प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित है प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार है। सामान्य महत्व के विवादों पर केवल उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जबकि अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।

एशियाई विकास बैंक

एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना दिसम्बर 1966 में की गई थी। 1 जनवरी, 1967 को एशियाई विकास बैंक ने कार्य प्रारम्भ कर दिया बैंक का मुख्यालय फिलीपीन्स की राजधानी मनीला में है। भारत इस बैंक के संस्थापक देशों में से एक है। इस बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना है। वर्तमान में जापान के 'हारुहिको कुरोडा' एशियाई विकास बैंक के चैयरमैन हैं। उल्लेखनीय है कि एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष पद किसी जापानी को ही दिया जाता रहा है, जबकि इसके तीन उपाध्यक्षों में से एक अमेरिका का एक यूरोप का व एक अन्य एशिया का प्रतिनिधि होता है वर्तमान में एशियाई विकास बैंक की सदस्य संख्या बढ़कर 67 हो गई है।

एशियाई विकास बैंक की प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—

- अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ऋण और इक्विटी निवेश उपलब्ध कराना।
- विकास परियोजनाएं और कार्यक्रम तथा परामर्श सेवाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- विकासशील सदस्य देशों में समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं में सहायता के अनुरोधों पर कार्यवाही करना
- समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं के विकासशील सदस्य देशों के सहायता अनुरोधों पर कार्यवाही करना।

भारत बैंक के निदेशक मण्डल का कार्यकारी निदेशक है, इसके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, लाओ पी.डी.आर. और ताजिकिस्तान सम्मिलित है। वित्त मंत्री एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत के गवर्नर है और सचिव (विदेश विभाग) इसके वैकल्पिक गवर्नर है।

31 मार्च, 2017 को एशियाई विकास बैंक ने 200 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है, जिससे ऊर्जा बचत करने वाली लाइट सड़कों तथा घरेलू उपयोग में लगाने का वित्तीयन किया जाएगा साथ ही इसी ऋण से सम्पूर्ण भारत में ऊर्जा बचत करने वाले जल पम्पों की स्थापना की जाएगी।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान सहित 8 सदस्य देश है, ढाका शिखर सम्मेलन 7-8 दिसम्बर, 1985 के निर्णयानुसार इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय काठमाण्डू में है। प्रतिवर्ष शासनाध्यक्षों का सम्मेलन किए जाने का प्रावधान है, किन्तु किसी-न-किसी कारण से इसके शिखर सम्मेलन विलम्बित होते रहे है। सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करना है। परन्तु सदस्यों राष्ट्रों के आपसी मतभेद के कारण इसके उद्देश्य की प्राप्ति पर अभी प्रश्नचिन्ह ही लगा हुआ है।

दक्षेस संगठन के सिद्धान्त

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सार्क के चार्टर में अनुच्छेद-2 के अनुसार मुख्यतः तीन सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है-

संगठन के ढाँचे के अन्तर्गत सहयोग, सार्वभौम सहायता, समानता, संघीय एकात्मकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीति स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप तथा परस्पर लाभ के सिद्धान्तों का सम्मान करना एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दखल न देने को आधार मानकर संगठन का ढाँचा तैयार करना।

संगठन के ढाँचे में यह भी उल्लेख किया गया कि सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोध नहीं करेगा। संगठन के ढाँचे में यह भी व्यवस्था की गई कि सहयोग द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सहयोग के एवज में नहीं होगा।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा)

दक्षिण एशियाई स्वतंत्र व्यापार समझौते के तहत चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के पहले चरण की प्रशुल्क कटौती को भारत ने 1 जुलाई, 2006 से लागू कर दिया है, इसके तहत 380 उत्पादों के दक्षिण देशों से आयात पर प्रशुल्क दरें घटाई गई हैं इनमें मोटर कारें, मोटर साइकिलें, गोल्फ कोर्ट, औषधीय उत्पाद, उर्वरक, पेंट, मॉडेम, लोहा एवं इस्पात, चुर्नीदा टेक्सटाइल्स उत्पाद, चुर्नीदा खाद्य तेल, कोको एवं कोको उत्पाद, लैक्टोस व माल्टोस आदि सम्मिलित है। दक्षिण के लीस्ट डेवलपड कंट्रीज (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव एवं नेपाल) तथा नॉन लीस्ट डेवलपड कंट्रीज (पाकिस्तान एवं श्रीलंका) के मामलों में ड्यूटी में यह कटौतियाँ अलग-अलग है। इससे दक्षिण एशियाई के आपसी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी उद्योगों/किसानों की विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा की दृष्टि से चुर्नीदा उत्पादों की एक संवेदनशील सूची भी निर्धारित कर ली गई है गैर अल्पविकसित देश के लिए 884 तथा अल्पविकसित देशों के लिए 763 उत्पादों को इस संवेदनशील सूची में सम्मिलित किया गया है। इस सूची में सम्मिलित उत्पादों के मामले में व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम लागू नहीं होगा व्यापार उदारीकरण के तहत नॉन लीस्ट डेवलपड स्टेट्स (भारत, पाकिस्तान एवं श्रीलंका) दक्षिण के अन्य देशों से आयात पर 20 प्रतिशत शुल्क ही आरोपित करेंगे, जबकि अगले पाँच वर्षों में इन्हें (श्रीलंका को 6 वर्षों में) प्रशुल्क घटाकर 0.5 प्रतिशत तक लाना होगा। लीस्ट डेवलपड स्टेट्स को प्रशुल्क 30 प्रतिशत तक रखने की छूट वर्तमान में दी गई है अगले आठ वर्षों में इन्हें यह 0.5 प्रतिशत करनी होगी।

मेक इन इंडिया योजना में जिन भारतीय ने उद्यमियों सहयोग किया है उनका विवरण निम्न है—

‘मेक इन इंडिया’ के उद्घाटन के अवसर पर कई भारतीय उद्योगपतियों ने इस योजना का समर्थन करते हुए इसके प्रोत्साहन हेतु तत्काल निवेश हेतु आश्वासन दिया था। वर्तमान में निम्न उद्यमियों ने इसके सहयोग प्रदान किया है—

विजय शेखर शर्मा—

पेटीएम के संस्थापक एवं सी.ई.ओ. विजय शेखर शर्मा का नाम 2017 में समाचारों में आया। इस वर्ष उनकी कंपनी का तेजी से विकास हुआ और अल्प समय में ही यह ग्लोबल ब्रांड बन गया। नोटबंदी से उनका भाग्य चमका क्योंकि नोटबंदी से कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा मिला और शर्मा द्वारा 2010 में प्रारंभ किए गए पेमेंट गेटवे का बाजार मूल्य बढ़ा। करीब 20 करोड़ यूजर के साथ उनकी कंपनी ने भारत में गहरी जड़े जमा ली। आज उनकी कंपनी की पूंजी फिलिपकार्ट की पूंजी के करीब है। उनकी कंपनी उन 11 कंपनियों में है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स बैंक खोलने का लाइसेंस दिया है। उनकी कंपनी भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसने कनाडा में भी काम प्रारंभ किया है।

मुकेश अंबानी—

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। उनकी कुल सम्पत्ति 38 अरब डालर (लगभग दो लाख 47 हजार करोड़ रुपये) है। वह लगातार 10वें वर्ष भारत के सबसे रईस लोगों में शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने 2016 में रिलायंस जिओ इंफोकॉम की शुरुआत की और उसके लगभग 20 करोड़ ग्राहक बना लिए हैं। उनकी जिओ इंफोकॉम के लिए आई.पी.ओ. लाने की योजना है। मुकेश अंबानी का मानना है कि 2030 तक भारत के 10 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाने की संभावना है। उनका मानना है कि आने वाला समय कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। 2018 में उन्होंने घोषणा की कि वह पांच करोड़ घरों को हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क जिओ गीगा फाइबर से कनेक्ट करेंगे और ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी में शीर्ष पांच देशों में भारत को स्थान दिलाएंगी।

दिलीप सिंघवी—

सन फार्मास्यूटिकल के दिलीप सिंघवी का नाम वर्तमान में समाचारों में रहा है। अमेरिका द्वारा भारतीय दवा उद्योग पर नियंत्रण लगाने का असर उनकी कंपनी पर भी पड़ा। सन फार्मास्यूटिकल का बाजार मूल्य गिर गया। दिलीप सिंघवी ब्लूमबर्ग के बिलिनेयर्स इंडेक्स में भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में शीर्ष से गिरकर छठे पायदान पर आ गए। उनकी कंपनी जेनेरिक दवा

बनाने वाली दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है। 2017 में सन फार्मा ने जापान में प्रवेश किया और रूस में अपनी उपस्थिति बढ़ाई।

अजीम प्रेमजी—

भारतीय उद्योगपति, निवेशक और परोपकारी अजीम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं। विप्रो का लगभग 70 प्रतिशत शेयर उनके पास है। उनका एक अपना निजी इक्विटी फंड प्रेमजी इन्वेस्ट भी। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का 25 प्रतिशत दान करने का संकल्प लिया है। 2017 में वह विप्रो की पूंजी में नुकसान और अपनी सैलरी में कटौती को लेकर समाचारों में रहे। उनकी संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप प्रोग्राम स्पॉन्सर करती है। इसके तहत उन लोगों को शिक्षा पाने का अवसर दिया जाता है। जो देश के सुदूर जिलों में कार्य करने हेतु सहमति देते हैं। वह अजीम प्रेमजी स्कूल और यूनिवर्सिटी का संचालन करते हैं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में संतुष्टि मिलती है।

साइरस मिस्त्री—

टाटा ग्रुप के प्रमुख रहे उद्योगपति साइरस मिस्त्री टाटा संस में कुप्रबंधन के मुद्दे को उठाने और राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलैबल ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) में अपील दाखिल करने का लेकर 2017 में खबरों में रहे। मिस्त्री ने अपील में टाटा संस को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आर्टिकल 75 को रद्द करनेका निर्देश देने की मांग की थी। जिसके अनुरूप ग्रुप को निजी कंपनी में बदलने की मांग की गई थी। मिस्त्री की कंपनी की टाटा संस में 18 प्रतिशत भागीदारी है। एनसीएलटी ने मिस्त्री के विरुद्ध और टाटा संस के पक्ष में फैसला दिया।

सचिन और बिन्नी बंसल—

2017 में सचिन और बिन्नी बंसल ने बेहतर संचालन के लिए अपनी कंपनी फिलपकार्ट को पुनर्गठित किया। इसके तहत बिन्नी को ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया जबकि सचिन बंसल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहे। कम्पनी के दोनों प्रोमोटर्स ने अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए 2017 में कई कदम उठाए। फिलपकार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफार्म— माइक्रोसॉफ्ट अज्युरे के द्वारा ग्राहकों को बेहतर सुविधा के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया। फिलपकार्ट का कम्पिटिशन एमेजान से है। फिलपकार्ट ने निवेशकों को द्वारा तीन अरब

डॉलर (करीब 20000 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। 2018 में सचिन और बिन्नी ने अपनी कंपनी का अधिकांश नियंत्रण अमेरिका की प्रमुख कंपनी वालमार्ट को सौंप दिया।

आचार्य बालकृष्ण

पंतजलि के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सी.ई.ओ.) अचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व 2017 में कंपनी ने 170 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। बाबा रामदेव के साथ मिलकर प्रारंभ की गई पंतजलि में बालकृष्ण की भागीदारी 98.6 प्रतिशत है। दुनियाँ के अरबपतियों को फोर्ब्स की सूची में उनका नाम भी सम्मिलित है। पंतजलि प्रमुख ग्लोबल ब्रांडों को चुनौति दे रही है और फास्ट मूविंग कॉन्ज्यूमर गुड्स (एफ.एम.सी.जी.) क्षेत्र में यह सभी केवल हिन्दुस्तान यूनिलीवर से पीछे है। बालकृष्ण गुणवत्ता वाले विभिन्न तरह के उत्पादों को पेश करने में सफल रहे हैं।

साइरस पूनावाला—

साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। वह यूरोप और अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीदते रहे हैं। उनके संस्थान ने 2017 में रोटावायरस का टीका लांच किया जो भारतीय अवस्था के अनुकूल है और इसे रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता नहीं होती। पूनावाला महात्मागांधी की 1931 की पेंसिल से बनाई गई दुर्लभ तस्वीर को लंदन में नीलामी में खरीदने के पश्चात् समाचारों में आए। इस तस्वीर को कलाकार जॉन हेनरी एम्शेवित्ज ने बनाया था।

रतन टाटा—

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन टाटा ने रिटायरमेंट से लौटकर कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने साइरस मिस्ट्री से कमान ले ली थी जिन पर उन्होंने नॉन परफॉरमेंस का आरोप लगाया था। बाद में उन्होंने मिस्ट्री की जगह टी.सी.एस. के चन्द्रशेखर को टाटा संस का प्रमुख नियुक्त किया। मिस्ट्री ने उन पर कई आरोप लगाए हैं। रतन टाटा ने एन.सी.एल.टी. में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लिये गए निर्णयों का बचाव किया। वह दो वर्षों से भी कम समय में करीब 30 स्टार्ट-अप में निवेश कर समाचारों में रहे हैं।

आनन्द महिन्द्रा—

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा की पिनिन्करिना और सांगयोंग ब्रांड के नाम से अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन बेचने की योजना है। कंपनी की 2018 में चार सस्ते ई-वाहन और ई-बसें पेश करने की भी योजना है। कई अमेरिकी ट्रैक्टर असेम्बलिंग प्लांट का संचालन कर रही कंपनी अमेरिकी बाजार में पेश करने के लिए स्व-चालित ट्रैक्टर मॉडलों का परीक्षण कर रही है। कंपनी ने यू.डब्ल्यू.सी. स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप के फंड के लिए स्कोले मंडी फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप किया है।

उदय कोटक—

कोटक महिन्द्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक सेबी द्वारा गठित कमेटी के चेयरमैन थे जिसने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में की गई शिफारिशों में स्वतंत्र निदेशकों को अधिक अधिकार देना, चेयरमैनशिप को नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तक सीमित करने और पारदर्शिता पर अधिक ध्यान देने की बातें सम्मिलित हैं।

एन. चन्द्रशेखरन—

टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन. चन्द्रशेखर पहले टी.सी.एस. के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उनका मानना है कि भारतीय बाजार दुनिया में सबसे तेज विकसित होने वाला बाजार बनने जा रहा है और टाटा ग्रुप को भारत के आर्थिक विकास में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने यह राय भी प्रकट की कि टाटा ग्रुप को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि उसकी कंपनियां अपनी पूरी संभावनाओं को समझ सकें। कंपनी ने इंजन बनाने वाली सी.एफ.एम. इंटरनेशनल के लीप इंजन के पार्ट्स संयुक्त रूप से निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक समझौता किया है।

नंदन निलेकणी—

इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यूनिफ आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं। जिसने बायोमेट्रिक पहचान योजना आधार को प्रारंभ किया और जो इसका संचालन करता है। विशाल सिक्का के हटने के पश्चात् नंदन निलेकणी की सेवानिवृत्ति से वापस बुलाया गया और उन्हें फिर से इंफोसिस का चेयरमैन बनाया गया। पारंपरिक एप्लीकेशन्स डेवलपमेंट और मॉडर्निजेशन पर फोकस करते हुए उनसे इंफोसिस के लिए नई रणनीति बनाने की

अपेक्षा है। नंदन निलेकणी और उनकी पत्नी ने बिल और मेलिंडा गेट्स द्वारा चलाए आंदोलन से जुड़कर संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत उन्होंने अपनी 50 प्रतिशत संपत्ति दान करने का संकेत दिया है।

सुनील भारती मित्तल—

भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने अपनी पारिवारिक संपत्ति का 10 प्रतिशत परोपकारी कार्यों के लिए देने का संकल्प लिया है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को विज्ञान एवं तकनीक की शिक्षा दिलाने के लिए सत्य भारती यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव किया है। उनकी कंपनी सत्य भारतीय स्कूल प्रोग्राम चला रही है। जिओ के आने के पश्चात् अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए भारती एयरटेल अधिग्रहण में जुट गई है। उसने टाटा ग्रुप के वायरलेस फोन बिजनेस और भारत में टेलीनोर के संचालन का अधिग्रहण कर लिया है। भारती एयरटेल की बाजार भागीदारी अभी 40 प्रतिशत है।

अनिल अंबानी—

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी अभिषेक सिंघवी के विरुद्ध 5,000 करोड़ रूपए का मानहानि का केस कर समाचारों में रहे। सिंघवी ने अंबानी के सरकारी और निजी बैंकों से इतनी राशि के कर्ज संबंधी बयान दिया था जिसे अंबानी झूठा और छवि बिगाड़ने वाला बताते हैं। अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बोली के आधार पर बांग्लादेश में बिजली संयंत्र लगाने का 5000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन ने मुकेश अंबानी के जिओ के आने के चलते अपनी 2जी सेवा बंद करने का फैसला किया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 44000 करोड़ रूपये का कर्ज है।

संजीव गोयनका—

गोयनका ग्रुप के संजीव गोयनका आई.आई.टी.—खड़गपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन पुनः चुने गए हैं। वह दूसरी बार यह कार्य करेंगे। इससे पहले वह 2001-07 में चेयरमैन रह चुके हैं। आई.पी.एल. टीम राइजिंग पूर्ण सुपरजेंट्स के मालिक रहे संजीव गोयनका एम.एस. धोनी को टीम से हटाकर स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाने पर खबरों में आए। गोयनका ग्रुप अपने कारोबार का

विस्तार कर रहा है और वह बिजली वितरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और बीकानेर में बिजली वितरण की फ्रेंचाइजी चलाती है।

राजीव बजाज—

उद्योगपति राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज ने ब्रिटेन के ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के साथ साझेदारी की है जिसके वसाथ बजाज ऑटो लिमिटेड ट्रायम्फ मोटरसाइकिल का संयुक्त रूप से निर्माण करेंगी। बी.एस.-3 से बी.एस.-4 वाहनों के होने के चलते 2017-18 की पहली तिमाही में बजाज ऑटो की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। उनकी कंपनी में हाल ही में बाजार में नई मोटरसाइकिल लांच की है। सरकारी प्रक्रियाओं के चलते चारपहिया वाहन लांच करने की उनकी योजना में देरी हुई है।

कुमार मंगलम बिड़ला—

आदित्य बिड़ला ग्रुप और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिड़ला। रिलायंस जिओ से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपनी टेलीकॉम कंपनी आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया का विलय किया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय उद्योगपतियों ने 'मेक इन इंडिया' पहल ने अपना सराहनीय सहयोग प्रदान किया है तथा विदेशों में भी भारतीय साख स्थापित की है। इससे प्रभावित होकर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश हेतु उत्सुक है।

सारतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भारत को अग्रणी 'मेन्यूफैक्चरिंग हब' बनाने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी उसी दिन 'मेक इन चाइना' योजना की घोषणा की है। इससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत और चीन की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निवेश के श्रेष्ठ गंतव्य स्थल के रूप में माना गया है। यद्यपि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था धीमी गति से विकास कर रही है। जिसकी वृद्धि दर 4 प्रतिशत से भी कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था जी.डी.पी. के आंकड़ों के अनुसार विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

निवेश के क्षेत्र में छह वर्ष पश्चात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2018-19 में गिरावट दिखाई दी है। भारत में निवेश करने वाले देशों में –मॉरीशस, सिंगापुर, नीदरलैण्ड, अमेरिका तथा जापान है। सन् 2018-19 में विनिवेश से 78 हजार करोड़ रुपये एकत्रित हुए हैं। भारत ने विगत दस वर्षों में विश्व बैंक से सबसे अधिक ऋण लिया है। कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संभल रही है और विश्व स्तर पर अपना स्थान बना रही है।

जिन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया है उनमें प्रमुख रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व व्यापार संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र एवं विकास सम्मेलन-अंकटाड प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त एशियाई विकास बैंक, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की भूमिका भी सराहनीय रही है। 'मेक इन इंडिया' के सफल संचाल में जिन प्रमुख उद्योगपतियों की भूमिका रही है उनमें मुख्यतः पेटिएम के विजय शेखर शर्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी, सन् फार्मास्यूटिकल के दिलीप शांघवी, विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन अजीम प्रेमजी, टाटा ग्रुप के प्रमुख साइरस मिस्त्री, फिलप कार्ट कंपनी के सचिन एवं बिन्नी, पंतजलि के आचार्य बालकृष्ण, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला, टाटा ट्रस्ट के रतन टाटा, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के चेयरमैन आनन्द महिन्द्रा इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन निलेकणी, दानवीर सुनील भारती, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी इनके अतिरिक्त राजीव बजाज ने ब्रिटेन के ट्रायम्फ मोटरसाइकिल से साझेदारी की है तथा आदित्य बिड़ला ग्रुप और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन कुमार मंगलम का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सराहनीय रहा है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की दिशा एवं दशा उज्ज्वल प्रतीत होती है क्योंकि भारत में विदेशी कंपनियां निवेश हेतु उत्सुक हैं तथा स्थानीय उद्यमी भी अपने उत्पाद निर्यात निरन्तर कर रहे हैं तथा विदेशों में अपनी पैठ जमा चुके हैं। कई उद्योगपतियों ने दानदाता के रूप में अपनी निजी संपत्ति को भी देश के विकास हेतु समर्पित करने का संकल्प लिया है। यह भारतीय विकास योजनाओं के प्रति दृढ़ विश्वास निश्चित रूप से योजनाओं को आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा।

संदर्भ ग्रंथ

महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 1-6-107
पुरी,वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018, पृ.सं. 54
सिंह एच.डी. राव मित्रा	भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019-20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ. सं. 53
सिंह एच.डी. राव मित्रा	भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019-20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ. सं. 54
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 1-6-106
महर्षि राजीव	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा. लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 163
महर्षि राजीव	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा. लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 165
महर्षि राजीव	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा. लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 167
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.सं. 110-111
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा. लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 16.6
सिंह एच.डी. राव मित्रा	भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019-20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ. सं. 55
सिंह एच.डी. राव मित्रा	भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019-20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ. सं. 56
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.सं. 95

सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.सं. 99
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.सं. 100
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.सं. 102
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.सं. 105
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.सं. 110-4
महर्षि राजीव	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा. लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 1.11.227-229

अध्याय—षष्ठम

मेक इन इण्डिया अभियान की समीक्षा
एवं शोध सारांश

अध्याय—षष्ठम

मेक इन इण्डिया अभियान की समीक्षा एवं शोध सारांश

21वीं शताब्दी के प्रथम दशक की समाप्ति तक भूमंडलीकरण का कुरूप चेहरा अच्छी तरह साफ हो गया है। इसका एक पहलू वह है जिसमें विश्वभर में परिष्कृत टैक्नालाजी पर आधारित औद्योगिकरण तो तेजी से बढ़ा है पर इसके साथ-साथ दुनियाभर में कृषि का ह्रास भी उसी गति से हुआ है। इसका सबसे दुःखदायक परिणाम यह है कि विकास की और अग्रसर कहे जाने वाले अर्थात् गरीब देशों में, जिनकी बहुतायत एशिया और अफ्रीका में है, देहाती क्षेत्रों में रहने वालों की जिंदगी दूबर हो गई है। खेती की जमीनें बड़े पैमाने में औद्योगिक संयंत्रों ने घेर ली हैं और खनिज प्रकृति से निर्मित प्राकृतिक साधनों के निर्विरोध उपयोग के कारण कई स्थानों पर नाजुक पारिस्थितिकी बिगड़ गई है। बड़े पैमाने पर अपनी पारंपरिक जीविका के साधन गंवा देने के बाद लोग घरों से बेघर हुए हैं और आंतरिक शरणार्थी बनने को मजबूर हुए हैं। कई बार जिंदा रहने के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना पड़ा है और बाहरी अवांछित मेहमान होने के कारण नस्लवादी हिंसा का शिकार भी बनना पड़ा है।

भूमंडलीकरण का एक बुनियादी तर्क यह था कि जैसे-जैसे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेज होगी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बाजार के तर्क के अनुसार मांग और पूंजी के दबावों से अनुकूलित होकर आत्मनिर्भर होती जाएगी। त्वरित पूंजीगत विकास का लाभ धीरे-धीरे सभी जगह पहुंचेगा और सबसे वंचित और निर्बल व्यक्ति की जिंदगी में भी सुधार होगा। आज इस प्रक्रिया के दो दशक से भी अधिक समय तक गतिशील रहने के पश्चात् भी यह भविष्यवाणी सच सिद्ध नहीं हुई है। वास्तविकता तो यह है कि जो कुछ भी संभव हुआ है वह इसके विपरीत ही हुआ है।

जो प्राकृतिक संसाधन संपन्न भू-भाग थे पर राज्य के रूप में ताकतवर नहीं थे व भू-भाग अपना स्वामित्व लगभग पूरी तरह गंवा चुके हैं। तेल और गैस हो, सोना अन्य खनिज अथवा जवाहारात सभी के बारे में यह देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, इराक जैसे देश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर बर्बर सैनिक हस्तक्षेप द्वारा अमेरीका जैसी महाशक्ति ने अपना प्रभुत्व इस तरह स्थापित कर लिया है जिसे निकट भविष्य में चुनौती देने के बात कोई दूसरी शक्ति सोच भी नहीं सकती या फिर अबोध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम पर साधन संपन्न विभिन्न राष्ट्रों में संचालित उद्योग ने ऐसे

लाभदायक सौदे-समझौते तानाशाहों या भ्रष्ट सरकारों के साथ कर लिए हैं, जिनके बाद इन राज्यों की संप्रभुता और अपने संसाधनों पर उनके अधिकारों की दावेदारी केवल नाममात्र ही शेष रही है।

यह सुझाना तर्कसंगत होगा कि आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का ताना-बाना इस नव-पूंजीवादी एकाधिकारी अर्थव्यवस्था के निर्माण के साथ अनिवार्यतः जुड़ा रहेगा और बड़ी सीमा तक उसी के अनुसार संचालित होगा।

वैश्वीकरण और भारत

एक अमेरिकी विद्वान लेस्टर सी. थूरो ने अपनी पुस्तक 'दि फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म' में लिखा है कि 'विश्व व्यापार व्यवस्था के नियम-कायदे सदैव वर्चस्वशील अर्थव्यवस्थाओं ने निश्चित किए हैं और लागू कराए हैं। 19वीं सदी में ग्रेट ब्रिटेन ने यह भूमिका निभाई और 20वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने परंतु 21वीं सदी में आर्थिक प्रबंधन के नियम-कायदों की रूपरेखा बनाने, संगठित करने और उन्हें लागू कराने वाली कोई भी वर्चस्वपूर्ण शक्ति नहीं रहेगी। अमेरिका के प्रभाव में संचालित एक-ध्रुवीय व्यवस्था के दिन लद चुके हैं और एक बहुध्रुवीय संसार उभर कर विश्व रंगमंच पर आ चुका है। 9/15 के बाद जब विश्व बैंक के कुछ रणनीतिकारों ने 'डी-कपुलिंग' (विच्छेदीकरण) की अवधारणा प्रस्तुत की तो 'थूरो' की बात सच होती दिखने लगी। इसके बाद से इस बात का चलन बौद्धिक जगत में चल पड़ा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में चले जाने के बाद भारत और चीन की अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। जबकि सच यह है कि नैसडैक और डाउजॉस में होने वाले परिवर्तनों से ब्राजील, चीन और भारत के शेयर बाजारों को छींके आने लगती हैं या फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी नीतियों में परिवर्तन लाते ही दुनिया भर की मौद्रिक बाजारों में हड़कंप मच जाता है।

सोवियत संघ के पतन के साथ ही स्वच्छंद और निरंकुश पूंजीवाद का युग आरंभ हुआ। इतिहास के अंत की घोषणा के साथ ही निरंकुश पूंजीवाद ने दुनियाँ भर के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत निश्चित कर दिये। अब भारत और उस जैसी बहुत-सी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह तय करना अनिवार्य हो गया था कि वे अर्थव्यवस्था के पश्चिमी संस्करण को स्वीकार करेंगे या फिर अभी भी परम्परावादी ही बने रहेंगे। अततः तीसरी दुनिया के देशों के तीव्र विकास की उत्कृष्ट इच्छा और उसके लिए अधिक से अधिक विदेशी निवेश की आवश्यकता ने बड़ी सहजता से पूंजीवाद के नये पश्चिमी संस्करण का चुनाव कर लिया। भारत ने भी 1990 के दशक में अपनी अर्थनीति बदलते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समक्ष समर्पण कर दिया। लेकिन सतत विकास के

अपने पारम्परिक मॉडल (आर्थिक नियोजन) को बनाए रखा। इस दौरान एक परिवर्तन अवश्य आया और वह था आर्थिक संवृद्धि में सभी समस्याओं का निदान ढूंढना।

1990 के दशक के प्रारंभ होते-होते भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग चुका था जिससे उबरने के लिए भारत के नीतिकारों को उदार अर्थव्यवस्था को अपनाने का संकल्प लेना था। इसके बाद भारत ने 'वाशिंगटन आमराय' द्वारा निर्मित ढांचागत समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम; सैप) के तहत विदेशी पूंजी मुक्त बाजार, निजीकरण तथा सरकारी आर्थिक भूमिका में भारी कटौती की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद से भारत ने आर्थिक विकास के छद्म रूप संवृद्धि (ग्रोथ डेवलपमेंट) के क्षेत्र में तरक्की के लिए मार्ग तलाशना शुरू कर दिया। अगर आंकड़ों को देखें तो इस तथाकथित मंदी के आने के पहले तक भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 300 अरब डॉलर के आस-पास था, संवेदी सूचकांक कुलाचें भर रहा था, विकास दर नौ प्रतिशत के आस-पास थी, पर्चेजिंग पॉवर पैरिटी (पी.पी.पी.) के सुरक्षित ढाल के पीछे भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और भारत के 56 अरबपति फोर्ब्स में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। इसके बाद घोषणा की जाने लगी कि भारत 2025 में एक विकसित राष्ट्र होगा।

आशय यह कि जो भी आशावादी घोषणाएं हो रही हैं वे भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर (ग्रोथ रेट) और सेवा क्षेत्र की बढ़त को देखते हुए की जा रही हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि ग्रोथ किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धता (साउन्डनेस) को पहचानने का आदर्श तरीका नहीं और सेवा तो सही अर्थों में अर्थव्यवस्था में एक छद्म नाम है। हां इस दौर में भारत में अरबपतियों की संख्या अवश्य बहुत अधिक हुई है। इसलिए फोर्ब्स को देखकर समृद्धता का निष्कर्ष निकाल लिया जाता है और वास्तविक पक्ष को गौण कर दिया जाता है। भारतीय विकास का एक पक्ष यह भी है कि भारत को 'राइट टू फूड एक्ट' की आवश्यकता पड़ रही है। वास्तविकता यह है कि भारत में भुखमरी और कुपोषण का संकट दक्षिण अफ्रीका के देशों की तुलना में कहीं अधिक है।

भारत का हर दूसरा बच्चा कुपोषित है ओर यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 5000 बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत की हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषंगी संस्था खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के वर्तमान प्रतिवेदन के अनुसार भारत में 23 करोड़ से अधिक लोग भूख का शिकार हैं। मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों की हालत अफ्रीका के इथियोपिया, कांगो और चाड जैसी है। भले ही भारत ने चीन से ज्यादा अरबपतियों को जन्म दिया हो लेकिन वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) के मामले में चीन के मुकाबले भारत की स्थिति खराब है। हालांकि सभी वैश्विक सूचकांकों

में कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं और यह आवश्यक भी नहीं होता कि ये सूचकांक वास्तविकता को दर्शाते हों। लेकिन भारत की उस अमीरी, जिसका उल्लेख सभी पूंजीवादी संस्थाओं से लेकर सरकार तक करती रहती है, का यह सबसे बदरंग पहलू है। भुखमरी के मामले में भारत की गिनती उन 25 देशों के समूह के साथ होती है जिसमें सब-सहारा अफ्रीका के देश भी सम्मिलित हैं, जहां भूख का स्तर खतरनाक स्थिति में है। सूचकांक में भारत 67वें, नेपाल 56वें, पाकिस्तान 52वें और श्रीलंका 39वें पायदान पर है।

दक्षिण एशिया में केवल बांग्लादेश ही भारत से ऊपर (68वें स्थान पर) है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आई.एफ.पी.आर.आई.) ने दो वैश्विक गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) वेल्थहंगरहिल्फ व कंसर्न कल्डवाइड के सहयोग से यह सूचकांक तैयार किया है। यह भूख के तीन महत्वपूर्ण संकेतकों पर आधारित है और हर संकेतक का समान भार (वेटेज) है, अर्थात्-अल्पपोषित आबादी का प्रतिशत, पांच वर्ष से कम उम्र के सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का अनुपात और शिशु मृत्यु दर। यहाँ सामान्य से कम वजन वाले 43.5 प्रतिशत बच्चे हैं, जो भारत के सूचकांक को नीचे ले जाते हैं। यह दुःखद है कि भारत सामान्य से कम वजन वाले दुनिया के कुल बच्चों में से 42 प्रतिशत का घर है और 31 प्रतिशत बच्चों का विकास अवरूद्ध है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमृत्य सेन का मानना है कि गरीबी और भुखमरी को एक-दूसरे से जोड़कर देखना चाहिए। वे यह भी मानते हैं कि संकट यह नहीं है कि देश में अनाज का संकट है या उत्पादन अचानक न्यूनतम स्तर पर आ गया है। असली संकट यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है कि वे अनाज खरीद सकें। गरीबी और भुखमरी का आपस में जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र है अर्थात् गरीबी भुखमरी और कुपोषण को बढ़ाती है, ये दोनों शारीरिक व मानसिक शक्तिहीनता को बढ़ाते हैं जिससे श्रम की सकल मात्रा व क्षमता दोनों ही घट जाती है। यह स्थिति उत्पादन को घटाती है और न्यून उत्पादन गरीबी को और बढ़ा देता है।

इस प्रकार से गरीबी और भुखमरी का कुचक्र आरंभ हो जाता। असंगठित उद्योगों पर गठित राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट को देखें तो ज्ञात होगा कि 84.8 करोड़ आबादी प्रतिदिन 20 रुपये से भी कम पर गुजारा करती है। वास्तव में अल्पपोषण की समस्या खाद्यान्न की कमी की वजह से नहीं है बल्कि इसलिए है क्योंकि उपलब्ध स्टॉक जरूरतमंदों तक या तो पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर इसे उन कीमतों पर नहीं बेचा जा रहा है जिसे खरीदने की वे क्षमता रखते हैं। चिकित्सकीय साक्ष्य बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चरण तब आता है जब जीवन के पहले 100 दिन में पोषण अनिवार्य

होता है अर्थात् गर्भधारण और बच्चे के जन्म के मध्य। दो साल की उम्र के बाद अल्पपोषण का बुरा प्रभाव स्थायी होता है।

इसमें संशय नहीं कि पिछले दशक में भूख को समाप्त करने के लिए भारत ने बहुत प्रगति की है लेकिन यह देखते हुए कि कुछ गरीब देशों ने उससे बेहतर काम किया है, भारत की प्रगति संतोषजनक नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते दशक में प्रतिव्यक्ति आय में उत्साहजनक वृद्धि हुई है लेकिन इसने गरीबी में कमी लाने या भूख पर बहुत ज्यादा असर नहीं डाला। इसका एक पक्ष बाजारवादी है और दूसरा पक्ष सरकारी है जो प्रबंधन दक्षता की कमी को व्यक्त करता है।

इन परिणामों को देखते हुए वैश्वीकरण को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, विकास के वैश्वीकरण से या गरीबी के वैश्वीकरण से क्योंकि भारत एक साथ दोनों से जुड़ा हुआ है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव-परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। संपूर्ण विश्व के लिए भूमंडलीकरण की मंशा व्यापारिक उदारता, निजीकरण और सांस्कृतिक निकटता पर आधारित है जिसका शिकार भारत भी होता आया है। आज भारत वैश्विक रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाने को आतुर है तो इसके पीछे भूमंडलीकरण की ताकत भी सम्मिलित है। बेशक भारत के लिए भूमंडलीकरण पूर्णतया सकारात्मक ही नहीं रहा है फिर भी इसे सिरे से खारिज करना संभव नहीं। यदि प्रतिक्रियावादी चश्मे से भारत पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे तो यह नकारात्मक ही दिखाई देगा। किन्तु यदि निरपेक्ष दृष्टि रखें तो यह भारत के विकास में सहायक भी दिखता है।

केवल हमें विकास के लाभ को कतिपय लोगों के स्थान पर सबके द्वार तक पहुंचाना होगा। आज अगर आई.टी. सेक्टर में हमारी धाक है और हम अमेरिका जैसे विकसित देश के छात्रों को नौकरी अमेरिका जाकर भी छीन लेते हैं तो क्या भूमंडलीकरण को नकारा जा सकता है ? शायद नहीं। जहाँ तक संस्कृति की बात है तो मजबूत संस्कृतियाँ कभी मिटा नहीं करतीं बल्कि उनका रूपांतरण होता है, और संस्कृति की खूबसूरती उसकी विविधता में है, न कि एकरूपता में। इसलिए भारत सांस्कृतिक समन्वय का जीता-जागता उदाहरण है। फिर भी यदि सहमति गढ़कर संस्कृति को भ्रष्ट करने या पश्चिमी सांस्कृतिक वर्चस्व थोपने का प्रयास हो तो उससे अवश्य बचने की आवश्यकता है। ग्लोबलाइजेशन का स्वागत हमें वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक वह विचार, सूचना विज्ञान के क्षेत्र में हो। क्षमा, करुणा, दया, अहिंसा, संवेदना मैत्री और शांति के पक्ष में हो।

वह कॉम्पेटिटिव न होकर पूरक (कॉम्प्लीमेंट्री) हो। वरना हम स्वर्ग का सपना देखते-देखते कहीं नरक में न पहुंच जाएँ।

भारत में सुधारों की प्रक्रिया को तीन अन्य प्रक्रियाओं अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (जिसे एल.पी.जी. कहा जाता है) की प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण किया जाना निश्चित है। ये तीन प्रक्रियाएँ भारत द्वारा प्रवृत्त सुधार प्रक्रिया के लक्षणों को वर्जित करती हैं। स्पष्ट रूप से उदारीकरण सुधार की दिशा, निजीकरण सुधार के मार्ग और वैश्वीकरण सुधार के अंतिम लक्ष्य को दर्शाते हैं। विगत कई वर्षों में संपूर्ण दुनिया वैश्वीकरण प्रक्रिया की त्रुटियों पर बड़ी बहस की साक्षी रही है। न केवल विशेषज्ञों के मध्य बल्कि कई राष्ट्रों की भी सामान्य धारणा वैश्वीकरण की विरोधी होती गई है। विश्व व्यापार संगठन के लेकर होने वाली वार्ता लगभग रूक गई है। वर्ष 2016 का उत्तरार्द्ध पूरे विश्व की समस्त महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवादी भावना दिखाई दी है। भारत ने अपने बचाव में एक मध्य का रास्ता निकालने का प्रयत्न किया है।

मेक इन इण्डिया पहल ही वह मार्ग है जिस पर चलकर भारत अपना विकास निरंतर जारी रख सकता है। “मेक इन इण्डिया” कार्यक्रम के अनुसार जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनमें प्रमुख है—निवेश को महत्व, नवपरिवर्तन को प्रोत्साहन, कौशल विकास में वृद्धि, प्रज्ञात्मक संपत्ति की सुरक्षा, सर्वश्रेष्ठ आधारभूत संरचना का निर्माण करना। उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो सपना संजोया गया है वह है निवेश को सरल व सुगम बनाना, कौशल विकास को प्रोत्साहन देना, रोजगार के अवसर पैदा करना, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना। संपोषणीय और नये उत्पादों को भारत में निर्मित करना। भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकसित करना तथा स्मार्ट शहरों का विकास करना।

प्रथम अध्याय —“परिचयात्मक” के अन्तर्गत शोध की आवश्यकता को दर्शाया है। क्योंकि यह विषय नवीन है। सितम्बर 2014 में ही इस संकल्पना को प्रकट किया गया है। इस प्रकार के अध्ययनों का पूर्व में प्रायः अभाव रहा है। ‘स्वदेशी’ की संकल्पना का तो पूर्व अध्ययनों में अत्यधिक विस्तार से प्रकाश डाला है। लेकिन “मेक इन इंडिया” जैसे विषयों को स्थान नहीं दिया गया है। परिचयात्मक में भारत में विकास की प्रक्रिया को तीन प्रक्रियाओं अर्थात् उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (जिसे एल.पी.जी. कहा जाता है), को वर्णित किया गया है। ये तीन प्रक्रियाएँ भारत द्वारा प्रवृत्त सुधार प्रक्रिया के लक्षणों को वर्णित करती हैं। स्पष्ट रूप से उदारीकरण सुधार की दिशा, निजीकरण विकास का मार्ग और वैश्वीकरण विकास के अन्तिम लक्ष्य को दर्शाते हैं। बहुराष्ट्रीय व घरेलू कम्पनियों को भारत में ही अपने उत्पाद बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने

सितम्बर 2014 में 'मेक इन इण्डिया योजना' का शुभारम्भ किया है। यह पहल न केवल विनिर्माण, बल्कि प्रासंगिक आधारभूत संरचना और सेवा क्षेत्रों में भी उदमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की गई। भारत में बनाओ पहल के अंतर्गत भारत में पूंजीगत व प्रौद्योगिकी निवेश, दोनों को आकर्षित करना, ताकि देश चीन और अमेरिका से भी आगे निकलकर दुनिया की सबसे अधिक एफ.डी.आई. वाला देश बन जाए, सरकार ने मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों तक सीमित रखा है।

प्रस्तुत अध्ययन में वैश्वीकरण के युग में भारत के विकास में मेक इन इंडिया योजना का प्रभाव' विषय के सभी पक्षों का अध्ययन किया गया है। प्रथम अध्याय योजना को स्पष्ट किया गया है तथा अध्ययन की आवश्यकता और औचित्य तथा शोध प्रविधि का खुलासा किया गया है।

द्वितीय अध्याय — वैश्वीकरण एवं भारत—एक अध्ययन के अन्तर्गत हमने वैश्वीकरण से उत्पन्न व्यापक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया है। हमारे जीवन का कोई भी पहलू इससे अछूता नहीं है। जिस प्रकार वैज्ञानिक खोजों ने आधुनिकता को सुसाध्य बनाया है और ज्ञानोदय ने मनुष्य के भ्रम से पर्दा उठाया है उसी तरह हम आज एक अन्य युग के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। पूंजीवाद, उद्योग और राष्ट्र—राज्य जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनका जन्म आधुनिकता के साथ हुआ, उनके स्वरूप में भी आज व्यापक बदलाव आ गया है। इस प्रकार वे जो भूमिका निभा रहे हैं उनमें भी परिवर्तन आया है। आज वर्तमान परिदृश्य को समझने के लिए नई दृष्टि की आवश्यकता है। चीजों को नए प्रकाश में देखने की आवश्यकता है।

चूंकि पुरानी संरचनाओं में परिवर्तन आ रहा है इसलिए उनकी पुरानी पहचान भी समाप्त होती जा रही है। आज वर्ग, लिंग, जाति और राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक भूमि का विखंडन देखा जा सकता है जिसने कभी सामाजिक प्राणियों को दृढ़ता प्रदान की थी। यहां तक कि अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के क्षेत्र में हम भावी खतरों का भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हालांकि एक चीज निश्चित है कि हम वैश्वीकरण के लाभों को नहीं झूठला सकते। अतः वैश्वीकरण के प्रति अपने दरवाजे बंद करने की बजाय हमें इसके लाभ और हानि के मध्य प्रभावी संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हम अब एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहां व्यक्तिगत सरकारें कुशलता से कार्य नहीं कर सकती। अतः यदि हमें वैश्वीकरण की समस्याओं से मुक्ति पानी है तो हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका समाधान भी वैश्वीकरण से ही हो सकता है। भूमण्डलीकरण व वैश्वीकरण से आशय है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना।

यह एक वैश्विक अभिशासन के नए रूप की मांग करता है जो सहयोग और कुशलता से वैश्विक मुद्दों का समाधान करेगा।

तृतीय अध्याय— भारत में वैश्वीकरण एवं मेक इन इण्डिया योजना—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की अप्रैल-2018 की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में भारत का सकल घरेलु उत्पाद 2.6 ट्रिलियन डॉलर का स्तर छू गया, जिससे अब भारत अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी तथा इंग्लैण्ड के बाद विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। क्रय शक्ति समता के आधार पर, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 'मेक इन इंडिया' के फलस्वरूप उत्साहवर्द्धक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। लेकिन अभी इस योजना को और अधिक प्रचारित करने की आवश्यकता है। वस्तुतः प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि सरकार व्यापार माहौल को सरल बनाकर देश को आगे ले जाना चाहती है।

ध्यान योग्य तथ्य यह है कि वैश्वीकरण संबंधी भारतीय विचार की अवधारणा कल्याणकारी राज्य की ओर प्रवृत्त है, जा कि एक स्पष्ट संदर्भ के रूप में दिन-प्रतिदिन सार्वजनिक रीति के रूप में आता है। आई.एम.एफ. विश्व बैंक और विकसित राष्ट्रों सहित विश्व ने अब निरन्तर इस तथ्य को पहचान प्रदान की है कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं के वैश्वीकरण का अधिकाधिक लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक विश्व के गरीबों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि गरीबों अर्थात् विश्व की 1/5 जनसंख्या को सम्मिलित किए बिना वैश्वीकरण पूरा किया जाता है तो क्या इसे विश्व का विकास कहा जाएगा। भारत वैश्वीकरण की प्रक्रिया के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना ही स्वयं को आर्थिक महाशक्ति बनाने हेतु प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य की सिद्धि 'मेक इन इंडिया' के द्वारा ही संभव हो सकती है।

चतुर्थ अध्याय— मेक इन इण्डिया योजना तथा विकास— 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति 2015 का उद्देश्य दीर्घ स्तर पर उच्च मानकों पर आधारित, कौशल विकास की परम्परा को लागू करना है तथा नव प्रवर्तनों के माध्यम से ऐसी उद्यम परम्परा को जन्म देना है जिससे देश की सम्पूर्ण जनता के लिए रोजगार व धन सम्पदा का सृजन करके जीवन-यापन के उपयुक्त व वहनीय अवसर पैदा किये जा सकें। नीति का मूल उद्देश्य लोगों को जीवनभर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके शक्तिकरण को और अधिक सुदृढ़ करना है। इस उद्देश्य की सिद्धि हेतु सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैण्ड

अप इंडिया कार्यक्रमों को अपनाया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, औषधी क्षेत्र तथा भीम बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली आदि को अपनाया है।

पंचम अध्याय— 'मेक इन इण्डिया' योजना की दिशा एवं दशा के निर्धारक तत्व में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की दिशा एवं दशा उज्ज्वल प्रतीत होती है क्योंकि भारत में विदेशी कंपनियां निवेश हेतु उत्सुक हैं तथा स्थानीय उद्यमी भी अपने उत्पाद निर्यात निरन्तर कर रहे हैं तथा विदेशों में अपनी पैठ जमा चुके हैं। कई उद्योगपतियों ने दानदाता के रूप में अपनी निजी संपत्ति को भी देश के विकास हेतु समर्पित करने का संकल्प लिया है। यह भारतीय विकास योजनाओं के प्रति दृढ़ विश्वास निश्चित रूप से योजनाओं को आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा।

मेक इन इण्डिया योजना का प्रभाव :

इस पहलू के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखे गये हैं। ढांचागत विकास देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। गरीबी का निवारण तथा निवेश को आकर्षित कर रही है। भारतीय सामान की अच्छी कीमत और व्यापारिक घाटे को निश्चित करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्तर को विश्व में ऊंचा उठायेगी। निवेशक भारत की ओर केवल बाजार के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय के मध्य पारस्परिक क्रिया मजबूत होगी और घरेलू कंपनियाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बदल जायेगी।

पड़ोसी देश चीन ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर इसी आधार पर बनाया है। भारत भी चीन की तरह लोकतंत्र जनसांख्यिकीय का लाभ उठाते हुए अपने आपको एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने की महत्वाकांक्षा रखता है और अपने विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस अभियान से आकर्षित कई देश जिनमें जापान, अमेरिका तथा चीन ने निवेश करके सहयोग प्रदान किया है।

पर्यटन एवं विदेशी मेहमानों के आगमन से भारत के आर्थिक विकास को संबल मिलेगा। आशा है भारत की जी.डी.पी. में 7.5 प्रतिशत वृद्धि हो सकेगी तथा विदेशी सैलानी भारतीय विरासतों को देखकर गौरवान्वित होंगे। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आई.टी. क्षेत्र में भी जी.डी.पी. 9.3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। विगत पांच वर्षों में 13.5 प्रतिशत जी.डी.पी. दर्ज की

गई है तथा 1,50,000 लोगों को रोजगार मिला है। सूचना और औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा लोगों को इस क्षेत्र में लाभ अधिक मिलेगा।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस अभियान का प्रभाव देखा गया है। इस क्षेत्र में उत्पादन 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित किया है। मेक इन इण्डिया की पहल से सन् 2015–16 में जी.डी.पी. 7.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

आई.टी. सेक्टर में इस योजना के प्रभाव से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। निर्माण कार्य (कन्सट्रक्शन) सेक्टर में सन् 2009–10 में देश की जी.डी.पी. को इसका योगदान 62–63 प्रतिशत था। सरकार ने यह निश्चित किया है कि इसके सहयोग को बढ़ाकर 70 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक वर्ष 2030 तक किया गया है। वैसे रीयल-स्टेट भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र के जिसमें सबसे अधिक लोग कार्य कर रहे हैं।

सरकार ने करीब एक ट्रिलियन धनराशि सन् 2017 तक निवेश की है। इसमें निजी क्षेत्र ने 40 प्रतिशत निवेश किया है। 45 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य पर खर्च की है और 20 प्रतिशत राशि अन्य कार्यों पर अग्रिम रूप से व्यय की गई है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। सन् 2026 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। दुपहिया वाहनों का उत्पादन 8.5 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष होगा। कार-बाजार 6 मिलियन यूनिट सन् 2020 तक उपजेगा। इस उद्योग का देश की जी.डी.पी. में 45 प्रतिशत योगदान है। लगभग 19 मिलियन लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत दुनियाँ का 7वां बड़ा दुपहिया वाहन उत्पादक देश है। लगभग 24 मिलियन वाहन वार्षिक बनाये जा रहे हैं। कुल उत्पादन का 3.64 मिलियन वाहन निर्यात किये जा रहे हैं। सरकार चाहती है इस सेक्टर का स्थान 7 के स्थान पर तीसरा रखना चाहिए और सन् 2016–17 में यह उपलब्धि प्राप्त भी हुई है। वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसने दुपहिया वाहन निर्मित किये हैं।

‘मेक इन इण्डिया’ पहल मुख्यतः रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं करवा रही है बल्कि भारत की जी.डी.पी. में वृद्धि कर रही है। इसलिए यह भारत के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 101 देशों में गरीबी दर प्रतिवेदन जारी किया है। भारत ने 2006-2016 के मध्य 10 विकासशील देशों के समूह में सबसे तेज गति से गरीबी का उन्मूलन किया है। इन 10 वर्षों में देश के 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं। यू.एन.डी.पी. की मल्टीडाइमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 33.1 प्रतिशत (64 करोड़) से घटकर 27.9 प्रतिशत (36.9 करोड़) रहे गये हैं। रिपोर्ट में भारत के साथ बांग्लादेश, कंबोडिया, हैनी, पेरु, कांगो, इथोपिया, नाइजीरिया, पाह, वियतनाम को भी सम्मिलित किया गया है।

तालिका में निम्न पैमाने के आधार पर गरीबी की रेटिंग की गई है –

	2005-06	2015-16
पोषण की कमी	44.3 प्रतिशत	21.2 प्रतिशत
शिशु मृत्युदर में कमी	4.5 प्रतिशत	2.2 प्रतिशत
रसोई गैस में कमी	52.9 प्रतिशत	26.2 प्रतिशत
स्वच्छता में कमी	50.4 प्रतिशत	24.6 प्रतिशत
पीने के पानी में कमी	16.6 प्रतिशत	6.2 प्रतिशत
बिजली में कमी	29.1 प्रतिशत	8.6 प्रतिशत
घाटे में कमी	44.9 प्रतिशत	23.6 प्रतिशत
संपत्तियों में कमी	37.6 प्रतिशत	9.5 प्रतिशत

(स्रोत- दैनिक भास्कर, जयपुर, जुलाई 13, 2019)

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में स्वीकारा है कि विगत 8 वर्षों में बेरोजगारी की दर बढ़कर दोगुनी हो गई है। नवंबर, 2016 में नोटबंदी के पश्चात् से विगत दो वर्षों में 50 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इनमें अधिकतर बेरोजगार उच्च शिक्षा प्राप्त युवा है। प्रतिवेदन के अनुसार 2018 में बेरोजगारी की दर बढ़कर 6 प्रतिशत पहुंच गई है। जो वर्ष 2000 से 2011 में बेरोजगारी की दर से दोगुना है। लेकिन नोटबंदी का बेरोजगारी में वृद्धि से संबंध स्थापित नहीं किया है।

इन्फोसिस कंपनी के सी.ई.ओ. व एम.डी. सलिल परेख का मानना है कि कंपनी ने इस वित्त वर्ष के प्रारंभ में मजबूती दिखाई है। कंपनी जून 2019 के तिमाही में आय 14 प्रतिशत से बढ़कर 21,803 करोड़ रही। पिछले साल भी समान अवधि में यह 19.128 करोड़ थी। कंपनी ने 10 करोड़ से अधिक के दो ग्राहक और जोड़े हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 25 हो गई। कंपनी की वैश्विक कारोबार में भागीदारी निम्नानुसार थी—

उत्तरी अमेरिका	61.6%
यूरोप	23.6%
शेष दुनियाँ	12.5%
भारत	2.3%
कुल	100%

आई.टी.एल. (इण्डियन ट्रेक्टर लिमिटेड कम्पनी) और जापानी कम्पनी धनमार के मध्य साझेदारी हुई है। सोलिस ट्रेक्टर के निर्माण से भारतीय कंपनी ने भारी लाभ अर्जित किया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले चैम्पियन क्षेत्रों को पहचान की गई है। जिसमें विश्वस्तर पर चैम्पियन बनने की क्षमता है। योजना के तहत रोजगार बढ़ेंगे जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी साथ ही इन क्षेत्रों में कौशल विकास होगा। जिससे देश-विदेश में सभी बड़े निवेशकों का ध्यान हमारी और केंद्रित होगा।

‘मेक इन इंडिया’ अभियान की मदद से बहुत से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है इसी के परिणाम स्वरूप देश का विकास भी हो रहा है। इस अभियान की सहायता से भारत को अन्य विकसित देशों में सूची में शीघ्र ही सम्मिलित कर सकेंगे।

अगर विदेशी की कंपनियां हमारे देश में शाखाएं खोलेंगी तो भारत के साथ-साथ उन्हें भी लाभ होगा और देश के लोगों को भी कम दाम में उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे और साथ में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास होगा।

‘मेक इन इंडिया’ अभियान शुरू हुआ तब से भारत में शिघ्रता से कई निवेशकों ने विनिर्माण, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, उत्पादन, खुदरा, रसायन, आईटी, बंदरगाह, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन, आदि ने रेलवे के क्षेत्र में निवेश किया है जो भारत के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है।

योजना के शुभारंभ के दिन सभी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों को इस अभियान का साथ देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस अभियान में भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी है। इसमें रोज कोई-ना-कोई बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी भारत में निवेश कर रही है और अपनी शाखाओं को भारत में स्थापित कर रही है जो आने वाले वर्षों में लोगों के लिए रोजगार का एक अच्छा माध्यम होगा।

‘मेक इन इंडिया’ अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में नई टेक्नॉलाजी के विकास और भारत में ही बनाए जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य सिद्धांत है कि विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरणा मिले तथा भारत में ही उत्पादों का निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाए। ना केवल विदेशी उत्पादों बल्कि योजना के तहत भारती कंपनियों के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में आजतक अशिक्षा, बेरोजगारी महिलाओं की संख्या में गिरावट, भ्रष्टाचार, गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्ता है। मेक इन इंडिया अभियान इन सभी कमियों के निराकरण की एक बहुत ही अच्छी पहल है।

मेक इन इंडिया अभियान के अनुसार भारत में 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सस्ते आवास लोगों को मिलने की आशा है।

अधिक से अधिक वस्तुएँ भारत में उत्पादित हों जिससे वस्तु की कीमत कम रहेगी और बाहर निर्यात करने पर देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। देश में रोजगार बढ़ेगा, गरीबी कम होगी। उच्च गुणवत्ता का समान कम कीमत पर मिलेगा। विदेशी के निवेशक हमारे यहाँ निवेश करेंगे। जिससे देश में बाहर से पैसा आएगा साथ ही देश का नाम दुनियाँ में रोशन होगा। देश के नौजवानों को अपना कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। देश के युवा रोजगार हेतु विदेशों में पलायन नहीं करेंगे।

सितम्बर, 2014 में जब से इस योजना की शुरुआत हुई है तब से नवम्बर 2015 तक भारत सरकार को दुनियाँ भर की इलेक्ट्रानिक्स कंपनियों ने प्रस्ताव भेजे हैं जो भारत में काम करने के इच्छुक हैं। जनवरी 2015 को स्पाइस मोबाइल कंपनी के मालिक ने उत्तर प्रदेश के साथ डील करके वहाँ पर अपने मोबाइल फोन की कंपनी स्थापित की है।

जनवरी 2015 में ही सैमसंग मोबाइल कंपनी के सी.ई.ओ. ह्यून चिल होंग एम.एस.एम.ई. के मंत्री कलराज मिश्रा से मिले थे। उन्होंने साथ में काम करने की इच्छा प्रकट की थी और नोएडा में इसके प्लांट की बात भी कही थी। फरवरी 2015 में हिताची ने भी भारत में निवेश की बात कही और कहा वे चेन्नई में अपना स्टार्टअप लगा सकते हैं।

फरवरी, 2015 में हुवाई ने बैंकलुरु में अपना रिसर्च व डेवलपमेंट कैंपस खोला। इसके साथ ही उन्होंने टेलीकॉम हार्डवेयर प्लांट चेन्नई में बनाने की बात कही जिसे चेन्नई सरकार ने मान्यता दे दी। फरवरी 2015 में जियोमी मोबाइल कंपनी ने आंध्रप्रदेश सरकार के साथ काम करने का प्रस्ताव रखा है।

अगस्त 2015 में लेनोवो ने कहा कि उसके मोटोरोला के मोबाइल चेन्नई के पास प्लांट में निर्मित होने लग गये हैं। दिसम्बर 2015 में वीवो मोबाइल कंपनी ने नोएडा में अपने मोबाइल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जिसमें 2200 लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ-साथ कई विदेशी कंपनियों ने सरकार को अपने प्रस्ताव भेजे हैं और साथ देने की इच्छा प्रकट की है।

दिसम्बर 2015 में जापान के प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा की उन्होंने 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट के लिए जापान की ओर से भारत को 12 लाख करोड़ का फंड दिया। इसके साथ जब नरेन्द्र मोदी दिसम्बर में रूस के दौरे पर थे तब उन्होंने मेक इन इंडिया कैम्पेन के तहत अब तक की सबसे बड़ी डील साइन की। मल्टीरोल हेलिकॉप्टर भारत में निर्मित हैं जिन्हें रूस ने खरीदने का निश्चय किया है।

'मेक इन इंडिया' योजना से जुड़ी बातें – इस योजना ने देश विदेश के सभी स्थानों के निवेशकों के लिए भारत में व्यापार करने के दरवाजे खोल दिए हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस मंत्र को अपना रही हैं। भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो अब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की राह पर चल पडा है।

सरकार ने इस योजना के लिए 25 सेक्टर का चुनाव किया है जैसे –ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, इलेक्ट्रानिक्स, फूड प्रोसेसिंग, इन्फोर्मेशन टेक्नॉलोजी, लेदर, माइनिंग, मिडिया व एंटरटेनमेंट, आउल व गैस, रेलवे, पोर्ट्स एंड शिपिंग, टेक्सटाइल व गारमेंट्स, थर्मल पॉवर, टूरिज्म, इलेक्ट्रिकल मशीन, रोड़ व हाइवे, विमान उद्देश्य निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त रक्षा, स्पेस और भी दूसरे सेक्टर के मार्ग यहाँ निवेश के हेतु खुल गए हैं।

इसके साथ ही नियामक राजनीति ने निवेशकों व व्यापार करने वालों को बहुत सी छूट भी दी है। आंकलन के अनुसार ये पूरी योजना 20 हजार करोड़ की है लेकिन शुरुआत में इसके लिए 930 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, जिसमें से 50 करोड़ भारत सरकार दे रही है।

प्रत्येक देश में व्यापार व निवेश करने के अलग अलग नियम कानून होते हैं। 2015 में 189 देशों के बीच वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिसर्च की गई जिसके अनुसार भारत की रैंक 130 नंबर है। सरकार इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर योजनाएँ बनाती हैं। अब देश में व्यापार से संबंधित बहुत से नियम बदले जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने भारत में व्यापार के लिए देश के 17 शहरों में सर्वे किया था जिसके अनुसार लुधियाना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुडगांव, अहमदाबाद टॉप 5 शहर हैं, जहाँ आसानी से कोई व्यापार किया जा सकता है।

मेक इन इंडिया कैम्पेन –

‘मेक इन इंडिया’ कैम्पेन को जन जन तक पहुँचाने के लिए 13 फरवरी 2016 को मुम्बई में ‘मेक इन इंडिया वीक इवेंट’ मनाया गया था। जहाँ 2500 अन्तर्राष्ट्रीय व 8000 राष्ट्रीय कंपनियों ने सहभागिता की थी, इसके साथ ही 72 देशों की बिजनेस टीम व देश के 17 प्रदेशों से भी उद्यमि आए थे। मेक इन इंडिया की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने मेक इन महाराष्ट्र कैम्पेन शुरू किया। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाना है। इससे महाराष्ट्र में व्यापार के लिए लोग आकर्षित होंगे व अर्थव्यवस्था सुधरेगी।

‘मेक इन इंडिया’ अभियान की सफलता के लिए निम्न नारों का उपयोग किया जाना आवश्यक है जिससे यह अभियान जन जन तक पहुँचेगा—

- नई सुबह की भौर, नव निर्माण की ओर।
- देश-विदेश में शौर है, भारत निर्माण की ओर है।

- भारत निर्माण की ओर, नए युग का दौर।
- दिल से निकले एक ही दरकार, मेक इन इंडिया का सपना हो साकार।
- वही देश है समृद्धशाली, जहाँ का युवा हो प्रभावशाली।
- कण-कण कर मूरत बनायेंगे, देश को विकसित करके दिखलाएंगे।
- इतिहास हमारा सदियों पुराना, वेदों में निहित ज्ञान है, जिस देश की महिमा अलक निरंजन उसे दिलाना पुनः सम्मान है।
- मेक इन इंडिया, युवा शक्ति का आईना
- ज्ञान का है जहाँ अलौकिक प्रकाश, जहाँ की मिट्टी में अमरता का आशीर्वाद, क्यूं झुके वो देश करने विकास चलो मिलकर करे मेक इंडिया का आगाज।
- विकास का दौर, निर्माण की ओर

यह योजना भारत को विकसित बनाने में एक बहुत ही उत्तम पहल सिद्ध हुई है। भारत सरकार अपनी क्षमतानुसार पूर्ण प्रयास कर रही है इस योजना को सही मार्ग देने की लेकिन हमको भी इसकी सफलता हेतु प्रयास करने चाहिए। हमें स्वदेशी भाँति सोचना चाहिए जिससे अधिक से अधिक हमारा भी लाभ सुनिश्चित होगा।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जब भी राष्ट्र की एकता-अखण्डता, संप्रभुता और संस्कृति को आघात पहुंचता है तो राष्ट्रवाद का स्वतः स्फूर्त जागरण होता है। यदि वैश्वीकरण का जोर शीतयुद्ध की समाप्ति (1990), सोवियत संघ के विघटन (1991) विचारधाराओं का अंत (डेनियल बेल), इतिहास का अंत (फकियामा) तथा एक ध्रुवीय विश्व जैसी संकल्पनाओं से खादपानी ग्रहण कर विश्व को समतल बनाने का हो तब वैश्वीकरण के विरुद्ध विभिन्न राष्ट्रीयताओं का उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी किन्तु यदि वैश्वीकरण राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी देकर नागरिकों के उत्थान हेतु बल प्रदान करता है, पूंजी प्रवाह बढ़ाता है तथा विकास को बढ़ावा देता है तो निश्चित रूप से राज्यों की सीमाओं और कानूनों के शिथिल पड़ने की संभवाना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी हमें यह नही भूलना चाहिए कि वैश्वीकरण की आड़ में

‘पश्चिमीकरण’ या ‘द वर्ल्ड इज फ्लैट’ का विचार हो अथवा राष्ट्र-राज्य व संस्कृति-रक्षा की आड़ में चरम राष्ट्रवाद का उद्भव, दोनों ही स्थितियां मानवता के लिए हानिकारक हैं।

अतः इनके संतुलन पर जोर होना चाहिए ताकि बिग ऑयल जैसी कंपनी दूसरे देशों में कानूनी लूट न कर सके, न ही अरब स्प्रिंग जैसी घटना हो। यह बात सच है कि इतिहास की बढ़ती धारा को मोड़ा नहीं जा सकता इसलिए उसे और अधिक पारदर्शी और जन-हितैषी बनाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। अतः भारत ने मध्य का रास्ता खोज कर ‘भारत में बनाओ’ कार्यक्रम आरम्भ किया है। चाहे अन्यदेश इसे ‘स्वदेशी’ को प्रोत्साहन कहे या राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाये लेकिन भारत ने विदेशी निवेश को प्राथमिकता देकर इस आरोप को भी कमजोर कर दिया है। पड़ोसी देश चीन ने भी ‘मेक इन चाइना’ अपनाकर अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को प्राथमिकता प्रदान की है। स्पष्टतः निःसंकोच यह माना होगा कि ‘मेक इन इंडिया’ योजना वैश्वीकरण के युग में भारत के विकास को परवान चढ़ायेगी।

समाधान रणनीति

- औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर में डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर अनिश्चितता को समाप्त करना।
- स्पष्ट दिशा-निर्देशों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नीति को आसान बनाना।
- छोटे उद्योगपतियों व व्यापारियों को बढ़ावा देने हेतु मानदंडों को लचीला बनाना।
- पर्यावरणीय मानकों के सरलीकरण हेतु तकनीकी विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- वित्त उपलब्धता हेतु न्यूनतम दरों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु ‘मुद्रा’ जैसी योजनाओं का विस्तार करना तथा स्टार्ट अप को बढ़ावा देना।
- निर्यातान्मुख विनिर्माण मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना।

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का कौशल : ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आमूल चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है समसामयिक संदर्भ

लेजिस्लेटिव रिसर्च एजेंसी 'पी.आर.एस.' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में, राज्यों द्वारा केंद्र सरकार की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 72 फीसदी अधिक खर्च करने की उम्मीद की गई थी। स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले खर्च के अधिकांश निर्णय केंद्र के सीमा से बाहर हैं। ऐसे में अधिकतर केंद्रीय योजनाएं, जैसे स्वच्छ भारत और स्मार्ट सिटीज मिशन, राज्य के अधिकारियों द्वारा वास्तविक कार्यान्वयन पर ही निर्भर करती है।

ब्यूरोक्रेसी: परिवर्तन के क्षेत्र

नौकरशाही में पेशेवरों का प्रवेश एक स्वागत योग्य पहल है, हालांकि, इससे नौकरशाही की मानसिकता बदलने में ज्यादा मदद नहीं मिली है, इसके कुछ व्यावहारिक कारण हैं। पहला और प्रमुख कारण यह है कि पेशेवरों को निजी क्षेत्र में प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है और यही उन्हें लीक से हटकर, सकारात्मक परिणाम पाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन की अनुपस्थिति में, पेशेवर भी नौकरशाही के कामकाज करने के तरीके अनुरूप ही काम करने लगते हैं और यहीं पर इस नए प्रयोग के विफल होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां आमूल चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

ईज ऑफ डूइंग

हाल में आई विश्व बैंक की 2018 की कारोबार करने को सरल बनाने वाले रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जीएसटी फाइलिंग में लगने वाले समय में बढ़ोतरी हुई है। 2017 में कारोबारियों को कर अदायगी में लगने वाला समय लगभग 214 घंटे का था, जो 2018 में 275.4 घंटे का हो गया। इसी रिपोर्ट में विभिन्न पैमानों पर 'इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड' के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

दिवालियेपन की नीति

दिवालियेपन की घोषणा के बाद कर्ज नहीं लौटाने की बढ़ती परंपरा में भारत 2017 में 103वें पायदान पर था वहीं 2018 में भारत 108वें पायदान पर आ गया। केंद्र सरकार को न सिर्फ सब्सिडी जैसे संरक्षणवादी उपायों पर फिर एक गहन विचार करने की आवश्यकता है, बल्कि कुछ और मामलों में भी उदाहरण स्वरूप, 2016 के रियल स्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम को भी दोबारा परखने की आवश्यकता है।

स्किल डेवलपमेंट मिशन

स्किल डेवलपमेंट मिशन के मामले में भी कई कमियां रही हैं, उद्योग जगत के साथ इस मामले में कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना का मूल उद्देश्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना और स्किल डेवलपमेंट में व्यापार जगत को जोड़ना था, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस पूरे मिशन में सरकार की तरफ से लगभग 99 फीसदी फंड की भागीदारी रही जबकि इसकी फ्लैगशिप स्कीम में भी सिर्फ 12 फीसदी प्रशिक्षुओं को ही रोजगार मिला।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किस उद्योग का वृद्धि स्तर पर ज्यादा है और कौन से उद्योग में रोजगार की संभावना ज्यादा है। हम कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ फंड के मामले में भी उद्योग जगत को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के तहत अपने साथ जोड़ सकते हैं। इससे न मात्र प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि सरकार के वित्तीय दबाव में भी कमी आएगी। बहरहाल, नीति आयोग में लगातार विशेषज्ञों की हो रहीं बैठके इस सरकार के, अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के समर्पण को दर्शाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अप्पादुराई और राजन	इण्डिया फोरेन पॉलिसी, नई दिल्ली, 1953
भाभ्मरी सी.पी.	फोरेन पॉलिसी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली 1987
मीणा राममूर्ति	भारत अमेरीका सम्बन्ध, ए.डी.बी. पब्लिशर्स, जयपुर सन् 2000
वर्मा दीनानाथ	अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली 2002
प्रजापति विष्णु	इण्डियन नेशनल इन्स्ट्रस्ट एण्ड ग्लोबल कमी. टमेंट्सए ,2018
मार्शल वोल्फ	ग्लोबलाइजेशन एण्ड सोशल एक्सक्लूजन ,2016, सम पैराडाक्सेज (संकलित) गार्वी रोजर्स वगैरह (संपा)
शैला एल. कोचर	वैश्वीकरण और सम्बन्ध एक बदलती हुई दुनिया की पहचान की राजनीतिरोमैन और लिटिलफील्ड , 2018
वेड, रॉबर्ट हंटर	विश्व आय वितरण में बढ़ती हुई असमानता, 2018
हर्स्ट इ. चार्ल्स	सामाजिक असमानता, 2018
स्टिगलिट्ज, युसुफ और चार्लटन	निष्पक्ष व्यापार सभी के लिए व्यापार कैसे विकास को बढ़ावा दे सकता है, 2018
स्टाइपो, फ्रांसेस्को	विश्व संघवादी घोषणा पत्र राजनीतिक वैश्वीकरण के लिए मार्गदर्शिकाकॉलम ए.ए. इण्डिया, 2020, विजिन फारद न्यू मिलेनियम, विकिंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1998
कश्यप, डॉ . सुभाष गुप्ता, विश्व प्रकाश	राजनीति कोष, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 1971
देसाई, ए.आर.	प्रजेन्ट स्ट्रगल्स इन इण्डिया ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली, 1979

दुबे अभय कुमार	भारत में राजनीति कल और आज, वर्षा प्रकाशन दिल्ली, 2005
मिश्र काशीप्रसाद	भारत की विदेश नीति, द मेकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया दिल्ली, 1999
महापात्रा चिंतामणि	इंडो यू.ए. रिलेशन्स इन टू द टवेन्टी फर्स्ट सेन्चूरी, नोलेज वर्ल्ड प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999
दीक्षित जे.एन.	भारतीय विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999
फडिया, बी.एल.	अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन, आगरा पब्लिकेशन, 2018
पंत एवं जैन	आई.एफ.पी. 2000, एकेडेमिक प्रेस सेल
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था, मेकग्रोहिल प्रा. लि. 2019,
पुरी, वी . के., मिश्र, एस. के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018
महर्षि राजीव	भारत-2019, मेकग्रोहिल ऐजुकेशन-2019
जगदीश भगवती	इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 2018
सेन, अमृत	आलेख-कैसे आंका जाए वैश्वीकरण को, 2018
प्रदीप मल्होत्रा	आलेख-वैश्वीकरण एवं भारत, 2018
अग्रवाल, पी . के., भट्ट, आर. के.	ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एवं वर्ल्ड, कन्सेप्ट पब्लिकेशन, प्रा. लि., नई दिल्ली 2011
दुबे अभ्यास कुमार	भारत का भूमण्डलीकरण, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली 2015

चौकसे, मनीता	आलेख-वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारतीय समाज पर प्रभाव, 2019
चतुर्वेदी अनूप	आलेख-वैश्वीकरण का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव, 2019
भट्टाचार्य अरविन्दम	आलेख-मेक इन इंडिया- टर्निंग विजन इन टू रियलिटी, 2019
तलवार सौरभ	आलेख-हाउ केन न्यू गर्वनेमेंट मेक इंडिया ए ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब, 2019
चक्रवती विद्युत	वैश्वीकृत दुनिया में लोक प्रशासन सिद्धान्त और पद्धतियां, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2018
सिंह एस. एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2013
कटारिया, सुरेन्द्र	ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2018
कटारिया, सुरेन्द्र	वैश्वीकृत भारत में जनजातीय विकास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2018
अनूप होता	भूमण्डलीकरण, बाजार और समकालीन कहानी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2019
सिंह रामगोपाल	वैश्वीकरण मीडिया और समाज, नेशनल पब्लिशिंग 2014
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध, पीपासन, चंडीगढ़ 2013
सिंह एस.एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2018
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा.लि. हैदराबाद, संस्करण 2016

गिन्डसें, ए.	दी कोन्सेक्यूएन्स ऑफ मोर्डेनिटी, केम्ब्रिज पोलिटी प्रेस 1990
हार्व. डी.	दी कन्डीसन ऑफ पोस्ट मोर्डेनिटी ऑक्सफोर्ड : कौंसिल ब्लेक व्हेल 1989
आर्चर एम.एस.	सोसियोलोजी फॉर वन वर्ल्ड यूनिटी एण्ड डायवर्सिटी : इंटरनेशनल सोसियोलोजी वोल्यूम-6, संख्या-2, 1991
कैंगली एण्ड विटकोफ	वर्ल्ड पॉलिटिक्स: ट्रेन्डस् एण्ड ट्रान्सफोर्मेशन, वर्थ पब्लिशर्स, 1999
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा.लि. हैदराबाद, संस्करण 2016
बेलो, वाल्डेन	दी ग्लोबलाइजेशन: आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, लंदन जेड बुक्त, 2002
सेन अमृत्य	हाउ टू जज ग्लोबलाईज्म, दी अमेरिकन प्रोस्पेक्ट, वाल्यूम-13, संख्या-1, जनवरी 2002
जोसेफ स्टिगलिट्स	ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिसकन्टेक्ट्स न्यूयार्क : डब्ल्यू डब्ल्यू एण्ड कम्पनी 2002
भगवती जगदीश	इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, न्यूयार्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस-2004
मस्तराम	आलेख-विश्व-ग्राम नहीं : ग्राम विश्व बनाइए, राजस्थान पत्रिका जनवरी, 1996

सिंह, एस. एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2013
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था, मेकग्रोहिल प्रा. लि. 2019, पृ.सं.6.13
पुरी, वी. के., मिश्र, एस. क	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018 पृ.स. 463
पुरी, वी. के., मिश्र, एस. क	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018 पृ.स. 464
महर्षि राजीव	भारत-2019, मेकग्रोहिल ऐजुकेशन-2019, पृ.स. 1-6-107
महर्षि राजीव	भारत-2019, मेकग्रोहिल ऐजुकेशन-2019, पृ.स. 1-6-108
बिस्वाल तपन	अंतराष्ट्रीय संबंध, ओरिएण्ट ब्लैक स्वॉन प्रा. लि. नई दिल्ली 2016
चक्रवर्ती विद्युत	वैश्वीकृत दुनिया में लोक प्रशासन सिद्धान्त और पद्धतियां, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2018
सिंह एस. एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष, रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2013
कटारिया, सुरेन्द्र	वैश्वीकृत भारत में जनजातीय विकास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2018
सिंह रामगोपाल	वैश्वीकरण मीडिया और समाज, नेशनल पब्लिशिंग 2014
महर्षि राजीव	भारत-2019, मेकग्रोहिल ऐजुकेशन इंडिया प्रा. लि., चैन्नई 2019
सिंह एस.एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2019, पृ.सं. 213
बिस्वाल तपन (संपा)	अंतराष्ट्रीय संबंधओरिएण्ट ब्लैक स्वॉन प्रा.लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.स. 356

गिन्डसें, ए.	दी कोन्सेक्यूएन्स ऑफ मोर्डेनिटी, केम्ब्रिज पोलिटी प्रेस 1990, पृ.सं. 14
हार्वे. डी.	दी कन्डीसन ऑफ पोस्ट मोर्डेनिटी ऑक्फोर्ड : कोंसिल ब्लेक व्हेल 1989 पृ.सं. 284
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा.लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 358
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा .लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 359
आर्चर एम.एस.	सोसियोलोजी फॉर वन वर्ल्ड यूनिटी एण्ड डायवर्सिटी : इंटरनेशनल सोसियोलोजी वोल्यूम-6, संख्या-2, 1991, पृ.सं. 131-147
कैगली एण्ड विटकॉफ	वर्ल्ड पॉलिटिक्स: ट्रेन्डस् एण्ड ट्रान्सफोर्मेशन, वर्थ पब्लिशर्स, 1999, पृ.स. 118-121
कैगली एण्ड विटकॉफ	वर्ल्ड पॉलिटिक्स: ट्रेन्डस् एण्ड ट्रान्सफोर्मेशन, वर्थ पब्लिशर्स, 1999, पृ.स. 257
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 366
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 366
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 370
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 371
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 378
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 382
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 383

विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा. लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 384
बेलो, वाल्डेन	दी ग्लोबलाइजेशन: आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, 2019 लंदन जेड बुक्त, 2002
सेन अमृत्य	:हाउ टू जज ग्लोबलाईज्म, दी अमेरिकन प्रोस्पेक्ट, वाल्थूम-13, संख्या-1, जनवरी 2002, पृ.सं. 1-14
जोसेफ स्टिगलिट्स	ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिसकन्टेंट्स न्यूयार्क : डब्ल्यू डब्ल्यू एण्ड कम्पनी 2002
भगवती जगदीश	इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यूयार्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस-2004
सिंह एस.एन	राजनीति विज्ञान शब्दकोष रावत पब्लिकेशन,2018 जयपुर, पृ.सं. 213
विस्वाल तपन (संपा)	अंतर्राष्ट्रीय संबंध ओरिएंट ब्लेक स्वॉन प्रा.लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 361
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 465
सिंह, रहीस	वैश्विक संबंध, डार्लिंग किंडरस्ले इंडिया प्रा. लि. पियर्सन, नोएडा 2013 पृ.स. 89
चक्रवर्ती, बिद्युत, चन्द्र प्रकाश	वैश्विक दुनिया में लोकप्रशासन, सेज पब्लिकेशन इंडिया प्रा .लि. न्यू देहली 2018, पृ.सं. 449
चक्रवर्ती, बिद्युत, चन्द्र प्रकाश	वैश्विक दुनिया में लोकप्रशासन, सेज पब्लिकेशन इंडिया प्रा .लि. न्यू देहली 2018 पृ.सं. 437
चतुर्वेदी, एम.एस.	प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक कॉलेज बुक हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, संस्करण 2017, पृ.सं. 219
चतुर्वेदी, एम.एस.	प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक कॉलेज बुक हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, संस्करण 2017, पृ.सं. 220
चतुर्वेदी, एम.एस.	प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक कॉलेज बुक हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, संस्करण 2017, पृ.सं. 254

चतुर्वेदी, एम.एस.	प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक कॉलेज बुक हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर, संस्करण 2017, पृ.सं. 260
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ सं. 1-6-107
प्रतियोगिता दर्पण	समसामयिकी संस्करण 2019, वोल्यूम-2, पृ.स. 47
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 9.20
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 9.21
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 9.22
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 1-6-107
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 1-6-108
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 9.21
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 148
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 148
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 149
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 149
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 150

पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 150
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 151
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 152
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2019, पृ.सं. 152
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 92२
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 92२
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 1-6-120
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 1-6-124
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 1-6-124
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 1-6-125
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 1-6-126
महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रा हिल ऐजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 1-6-107
पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.	भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018, पृ.स. 54
सिंह एच.डी. राव मित्रा	भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019-20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ.सं. 53
सिंह एच.डी. राव मित्रा	भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019-20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ.सं. 54

महर्षि राजीव	भारत – 2019 मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 1-6-106
महर्षि राजीव	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 163
महर्षि राजीव	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 165
महर्षि राजीव	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 167
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.स. 110-111
सिंह रमेश	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 16.6
सिंह एच.डी. राव मित्रा	भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019-20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ.स. 55
सिंह एच.डी. राव मित्रा	भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019-20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ.स. 56
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.स. 95
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.स. 99
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.स. 100
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.स. 102
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.स. 105
सिंह रहीस	वैश्विक संबंध डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.स. 110-4
महर्षि राजीव	भारतीय अर्थव्यवस्था मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.स. 1.11.227-229

पत्र पत्रिकाएँ

- ❖ इण्डिया टूडे
- ❖ नवभारत टाइम्स
- ❖ राजस्थान पत्रिका
- ❖ दैनिक भास्कर
- ❖ हिन्दुस्तान टाइम्स
- ❖ अभिव्यक्ति-पाक्षिक अंक 60
- ❖ 15 जुलाई से 15 अगस्त 2019 भूगोल और आप,
- ❖ वर्ष 18, अंक अक्टूबर, 2019
- ❖ समसामयिकी वार्षिक – 2019-20
- ❖ प्रकाशक विकास पॅनोरमा, दिल्ली आर्थिक परिदृश्य,
2019
- ❖ दृष्टि पब्लिकेशन, मुखर्जी नगर
- ❖ दिल्ली करंट अफेयर, वार्षिकी 2020 योजना-
पाक्षिक

शोध-पत्र



INSPIRA

Reg. No. SH-481 R- 9-V P-76/2014
www.inspirajournals.com

Dated : 31-10-2019

Certificate of Publication

This certifies that research paper / article titled

Paper titled :

‘मेक इन इण्डिया’ योजना की दिशा एवं दशा

authored by :

उषा शर्मा

शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान

has been published in **Volume 09 No. 04 Issue October, 2019** of INSPIRA JOURNAL OF MODERN MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (JMME), ISSN : 2231 - 167X, General Impact Factor 2.7282, COSMOS Impact Factor 5.647.

Indexing Status: Inspira-JMME is Indexed and Included in:

COSMOS Foundation & Electronic Journal Library EZB, Germany || Directory of Journals indexing (DOJI)
International Institute of Organised Research (I2OR) || Global Society for Scientific Research (JIF)
International Accreditation and Research Council (IARC) || Research Bible || Academic Keys
International Society for Research Activity (ISRA) || Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory of Research Journal Indexing (DRJI) || International Scientific Indexing (ISI)
Journal Factor (JF) || General Impact Factor (GIF) || Scientific World Index (SCIWIN)
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF).

(A National Quarterly Double Blind Peer Reviewed Refereed Journal of INSPIRA)

Prof. (Dr.) S.S. Modi
Chief Editor



ISSN: 2231-167X (Print)

GENERAL IMPACT FACTOR 2.7282

COSMOS Impact Factor 5.6470

Inspira-Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)

Vol. 09

No. 04

October, 2019

Inspira-

Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)

A National Quarterly Double Blind Peer Reviewed Refereed Journal of IRA
Vol.09 | No.04 | October, 2019

Journal of Inspira Research Association

Indexing Status: Inspira-JMME is Indexed and Included in:

COSMOS Foundation & Electronic Journal Library EZB, Germany || Directory of Journals indexing (DOJI)
International Institute of Organised Research (I2OR) || Global Society for Scientific Research (JIF)
International Accreditation and Research Council (IARC) || Research Bible || Academic Keys
International Society for Research Activity (ISRA) || Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory of Research Journal Indexing (DRJI) || International Scientific Indexing (ISI)
Journal Factor (JF) || General Impact Factor (GIF) || Scientific World Index (SCIWIN)
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF).

INSPIRA- JMME

MEMBERSHIP SUBSCRIPTION RATES FOR THE JOURNAL

	India		Outside India	
	Annual	Life Membership	Annual	Life Membership
Individuals	₹ 2,000	₹ 6,000*	US \$ 80	US \$ 400
Institutions	₹ 2,500	₹ 7,500	US \$ 100	US \$ 500

*Rs. 3600/- (at 40% rebate) in place of 6000/-

Rs. 3,000/- (at 50% rebate) in place of Rs. 6,000/- for those who are existing life members of Indian Accounting Association (IAA) / Indian Commerce Association (ICA) / Indian Economic Association (IEA) / Indian Management Association (IMA).

Please send your Subscription to "INSPIRA" payable at Jaipur



Chief Editor, INSPIRA- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
25, Modi Sadan, Sudama Nagar
Street Near Gangaur Sweets Opp. Glass Factory
Tonk Road, Jaipur-302018, Rajasthan, India.
editor@inspirajournals.com / profdrssmodi@gmail.com / editorinspiraira@gmail.com
Mobile : 09829321067 / 09828571010

The Journal is sent free of charge to all the members of INSPIRA-JMME

INSPIRATM
Reg. No. SH-481 R- 9-V P-76/2014



Printed in India by Prof. (Dr.) S. S. Modi at Aakrati Advertisers, Jaipur, Rajasthan and published by him on behalf of INSPIRA, Jaipur, Rajasthan
Website : www.inspirajournals.com

‘मेक इन इण्डिया’ योजना की दिशा एवं दशा

उषा शर्मा*

प्रस्तावना

‘मेक इन इण्डिया’ (भारत में बनाओ) योजना के वांछित लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए आवश्यक है कि इसमें स्थानीय उद्यमी, विदेशी निवेशक तथा अर्न्तर्देशीय संगठन आवश्यक सहयोग करें। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देश भी सराहनीय सहयोग प्रदान करें। उक्त सभी तत्व मुक्त हस्त सहयोग प्रदान करेंगे तब ही इस योजना की दिशा तय होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब इस योजना का सितम्बर 2014 में शुभारम्भ किया था उस अवसर पर भारत के ख्याति-लब्ध उद्योगपति भी उपस्थित थे। योजना के सन्दर्भ में इन्होंने अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की थी तथा तत्काल निवेश की राशि की भी घोषणा की थी। कई देशों ने इस पहल में आश्वासन दिया तथा निवेश हेतु अपने हाथ आगे बढ़ाए।

संयोग अथवा दुर्संयोग देखिए उसी दिन पड़ोसी देश चीन ने भी ‘मेक इन चाइना’ कार्यक्रम का आरम्भ किया था। भारत का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं के आयात को कम करना तथा निर्यात को प्रोत्साहित देना है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब भारत एक “मैन्युफेक्चरिंग हब” बने। इसका आशय यह नहीं है कि भारत विदेशी माल के आयात का विरोधी है, लेकिन भारत चाहता है कि मुक्त-व्यापार में भारतीय अर्थव्यवस्था को घाटा नहीं होना चाहिए। अतः भारतीय नीति-निर्माताओं ने भारत में निर्मित माल को विदेशों में निर्यात के उद्देश्य से “भारत में बनाओ” योजना को आधार बनाया।¹ पड़ोसी देशों के साथ भी भारत ने कई समझौते एवं करार किये हैं। इनमें अफगानिस्तान, चीन, जापान कोरिया है। उक्त सभी तथ्य योजना की भावी सफलता के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रस्तुत आलेख में इन सभी तथ्यों को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत की स्थिति

भारतीय अर्थव्यवस्था को उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि भारत में आर्थिक सुधारों (1991) के पश्चात् उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, जिस कारण अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि दर वर्तमान में लगभग 7.5 फीसदी बनी हुई है। साथ ही कृषि क्षेत्र की अपेक्षा उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान भी निरंतर बढ़ रहा है। विश्व बैंक द्वारा जारी वर्गीकरण के अनुसार भारत को निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इस दृष्टि से भारत को अपना स्तर वैश्विक परिदृश्य में ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा।

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान।

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत को निवेश के श्रेष्ठ गंतव्य स्थल के रूप में माना गया है। यद्यपि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था धीमी गति से विकास कर रही है। जिसकी वृद्धि दर 4 फीसदी से भी कम है। तथापि भारत में सरकार द्वारा किये गये क्रमिक नवीन आर्थिक सुधारों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक परिदृश्य में अपनी सकारात्मक भूमिका का प्रदर्शन किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी आंकड़ों के अनुसार विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। छोटे स्थान पर पहुंचने के क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा 2.57 फीसदी ट्रिलियन यूएस डॉलर की फ्रांस की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया गया है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएँ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है। यदि भारत की आर्थिक विकास दर की बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था चीन को पछाड़ते हुए विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गयी है। वर्तमान में जहां चीन लगभग 6.4 फीसदी की दर से विकास कर रहा है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 7.5 फीसदी है। इस कारण आईएमएफ द्वारा भारत में निवेश की संभावनाओं को अवसरों से युक्त मानते हुए इसे ब्राइट स्पॉट के रूप में संबोधित किया गया है। यदि वैश्विक निवेश की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2018 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है।²

अफ्रीकी देशों से व्यापार के संदर्भ में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा

दुनियाभर के प्रमुख देशों और बड़ी कंपनियों की दृष्टि अफ्रीका पर है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मेकिन्स के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में 10 हजार से अधिक चीनी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। चीन के भारी इन्वेस्टमेंट से अन्य देशों में, विशेषकर आज की रूचि भी बढ़ा दी है। 2006 में व्यापार में अफ्रीका के तीन बड़े पार्टनर—अमेरिका, चीन और फ्रांस थे। 2018 में चीन प्रथम, भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे पायदान पर पहुंच गए। इस अवधि में भारत का व्यापार 292 फीसदी और चीन का 226 फीसदी बढ़ा। वैसे अब भी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियां सबसे अधिक पूंजी लगा रही हैं, लेकिन चीन की सरकारी कंपनियों तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उसके साथ भारत और सिंगापुर के इन्वेस्टर भी प्रतिस्पर्धा में हैं।

भारत और वियतनाम ने 2020 तक 15 अरब डॉलर के व्यापार का रखा लक्ष्य

वियतनाम की यात्रा पर गये उपराष्ट्रपति एम. वैक्या नायडू ने यहां के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, हाई टेक कृषि, नवाचार, तेल और गैस उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के आवश्यक कदम उठाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बड़े शहरों को सीधी विमान सेवा से जोड़ने पर सहमति व्यक्त की, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआती तौर पर इस साल के अंत में 'इंडिगो' भारत तथा वियतनाम के मध्य सीधी विमान सेवा प्रारंभ करेंगी। भारत और वियतनाम दोनों देशों के मौजूदा समय में होने वाले 14 अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक 15 अरब डॉलर करने के लिए काम करेंगे।³

भारत—अफगानिस्तान व्यापार

अफगानिस्तान ने 24 फरवरी 2019 को ईरान के नवविकसित चाबहार बंदरगाह के द्वारा पहली बार भारत को निर्यात करना प्रारंभ किया। इससे अफगानिस्तान की विदेशी बाजारों तक पहुंच बनेगी और उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ध्यातव्य हो कि वर्ष 2017 में भारत ने सफलतापूर्वक अफगानिस्तान को चाबहार

बंदरगाह के जरिए 1.1 मिलियन टन गेहू भेजा था। इसी वर्ष द्विपक्षीय व्यापार के लिए नयी दिल्ली और काबुल के मध्य वायु गलियारा की शुरुआत की गयी थी।⁴

स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा 20 दिसम्बर को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 जारी की गई। डीआईपीपी द्वारा 16 जनवरी, 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया की शुरुआत के पश्चात् पहली बार राज्य स्तर पर रैंकिंग जारी की गयी। स्टार्ट-अप इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

इसका उद्देश्य राज्यों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाना है ताकि वे अच्छी प्रक्रियाओं को सीख सकें, साझा कर सकें और उन्हें अपना सकें। साथ ही देश में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत कर अवकाश, इंस्पेक्टर राज से मुक्त व्यवस्था और पूंजीगत लाभ, कर की छूट प्रदान करना आदि सम्मिलित है। राज्यों का आकलन स्टार्ट-अप नीति नेतृत्व, इनक्यूबेशन हब, नवाचार, नवाचार प्रगति, संचार, पूर्वोत्तर नेतृत्व, पर्वतीय राज्य नेतृत्व इत्यादि 7 विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। इन श्रेणियों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को शानदार प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन, मार्गदर्शक, आकांक्षी मार्गदर्शक, उभरते हुए राज्य और आरंभकर्ता के रूप में पहचान की गई है।⁵

छह वर्ष पश्चात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हुई गिरावट

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पिछले छह वर्षों में पहली बार 2018-19 में गिरावट आई है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार, फार्मा में निवेश में गिरावट से एफडीआई 1 प्रतिशत गिरकर 3.08 लाख करोड़ रुपये (44,37 अरब डॉलर) रह गया। एफडीआई के मामले में सिंगापुर ने मॉरीशस को पीछे छोड़ दिया। भारत में निवेश करने वाले अन्य देशों में जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन, अमरीका, जर्मनी, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस सम्मिलित है।⁶

विनिवेश से 78 हजार करोड़ रूपए का एकत्रण

केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि में विनिवेश से 80,000 करोड़ रूपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अपनी भागीदारी की बिक्री करके रिकॉर्ड 77,417 करोड़ रूपए जुटाए हैं। यह तेजी एयर इंडिया के निजीकरण के साथ 2019 में भी निरन्तर रहने की प्रत्याशा है। 2018 में हुये बड़े विनिवेश सौदों में ओएनजीसी द्वारा एचपीसीएल का अधिग्रहण, सीपीएसई ईटीएफ, भारत-22 ईटीएफ और कोल इंडिया की भागीदारी बिक्री सहित 6 आरंभिक सार्वजनिक निर्गम सहित अन्य सम्मिलित है।

विगत 10 में से छह साल भारत ने लिया विश्व बैंक से सबसे अधिक कर्ज

विश्व बैंक से ऋण लेने के मामले में भारत पिछले 10 वर्षों में 6 बार शीर्ष पर रहा है। बहुपक्षीय ऋण देने वाले संस्थान की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत ने विश्व बैंक से लगभग 24.57 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लिया। साल 2009 से 2018 के मध्य विश्व बैंक ने सड़क और बिजली के बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारत की बड़ी सहायता प्रदान की है।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया है का विवरण करना यहाँ आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। ब्रेटनवुड सम्मेलन के निर्णयानुसार 27 दिसम्बर, 1945 को इसकी स्थापना वाशिंगटन में हुई थी, किन्तु इसने वास्तविक रूप में 1 मार्च, 1947 से कार्य प्रारम्भ किया था, वर्तमान स्थिति के अनुसार 189 राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। नौरु गणराज्य को 12 अप्रैल, 2016 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वाँ सदस्य बनाया गया था, क्रिस्टीन लेगार्डे वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक हैं।

विश्व बैंक और भारत

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विगत 70 वर्षों (1945–2015) में बैंक से सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश है। विगत 70 वर्षों में विश्व बैंक के दो अंगों— अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को क्रमशः 52.7 बिलियन डॉलर तथा 49.4 बिलियन डॉलर के ऋण प्रदान किए हैं।⁷

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात् 'उदार ऋण खिड़की' भी कहते हैं इसकी स्थापना 24 सितम्बर, 1960 को दी गई थी, इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली हुई है, वर्तमान में इसकी सदस्यता संख्या 173 हो गई है इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की के रूप में जाना जाता है। आईडीए से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है तथा वह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों के ही उपलब्ध कराए जाते हैं, वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से कवल वही सदस्य देश ऋण पाने के पात्र है जिनकी 2012 में प्रति व्यक्ति आय (वर्ष 2010 के डॉलर मूल्य में) 1175 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है।

इस संघ का कार्य संचालन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो विश्व बैंक का संचालन करते हैं।⁸

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में की थी, वह निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है, अर्थात् इसका मुख्य कार्य विकासशील देशों के निजी क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करता है। सितम्बर 2017 के अन्त में इसकी सदस्य संख्या 184 थी, 31 जनवरी 2017 को इसकी अधिकृत पूंजी 2.58 बिलियन डॉलर थी।⁹

विश्व व्यापार संगठन

1947 में गैट की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू.टी.ओ. की स्थापना हुई। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौरे के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। 1986–94 तक उरुग्वे दौरे की बातचीत का लम्बा सिलसिला चला, जिसकी परिणति विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में हुई इस वार्ता में वस्तुओं के व्यापार से सम्बद्ध बहुपक्षीय नियमों पर अनुशासन की पहुँच का बहुत विस्तार हुआ और सेवा एवं बौद्धिक व्यापार (बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार) के क्षेत्र में बहुपक्षीय नियमों की शुरुआत हुई, उरुग्वे दौरे वार्ता के कारण कृषि उत्पादों के समन्वय के चरणबद्ध कार्यक्रम पर भी सहमति हुई गैट (जी.ए. टी.टी.आई.) व्यवस्था में वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों के समन्वय के चरणबद्ध कार्यक्रम पर भी सहमति हुई

जीएटीटीआई द्वारा निर्धारित नियमों तथा इससे सम्बद्ध समझौतों को डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को एकमुश्त समझौते के उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों के मध्य संतुलन पर विचार करने के बाद भारत सरकार में डब्ल्यूटीओ समझौते की पुष्टि की।

गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन है तथा इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई है, आर्थिक जगत् में इसकी स्थिति अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की भांति यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी नहीं है।¹⁰

एशियाई विकास बैंक

एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना दिसम्बर 1966 में की गई थी। 1 जनवरी, 1967 को एशियाई विकास बैंक ने कार्य प्रारम्भ कर दिया बैंक का मुख्यालय फिलीपीन्स की राजधानी मनीला में है। भारत इस बैंक के संस्थापक देशों में से एक है। इस बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तेज करना है। वर्तमान में जापान के 'हारुहिको कुरोडा' एशियाई विकास बैंक के चैयरमैन है। उल्लेखनीय है कि एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष पद किसी जापानी को ही दिया जाता रहा है, जबकि इसके तीन उपाध्यक्षों में से एक अमरीका का एक यूरोप का व एक अन्य एशिया का प्रतिनिधि होता है वर्तमान में एशियाई विकास बैंक की सदस्य संख्या बढ़कर 67 हो गई है।

31 मार्च, 2017 को एशियाई विकास बैंक ने 200 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है, जिससे ऊर्जा बचत करने वाली लाइट सड़कों तथा घरेलू उपयोग में लगाने का वित्तीयन किया जाएगा साथ ही इसी ऋण से सम्पूर्ण भारत में ऊर्जा बचत करने वाले जलपम्पों की स्थापना की जाएगी।¹¹

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस)

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान सहित 8 सदस्य देश है, ढाका शिखर सम्मेलन 7-8 दिसम्बर, 1985 के निर्णयानुसार इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय काठमाण्डू में है। प्रतिवर्ष शासनाध्यक्षों का सम्मेलन किए जाने का प्रावधान है, किन्तु किसी-न-किसी कारण से इसके शिखर सम्मेलन विलम्बित होते रहे हैं। सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करना है। परन्तु सदस्यों राष्ट्रों के आपसी मतभेद के कारण इसके उद्देश्य की प्राप्ति पर अभी प्रश्नचिन्ह ही लगा हुआ है।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा)

दक्षेस राष्ट्रों के दक्षिण एशियाई स्वतंत्र व्यापार समझौते के तहत चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम के पहले चरण की प्रशुल्क कटौती को भारत ने 1 जुलाई, 2006 से लागू कर दिया है, इसके तहत 380 उत्पादों के दक्षेस देशों से आयात पर प्रशुल्क दरें घटाई गई हैं इनमें मोटर कारें, मोटर साइकिले, गोल्फ कार्ट, औषधीय उत्पाद, उर्वरक, पेंट, मॉडेम, लोहा एवं इस्पात, चुनींदा टेक्सटाइल्स उत्पाद, चुनींदा खाद्य तेल, कोको एवं कोको उत्पाद, लैक्टोस व माल्टोस आदि सम्मिलित है। दक्षेस के लीस्ट डेवलपड कंट्रीज (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव एवं नेपाल) तथा नॉन लीस्ट डेवलपड कंट्रीज (पाकिस्तान एवं श्रीलंका) के मामलों में ड्यूटी में यह कटौतियाँ अलग-अलग है। इससे दक्षेस राष्ट्रों के आपसी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी उद्योगों/किसानों की विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा की दृष्टि से चुनींदा उत्पादों की एक संवेदनशील सूची भी निर्धारित कर ली गई है गैर अल्पविकसित देश के लिए 884 तथा अल्पविकसित देशों

के लिए 763 उत्पादों को इस संवेदनशील सूची में सम्मिलित किया गया है। इस सूची में सम्मिलित उत्पादों के मामले में व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम लागू नहीं होगा व्यापार उदारीकरण के तहत नॉन लीस्ट डेवलपड स्टेट्स (भारत, पाकिस्तान एवं श्रीलंका) दक्षिण के अन्य देशों से आयात पर 20 प्रतिशत शुल्क ही आरोपित करेंगे, जबकि अगले पाँच वर्षों में इन्हें (श्रीलंका को 6 वर्षों में) प्रशुल्क घटाकर 0.5 प्रतिशत तक लाना होगा। लीस्ट डेवलपड स्टेट्स को प्रशुल्क 30 प्रतिशत तक रखने की छूट वर्तमान में दी गई है अगले आठ वर्षों में इन्हें यह 0.5 प्रतिशत करनी होगी। मेक इन इण्डिया योजना में जिन भारतीय ने उद्यमियों सहयोग किया है उनका विवरण निम्न है¹²—

‘मेक इन इंडिया’ के उद्घाटन के अवसर पर कई भारतीय उद्योगपतियों ने इस योजना का समर्थन करते हुए इसके प्रोत्साहन हेतु तत्काल निवेश हेतु आश्वासन दिया था। वर्तमान में निम्न उद्यमियों ने इसके सहयोग प्रदान किया है—

विजय शेखर शर्मा

पेटीएम के संस्थापक एवं सीईओ का नोटबंदी से भाग्य चमका क्योंकि नोटबंदी से कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा मिला और शर्मा द्वारा 2010 में प्रारंभ किए गए पेमेंट गेटवे का बाजार मूल्य बढ़ा। करीब 20 करोड़ यूजर के साथ उनकी कंपनी ने भारत में गहरी जड़ें जमा ली। आज उनकी कंपनी की पूंजी पिलपकार्ट की पूंजी के करीब है।

मुकेश अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीय लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। उनकी कुल सम्पत्ति 38 अरब डालर (लगभग दो लाख 47 हजार करोड़ रुपये) है। उनका मानना है कि आने वाला समय कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। 2018 में उन्होंने घोषणा की कि वह पांच करोड़ घरों को हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क जिओ गीगा फाइबर के कनेक्ट कनेक्ट करेंगे और ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी में शीर्ष पांच देशों में भारत को स्थान दिलाएंगी।

दिलीप शांघवी

सन फार्मास्यूटिकल के दिलीप शांघवी का नाम वर्तमान में समाचारों में रहा है। अमेरिका द्वारा भारतीय दवा उद्योग पर नियंत्रण लगाने का असर उनकी कंपनी पर भी पड़ा। उनकी कंपनी जेनेरिक दवा बनाने वाली दुनिया की पांची सबसे बड़ी कंपनी है। 2017 में सन फार्मा ने जापान में प्रवेश किया और रूस में अपनी उपस्थिति बढ़ाई।

अजीम प्रेमजी

भारतीय उद्योगपति, निवेशक और परोपकारी अजीम प्रेमजी विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन हैं। उनकी संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन फेलोशिप प्रोग्राम स्पॉन्सर करती है। इसके तहत उन लोगों को शिक्षा पाने का अवसर दिया जाता है। जो देश के सुदूर जिलों में कार्य करने हेतु सहमति देते हैं।

साइरस मिस्त्री

टाटा ग्रुप के प्रमुख रहे उद्योगपति साइरस मिस्त्री टाटा संस में कुप्रबंधन के मुद्दे को उठाने और राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलिय ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में अपील दाखिल करने का लेकर 2017 में खबरों में रहे। मिस्त्री ने अपील में टाटा संस को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत आर्टिकल 75 को रद्द करनेका निर्देश देने की मांग की थी। जिसके अनुरूप ग्रुप को निजी कंपनी में बदलने की मांग की गई थी। मिस्त्री की कंपनी की टाटा संस में 18 प्रतिशत भागीदारी है। एनसीएलटी ने मिस्त्री के विरुद्ध और टाटा संस के पक्ष में फैसला दिया।

सचिन और बिन्नी बंसल

2017 में सचिन और बिन्नी बंसल ने बेहतर संचालन के लिए अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट को पुनर्गठित किया। फ्लिपकार्ट ने निवेशकों को द्वारा तीन अरब डॉलर (करीब 20000 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। 2018 में सचिन और बिन्नी ने अपनी कंपनी का अधिकांश नियंत्रण अमेरिका की प्रमुख कंपनी वालमार्ट को सौंप दिया।

आचार्य बालकृष्ण

पंतजलि के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व 2017 में कंपनी ने 170 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। बाबा रामदेव के साथ मिलकर प्रारंभ की गई पंतजलि में बालकृष्ण की भागीदारी 98.6 प्रतिशत है। दुनियाँ के अरबपतियों को फोर्ब्स की सूची में उनका नाम भी सम्मिलित है। पंतजलि प्रमुख ग्लोबल ब्रांडों को चुनौति दे रही है और फास्ट मूविंग कॉन्ज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) क्षेत्र में यह सभी केवल हिन्दुस्तान यूनिलीवर से पीछे है। बालकृष्ण गुणवत्ता वाले विभिन्न तरह के उत्पादों को पेश करने में सफल रहे हैं।

साइरस पूनावाला

साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। वह यूरोप और अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीदते रहे हैं। उनके संस्थान ने 2017 में रोटावायरस का टीका लांच किया जो भारतीय अवस्था के अनुकूल है और इसे रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता नहीं होती। पूनावाला महात्मा गांधी की 1931 की पेंसिल से बनाई गई दुर्लभ तस्वीर को लंदन में नीलामी में खरीदने के पश्चात् समाचारों में आए। इस तस्वीर को कलाकार जॉन हेनरी एम्शेवित्ज ने बनाया था।

रतन टाटा

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन टाटा ने रिटायरमेंट से लौटकर कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने साइरस मिस्त्री से कमान ले ली थी। वह दो वर्षों से भी कम समय में करीब 30 स्टार्ट अप में निवेश कर समाचारों में रहे हैं।

आनन्द महिन्द्रा

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा की पिनिन्फरिना और सांगयोंग ब्रांड के नाम से अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन बेचने की योजना है। कंपनी की 2018 में चार सस्ते ई-वाहन और ई-बसें पेश करने की भी योजना है। कई अमेरिकी ट्रैक्टर असेम्बलिंग प्लांट का संचालन कर रही कंपनी अमेरिकी बाजार में पेश करने के लिए स्व-चालित ट्रैक्टर मॉडलों का परीक्षण कर रही है। कंपनी ने यूडब्ल्यूसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप के फंड के लिए स्कोले मंडी फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप किया है।

उदय कोटक

कोटक महिन्द्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर उदय कोटक सेबी द्वारा गठित कमेटी के चेयरमैन थे जिसने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में की गई शिफारिशों में स्वतंत्र निदेशकों को अधिक अधिकार देना, चेयरमैनशिप को नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तक सीमित करने और पारदर्शिता पर अधिक ध्यान देने की बातें सम्मिलित हैं।

एन. चन्द्रशेखरन

टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन. चन्द्रशेखर पहले टीसीएस के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। उनका मानना है कि भारतीय बाजार दुनिया में सबसे तेज विकसित होने वाला बाजार बनने जा रहा है और टाटा ग्रुप को भारत के आर्थिक विकास में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने यह राय भी प्रकट की कि टाटा ग्रुप को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि उसकी कंपनियां अपनी पूरी संभावनाओं को समझ सकें। कंपनी ने इंजन बनाने वाली सीएफएम इंटरनेशनल के लीप इंजन के पार्ट्स संयुक्त रूप से निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक समझौता किया है।

नंदन निलेकणी

इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं। जिसने बायोमेट्रिक पहचान योजना आधार को प्रारंभ किया और जो इसका संचालन करता है। विशाल सिक्का के हटने के पश्चात् नंदन निलेकणी की सेवानिवृत्ति से वापस बुलाया गया और उन्हें फिर से इंफोसिस का चेयरमैन बनाया गया। पारंपरिक एप्लीकेशन्स डेवलपमेंट और मेंटीनेंस पर फोकस करते हुए उनसे इंफोसिस के लिए नई रणनीति बनाने की अपेक्षा है। नंदन निलेकणी और उनकी पत्नी ने बिल और मेलिंडा गेट्स द्वारा चलाए आंदोलन से जुड़कर संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत उन्होंने अपनी 50 प्रतिशत संपत्ति दान करने का संकेत दिया है।

सुनील भारती मित्तल

भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने अपनी पारिवारिक संपत्ति का 10 प्रतिशत परोपकारी कार्यों के लिए देने का संकल्प लिया है। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को विज्ञान एवं तकनीक की शिक्षा दिलाने के लिए सत्य भारती यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव किया है। उनकी कंपनी सत्य भारतीय स्कूल प्रोग्राम चला रही है। जिओ के आने के पश्चात् अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए भारती एयरटेल अधिग्रहण में जुट गई है। उसने टाटा ग्रुप के वायरलेस फोन बिजनेस और भारत में टेलीनोर के संचालन का अधिग्रहण कर लिया है। भारती एयरटेल की बाजार भागीदारी अभी 40 प्रतिशत है।

अनिल अंबानी

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी अभिषेक सिंघवी के विरुद्ध 5,000 करोड़ रूपए का मानहानि का केस कर समाचारों में रहे। सिंघवी ने अंबानी के सरकारी और निजी बैंकों से इतनी राशि के कर्ज संबंधी बयान दिया था जिसे अंबानी झूठा और छवि बिगाड़ने वाला बताते हैं। अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बोली के आधार पर बांग्लादेश में बिजली संयंत्र लगाने का 5000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन ने मुकेश अंबानी के जिओ के आने के चलते अपनी 2जी सेवा बंद करने का फैसला किया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 44000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

संजीव गोयनका

गोयनका ग्रुप के संजीव गोयनका आईआईटी-खड़गपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन पुनः चुने गए हैं। वह दूसरी बार यह कार्य करेंगे।। इससे पहले वह 2001-07 में चेयरमैन रह चुके हैं। आईपीएल टीम राइजिंग पूर्ण सुपरजेंट्स के मालिक रहे संजीव गोयनका एमएस धोनी को कम्पनी से हटाकर स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाने पर खबरों में आए। गोयनका ग्रुप अपने कारोबार का विस्तार कर रहा है और वह बिजली वितरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और बीकानेर में बिजली वितरण की फ्रेंचाइजी चलाती है।

राजीव बजाज

उद्योगपति राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज ने ब्रिटेन के ट्रायम्फ मोटरसाइकिल के साथ साझेदारी की है जिसके वसाथ बजाज ऑटो लिमिटेड ट्रयम्फ मोटरसाइकिल का संयुक्त रूप से निर्माण करेंगे। बीएस-3 से बीएस-4 वाहनों के होने के चलते 2017-18 की पहली तिमाही में बजाज ऑटो की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। उनकी कंपनी में हाल ही में बाजार में नई मोटरसाइकिल लांच की है। सरकारी प्रक्रियाओं के चलते चारपहिया वाहन लांच करने की उनकी योजना में देरी हुई है।

कुमार मंगलम बिड़ला

आदित्य बिड़ला ग्रुप और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिड़ला। रिलायंस जिओ से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपनी टेलीकॉम कंपनी आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया का विलय किया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय उद्योगपतियों ने 'मेक इन इंडिया' पहल ने अपना सराहनीय सहयोग प्रदान किया है तथा विदेशों में भी भारतीय साख स्थापित की है। इससे प्रभावित होकर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश हेतु उत्सुक हैं।

सारतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भारत को अग्रणी 'मेन्यूफैक्चरिंग हब' बनाने के उद्देश्य से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी उसी दिन 'मेक इन चाइना' योजना की घोषणा की है। इससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत और चीन की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निवेश के श्रेष्ठ गंतव्य स्थल के रूप में माना गया है। यद्यपि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था धीमी गति से विकास कर रही है। जिसकी वृद्धि दर 4 प्रतिशत से भी कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था जी.डी.पी. के आंकड़ों के अनुसार विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

निवेश के क्षेत्र में छह वर्ष पश्चात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2018-19 में गिरावट दिखाई दी है। भारत में निवेश करने वाले देशों में -मॉरीशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, अमेरिका तथा जापान है। सन् 2018-19 में विनिवेश से 78 हजार करोड़ रुपये एकत्रित हुए हैं। भारत ने विगत दस वर्षों में विश्व बैंक से सबसे अधिक ऋण लिया है। कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संभल रही है और विश्व स्तर पर अपना स्थान बना रही है। जिन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया है उनमें प्रमुख रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व व्यापार संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र एवं विकास सम्मेलन-अंकटाड प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त एशियाई विकास बैंक, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की भूमिका भी सराहनीय रही है। 'मेक इन इंडिया' के सफल संचाल में जिन प्रमुख उद्योगपतियों की भूमिका रही है उनमें मुख्यतः पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी, सन् फार्मास्यूटिकल के दिलीप शांघवी, विप्रो लिमिटेड के चेयरमैन अजीम प्रेमजी, टाटा ग्रुप के प्रमुख साइरस मिस्त्री, पिलप कार्ट कंपनी के सचिन एवं बिन्नी, पंतजलि के आचार्य बालकृष्ण, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला, टाटा ट्रस्ट के रतन टाटा, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के चेयरमैन आनन्द महिन्द्रा इंपोसिस के सह संस्थापक नंदन निलेकणी, दानवीर सुनील भारती, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी इनके अतिरिक्त राजीव बजाज ने ब्रिटेन के ट्रायम्फ मोटरसाइकिल से साझेदारी की है तथा आदित्य बिड़ला ग्रुप और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन कुमार मंगलम का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सराहनीय रहा

है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की दिशा एवं दशा उज्ज्वल प्रतीत होती है क्योंकि भारत में विदेशी कंपनियां निवेश हेतु उत्सुक हैं तथा स्थानीय उद्यमी भी अपने उत्पाद निर्यात निरन्तर कर रहे हैं तथा विदेशों में अपनी पैठ जमा चुके हैं। कई उद्योगपतियों ने दानदाता के रूप में अपनी निजी संपत्ति को भी देश के विकास हेतु समर्पित करने का संकल्प लिया है। यह भारतीय विकास योजनाओं के प्रति दृढ़ विश्वास निश्चित रूप से योजनाओं को आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. महर्षि राजीव: भारत – 2019ए मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 1–6–107
2. पुरी, वी.के. मिश्र, एस.के.: भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई 2018, पृ.सं. 54
3. सिंह एच.डी. राव मित्रा: भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019–20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ.सं. 53
4. सिंह एच.डी. राव मित्रा: भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019–20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ.सं. 54
5. महर्षि राजीव: भारत – 2019, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 1–6–106
6. सिंह एच.डी. राव मित्रा: भारत एवं विश्व (वार्षिकांक –2019–20) भारत एवं विश्व समसामयिकी, लाल कोठी, जयपुर, पृ.सं. 55
7. सिंह रहीस: वैश्विक संबंध, डोलिया भिंडर स्ले (इंडिया) प्रा.लि. 2013 पृ.सं. 102
8. सिंह रमेश: भारतीय अर्थव्यवस्था, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 16.3
9. महर्षि राजीव: भारतीय अर्थव्यवस्था, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 16.5
10. महर्षि राजीव: भारतीय अर्थव्यवस्था, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 16.7
11. सिंह रमेश: भारतीय अर्थव्यवस्था, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 16.6
12. महर्षि राजीव: भारतीय अर्थव्यवस्था, मेग्रो हिल एजुकेशन प्रा.लि., चैन्नई 2019 पृ.सं. 1.11.227–229.





INSPIRA

Reg. No. SH-481 R- 9-V P-76/2014
www.inspirajournals.com

Dated : 31-01-2020

Certificate of Publication

This certifies that research paper / article titled

Paper titled :

वैश्वीकरण के दौर में भारत पर प्रभाव

authored by :

उषा शर्मा एवं श्रीमती डॉ. विजय सराफ

शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान
व्याख्याता, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़, राजस्थान

has been published in **Volume 10 No. 01** Issue **January, 2020** of **INSPIRA JOURNAL OF MODERN MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP (JMME)**, ISSN : 2231 - 167X, General Impact Factor 2.7282, COSMOS Impact Factor 5.647.

Indexing Status: Inspira-JMME is Indexed and Included in:

COSMOS Foundation & Electronic Journal Library EZB, Germany || Directory of Journals indexing (DOJI)
International Institute of Organised Research (I2OR) || Global Society for Scientific Research (JIF)
International Accreditation and Research Council (IARC) || Research Bible || Academic Keys
International Society for Research Activity (ISRA) || Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory of Research Journal Indexing (DRJI) || International Scientific Indexing (ISI)
Journal Factor (JF) || General Impact Factor (GIF) || Scientific World Index (SCIWIN)
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF).

(A National Quarterly Double Blind Peer Reviewed Refereed Journal of INSPIRA)

Prof. (Dr.) S.S. Modi
Chief Editor



ISSN: 2231-167X (Print)

GENERAL IMPACT FACTOR 2.7282

COSMOS Impact Factor 5.6470

Inspira-Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)

Vol. 10

No.01

January, 2020

Inspira-

Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)

A National Quarterly Double Blind Peer Reviewed Refereed Journal of IRA
Vol.10 | No.01 | January, 2020

Journal of Inspira Research Association

Indexing Status: Inspira-JMME is Indexed and Included in:

COSMOS Foundation & Electronic Journal Library EZB, Germany || Directory of Journals indexing (DOJI)
International Institute of Organised Research (I2OR) || Global Society for Scientific Research (JIF)
International Accreditation and Research Council (IARC) || Research Bible || Academic Keys
International Society for Research Activity (ISRA) || Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory of Research Journal Indexing (DRJI) || International Scientific Indexing (ISI)
Journal Factor (JF) || General Impact Factor (GIF) || Scientific World Index (SCIWIN)
International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF).

EDITORIAL BOARD - JMME

CHIEF EDITOR

PROFESSOR (DR.) S. S. MODI

Former Head

Department of Accountancy and Business Statistics

Faculty of Commerce, PG School of Commerce

University of Rajasthan, Jaipur-302004 Rajasthan (India)

Past President, Indian Accounting Association (IAA)

Secretary, Indian Accounting Association, Jaipur Branch

25, Modi Sadan, Sudama Nagar, Opp. Glass Factory, Tonk Road, Jaipur-302018 Rajasthan

Email ID: profdrssmodi@gmail.com Mobile No. +91-98293 21067

ASSOCIATE EDITORS

<p>Dr. Prashant Madan Principal Maheshwari College of Commerce and Arts Sector 5 (Extn.), Pratap Nagar, Jaipur 302022 Email ID: pmsjpr@gmail.com</p>	<p>Dr. R. K. Tailor Associate Professor Department of Business Administration Manipal University, Jaipur Mansarovar, Jaipur-302020 Rajasthan Email ID: drktailor@gmail.com</p>	<p>Dr. Ravi Kant Modi Head, Department of EAFM (Commerce) LBS PG College, Affiliated to Univ. of Raj. Tilak Nagar, Jaipur-302004 Rajasthan Email ID: ravimodii@gmail.com</p>	<p>Dr. Ashok Kumar Assistant Professor Department of Business Administration & Director, Defence & Strategic Studies Jai Narayan Vyas University, Jodhpur Email ID: ashokkumarhatwal@gmail.com</p>
---	---	---	---

EDITORIAL CUM ADVISORY BOARD

Prof. Y.P. Singh Delhi University, Delhi	Prof. Karamjeet Singh Panjab University, Chandigarh	Prof. Suresh C Jain University of Rajasthan, Jaipur
Prof. D. Prabhakar Rao Andhra Univ., Vishakhapatnam	Prof. Daksha P Chauhan Saurashtra University, Rajkot	Prof. J.P. Yadav University of Rajasthan, Jaipur
Prof. G.L. Dave JNVU, Jodhpur	Prof. N. D. Mathur Manipal University, Jaipur	Prof. Hitesh Shukla Saurashtra University, Rajkot
Prof. B. Ramesh Goa University, Goa	Prof. R.K. Gupta Baddi, Himachal Pradesh	Prof. Jitendra K Sharma Palwal, Haryana
Prof. Achalapathi K. V. D.I.S.T., Hyderabad	Prof. K.S.Thakur Jiwaji University, Gwalior	Dr. Rajeev Srivastava Jaipur, Rajasthan
Prof. Nageshwar Rao Uttarakhand Open Uni., Haldwani	Prof. Shurveer S Bhanawat ML Sukhadia University, Udaipur	Dr. Anju Kansal Saint Soldier Coll. for Girls, Jaipur
Prof. H.K. Singh BHU, Varanasi	Prof. Anil Mehta University of Rajasthan, Jaipur	Dr. Anil Bansal University of Rajasthan, Jaipur
Prof. (Dr.) Harish Oza Gujarat University, Ahmedabad	Prof. G Soral ML Sukhadia University, Udaipur	Dr. V. K. Gupta University of Rajasthan, Jaipur
Prof. K Eresi Dr. B.R. A.V., Bengaluru	Prof. M L Vadera Manipal University, Jaipur	Dr. S.K. Gupta SSS Govt.Girls College, Dausa
Prof. Pratapsingh Chauhan Saurashtra University, Rajkot	Prof. Naveen Mathur University of Rajasthan, Jaipur	Dr. Prakash Sharma University of Rajasthan, Jaipur
Prof. Prashant Kumar BHU, Varanasi	Prof. Gaikwad Arun Sangamner, Ahmednagar	Dr. Hem Chand Jain University of Delhi, Delhi
Prof. Vijay Pithadia S H G MBA Mahila College, Amreli	Prof. Sanjay Bhayani Saurashtra University, Rajkot	Dr. Manish B Vyas Nagpur, Maharashtra
Prof. Arvind Kumar University of Lucknow, Lucknow	Prof. S.K. Khatik Barkatullah University, Bhopal	Dr. Ashok Kumar JNVU, Jodhpur

Statutory Warning : No part of this journal may be reproduced or copied in any form or by means (graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information retrieval system) or reproduced on any disc, tape, perforated media or any other information storage device etc., without the prior written permission of the publishers. Breach of this condition is liable for legal action. However, researcher may use any part of this journal in their research work provided that proper citation is used in their work and description of such reference/citation is compulsorily required to inform in writing to the publisher within a month of publication/award of research work.

The Editorial Board of the "Inspira-Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)" is not responsible for views expressed by the authors and reviewers.

website :- www.inspirajournals.com

GUIDELINES FOR SUBMISSION OF RESEARCH MANUSCRIPTS FOR PUBLICATION IN JOURNAL OF INSPIRA

The following are the guidelines applicable to contributions:-

1. The cover page should include Title, Abstract, Keywords, Authors(s) and Affiliations(s) Official Address (es) as well as Residential Address (es) with Pin Code (s) Email Address (es). Please indicate the corresponding author. The abstract not exceeding 200 words along with 5 Keywords, citing the purpose, scope and conclusion of the submission. Preferably it should explain why the readers should consider the same important.
2. Articles should not be more than 2500-5000 words including notes, references & tables.
3. Text should be 1.5 spaced typed in MS-word on A4 size paper leaving one inch margins all around. The text must be typed in font size 12 and font type "Times New Roman".
4. The main text should not contain name of the author. The manuscript should not contain footnotes. References should be given at the end of the manuscript.
5. Reference should be given in APA style.
6. Tables: tables (each on a separate sheet) should be numbered consecutively in Arabic numerals and should be referred to in the text as Table 1, Table 2 etc. tables should not duplicate results in Graphs.
7. Graphs: With minimum descriptive text and Graph axes should be labeled with variable written out in full, along the length of the axes, with the unit in parenthesis.
8. All submissions for publication are referred on the 'double blind' system by at least two professionals.
9. Articles must be original and hitherto unpublished.
10. The final decision on the acceptance or otherwise of the paper rests with the Editors, and it depends entirely on the standard and relevance of the paper.
11. The final draft may be subjected to editorial amendment to suit the Journal's requirements.
12. All author/s must sign and send the "Copyright Certificate" along with their submission.
13. In the case of website, please do not forget to mention the date of accessing.
14. Electronic submissions should be sent to editor@inspirajournals.com / profdrrsmodi@gmail.com Hard copies are accepted, but there must be three printed copies along with the soft copy saved on a CDROM.

Prof. (Dr.) S.S. Modi

Chief Editor

INSPIRA RESEARCH ASSOCIATION (IRA)

INSPIRA- JMME

MEMBERSHIP SUBSCRIPTION RATES FOR THE JOURNAL

	India		Outside India	
	Annual	Life Membership	Annual	Life Membership
Individuals	₹ 2,000	₹ 6,000*	US \$ 80	US \$ 400
Institutions	₹ 2,500	₹ 7,500	US \$ 100	US \$ 500

*Rs. 3000/- (at 50% rebate) in place of 6000/- upto 31.01.2020 only

Please send your Subscription to "INSPIRA" payable at Jaipur



Chief Editor, INSPIRA- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
25, Modi Sadan, Sudama Nagar
Street Near Gangaur Sweets Opp. Glass Factory
Tonk Road, Jaipur-302018, Rajasthan, India.
editor@inspirajournals.com / profdrssmodi@gmail.com / editorinspiraira@gmail.com
Mobile : 09829321067 / 09828571010

The Journal is sent free of charge to all the members of INSPIRA-JMME

INSPIRA™
Reg. No. SH-481 R- 9-V P-76/2014



Printed in India by Prof. (Dr.) S. S. Modi at Aakrati Advertisers, Jaipur, Rajasthan and published
by him on behalf of INSPIRA, Jaipur, Rajasthan
Website : www.inspirajournals.com

वैश्वीकरण के दौर में भारत पर प्रभाव (IMPACT ON INDIA IN THE ERA OF GLOBALIZATION)

उषा शर्मा*
श्रीमती डॉ. विजय सर्राफ**

परिचय

भूमण्डलीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति का मिश्रित परिणाम है। इसके अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ने की छूट होती है। जैसे कच्चा माल विश्व एक हिस्से में सस्ता मिलता हो, श्रम दूसरे हिस्से से सस्ता मिलता हो, पूंजी और संयंत्र किसी तीसरे हिस्से में सुलभ हो और बाजार दूर दूर फैले हो तो यह प्रक्रिया भूमण्डलीकरण कहलाती है। इस में देशों की सीमाएं आर्थिक गतिविधियों के लिए खोल दी जाती है। इस नीति को 1980 के दशक में विश्व में मान्यता मिली है। इसमें संचार क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में भूमण्डलीकरण की नीति ने आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, परिवहन, संचार व राजनीतिक प्रणाली के परस्पर समन्वय के कारण सम्पूर्ण विश्व में एक 'वैश्विक ग्राम' का रूप धारण कर लिया है। इसमें व्यक्ति और संस्थाओं, कम्पनियों में पारस्परिक निर्भरता, एकीकरण और अन्तःक्रिया को बढ़ावा मिला है।¹

वैश्वीकरण से उत्पन्न व्यापक परिवर्तनों से हमारे जीवन का कोई भी पहलू इससे अछूता नहीं है। जिस प्रकार वैज्ञानिक खोजों ने आधुनिकता को सुसाध्य बनाया है और ज्ञानोदय ने मनुष्य के भ्रम से परदा उठाया है उसी तरह हम आज एक अन्य युग के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। पूंजीवाद, उद्योग और राष्ट्र-राज्य जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनका जन्म आधुनिकता के साथ हुआ, उनके स्वरूप में भी आज व्यापक बदलाव आ गया है। इस प्रकार वे जो भूमिका निभा रहे हैं उनमें भी परिवर्तन आया है। आज वर्तमान परिदृश्य को समझने के लिए नई दृष्टि की आवश्यकता है। चीजों को नए प्रकाश में देखने की आवश्यकता है। चूंकि पुरानी संरचनाओं में परिवर्तन आ रहा है इसलिए उनकी पुरानी पहचान भी समाप्त होती जा रही है। आज वर्ग, लिंग, जाति और राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक भूमि का विखंडन देखा जा सकता है जिसने कभी सामाजिक प्राणियों को दृढ़ता प्रदान की थी। यहां तक कि अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था के क्षेत्र में हम भावी खतरों का भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हालांकि एक चीज निश्चित है कि हम वैश्वीकरण के लाभों को नहीं झूठला सकते। अतः वैश्वीकरण के प्रति अपने दरवाजे बंद करने की बजाय हमें इसके लाभ और हानि के मध्य प्रभावी संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हम अब एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहां व्यक्तिगत सरकारें कुशलता से कार्य नहीं कर सकती। अतः यदि हमें वैश्वीकरण की समस्याओं से मुक्ति पानी है तो हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका समाधान भी वैश्वीकरण से ही हो सकता है। भूमण्डलीकरण व वैश्वीकरण से आशय है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। यह एक वैश्विक अभिशासन के नए रूप की मांग करता है जो सहयोग और कुशलता से वैश्विक मुद्दों का समाधान करेगा।

वैश्वीकरण की प्रकृति

वैश्वीकरण विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर एक-दूसरे से मतभेद रखते हैं। वे मुख्य ध्यान विश्व में एक व्यवस्था होने पर लगाते हैं। साथ ही उन वैश्विक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं जो कि समाज व राष्ट्रों से अलग

* शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान।

** व्याख्याता, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़, राजस्थान।

व स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रख क्रियान्वित होती हैं। इस तर्क के समर्थन में कि वैश्वीकरण से व्यक्ति व समाज दोनों अपनी स्वतंत्रता खोते जा रहे हैं, रिट्जन तथा मॅलेन का मानना है कि मैकडानल्ड जैसे अमेरिकी उत्पाद उपभोक्तावाद की मानसिकता पर फल-फूल रहे हैं। साथ ही इससे लोगों को लगने लगा है कि विश्व व्यवस्था में राज्य अब प्रमुख कारक नहीं रह गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रमुखता से अपनी जगह बना रही हैं। इसके साथ ही विश्व में विभिन्न स्थानों पर मैकडॉनल्ड्स इजेशन की प्रक्रिया के विरोध के भी संकेत मिलने लगे हैं। ऐसा मुख्य रूप से विकासशील देशों में हो रहा है। विकासशील देशों में लोग बड़ी संख्या में मानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में वैश्वीकरण प्रक्रिया ने अमीरों को ही लाभ पहुँचाया है।

वैश्वीकरण से सम्बन्धित सिद्धान्त अभी पूर्ण विकसित नहीं हो पाए हैं, परन्तु इन्हें आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सामरिक तथा संस्थागत रूपों में बाँटा गया है। वैश्वीकरण की अवधारणा नई नहीं है। यह प्रक्रिया तो प्राचीन समय से चल रही है इतिहासकार, साधु तथा राजा तब धन, शक्ति व ज्ञान की खोज में नए-नए मार्गों की खोज करते हुए दूर-दराज की यात्राएँ किया करते थे। इसका प्रमाण चीनी तथा फारसी लोगों की विभिन्न उद्देश्यों से दूर देशों की यात्रा से मिलता है। औद्योगिक क्रांति ने भी उद्योग तथा तकनीक से मानवीय संवाद व आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया। सूचना व संचार जगत् में आई क्रांति ने तो वस्तुओं, पदार्थों, तकनीकों, संसाधनों, विचारों और विशेषज्ञता के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। साथ ही यात्रियों व पर्यटकों के रूप में लोगों के आवागमन को भी बहुत बढ़ा दिया है। विंसेट वाइ चेंग वांग ने वैश्वीकरण की चार दशाएँ बतायी हैं—

- खोज व अन्वेषण का युग (1492-1789), जो कि व्यापार व प्राचीन भंडारण के रूप में सामने आया। इसका प्रतीक कोलम्बस द्वारा की गयी अमेरिका की खोज को माना जा सकता है।
- क्रांति, मुद्रा व साम्राज्यों का युग (1789-1900), जिसकी झलक फ्रांसीसी क्रांति व ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी की उत्पादन क्रांति से उपजे औद्योगिक साम्राज्यवाद से मिलती है।
- अतिवादी युग (1900-1970), प्रथम विश्वयुद्ध तथा रूस की बॉलशेविक क्रांति के दौरान एकाधिकारी पूँजीवाद इसका प्रतीक है।
- सूचना का युग (1970 से लेकर वर्तमान तक) यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से प्रकट होता है। इसकी विशेष बात बर्लिन की दीवार का टूटना तथा सोवियत संघ का विघटन रही।

वैश्वीकरण आखिर क्या है तथा इसके प्रमुख घटक क्या हैं ? इसके लिए वैश्वीकरण की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। शुद्ध रूप में वैश्वीकरण का अर्थ भौगोलिक सीमाओं का न होना तथा भौगोलिक दूरियों की समाप्ति माना जा सकता है। इसके तात्पर्य विभिन्न देशों व व्यक्तियों से सम्बन्धित विचारों, तकनीकों, संस्कृतियों तथा अर्थव्यवस्थाओं के बीच घटती दूरियाँ व त्वरित आदान-प्रदान भी हैं इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने में उन बहुराष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख भूमिका रही है। जिन्होंने विश्व समुदाय की चिन्ताओं व हितों को मुखर रूप से उठाया है।

शीतयुद्ध काल की समाप्ति व सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्वीकरण को लेकर विश्व में गर्म बहस छिड़ी हुई है। न्यूयार्क टाइम्स के विदेश मामलों के स्तम्भकार थॉमस एल. फ्रीडमन का मानना है कि, “वैश्वीकरण व्यवस्था ने शीतयुद्धकालीन व्यवस्था की जगह ले ली है।” फ्रीडमन समझते हैं कि वैश्वीकरण ने बाजार व्यवस्था को बढ़ाया है। साथ ही इसने समान वैश्विक संस्कृति को भी पनपाया है जो मुख्य रूप से विश्वस्तर पर अमेरिकी संस्कृति का प्रसार ही है। वर्ष 1999 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, वैश्वीकरण का अर्थ वैश्विक बाजार, वैश्विक तकनीक, वैश्विक विचार तथा वैश्विक एकता को बढ़ाकर सभी स्थानों पर आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाना है। रिपोर्ट के अनुसार “वैश्वीकरण के नये रूप का अर्थ नये बाजार, नये अभिनेता, नये नियम व प्रचलन तथा संचार की नई तकनीकों का प्रसार है।” विश्व स्तर पर काफी हद तक हैन्स हैन्डरिक हॉल्स तथा जॉर्ज सोरेन्सन द्वारा दी गई वैश्वीकरण की परिभाषा को ही मान्यता मिली है। उनके अनुसार, वैश्वीकरण से तात्पर्य, “विभिन्न भौगोलिक सीमाओं के बीच, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना है।” इस परिभाषा के अनुसार, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों

तथा विभिन्न राष्ट्रों की विदेशी नीतियों की प्रकृति को ही बदल दिया है। वैश्वीकरण का दायरा अन्तर्देशीय तथा अन्तर्महाद्वीपीय भी माना जा सकता है। इसने राज्यों व सभाओं के बीच संवाद तथा आपसी सम्पर्कों को भी बढ़ावा दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ वैश्वीकरण की प्रक्रिया से राष्ट्र/राज्यों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों जैसे कि उनका स्वायत्तता, अर्थव्यवस्था, मानवीय सुरक्षा व विकास से भी जूझने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञ वैश्वीकरण प्रक्रिया के विभिन्न सभ्य समाजों, एशिया तथा लैटिन अमेरिका की अधिनायकवादी सरकारों व खाड़ी तथा मध्य पूर्व के तानाशाहों पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन कर रहे हैं।

वैश्वीकरण प्रक्रिया के बढ़ने का एक प्रभाव क्षेत्रीयवाद के पनपने के रूप में भी सामने आया है। वैश्वीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के सदस्यों देशों के बीच एकीकरण भी बढ़ा है। क्षेत्रीयवाद शुरू में विश्व में स्थापित हो रही बड़ी आर्थिक शक्तियों जैसे यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया में और आर्थिक विकास की इच्छा के परिणामस्वरूप पनपा था। बाद में क्षेत्रीय व्यापार की प्रक्रियाओं ने विभिन्न आकार लिये तथा विश्व के विभिन्न भागों में अलग-अलग तरह से व्यापार प्रक्रिया विकसित होती गई। इसका संकेत, पश्चिमी यूरोप में बढ़ रहे आर्थिक संरक्षणवाद से भी मिलता है। यह संरक्षणवाद विकासशील देशों की कीमत पर एकीकृत स्थायी व खुशहाल यूरोप स्थापित करने की दिशा में था। यूरोपीय संघ में व्यापार नियमों व व्यवस्थाओं का विकासशील राष्ट्रों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। विकासशील राष्ट्र भेदभाव सहित व्यापार व्यवस्था चाहते हैं। इसके बावजूद भी, क्षेत्रीयवाद का विश्व व्यवस्था में व्यापार, निवेश, पूँजी आधारित तकनीक के हस्तांतरण व कूटनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

वैश्वीकरण : भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

वैश्वीकरण के युग में विश्व अर्थव्यवस्था वर्तमान में एक गंभीर दौर से गुजर रही है। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं बेड़ी विहीन पूँजीवादी बाजार व्यवस्था ने विकासशील, समाजवादी एवं अर्द्ध विकसित देशों को संदेश दिया कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ी है। यह तर्क भारत तथा चीन जैसे घनी आबादी के देशों को आश्वस्त करने लगा जिसके अंतर्गत चीन ने 1978 में और भारत ने 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू किया। विकास के समाजवादी मॉडल को त्यागकर पूँजीवादी बाजार की अर्थव्यवस्था को ग्रहण किया। निःसंदेह, आर्थिक उदारीकरण एवं संरचनात्मक सुधारों के कारण भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं को ऊँचाईयाँ प्राप्त हुईं। वर्तमान में इन दोनों देशों की सबसे तेजगति से चलने वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं, यद्यपि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण इनकी आर्थिक वृद्धि की दर में गिरावट अवश्य आई है। जहाँ चीन की आर्थिक वृद्धि की दर 12 प्रतिशत हुआ करती थी वह 2015 में 6.9 प्रतिशत रह गई। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विश्व में आई आर्थिक मंदी का प्रभाव चीन पर पड़ा है। अमेरिका सबसे बड़ा चीन का आयातक देश है। अमेरिका व यूरोप जो चीनी वस्तुओं के सबसे बड़े आयात करने वाले देश थे, उन्होंने चीन से भारी मात्रा में आयात कम कर दिया है। इसका सीधा दुष्प्रभाव चीन के औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात पर पड़ा है। ऐसी स्थिति में चीन की आर्थिक विकास की दर सन् 2016 में 6.3 प्रतिशत और सन् 2017 में 6 प्रतिशत अनुमानित थी।

वैश्विक आर्थिक संकट नया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट की पुनरावृत्ति है। 1980 के दशक में मेक्सिको में ऋण संकट पैदा हुआ; 1990 के अंतिम दशक में रूस और पूर्वी एशिया के देशों में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। इन संकटों को ध्यान में रखते हुए जी-7 की सरकारों, ब्रेटनवुड्स संस्थाओं और अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों ने वित्तीय व्यवस्था को दुरस्त बनाने के लिए विश्व बाजारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों की वकालत की गई। उधार व्यवस्था पर बैंक के नियमन व्यवस्था एवं मोनिटरिंग की आवश्यकता पर बल दिया गया।

भारत के बड़े-बड़े राष्ट्रीय बैंकों ने (17 बैंकों) उद्योगपति विजय माल्या को 9 हजार करोड़ की रकम जो उधार दे रखी थी उसकी माल्या से वसूली नहीं की जा सकी है। बैंकों ने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का

दरवाजा 5 मार्च, 2016 को खटखटाया। जबकि माल्या 2 मार्च, 2016 को ही भारत छोड़कर लंदन चले गए और वहीं से उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया (मई 2016 में)। सी.बी.आई. और इन्फोसेमेंट डायरेक्टरेट (ईडी) उन्हें नोटिस जारी कर चुके हैं परंतु माल्या के पीछे राजनीतिक दलों और नौकरशाहों एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के समर्थन के कारण बैंकों के ऋण की वसूली नहीं हो पाई है। माल्या की किंग फिशर हवाई कंपनी जब घाटे में चल रही थी तब भी बैंकों ने माल्या को ऋण स्वीकृत करने में संकोच नहीं किया। इसी तरह ललित मोदी ने करोड़ों के घोटालों के बावजूद वह भी एक भगोड़े की तरह लंदन में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि बैंकिंग संकट के पीछे बड़ा कारण नियमों की अवहेलना एवं नियामक व्यवस्था के दुरुस्त व चुस्त न होने से राष्ट्रीय वित्तीय संकट वैश्विक वित्तीय संकट में बदल जाता है।

2007 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों के कारण एवं हाउसिंग बाजार में अपर्याप्त इक्विटी के विरुद्ध में अधिकाधिक उधार देने की बैंकों की प्रवृत्ति से अमेरिका 2008 में आर्थिक संकट की चपेट में आ गया जिसके दुष्परिणाम विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को झेलने पड़ रहे हैं।

- आइसलैण्ड पहला देश है जो वैश्विक आर्थिक संकट का शिकार हुआ। उसकी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई अर्थात् गिर गई जिसके कारण आइसलैण्ड की सरकार को उन्हें दिवालिया होने की घोषणा करनी पड़ी।
- अमेरिका और यूरोप में कई बैंकों को बन्द करना पड़ा; कई धन्धों के खर्चों में कटौती करनी पड़ी एवं वर्क फोर्स (कामकाजी लोग) को कम करना पड़ा; एवं बेरोजगारी के प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई।
- वैश्विक आर्थिक वृद्धि की दर 2015 में 3.1 प्रतिशत थी। अब आशा व्यक्त की जा रही है कि विश्व अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार के कारण 2016 में आर्थिक वृद्धि की दर 3.4 प्रतिशत एवं 2017 में 7.2 प्रतिशत आंकी गई है। सन् 2018 में 6.9 प्रतिशत रही।
- चीन की अर्थव्यवस्था की भी गति धीमी हुई है। भारत इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण तेल निर्यातक देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक, रूस, नाइजीरिया तथा वेनेज्यूला की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- अमेरिका की मौद्रिक नीति में कठोरता आई है।
- लेटिन अमेरिका में ब्राजील व अन्य देशों में मंदी का प्रभाव वहाँ रोजगार एवं नौकरियों पर पड़ा है। लेटिन अमेरिका के अनेक देशों में हड़तालें व हिंसा का दौर चल रहा है।
- चीन के 'खराब कर्ज' जो + 5 ट्रिलियन को पार कर सकता है, चलते चीनी बैंकों ने ऋण देने से हाथ खींच लिए हैं।
- अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापार घाटे वाला देश बन गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जर्मनी, जापान और चीन की अर्थव्यवस्थाएँ अमरीकी मांग पर निर्भर करती हैं।
- यूरोप ऋण संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल व इटली कंगाली की स्थिति में आ गये हैं। मार्च, 2016 में ब्रसल्स में यूरोपियन परिषद की बैठक में ईयू के नेताओं ने ऋण-ग्रस्त सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग पर बल दिया।
- भूराजनीतिक तनावों, संकट व गृह युद्धों का वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उपरोक्त दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए जी-7, जी-20 तथा जी-5 के सदस्य देशों को वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने के लिए निम्न वित्तीय सुधारों की आवश्यकता है –

- विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था एवं नियमों में सुधार लाना।
- वैश्विक वित्तीय नियामक व्यवस्था को विकसित कर उसके नियमों को कठोरता से लागू करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार तथा आई.एम.एफ. के संसाधनों को तीन गुना वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है ताकि जरूरतमंद अफ्रीकी देशों के ऋण व अनुदान से अधिक दिया जाये।

वैश्विक अर्थशास्त्रियों का मत है कि “अनियंत्रित वैश्वीकरण” वांछित नहीं है। अतः नई संस्थाओं और क्षतिपूर्ति व्यवस्था की आवश्यकता है ताकि वैश्वीकरण को प्रभावी एवं टिकाऊ बनाया जा सके। सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौती नवीन संस्थाओं का तंत्र विकसित करना है। नवीन वैश्वीकरण की प्रगति का मूल्यांकन इस बात से किया जायेगा कि क्या वैश्विक आर्थिक उदारीकरण से विश्व के अधिक से अधिक लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है या नहीं तथा गरीब व अमीर के बीच की खाई कम हुई है या नहीं। क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाये गये सुधारों से एक न्यायोचित एवं पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है ?

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप आई क्रांति ने विश्व/वैश्विक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। इन्टरनेट के माध्यम से लोग एक-दूसरे से तीव्र गति से जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंकडइन एवं अन्य माध्यमों से संपूर्ण विश्व के लोग एवं विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों एवं आस्थाओं एवं विचारधारों से प्रेरित लोग एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जुड़ने की प्रक्रिया ने लोगों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सोच में भारी परिवर्तन आया है। भारत के संदर्भ में हम पाते हैं कि यहाँ का समाज तीव्र गति से बदल रहा है।

वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव

भारत ने जून 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू किया था। देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था निर्यात-आयात व्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए आर्थिक उदारीकरण अपरिहार्य हो गया था इसके प्रभावों को निम्नानुसार बतलाया जा सकता है –

- औद्योगिक लाइसेंस राज को कुछ अपवादों को छोड़कर समाप्त करना;
- निर्यात को बढ़ावा देना;
- विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना;
- पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी को आगे बढ़ाना ताकि देश की आर्थिक विकास की गति में अभिवृद्धि, निरंतरता एवं स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके।
- आर्थिक उदारीकरण की गति को बनाये रखना।

उपरोक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप जहाँ भारत की अर्थव्यवस्था में अभिवृद्धि हुई है वहीं आर्थिक मूलभूत ढांचे में बदलाव के कारण विशेष रूप से सड़क, मोटर परिवहन, रोजगार, टेलीकम्यूनिकेशन, इन्सुरेंस, एयरपोर्ट आदि क्षेत्रों में आशातीत व सकारात्मक परिणाम मिले हैं। लेकिन आर्थिक व्यापारिक उदारीकरण के ऋणात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उनमें (1) वैश्विक प्रतिद्वंद्वता के फलस्वरूप विदेशी कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारत के घरेलू बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। भारत में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कुछ कार कंपनियों जैसे फियट, एम्बेसेडर पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिएट कार के उत्पादन को बंद करना पड़ा। (2) भारतीयों में विदेशी ब्रांड का असर बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी के लोग छोटे-मोटे काम जैसे कॉल सेंटर से पैसा कमाकर विलासिता की वस्तुओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं। (3) लोकल बाजारों में भारतीय माल के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। (4) भारत का उद्योग श्रम प्रेरित था वह पूंजी-प्रेरित होता जा रहा है। (5) कृषि क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। (6) बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। (7) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अंधाधुंध विस्तार से अनुसंधान व गुणवत्ता शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 2016 की प्रिंसटन मूल्यांकन के अनुसार भारत का कोई भी विश्वविद्यालय, केवल प्रबंधन संस्थाओं को छोड़कर, टॉप 200 विश्वविद्यालयों में नहीं है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव

- भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों का त्यागकर भारतीय युवा पश्चिमी संस्कृति की ओर आकृष्ट होता जा रहा है। परिवार टूट रहे हैं; संयुक्त परिवार की प्रथा तेजी से गायब होती जा रही है; न्यायालयों में तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
- अंतर्जातीय विवाह एवं लिव-इन-रिलेशनशिप का फैशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन नये प्रयोगों का कुछ लाभ भी है परंतु उनके नुकसान अधिक हैं।
- भारत की प्रतिभा विदेशों की ओर रूख कर रही है। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार जॉन गेडिस का मत है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक टूटन को जन्म दिया है; सामाजिक स्थिरता एवं सामुदायिक सौहार्दता को तार-तार करता है। निःसंदेह सांस्कृतिक विविधता जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है उस पर साम्प्रदायिक शक्तियाँ हावी होती जा रही हैं। जिनका उद्देश्य सांस्कृति पहनावा को थोपना है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा भारत जैसे देश में विविध धर्मों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों के लोगों में देश भावना, राष्ट्रीय प्रेम के प्रति मोह भंग हो सकता है। इससे भारत की एकता व अखण्डता को खतरा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ✓ सिंह एस.एन: राजनीति विज्ञान शब्दकोष रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ.सं. 213
- ✓ विस्वाल तपन (संपा): अंतर्राष्ट्रीय संबंध औरिंट ब्लेक स्वॉन प्रा.लि. हैदराबाद, संस्करण 2016, पृ.सं. 356
- ✓ गिन्डसें, ए.: दी कोन्सेक्यूएन्स ऑफ मोर्डेनिटी, केम्ब्रिज पोलिटी प्रेस 1990, पृ.सं.14
- ✓ हार्वे. डी.: दी कन्डीसन ऑफ पोस्ट मोर्डेनिटी ऑक्फोर्ड : कौंसिल ब्लेक व्हेल 1989 पृ. सं. 284
- ✓ आर्चर एम.एस.: सोसियोलोजी फॉर वन वर्ल्ड यूनिटी एण्ड डायवर्सिटी : इंटरनेशनल सोसियोलोजी वोल्यूम-6, संख्या-2, 1991, पृ.सं. 131-147
- ✓ कैंगली एण्ड विटकॉफ: वर्ल्ड पॉलिटिक्स: ट्रेन्डस् एण्ड ट्रान्सफोर्मेशन, वर्थ पब्लिशर्स, 1999, पृ. 118-121
- ✓ यूडरी क्रिस्टो, जेन्डर एग्रीकल्चर पोडेक्शन एण्ड दी थ्योरी ऑफ दी हाउसहोल्ड, जनरल ऑफ पोलिटिकल इकोनोमी, वाल्यूम-104, संख्या-5, 1996
- ✓ बेलो, वाल्डेन: दी ग्लोबलाइजेशन: आइडियाज फॉर ए न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी, लंदन जेड बुक्त, 2002
- ✓ सेन अमृत्यु: हाउ टू जज ग्लोबलाइज्म, दी अमेरिकन प्रोस्पेक्ट, वाल्यूम-13, संख्या-1, जनवरी 2002, पृ. सं. 1-14
- ✓ जोसेफ स्टिगलिट्स: ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिसकन्टेंट्स न्यूयार्क: डब्ल्यू डब्ल्यू एण्ड कम्पनी 2002
- ✓ भगवती जगदीश: इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, न्यूयार्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस-2004



परिशिष्ट

परिशिष्ट

आपदा को अवसर में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक राहत पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatm Nirbhar Yojana) निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। पीएम मोदी राहत पैकेज जोकि आत्मनिर्भर भारत अभियान है के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है घोषित किया है।

आत्म निर्भर योजना

इस योजना अथवा अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री आर्थिक राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इस योजना के जरिये देश की अर्थ व्यवस्था को 20 लाख करोड़ रुपये का संबल मिलेगा।

देश के प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए US-इंडिया बिजनेस काउंसिल (USIBC) द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन में भाषण दिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने कहा है कि पिछले छह वर्षों के दौरान हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक सुधार योग्य बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इन सुधारों की वजह से प्रतिस्पर्धात्मकता, पारदर्शिता, डिजिटाइजेशन, इनोवेशन और पॉलिसी स्थिरता बढ़ी है। और उन्होंने कहा है कि भारत आपको स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। भारत में हेल्थकेयर सेक्टर हर साल 22 प्रतिशत से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विशेषज्ञों ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के तनाव को दूर करने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक मनोदर्पण गाइडलाइन बनायी है।

आत्मनिर्भर भारत ऐप

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिंकडइन की पोस्ट के लिंक को साझा करते हुए 4 जुलाई 2020 को ट्वीट करते हुए **Gol_MeitY** और **AIMtoInnovate** आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर भारत ऐप को आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्टार्ट-अप और टेक कम्युनिटी की मदद के लिए लांच किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने भारतीय ऐप निर्माताओं और नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित के लिए इस ऐप को शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जायेगा। मोदी ने कहा कि भारत में एक गतिशील प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र है जिसने भारत को राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है जिसके बाद भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज दो ट्रेक पर काम करेगा। ट्रेक-1 मिशन मोड में काम करते हुए अच्छी क्वालिटी के ऐप्स की पहचान करेगा। ट्रेक-2 के तहत नए ऐप्स और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आइडिएशन के स्तर से लेकर के बाजार की पहुंच तक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस ऐप के माध्यम से मौजूदा ऐप्स को प्रोत्साहन, ई-लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ऑफिस यूटिलिटीज और सोशल नेटवर्किंग की श्रेणियों वाले ऐप्स को सरकार गाइड करने के साथ सपोर्ट करेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी

- किसान
- गरीब नागरिक
- काश्तगार
- प्रवासी मजदूर
- कुटीर उद्योग में काम करने वाले नागरिक
- लघु उद्योग
- मध्यमवर्गीय उद्योग
- मछुआरे
- पशुपालक
- संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति

आत्मनिर्भर भारत बनने की जरूरत क्यों

भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों से परिपूर्ण देश रहा है। यहां हर प्रकार के चीजों को बनाने और उसका अपने जीवन में उपयोग कर अपने राष्ट्र निर्माण में मदद कर सकता है। पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन पाये जाते हैं, जो कि बिना किसी देश की मदद से जीवन से लेकर राष्ट्र निर्माण की वस्तुएं बना सकता है और आत्मनिर्भर के सपने को पूरा कर सकता है।

- हालांकि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना नया है। यह सपना महात्मा गांधी ने आजादी के बाद ही स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, पर गरीबी और भुखमरी के कारण उनका सपना साकार न हो सका।
- कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से सारा विश्व बन्द पड़ा है, जिसके कारण छोटे लोगों से लेकर पूंजीपतियों तक को भारी नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के परिवारों को कमाने खाने की समस्या काफी बढ़ गयी है।
- कोरोना महामारी के कारण किसी भी देश से सामानों का आदान-प्रदान बन्द है। इसलिए मई के महीने में तालाबन्दी के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनने का आह्वाहन किया है। उन्होंने "लोकल फॉर वोकल" का भी नारा दिया। जिसका अर्थ है कि लोकल में बनी वस्तुओं का उपयोग और उनका प्रचार करना और एक पहचान के रूप में आगे बढ़ना।
- महामारी के दौरान ही चीन ने भारत के डोकलाम सीमा क्षेत्र में कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें भारत के लगभग 20 जवान शहीद हो गए। सीमा के इस विवाद में भारत के सैनिकों की क्षति के कारण देश के हर कोने से चीनी सामान को बैन करने की माँग के साथ ही, चीनी सामानों को बन्द कर दिया गया और प्रधानमंत्री ने सारे देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनकर घरेलू चीजों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा राष्ट्र मजबूती के साथ खड़ा हो सके।
- पिछले कुछ महीनों से विश्व कोरोना वायरस महामारी के कारण बन्द पड़ा है। इसके कारण सारे विश्व में वित्तीय संकट के बादल छाए हैं। इसी कड़ी में भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्र को आगे ले जाने फैसला किया है। विश्व बन्दी के कारण सारे विश्व के उत्पादों पर भारी असर हुआ है, इसलिए भारत ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर देश की तरक्की पर अपना कदम आगे बढ़ाया है।

इन सभी स्थितियों को देखते हुए और भारत की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों से आत्मनिर्भरता से लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने को देशवासीयों से अपील की है। भारत इस ओर धीरे-धीरे अग्रसर भी हो रहा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र

- मेक इन इंडिया (Make in India Mission)
- निवेश को प्रेरित करना (Provide Good Investment Opportunities)
- सरल और स्पष्ट नियम कानून (Rational Tax System)
- नए व्यवसाय को प्रेरित करना (To Motivate New Business)
- उत्तम आधारिक संरचना (Reformation Of Infrastructure)
- समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार (Capable Human Resources)
- बेहतर वित्तीय सेवा (A Good Financial System)
- कृषि प्रणाली (Reformation Of Agricultural Supply Chain & System)

आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तम्भ

अर्थव्यवस्था – एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो छोटे-छोटे परिवर्तन (इंक्रिमेंटल चेंज) नहीं, बल्कि ऊँची छलांग (क्वांटम जंप) लाए।

बुनियादी ढांचा – एक ऐसा बुनियादी ढांचा, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सके।

प्रौद्योगिकी – एक ऐसा सिस्टम, जिसमें आधुनिक तकनीक को अपनाने और समाज में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाना शामिल है।

जनसंख्यिकी (डेमोग्राफी)– भारत की जीवन्त जनसंख्यिकी हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है।

मांग – भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार और मांग है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।

आत्मनिर्भर भारत के लिये आर्थिक प्रोत्साहन

- प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज COVID –19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई
- पूर्व घोषणाओं तथा RBI द्वारा लिये गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपये का है, जो भारत की 'सकल घरेलू उत्पाद' (Gross domestic product- GDP) के लगभग 10 के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों (Land, Labour, Liquidity and Laws- 4Is) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आर्थिक पैकेज का विश्लेषण:

- घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार के 'राजकोषीय' पैकेज के हिस्से के रूप में RBI द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को भी शामिल किया गया है।
- सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन का भुगतान आदि शामिल होते हैं। जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थी को सीधे प्राप्त होता है। परंतु सरकार द्वारा की जाने वाली अप्रत्यक्ष सहायता जैसे 'भारतीय रिजर्व बैंक' के ऋण सुगमता उपायों का लाभ सीधे लाभार्थी तक नहीं पहुँच पाता है।
- RBI द्वारा दी जाने वाली सहायता को बैंक ऋण देने के बजाय पुनः तट के पास सुरक्षित रख सकते हैं। हाल ही में भारतीय बैंकों ने केंद्रीय बैंक में 8.5 लाख करोड़ रुपए जमा किये हैं।
- इस प्रकार घोषित राशि GDP के 10% होने के बावजूद GDP के 5% से भी कम राशि प्रत्यक्ष रूप में लोगों तक पहुँचने होने की उम्मीद है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग

मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है। सूक्ष्म या माइक्रो इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। लघु इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। मध्यम इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए।

संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, इससे 2 लाख एमएसएमई को मदद मिलेगी। फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा दी गई है।

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 45 दिन के भीतर एमएसएमई के बकायों का भुगतान करना होगा। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) को औपचारिक रूप देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई। 2 लाख एमएफई की सहायता के लिए 'वैश्विक पहुंच के साथ वोकल फॉर लोकल' का शुभारम्भ किया जाएगा। एमएसएमई की सहायता और कारोबार के नए अवसर के लिए 'चौपियंस' पोर्टल लॉन्च किया गया है।

ज्ञातव्य है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई जीडीपी में 29 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत योगदान करते हैं। इस क्षेत्र में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए घोषित नीतियाँ निम्नलिखित हैं—

- एमएसएमईज सहित व्यापार के लिए रुपये 3 लाख करोड़ संपार्श्विक निःशुल्क स्वचालित ऋण
- एमएसएमईज के लिए रु 20 हजार करोड़ का अधीनस्थ ऋण
- एमएसएमईज के फंड के माध्यम से रुपए 50 हजार करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन
- एमएसएमईज की नई परिभाषा गढ़ी दी गई है।
- एमएसएमईज के लिए वैश्विक टेण्डर की सीमा बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।
- एसएमई के लिए अन्य हस्तक्षेप भी किये गए हैं।
- 3 और महीनों के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए 2500 करोड़ रुपये का ईपीएफ समर्थन दिया गया है।
- ईपीएफ अंशदान 3 महीने के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए कम हो गया है।
- एनबीएफसीएस, एचसी, एमएफआई के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की तरलता सुविधा प्रदान की गई है।
- एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना दी गई है।
- डीआईएससीओएम के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की तरलता इंजेक्शन दिया गया है।
- ठेकेदारों को राहत दी गई है।
- ईआरए के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता तिथि का विस्तार किया गया है।
- डीएस-टीसीएस कटौती के माध्यम से 50 हजार करोड़ रुपये की तरलता प्रदान की गई है।

मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जुलाई, 2020 को ऐप के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए 'ऐप इनोवेशन चैलेंज' लॉन्च किया। ऐप इनोवेशन चैलेंज का मंत्र है 'भारत में भारत और विश्व के लिए बनाओ' (मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड)।

भारत आज पीपीई किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। सीएसआईआर-एनएएल ने 35 दिनों के भीतर बाईपैप वेंटिलेटर का विकास किया। वस्त्र समिति (मुंबई) ने पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और 'मेक इन इंडिया' वाला पीपीई जांच उपकरण बनाया। बिजली क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन टॉवर से लेकर, ट्रांसफार्मर और इन्सुलेटर तक देश में ही बनाने पर जोर दिया गया है। सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए 'मेक इन इंडिया' नीति में संशोधन किया गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा दिया जाएगा। एक निश्चित समयावधि के भीतर आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए हथियारों ६ प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित किया जाएगा। आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाएगा और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। आयुध निर्माणियों (ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों) को कॉर्पोरेट का दर्जा दिया जाएगा और उनको शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा।

गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए की गई मुख्य घोषणाएँ

14 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मुख्यतः गरीब, श्रमिक और किसानों के लिए जो घोषणाएँ की गई हैं, वह निम्नलिखित हैं—

- पहला, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की पोस्ट कोविड-19 योजना
- दूसरा, पिछले 2 महीनों के दौरान प्रवासी और शहरी गरीबों के लिए सहायता योजना
- तीसरा, प्रवासियों को वापस करने के लिए एमजीएनआरईजीएस सहायता योजना
- चतुर्थ, श्रम संहिता में बदलाव करके श्रमिकों के लिए लाभ सुनिश्चित करना
- पंचम, 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति
- षष्ठम, 2021 तक 'एक देश एक राशन कार्ड' द्वारा भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना तय हुआ है।
- सप्तम, प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसर बनाने की पहल

- अष्टम, मुद्रा शिशु ऋण के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- नवम, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा दी जा रही है।
- दशम, सीएलएसएस के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को बढ़ावा देने के लिए 70 हजार करोड़ रु निर्धारित
- ग्यारह, सीएमपीए फंड का उपयोग कर 6 हजार करोड़ रोजगार पक्का किया जा रहा है।
- बारह, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि सुनिश्चित की गई है।
- तेरह, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ढाई करोड़ किसानों को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रु रखे गए हैं।